

Volume 11, Issue 2: April-June 2025

ISSN : 2395-7468

THE Equanimist

A peer reviewed refereed journal



Volume Editor

Dr. Vandana Singh

**Assistant Professor, Department of Sociology, S.M.J.N. (P.G.)
College, Haridwar (Uttarakhand).**

The Equanimist

... A peer reviewed refereed journal

Editorial Advisory Board

Prof. U.S. Rai (University of Allahabad)
Prof. Devraj (M.G.A.H.V., Wardha)
Prof. R. N. Lohkar (University of Allahabad)
Prof. V.C.Pande (University of Allahabad)
Prof. D.P.Singh (TISS, Mumbai)
Prof. Anand Kumar (J.N.U.)
Prof. D.V. Singh (S.R.M. University)
Prof. D.A.P. Sharma (University of Delhi)
Prof. P.C. Tandon (University of Delhi)
Prof. Siddarth Singh (Banaras Hindu University)
Prof. Anurag Dave (Banaras Hindu University)

Editor in Chief

Dr. Nisheeth Rai (M.G.A.H.V., Wardha)

Associate Editors

Dr. Manoj Kr. Rai (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Virendra P. Yadav (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Pradeep Kr. Singh (University of Allahabad)
Dr. Shailendra.K.Mishra (University of Allahabad)
Dr. Ehasan Hasan (Banaras Hindu University)

Editorial /Refereed Board Members

Dr. Ravi S. Singh (University of Delhi)
Dr. Roopesh K. Singh (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Tarun (University of Delhi)
Dr. Dharendra Rai (Banaras Hindu University)
Dr. Ajay Kumar Singh (Jammu University)
Dr. Shree Kant Jaiswal (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Kuldeep Kumar Pandey (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Abhisekh Tripathi (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Shiv Gopal (Allahabad University)
Dr. Vijay Kumar Kanaujiya (V.B.S.P.U., Jaunpur)
Dr. Jitendra (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Kamal Kumar (Pondicherry University)
Dr. Shiv Kumar (K.U., Bhawanipatna)
Dr. Ambuj Kumar Shukla (Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur)

Managerial Board

Mr. K.K.Tripathi (M.G.A.H.V., Wardha)
Mr. Rajat Rai (State Correspondent, U.P. India Today Group)

S.NO.	Content	Pg. No.
1.	Role of Legislature in Protection of the Cooperative Societies in India Suman Lata & Kailash Kumar	01-10
2.	Automation and the Future of Work : Impact on Employment, Job Displacement and Skill Requirements Bhavya Bhagat	11-20
3.	भोजपुरी की ध्वनि व्यवस्था अनिल कुमार पाण्डेय	21-32
4.	हिंदी रंगमंच की आधुनिक प्रवृत्तियों में गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार का सृजनात्मक योगदान सुनील कुमार सुधांशु	33-40
5.	डॉ. सूर्यबाला का व्यंग्य संसार अनिकेत गौतम	41-49
6.	महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष : रोमा रोला की दृष्टि में पल्लवी आनंद	50-55
7.	स्त्री शिक्षा का गुणात्मक अध्ययन : वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रियंका भारती	56-64
8.	भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 प्रतिभा गुप्ता	65-73
9.	शिक्षा, सामाजिक-न्याय एवं समतामूलक अंतरसम्बन्ध (डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों के सन्दर्भ में) मीनाक्षी शर्मा	74-78
10.	भारतीय समाज में पुरुष उत्पीड़न पर सामाजिक जागरूकता का अभाव : कारण और समाधान वन्दना सिंह	79-90
11.	अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव सारिका राय शर्मा एवं जेस्पेंदर सिंह	91-100
12.	विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की चुनौतियाँ एवं संभावनाएं समरजीत यादव	101-112
13.	भारत में महिला समाजीकरण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन कु. शाहीन	113-121
14.	भाषिक मिम्स (Memes) और उनके नव्य अर्थ-संवहन तंत्र का भाषाई विश्लेषण बिश्नजीत नारायण	122-132
15.	Understanding Teachers' Professional Identity in Higher Education : A Qualitative Inquiry Santosh Kumar Dubey	133-146

- | | | |
|-----|--|---------|
| 16. | स्वयं सहायता समूहों से सूक्ष्म उद्यमों तक : भारत में ग्रामीण महिला उद्यमिता का विस्तार
देवेन्द्र मौर्य | 147-158 |
| 17. | महिला शिक्षा का राजनीतिक अध्ययन : बुलंदशहर ज़िले के ग्राम ईलना के विशेष संदर्भ में
प्रेरणा सिंह वर्मा एवं केतकी तारा कुमैया | 159-166 |
| 18. | हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐतिहासिक दृष्टि और आदिकाल का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य
सुमन बाला | 167-171 |

Manuscript Timeline

Submitted : April 10, 2025

Accepted : April 20, 2025

Published : June 30, 2025

Role of Legislature in Protection of the Cooperative Societies in India

Suman Lata¹Dr. Kailash Kumar²

Abstract

The cooperative movement in India was largely inspired by the Rochdale Principles that originated in England in 1844. These principles advocated for self-help, mutual aid, and democratic governance among members. The early cooperative societies were primarily focused on agricultural credit, which aimed to alleviate the financial burdens on farmers.

The International Cooperative Alliance (ICA), defines a cooperative as:

An autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations, through a jointly owned and democratically controlled enterprise.

Cooperative societies have played an instrumental role in India's socio-economic development, particularly in the agricultural and rural sectors. They provide a platform for mutual support among members, offering financial, social, and economic benefits. The protection and regulation of these societies are of paramount importance to ensure their sustainable functioning. The study aims to review the role of the legislature in safeguarding cooperative societies in India. This includes the formulation of laws, the establishment of a regulatory framework, and ensuring financial stability, transparency, and fair practices within the cooperative sector. Additionally, the idea behind this is to explore the various legal instruments and policies introduced by the Indian legislature to protect cooperatives, the challenges faced and future recommendations for improving the legislative framework.

Introduction-

Cooperatives in India have a rich history, rooted in the nation's struggle for economic and social empowerment. Over the years, cooperative societies have contributed significantly to sectors like agriculture (producer, consumer), marketing, credit, banking, dairy, and housing. They are formed on the principles of mutual aid, self-help, and democratic governance, enabling people—especially those from marginalized or economically backward backgrounds—to come together for shared

¹ Research Scholar, Department of Law, MDU, Rohtak.

² Associate Professor, Department of Law, MDU CPAS Sector- 40, Gurugram.

benefits. The role of the legislature is crucial in providing the legal and regulatory framework necessary for the functioning and protection of these societies.

This paper explores how legislative action has influenced in protection of the cooperative societies, focusing on the laws, policies, and structures established to ensure their stability, transparency, and growth.

Legislative Framework for Cooperative Societies in India

❖ Constitutional Provisions

- Three changes were made through the 97th Constitutional Amendment Act
- Article 19 of the Indian Constitution establishes the ability to form cooperative societies as a basic right
- It featured a new Directive on State Policy Principles for Promoting co-operative Societies (Article 43-B)
- The Constitution was amended to include a new Part IX-B, allowing “The Cooperative Societies” to be formed (Articles 243-ZH to 243-ZT)
- The 97th Constitutional Amendment Act (CAA) of 2011 granted Constitutional protection and legitimacy to cooperative societies
 - ✓ Article 243ZH—Cooperative Society definitions
 - ✓ 243ZI— incorporation of Cooperative Societies
 - ✓ 243ZJ— number and term of the board’s members, as well as the office bearers
 - ✓ 243ZK— Members of the board through an election process
 - ✓ 243ZL—Suppression and suspension of the executive committee, interim management
 - ✓ 243ZM— audits and accounts
 - ✓ 243ZN—General body meetings
 - ✓ 243ZO—A member’s right for information
 - ✓ 243ZP—Returns (file returns for every financial year)
 - ✓ 243ZQ—Penalties and offences
 - ✓ 243ZR— Applicable to multi-state cooperative societies
 - ✓ 243ZS— Applicable to Union Territories

Existing laws must be maintained legislative protection of cooperative societies in India begins with the enactment of specific laws aimed at regulating their formation, operation, and dissolution. The primary statutes include:ⁱ

- ❖ **The Cooperative Societies Act, 1912:** This was the first comprehensive piece of legislation governing cooperative societies in India. It laid the foundation for the registration and regulation of cooperatives, focusing on principles of mutual benefit and voluntary association.
 - All Five Year Plans

- National Policy on Cooperation 1958, the National Development Council (NDC) had recommended for training of personnel and setting up of co-operative marketing societies.
- ❖ **The National Cooperative Development Corporation (NCDC) Act, 1962:** The creation of the NCDC aimed at providing financial assistance to cooperatives in sectors like agriculture, marketing, and processing.
 - The Multi-State Cooperative Societies Act 1984, Parliament of India enacted this act to remove the plethora of laws governing the same types of societies.
- ❖ **The Multi-State Cooperative Societies Act, 2002:** This act replaced the earlier acts governing multi-state cooperatives and established a legal framework for societies operating in more than one state. It provides for the registration, management, and regulation of such cooperatives and outlines the roles and responsibilities of their governing bodies.
- ❖ **Latest Legislative Development**
 - The Union Ministry of Cooperation formed in July 2021 provides a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country. The Ministry's creation was announced on 6 July 2021 along with its vision statement "*Sahkar se samriddhi*" (*Prosperity through cooperation*).
 - Recently, the Lok Sabha has referred the Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 to a Joint Committee of Parliament. The Bill is aimed at overhauling the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, which was enacted 20 years ago. Cooperatives are universally accepted as key instruments of social and economic policy and have inherent advantages in strengthening the efforts leading to overall economic prosperity with enhanced livelihood, security and employment.
 - The Union Budget 2023-24 strengthens the cooperatives to take forward the agenda for inclusive growth. New manufacturing co-operatives that start manufacturing till 31st March, 2024 will attract a lower tax rate of 15 percent. The limit for cash deposits and loans by Primary Agricultural Co-operative Societies and Primary Co-operative Agriculture and Rural Development Banks has been increased to 2 lakh rupees per member. The income limit for tax deduction at source (TDS) on cash withdrawals for co-operative societies has been increased to 3 crore rupees.
- ❖ **State Cooperative Societies Acts:** Every state in India has its own cooperative societies act, which regulates cooperatives within its jurisdiction. These acts offer state-level protections and operational guidelines, ensuring cooperatives function within a regional legal framework.ⁱⁱ

These laws collectively contribute to the protection of cooperatives by ensuring that they operate in a manner that aligns with the principles of transparency, democracy, and mutual benefit.

Protection through Regulation and Oversight-

One of the key roles of the legislature is to establish mechanisms for the regulation and oversight of cooperative societies. This ensures that cooperatives operate fairly and effectively, preventing the misuse of funds and resources, as well as protecting the rights of members.

- **Registrar of Cooperative Societies:** The legislatively established **Registrar of Cooperative Societies** is empowered to supervise cooperative societies. This office ensures that cooperatives comply with the legal requirements, conduct regular audits, and follow established governance practices.
- **Audits and Financial Oversight:** Legislation mandates regular audits of cooperative societies to promote transparency and accountability. The legislature has also provided guidelines for the establishment of financial norms and auditing standards within cooperatives, reducing the chances of mismanagement.
- **Tribunals and Dispute Resolution:** The legislature has provided for **Cooperative Tribunals** at both the state and national levels. These bodies handle disputes between members, management, and the government, ensuring the smooth functioning of cooperative societies. The introduction of cooperative courts and appellate bodies has further ensured that members can address grievances effectively.

Legislative Policies Promoting Cooperative Growth-

In addition to regulatory measures, the Indian legislature has also formulated policies that help cooperatives grow and expand in different sectors, ensuring their contribution to national development goals.ⁱⁱⁱ

- **National Policy on Cooperatives (2002):** The National Policy on Cooperatives provides a framework for promoting the cooperative movement in India. The policy aims to create a conducive environment for the growth of cooperatives, ensuring that they can contribute significantly to the economic empowerment of rural and marginalized communities. It emphasizes the importance of member welfare, fair competition, and the protection of cooperative values.
- **Promotion of Cooperative Banks:** The legislature has also enacted provisions for the establishment of **cooperative banks**, which provide financial services to the underserved population. Through these banks,

cooperatives can access credit and financial resources, thereby bolstering their financial sustainability.

- **Support for Agricultural Cooperatives:** Legislation has consistently supported agricultural cooperatives through various schemes and subsidies. These cooperatives play a vital role in ensuring better prices for farmers, providing credit facilities, and offering technical support in areas like irrigation and crop management.

cooperative membership allowed with a voice in decision- making, improving social networks, and challenging

Challenges Faced by Legislative Measures-

While legislative measures have significantly contributed to the protection of cooperatives, there are several challenges that persist:

i. Ineffective Enforcement : Despite the presence of laws and regulations, enforcement remains a significant challenge in many states. A lack of effective monitoring mechanisms and delayed legal proceedings can undermine the protection offered by the legislature.

- While the Indian legislature has laid down comprehensive laws to regulate cooperative societies, the enforcement of these laws often proves to be ineffective.
- Many cooperative societies operate in remote rural areas where regulatory authorities may lack the resources or manpower to ensure strict compliance.
- Even when violations are identified, the legal processes for taking action can be slow, leading to delayed justice for members who are impacted by mismanagement or fraudulent activities.
- There is also a lack of coordination between state and national regulatory bodies, further complicating enforcement.

ii. Political Interference : Cooperative societies often face political interference, which bring impact in the democratic set-up. Politicians often manipulate elections for cooperative society leaders, appoint loyalists to key positions, or use cooperatives for political patronage, which can distort their operations and undermine democratic governance.

Political influence can also affect financial decisions, such as the allocation of funds or credit, potentially compromising the cooperative's objectives and its ability to operate independently.

iii. Financial Mismanagement and Corruption :

- Despite the legislative framework, financial mismanagement and corruption remain widespread in certain cooperatives. In some cases, poor governance

practices, lack of internal audits, and weak oversight mechanisms result in misappropriation of funds.

- Cooperative societies often suffer from a lack of trained financial professionals or auditors, leading to improper management of funds and operational inefficiency.
- Although audits are mandated by law, some cooperatives either delay or bypass them, making it difficult for members to get accurate information about the society's financial health.^{iv}

iv. Lack of Capacity Building and Training :

- Many cooperative societies, especially in rural areas, lack the technical expertise or knowledge to manage their operations effectively. The legislature provides some frameworks and emphasis on capacity building and training at the grassroots level.
- Without proper training, members may not understand their rights or responsibilities, cannot improve knowledge, skills, and confidence, thus not actively participate in cooperative decision-making processes.
- Legislators lacking in providing adequate support for institutionalizing training programs that why managerial skills needed to run cooperatives remains inefficiently.

v. Outdated Legislative Framework :

- The legal framework governing cooperative societies, especially the **Cooperative Societies Act, 1912**, and even the **Multi-State Cooperative Societies Act, 2002**, are often viewed as outdated in the context of modern economic challenges.
- These laws were initially designed to cater to smaller, community-based cooperatives and do not always address the complexities of large, multi-state, or commercially competitive cooperatives that have emerged over time.
- The legislative framework has not kept pace with technological advancements, the rise of digital cooperative platforms, or global business practices. This mismatch results in inefficiencies in management and governance.

vi. Limited Financial Support and Resources :

- While cooperatives are legally entitled to certain financial benefits and credit facilities, they often face challenges in accessing sufficient capital or credit. This issue is compounded by the lack of adequate financial infrastructure and access to modern banking tools.
- The legislation does not always facilitate cooperative societies' easy access to loans or financial support, especially for those operating in niche sectors, such as organic farming, renewable energy, or new-age industries.^v
- **Technological and Structural Challenges:** Cooperatives need to modernize their operations, but the existing legislative framework does not always

support technological upgrades or new business models that could make them more competitive in the global market.

vii. Resistance to Reform :

- Many cooperative societies are entrenched in traditional ways of functioning, and resistance to reform is a major issue. For example, many cooperatives still operate with outdated business models, and members may resist adopting new management practices or technological innovations.
- Even when legislative measures introduce reforms (like promoting transparency or democratizing management), implementing these reforms often meets resistance from long-time members or managers who have vested interests in maintaining the status quo.

viii. Inconsistent State-Level Implementation :

- Although there is a broad national framework, the actual implementation of cooperative laws varies significantly from state to state. Some states have robust systems for regulating and supporting cooperatives, while others lack the necessary infrastructure or political will to enforce cooperative laws effectively.
- For example, states like Kerala and Maharashtra have more progressive cooperative laws, while others may not have the resources or regulatory mechanisms to oversee cooperatives properly. This inconsistency leads to disparities in the protection provided to cooperative societies across the country.^{vi}

ix. Lack of Public Awareness and Advocacy :

- Even though cooperatives are supposed to be run by their members, many members are not fully aware of their rights, responsibilities, or the legal framework that protects them. Without adequate education on cooperative laws and governance practices, members may fail to hold management accountable.
- The legislature has not done enough to promote public awareness campaigns or educational programs that explain the importance of cooperatives and how they can be effectively governed.

Key Areas Requiring Reform-

Given the challenges mentioned above, the following key areas require urgent reform in cooperative laws to ensure the sector can thrive and contribute more effectively to India's development:

1. Modernizing the Legal Framework:

- **Review and Revise Existing Legislation:** Existing cooperative laws should be reviewed to address modern economic realities. The

Cooperative Societies Act, 1912, and Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, should be restructured to provide a more robust and comprehensive framework for cooperatives.

- **Incorporation of New Forms of Cooperatives:** The law should reflect the diverse forms of cooperatives that have emerged in recent years, such as **consumer cooperatives, housing cooperatives, worker cooperatives, and credit unions**. Each type of cooperative has unique needs that must be addressed in the legal framework.^{vii}

2. Strengthening Governance Structures:

- **Democratic Elections and Member Participation:** Legal reforms should enforce strict guidelines to ensure that cooperatives operate democratically, with regular elections and active participation from all members. This would prevent external interference and foster greater ownership and accountability within cooperatives.
- **Professional Management:** Laws should mandate that cooperatives be managed by professionals with expertise in areas such as finance, operations, and governance. This would help improve the efficiency and effectiveness of cooperatives.
- **Training and Capacity Building:** The legal framework should include provisions for ongoing training of cooperative leaders and members to improve managerial skills, financial literacy, and understanding of cooperative principles.

3. Reducing Political Interference:

- **Separation of Politics from Cooperative Management:** Laws should ensure that cooperatives remain free from political influence. By instituting clear boundaries between political activity and cooperative governance, the integrity of the cooperatives would be preserved.
- **Appointment of Independent Oversight Committees:** To prevent undue political influence, an independent regulatory body should be set up to oversee cooperative elections, governance, and financial operations.

4. Enhanced Financial Oversight:

- **Stronger Auditing Mechanisms:** Cooperative laws must mandate more robust auditing systems, ensuring regular financial audits and transparent accounting practices. This would help in preventing mismanagement of funds and improve accountability.

- **Regulation of Cooperative Banks:** The financial regulation of cooperative banks should be made more stringent. This would ensure that cooperatives engaged in banking activities follow sound financial practices, ultimately safeguarding the interests of depositors and borrowers.

5. Legal Protection for Members:

- **Dispute Resolution Mechanisms:** A reformed cooperative law should include clear provisions for **dispute resolution**. It should provide mechanisms for cooperative members to address grievances regarding management decisions, elections, or financial matters.
- **Protection Against Exploitation:** The legal framework should establish safeguards to prevent the exploitation of members, particularly in cases of mismanagement or financial fraud. It should also ensure that members' rights are protected when they face difficulties in accessing services or benefits from the cooperative.^{viii}

6. Incentivise Technological Integration:

- **Support for Digital Transformation:** Cooperative laws should encourage the adoption of modern technologies like **blockchain** for transparent record-keeping, **mobile banking**, and **data management**. Technological integration can help cooperatives streamline operations, reduce costs, and better serve their members.
- **Government Support for Technology Adoption:** The government should provide financial and technical support to cooperatives for the adoption of digital tools, especially in rural and remote areas.

Conclusion-

The legislature in India has played an essential role in the protection of cooperative societies, from establishing a legal framework to creating mechanisms for oversight and regulation. Legislative efforts have helped promote cooperatives as powerful vehicles for socio-economic change. However, ongoing challenges such as political interference, financial mismanagement, and the need for modernization require continuous legislative attention. By strengthening regulatory frameworks, reducing external influences, and embracing new technologies, the legislature can further empower cooperatives to contribute to the development of India's economy and society.

References-

1. Cooperative Societies Act, 1912
2. Multi-State Cooperative Societies Act, 2002

3. National Policy on Cooperatives, 2002
4. Reserve Bank of India (RBI) Reports
5. NABARD Guidelines on Cooperative Banks
6. State Cooperative Societies Acts

ⁱ Bhatia, S. S. (2003). *Cooperative Movement in India: Problems and Prospects*. Deep & Deep Publications.

ⁱⁱ Narayana, P. (2008). *Cooperative Sector in India: Policies and Strategies*. Oxford University Press.

ⁱⁱⁱ Chand, R. (2012). "Cooperative Societies and Rural Development in India: Legislative and Policy Framework." *Indian Journal of Agricultural Economics*, 67(3), 430-438.

^{iv} Mishra, A., & Sahoo, S. (2016). "The Evolution of the Cooperative Law in India: Challenges and Opportunities." *Journal of Indian Law and Society*, 14(2), 120-135.

^v Government of India – Ministry of Cooperation. (2023). *Cooperative Development and Legislative Measures*. www.cooperation.gov.in

^{vi} Vaidyanathan, A. (2009). *Cooperative Enterprises in India: The Role of Legislation in Economic Development*. Economic and Political Weekly.

^{vii} Bhatia, S. S. (2003). *Cooperative Movement in India: Problems and Prospects*. Deep & Deep Publications.

^{viii} Narayana, P. (2008). *Cooperative Sector in India: Policies and Strategies*. Oxford University Press.

Manuscript Timeline

Submitted : April 07, 2025

Accepted : April 20, 2025

Published : June 30, 2025

Automation and the Future of Work : Impact on Employment, Job Displacement, and Skill Requirements**Ms. Bhavya Bhagat¹****Abstract**

The rapid advancements in automation technologies, including artificial intelligence (AI), robotics, and machine learning, are reshaping industries and the global workforce. This paper examines the impact of automation on employment trends, job displacement, and the evolving skill requirements in the labour market. As automation increasingly replaces routine, manual tasks, jobs in sectors like manufacturing, retail, and transportation are at risk of displacement. However, automation also leads to the creation of new job roles, particularly in technology-driven fields such as robotics, AI, data science, and cybersecurity. These shifts highlight the growing demand for specialized skills, including technical expertise and soft skills like creativity and problem-solving, which are less vulnerable to automation.

Geographically, urban areas with access to technology and educational resources are seeing job growth, while rural regions are experiencing higher rates of job losses. Furthermore, the nature of employment is changing, with a shift from full-time positions to part-time, gig, and remote work. This paper also explores the polarization of jobs, with an increase in both high-skill and low-skill employment, while middle-skill roles are diminishing. To adapt to these changes, continuous upskilling and lifelong learning are essential for workers to remain competitive.

This research highlights the dual impact of automation on the workforce—displacement and creation—while emphasizing the importance of reskilling initiatives and policies to support affected workers. The findings provide valuable insights into the future of work, urging policymakers and businesses to prepare for the evolving labour market by focusing on workforce adaptation and the promotion of inclusive opportunities.

Keywords :- Automation, Employment Trends, Job Displacement, Skill Requirements, Job Creation, Workforce Adaptation.

¹ Research Scholar, Department of Economics, Motherhood University, Roorkee.
Mob. - 8171883549 E-mail. - bhagatbhavya14@gmail.com

Introduction-


The rapid advancement of automation technologies, including artificial intelligence (AI), robotics, and machine learning, is reshaping industries and transforming the workforce. Automation, which replaces human labour with machines and intelligent systems, is revolutionizing sectors such as manufacturing, retail, logistics, and healthcare. While it offers the potential for increased productivity and cost savings, it also raises concerns about job displacement and the future of employment.

Historically, technological innovations have altered the nature of work, but the current wave of automation is seen as particularly disruptive. Many low-skill, routine jobs are at risk of being replaced by machines, leading to potential job losses in industries like manufacturing and retail. However, automation also creates new roles, particularly in technology-driven sectors, requiring workers with skills in robotics, data analysis, and AI.

As the labour market evolves, there is a growing demand for new skills. Workers will need to adapt by acquiring technical expertise in emerging fields while also developing soft skills that machines cannot replicate, such as creativity and emotional intelligence. Reskilling and lifelong learning will be crucial for workers to remain competitive in the changing job market.

This paper explores the impact of automation on employment, job displacement, and skill requirements. It examines the challenges and opportunities automation presents, offering insights into how workers and industries can adapt to this technological shift. Through case studies and secondary data, the paper provides a comprehensive analysis of the future of work in an increasingly automated world.

Impact on Employment Trends Due to Automation-





Job Displacement - A Growing Concern

Aspect	Details
Definition	Job displacement refers to the loss of employment due to automation and technological advancements.
Industries Affected	<ul style="list-style-type: none"> - Manufacturing: Automation of production lines, robotics replacing assembly line workers. - Retail: Self-checkouts, AI-driven customer service replacing cashiers and clerks. - Transportation: Autonomous vehicles displacing truck drivers and delivery personnel.
Affected Roles	<ul style="list-style-type: none"> - Routine manual jobs (e.g., assembly line workers, cashiers, data entry clerks). - Low-skill positions that can be automated with AI and robotics.
Scale of Impact	<ul style="list-style-type: none"> - Millions of jobs globally at risk, particularly in low-skill, repetitive tasks. - Significant job losses in sectors like manufacturing, retail, and transportation.
Factors Driving Displacement	<ul style="list-style-type: none"> - Efficiency: Automation improves productivity and reduces human error. - Cost Reduction: Machines and AI are more cost-effective than human labour. - Technological Advancements: Increasing sophistication of AI, robotics, and machine learning.
Regional Impact	<ul style="list-style-type: none"> - Developed Countries: High-tech sectors and automation may displace workers in traditional industries (e.g., manufacturing). - Developing Countries: Risk of job loss in labour-intensive sectors.
Potential Solutions	<ul style="list-style-type: none"> - Reskilling & Upskilling: Training workers in new technologies and higher-skill roles. - Job Creation in Tech: Growth of new roles in AI, robotics, and data analysis. - Policy Measures: Government intervention through social safety nets, unemployment support, and retraining programs.

Job displacement due to automation is a significant concern, particularly for workers in industries relying on routine, manual tasks. As automation technologies continue to evolve, many traditional jobs are at risk of being replaced by machines. This trend poses not only economic challenges but also social implications, as displaced workers may face difficulty transitioning into new roles without proper training or support. Addressing this growing concern requires effective reskilling programs, as well as social safety nets to support workers affected by job displacement, ensuring that they are not left behind in the rapidly changing labour market.

Evolving Skill Requirements in the Labor Market-

Technical Skills	<ul style="list-style-type: none">• AI & Machine Learning: Ability to develop, manage, and improve AI systems.• Robotics & Automation: Understanding of automation tools, robotic systems, and their integration.• Data Science & Analytics: Data collection, processing, and analysis for decision-making.• Cybersecurity: Protecting data and digital infrastructure from cyber threats.• Cloud Computing: Managing and leveraging cloud technologies for data storage and computing power.• Software Development: Coding, programming, and building applications or systems.
Soft Skills	<ul style="list-style-type: none">• Creativity: Problem-solving and generating innovative ideas.• Critical Thinking: Ability to analyze and make decisions based on data.• Emotional Intelligence: Managing relationships and understanding human behavior.• Collaboration & Teamwork: Working effectively in diverse, often remote, teams.• Communication: Clear expression of ideas and effective negotiation skills.• Adaptability: Ability to thrive in rapidly changing environments.
Interdisciplinary Skills	<ul style="list-style-type: none">• Project Management: Leading and coordinating projects involving diverse teams and technologies.• Business Acumen: Understanding how technology impacts business models and outcomes.• Digital Literacy: Basic understanding of digital tools and platforms, applicable across industries.• Ethical Decision-Making: Addressing ethical concerns related to automation and AI use.
Reskilling & Lifelong Learning	<ul style="list-style-type: none">• Continuous Education: Engagement in formal or informal learning to stay relevant.• Self-Directed Learning: Ability to learn independently using online platforms and resources.• Certification Programs: Specialized certifications in new technologies (e.g., AI, Cloud computing).

Emerging Fields

- **Quantum Computing:** The ability to work with the next generation of computing technology.
- **Blockchain Technology:** Understanding decentralized systems and their applications.
- **Sustainability & Green Tech:** Skills related to environmentally sustainable practices and technology.

Automation and Its Impact on Job Quality-

Aspect	Impact of Automation
Job Security	Automation can lead to job displacement, reducing job security, especially in low-skill, routine jobs.
Job Stability	High-skill jobs related to tech (e.g., AI, robotics) are more stable, but low-skill jobs in manufacturing face decline.
Job Satisfaction	Automation can lead to repetitive, monotonous tasks being replaced, improving job satisfaction in tech-driven sectors.
Workplace Safety	Robots and automated systems reduce human involvement in dangerous tasks, improving safety in certain industries.
Workforce Diversity	Automation can reduce bias in recruitment and hiring processes, promoting diversity, but may also lead to job loss for certain groups.
Income Inequality	Automation may exacerbate income inequality by creating high-paying tech jobs and reducing low-wage jobs, widening the wage gap.
Work-Life Balance	Flexible, remote work options increase due to automation, improving work-life balance in certain industries.
Skill Development	Automation pushes workers to upskill and reskill, increasing the demand for training and development in high-tech fields.
Job Complexity	Automation increases complexity in high-tech roles but reduces the cognitive load in manual and repetitive tasks.

Strategies for Adapting to Automation-

The future of work requires a multifaceted approach to prepare individuals and societies for rapid technological and economic changes. Reskilling and upskilling efforts should prioritize high-demand areas like artificial intelligence, robotics, and cybersecurity, with a focus on fostering lifelong learning through collaborative government and corporate initiatives. Equally important is the development of soft skills such as emotional intelligence, creativity, and adaptability to navigate dynamic workplace environments. Early integration of STEM education and alignment of higher education with workforce needs can build a strong foundation for emerging opportunities. Public-private partnerships and workplace innovation are essential to driving industry collaboration and fostering job creation in tech-driven sectors, including support for automation-driven startups. Strengthening worker safety nets,

such as exploring universal basic income (UBI) and social protections, ensures smoother job transitions. Flexible work arrangements, such as gig economy roles and worker-friendly automation, can provide adaptability for diverse lifestyles. By promoting workforce resilience, addressing mental health, and ensuring inclusive growth, societies can effectively prepare for the challenges and opportunities of the evolving world of work.



Case Studies-

Case Study	Industry	Automation Technology	Impact on Employment	Job Creation	Skills Required
Amazon Fulfillment Centers	Retail/ Logistics	Robotics, AI-powered sorting systems	Reduced warehouse staff for sorting and stocking	Increased demand for robotics technicians, software engineers, data analysts	Robotics, AI, software development, data analysis
Tesla Manufacturing	Automotive	Robotics, AI-driven automation in production	Reduction in manual labour for car assembly lines	Demand for engineers (mechanical, electrical), AI specialists	Engineering, robotics, AI, problem-solving
McDonald's Self-Order Kiosks	Fast Food	Self-service kiosks, AI for customer ordering	Job displacement for cashiers and front-line staff	Creation of roles in system maintenance, software management	IT support, system maintenance, customer service
Starbucks Reserve Roastery	Food & Beverage	Robotics for coffee brewing, automation in store management	Reduced barista roles in some locations	Rise in demand for tech roles like automation specialists, store managers	Robotics, system management, customer service

Autonomous Trucks (Waymo)	Transportation	Autonomous vehicles, AI-powered trucks	Displacement of truck drivers	Increase in demand for vehicle maintenance, AI engineers	Autonomous systems, machine learning, vehicle maintenance
Healthcare Robotics (Intuitive Surgical)	Healthcare	Robotic surgery systems	Job displacement in routine medical procedures	Creation of roles in robot-assisted surgeries, medical tech	Medical robotics, surgery assistance, healthcare IT
Banking Automation (JPMorgan Chase)	Banking	AI and chatbots for customer service, automation in transactions	Displacement of entry-level roles in customer service	Creation of roles in AI and machine learning development	AI development, machine learning, customer service management
Uber & Lyft (Ride-sharing)	Transportation	GPS, app-based services, autonomous vehicle testing	Displacement of traditional taxi drivers, potential for autonomous vehicle impact	Rise in demand for app developers, autonomous vehicle technicians	App development, autonomous driving, logistics management

These case studies highlight the diverse ways automation is transforming industries. They show both the displacement of certain roles and the creation of new opportunities, emphasizing the need for workers to adapt to new skills and technologies. The cases also illustrate the broader trend of automation impacting both low-skill and high-skill jobs, requiring a shift in workforce education and training.

Ethical and Social Considerations-

As automation technologies continue to shape the future of work, it is crucial to address the ethical and social challenges that come with these innovations. Job displacement, economic inequality, and access to technology are pressing concerns that need to be mitigated through inclusive policies and fair practices. Companies and governments must work together to ensure that automation benefits all members of society, with a focus on transparency, fairness, and equitable opportunities for reskilling. Balancing technological progress with social responsibility will be key to fostering a just and sustainable future of work.

•Job Displacement and Economic Inequality:	•Privacy and Data Security:	•Bias in AI Algorithms:	•Access to Technology and Skills:	•Impact on Work-Life Balance:	•Social Responsibility of Corporations:
<ul style="list-style-type: none">○Automation may exacerbate income inequality, leaving displaced workers without adequate opportunities.○Lower-income workers are more vulnerable to job losses, leading to widening social divides.	<ul style="list-style-type: none">○Automation technologies, especially AI and big data, require vast amounts of personal data, raising concerns about privacy breaches.○Protection of data and ensuring transparent use of information are critical.	<ul style="list-style-type: none">○AI systems can unintentionally perpetuate biases based on flawed data, leading to discrimination in hiring, promotions, and other decisions.○Ensuring fairness and accountability in AI systems is essential.	<ul style="list-style-type: none">○Not all individuals have equal access to education, training, or technology, creating a digital divide.○Inequities in access to these resources could result in a workforce that is unprepared for automation's demands.	<ul style="list-style-type: none">○Automation can reduce the burden of repetitive tasks, but it may also blur the boundaries between work and personal life, especially with remote and gig work.○Ethical considerations regarding worker well-being and time management need to be addressed.	<ul style="list-style-type: none">○Companies must consider the social implications of automation, including how it affects employment and societal stability.○Corporate social responsibility (CSR) should focus on supporting displaced workers and contributing to community development.

Conclusion-

The advent of automation technologies is reshaping the future of work, bringing both challenges and opportunities. As industries increasingly adopt AI, robotics, and other automated systems, significant shifts in employment trends are emerging. While automation promises enhanced productivity and efficiency, it also threatens job displacement, particularly in sectors reliant on routine, manual labour such as manufacturing, retail, and transportation. These industries face a decline in low-skill jobs, while new opportunities are emerging in technology-driven sectors like AI, robotics, data science, and cybersecurity.

The evolving nature of work demands a new set of skills from the workforce. High-demand roles are shifting toward technical expertise, with workers needing to adapt by acquiring skills in emerging fields. However, soft skills such as creativity, communication, and problem-solving remain essential, as these cannot be easily replicated by machines. The shift towards automation underscores the need for lifelong learning and reskilling to remain competitive in the labour market.

Geographically, the impact of automation is uneven, with urban centers benefiting from a tech-driven job market while rural areas face greater challenges due to the loss of traditional jobs. The growing divide between high-skill and low-skill job categories further highlights the need for targeted workforce policies and retraining programs.

In conclusion, while automation will continue to reshape the labour market, its long-term effects will depend on how effectively society adapts. Governments, businesses, and workers must collaborate to manage this transition, ensuring that the

benefits of automation are shared broadly, and workers are equipped with the skills needed for future opportunities.

References

1. Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
2. Bessen, J. E. (2019). AI and jobs: The role of demand. *Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/research/ai-and-jobs-the-role-of-demand/>
3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
4. Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2016). Where machines could replace humans—and where they can't (yet). *McKinsey Quarterly*. <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet>
5. Deloitte. (2021). *Automation and the future of work: The evolving role of human labor*. <https://www2.deloitte.com/>
6. European Commission. (2019). *Shaping the future of work: The impact of automation and digitalization*. <https://ec.europa.eu/>
7. Forbes. (2023). Automation in the workplace: How it's changing the future of work. *Forbes*. <https://www.forbes.com/>
8. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
9. Gartner. (2021). *Emerging technology trends: The impact of automation on work*. <https://www.gartner.com/>
10. Harvard Business Review. (2018). How automation will impact jobs and the economy. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/>
11. McKinsey & Company. (2021). *How automation could affect the global workforce*. <https://www.mckinsey.com/>
12. McKinsey Global Institute. (2017). *A future that works: Automation, employment, and productivity*. <https://www.mckinsey.com/mgi/overview/2017-in-review/automation-a-future-that-works>
13. MIT Technology Review. (2020). How automation is changing the future of work. *MIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.com/>
14. OECD. (2019). *The future of work: The impact of automation and digital transformation*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/employment/future-of-work/>

15. Susskind, R., & Susskind, D. (2015). *The future of the professions: How technology will transform the work of human experts*. Oxford University Press.
16. The Brookings Institution. (2020). The impact of automation on employment and the economy. *Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/>
17. U.S. Bureau of Labor Statistics. (2022). *Occupational outlook handbook: Computer and information technology occupations*. <https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/home.htm>
18. World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>

Manuscript Timeline

Submitted : April 18, 2025

Accepted : April 30, 2025

Published : June 30, 2025

भोजपुरी की ध्वनि व्यवस्थाप्रो. अनिल कुमार पाण्डेय¹

भाषा मानव की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का निर्माण ध्वनि से लेकर वाक्य के गठन से होता है। ध्वनि से शब्द, शब्द से पद अथवा पदबंध एवं पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य बनता है। वाक्य एवं वाक्यों का समूह भाषा होता है। भाषा का औच्चारिक रूप ध्वनि है। मानव मुख से उच्चरित ध्वनि को ही भाषा का अंग माना गया है। अतः इस अध्याय में हम भोजपुरी की ध्वनि व्यवस्था पर बात करेंगे।

भोजपुरी भाषा भी भारतीय भाषा है अतः इसमें भी स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों का समावेश है। स्वर वह ध्वनि है जो स्वतः उच्चरित हो अर्थात् किसी अन्य ध्वनि की सहायता लिए बिना उच्चरित हो। संस्कृत में कहा गया है – *स्वतो राजन्ते इति स्वराः* (महाभाष्य - पतंजलि)। परंतु आधुनिक भाषावैज्ञानिक दृष्टि से स्वर की परिभाषा इस प्रकार है-

जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुखविवर में वायु का कहीं भी कोई अवरोध न हो, ऐसे उच्चरित ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को स्वर कहा गया है।

उच्चारण की दृष्टि से देखें तो भोजपुरी में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ ये दस स्वर हैं। इसके साथ ही एक दीर्घ 'अ' है जिसे (ऽ) चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे- उ गइल। तू गइलऽ। गइल का ल व्यजनांत है, जबकि गइलऽ का ल स्वरांत है। इस प्रकार दीर्घ स्वर (ऽ) को मिलाकर कुल ग्यारह स्वर हुए। अब 'ऐ' और 'औ' को लें तो भोजपुरी में 'ऐ' और 'औ' का उच्चारण संध्यक्षर (Diphthong) के रूप में होता है, अइ और अउ। 'ऐ' और 'औ' ध्वनि का संयुक्त स्वर के रूप में उच्चारण नहीं होता है।

दीर्घ अ (ऽ) भोजपुरी भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनि है। इससे अर्थ भेद की संभावना अधिक होती है। भोजपुरी व्याकरण में आज्ञार्थक वाक्य संरचनाओं में मिलनेवाले इस प्रकारके वाक्य इस उदाहरण में देखे जा सकते हैं- (1) तू गाव (2) तू गावऽ। प्रथम वाक्य में तू अर्थात् तू गा। दूसरे वाक्य में तू का अर्थ तुम से है, अर्थात् तुम गाना गाओ। यहाँ दीर्घ ऽ के द्वारा ही अर्थभेद हुआ है। इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलेंगे। जैसे -

तू पढ़ तू पढ़ऽ।

तू पढ़ाव तू पढ़ावऽ। आदि

हाँ, भोजपुरी में जो आगत शब्द हैं जैसे अरबी, फारसी वे 'ऐ' और 'औ' के रूप में उच्चरित होते हैं। जैसे ऐनक, पयना (पैना), अवरत (औरत) आदि।

¹ प्रोफेसर, भाषाविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)- 442001.

भोजपुरी भाषा व्याकरण में स्वर ध्वनि की संख्या को लेकर बहुत सारे वैयाकरण के अलग-अलग मत हैं। कुछ वैयाकरणों के मत इस प्रकार हैं-

डॉ. उदय नारायण तिवारी	-	14 स्वर
डॉ. सुखदेव सिंह	-	17 स्वर
डॉ. रामदेव त्रिपाठी	-	13 स्वर
डॉ. धीरेंद्र कुमार मिश्र	-	8 स्वर
डॉ. राम बिहारी ओझा 'निर्भीक'	-	11 स्वर
श्री रास बिहारी पाण्डेय	-	10 स्वर
आचार्य श्रद्धानंद अवधूत	-	16 स्वर

उपर्युक्त वैयाकरणों में कुछ हद तक डॉ. धीरेंद्र कुमार मिश्र ने अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए और ओ भोजपुरी के 8 स्वरों को माना है, जो समीचीन है। पर मेरे विचार से इनमें एक और दीर्घ 'अ' अर्थात् 'ऽ' को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार भोजपुरी भाषा में कुल लेखन में **11 स्वर**- अ, ऽ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और। उच्चारण की दृष्टि से 09 स्वर ऽ, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ हैं। ये 09 स्वर व्यावहारिक दृष्टि से उचित हैं।

स्वर ध्वनियाँ दीर्घता के आधार पर तीन प्रकार की मानी गई हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक तथा प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक माना गया है। किसी भी स्वर में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। पाणिनि ने स्वर की तीन मात्राएँ मानी हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो सेयो व्यंजन चार्धमात्रकम्।

ह्रस्व - जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। भोजपुरी भाषा में ह्रस्व स्वर अ, इ, उ हैं।

दीर्घ - जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। भोजपुरी में दीर्घ स्वर हैं ऽ, आ, ई, ऊ, ए, ओ हैं।

प्लुत - प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे 'ॐ' अथवा किसी को दूर से बुलाते समय जो स्वर अधिक समय तक उच्चरित होता है। जैसे अशोक में 'ओ' के उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय लगता है। इसे अशो3क प्लुत दर्शाने के लिए लिखते हैं। '3' तीन मात्रा का प्रतीक है।

हिंदी की ध्वनियाँ (उच्चारण की दृष्टि से)-

स्वर- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ।

व्यंजन- क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण ढ़

अनुनासिक (अँ)

अनुस्वर (अं)

त थ द ध न	विसर्ग (अः)
प फ ब भ म	
य र ल व	
श (ष) स ह	
क्ष त्र ज्ञ श्र	

भोजपुरी की धनियाँ - उच्चारण की दृष्टि से:-

स्वर- अ, ऽ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, अइ, अउ, (संध्यक्षर)

व्यंजन- क ख ग घ ङ ङ्ह

च छ ज झ	अनुनासिक (अँ)
ट ठ ड ढ ढ्ह	अनुस्वर (अं)
त थ द ध न न्ह	विसर्ग (अः)
प फ ब भ म, म्ह	
य र ल व	
स ह	

ऊपर दिए गए भोजपुरी भाषा की वर्णमाला के अंतर्गत स्वर वर्णों में 'ऋ' 'अं' और 'अः' धनियाँ नहीं हैं क्योंकि 'ऋ' का उच्चारण 'रि' होता है। 'अं' को अनुस्वार के अंतर्गत एवं 'अः' को विसर्ग के अंतर्गत रखा गया है।

स्वरों के अंतर्गत दो प्रकार के 'अ' हैं एक ह्रस्व 'अ' तथा दूसरा दीर्घ अ जिसे 'ऽ' संकेत द्वारा लिखा जाता है। इसका अधिकांश प्रयोग क्रिया पक्ष में होता है। जैसे- खइलऽ, जइबऽ । 'आ' को भी कुछ वैयाकरण दो या दो से अधिक प्रकार से संकेतित करते हैं। उनका कहना है कि भोजपुरी में 'आ' के कई रूप विशिष्ट भंगिमाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। परंतु सरलता की दृष्टि से इसे एक ही 'आ' द्वारा संकेतित करना समीचीन होगा। 'ऐ' तथा 'औ' स्वरों का प्रयोग बहुत ही कम होता है। इसके स्थान पर संध्यक्षर (Diphthong) अइ, अउ का प्रयोग होता है। जैसे- पैसा- पइसा, कौवा- कउआ आदि। 'ऐ' का प्रयोग अई। अए तथा 'औ' का प्रयोग अऊ। अव के रूप में भी होता है। जैसे- बैल- बएल, कैलाश- कएलास, औरत- अवरत।

डॉ. शुकदेव सिंह ने (भोजपुरी और हिंदी) अनुनासिक स्वरों की संकल्पना की है। भोजपुरी, हिंदी अथवा किसी भी भाषा में अनुनासिक स्वर अथवा व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं। परंतु वर्णमाला में अथवा अलग से अनुनासिक स्वर की संकल्पना देना मुझे लगता है कि व्याकरण की दृष्टि से समीचीन नहीं होगा।

भोजपुरी में तीन-तीन स्वरों का प्रयोग बहुधा एकसाथ होता है जैसे- मउअति, ननिआउ, अँखुआइल, मइआ, गइआ, भइया, रउआ आदि।

भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भोजपुरी स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा की स्थिति तथा होठों की आकृति के आधार पर इस प्रकार से किया जा सकता है-

जिह्वा की ऊंचाई- संवृत - इ, ई, उ, ऊ
अर्धसंवृत - ए, ओ
अर्धविवृत - ऽ, अ
विवृत - आ

‘संवृत’ वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर उठती है और वायुमार्ग को संकीर्ण कर देती है। ‘अर्धसंवृत’ के उच्चारण में वायुमार्ग कुछ कम संकीर्ण होता है। ‘अर्धविवृत’ में वायुमार्ग कुछ खुला होता है तथा ‘विवृत’ में वायुमार्ग पूर्ण रूप से खुला होता है।

जिह्वा की स्थिति- जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की स्थिति मुखविवर में पीछे की ओर, बीच में अथवा अग्र स्थान में होती है, उन्हें क्रमशः अग्र, मध्य, तथा पश्च स्वर कहते हैं।

अग्र - इ, ई, ए
मध्य - अ, ऽ
पश्च - उ, ऊ, ओ, आ

होठों की आकृति- स्वरों के उच्चारण में होठ कभी गोलाकार हो जाते हैं अथवा कभी अगोलाकार। ऐसे उच्चरित स्वरों को गोलीय तथा अगोलीय कहते हैं। जैसे-

अगोलीय - ऽ, अ, आ, इ, ई, ए
गोलीय - उ, ऊ, ओ

इसे चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं-

		अग्र	मध्य	पश्च	
संवृत	अगोलीय	इ, ई		उ, ऊ	गोलीय
अर्धसंवृत		ए		ओ	
अर्धविवृत			अ, ऽ		
विवृत		आ			

व्यंजन- जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता से उच्चरित होती हैं। उन्हें व्यंजन कहा गया है। महाभाष्य में पतंजलि ने लिखा है- स्वतो राजन्ते इति स्वराः, अन्वग भवति व्यंजनमिति। पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्र में स्वर को अच् एवं व्यंजन ध्वनियों को हल् कहा है। हल् का तात्पर्य हलन्त है। अर्थात् सभी व्यंजन ध्वनियाँ हलन्त होती हैं।

इसलिए व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि सार्वभौमिक होती है। विश्व की सभी भाषाओं को ध्यान में रखकर ही परिभाषा सुनिश्चित की जाती है, विश्व की

कुछ भाषाएं ऐसी हैं जहां स्वर ध्वनियों के बिना भी व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका की बान्तू भाषा जिसमें बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है। अतः भाषावैज्ञानिक दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों की परिभाषा इस प्रकार है- “जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुखविवर में वायु का अवरोध कहीं न कहीं अवश्य होता है, ऐसे उच्चरित ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं।”

परंपरागत वैयाकरणों ने व्यंजन ध्वनियों को स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म वर्ग में रखा है। सभी वर्गीय ध्वनियाँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तथा प वर्ग स्पर्श ध्वनियाँ हैं। य, र, ल, व अंतस्थ हैं तथा ष, श, स, ह-ऊष्म हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है।

भोजपुरी भाषा में वर्गीय ध्वनियों के अंतर्गत क वर्ग (क, ख, ग, घ, ङ), च वर्ग (च, छ, ज, झ), ट वर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ङ, ढ), त वर्ग (त, थ, द, ध, न), प वर्ग (प, फ, ब, भ, म) आते हैं। अंतस्थ में य, र, ल, व तथा ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत केवल ‘स’ एवं ‘ह’ आते हैं। क वर्ग- कंठ्य, च वर्ग- तालव्य, ट वर्ग- मूर्धन्य, त वर्ग- दंत्य तथा प वर्ग की ध्वनियाँ ओष्ठ्य कहलाती हैं। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान (Place of Articulation) तथा उच्चारण प्रयत्न (Manner of Articulation) के आधार पर इस प्रकार किया जा सकता है।

उच्चारण स्थान (Place of Articulation)-

किसी भी ध्वनि का उच्चारण मुखविवर के किस स्थान से हो रहा है इसके आधार पर द्वयोष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य, दंत्य, वत्स्य, मूर्धन्य, तालव्य, कण्ठ्य, काकल्य आदि ध्वनियाँ निर्धारित की गई हैं। इन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कम वायु तथा अधिक वायु के साथ होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण कमवायु के साथ होते हैं उन्हें अल्पप्राण तथा जिन ध्वनियों के उच्चारण अधिक वायु के साथ होते हैं उन्हें महाप्राण ध्वनि कहते हैं। वर्गीय ध्वनियों में प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ग के व्यंजन अल्पप्राण होते हैं तथा तृतीय एवं चतुर्थ ध्वनियाँ महाप्राण होती हैं।

स्वरतंत्रियों के कम कंपन एवं अधिक कंपन के आधार पर अघोष एवं सघोष ध्वनियाँ निर्धारित होती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कम कंपन होता है, ऐसे उच्चरित ध्वनियाँ अघोष तथा जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में अधिक कंपन होता है, ऐसे उच्चरित ध्वनियों को सघोष ध्वनि कहते हैं। वर्गीय ध्वनियों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ग की ध्वनियाँ अघोष होती हैं, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ग (नासिक्य) की ध्वनियाँ सघोष होती हैं।

भोजपुरी भाषा के व्यंजन ध्वनियों का आधुनिक भाषावैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है

द्वयोष्ठ्य - जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण दोनों (ऊपर तथा नीचे के) होंठ के स्पर्श से होता है। उन ध्वनियों को द्वयोष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। भोजपुरी में प, फ, ब, भ, म, व द्वयोष्ठ्य व्यंजन हैं।

दंत्योष्ठ्य - जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दाँत एवं निचले होंठ के स्पर्श से होता है। ऐसे व्यंजन ध्वनियों को दंत्योष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। भोजपुरी में दंत्योष्ठ्य व्यंजन नहीं पाए जाते। इस प्रकार की व्यंजन ध्वनियाँ फारसी में 'फ' अंग्रेजी में f के रूप में विद्यमान हैं।

वर्त्स्य - जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण वर्त्स अर्थात् मसूड़ों से किया जाता है, उन्हें वर्त्स्य व्यंजन कहा जाता है। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा वर्त्स स्थान अथवा मसूड़ों को स्पर्श करती है। र तथा ल वर्त्स्य ध्वनियाँ हैं।

दंत्य - जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा दाँत को स्पर्श करती है। ऐसे उच्चारित व्यंजन दंत्य कहलाते हैं। जैसे- त, थ, द, ध, न, स।

मूर्धन्य - जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है, उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीभ को कठोर तालु के पिछले भाग में स्थित मूर्धा को स्पर्श करना पड़ता है। ट, ठ, ड, ढ, ङ, एवं ढ आदि मूर्धन्य व्यंजन हैं।

तालव्य - जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण तालु स्थान से होता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग तालु को छूता है, जैसे- च, छ, ज, झ, य।

कंठ्य - जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है, उन्हें कंठ्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कोमल तालु को छूता है। इसीलिए कुछ भाषावैज्ञानिक कंठ्य व्यंजन को कोमल तालव्य व्यंजन मानते हैं। क, ख, ग, घ, ङ कंठ्य ध्वनियाँ हैं।

काकल्य - जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण काकल स्थान से किया जाता है। उन ध्वनियों को काकल्य कहा जाता है। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वरतंत्री में कंपन होता है। भोजपुरी में 'ह' ध्वनि काकल्य व्यंजन है।

उच्चारण प्रयत्न (Manner of Articulation)-

जिन व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण उनके उच्चारण अवयव के द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न के आधार पर किया जाता है उन्हें उच्चारण प्रयत्न कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्वरतंत्रियों में कंपन होने अथवा न होने के आधार पर अघोष और सघोष ध्वनियों का निर्धारण होता है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है -

स्पर्श (Stops) - व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। जिह्वा के उच्चारण स्थान को स्पर्श करते समय वायु मुखविवर में अवरुद्ध होकर झटके से बाहर निकलती है। ऐसे प्रयत्न से उत्पन्न व्यंजन ध्वनि को स्पर्श ध्वनि कहते हैं। इनके अंतर्गत कंठ्य, मूर्धन्य, दंत्य, वर्त्स्य और ओष्ठ्य ध्वनियाँ सम्मिलित हैं। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ स्पर्श ध्वनियाँ हैं।

स्पर्श संघर्षी (Africates) - जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है तथा मुखविवर से वायु घर्षण के साथ निकलती है। ऐसे उच्चरित ध्वनियों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे - च छ ज झ।

संघर्षी (Fricatives) - जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखविवर में वायु सँकरे मार्ग से निकलती है, इससे मुखविवर में घर्षण होता है। ऐसी ध्वनियाँ संघर्षी कहलाती हैं। भोजपुरी में स, ह संघर्षी ध्वनियाँ हैं।

पार्श्विक (Laterals) - जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा दंत अथवा वर्त्स स्थान को छूती है, उस समय वायु जिह्वा के अगल-बगल से बाहर निकलती है, उन ध्वनियों को पार्श्विक कहते हैं। भोजपुरी में ‘ल’ पार्श्विक ध्वनि है।

लुंठित (Trills) - जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा एक या अधिक बार वर्त्स स्थान को स्पर्श करती है, उन्हें लुंठित ध्वनि कहते हैं। लुंठित को लोड़ित भी कहा गया है। भोजपुरी में ‘र’ लुंठित व्यंजन है।

उत्क्षिप्त (Flapped) - जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा स्थान को शीघ्रता से स्पर्श करती है। उसे उत्क्षिप्त ध्वनि कहते हैं। भोजपुरी में ‘ड़’ और ‘ढ़’ उत्क्षिप्त व्यंजन हैं।

नासिक्य (Nasals) - जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुखविवर में अवरूद्ध होकर नासिका विवर एवं मुखविवर दोनों मार्ग से एक साथ निकलती है। ऐसी उच्चरित ध्वनियाँ नासिक्य कहलाती हैं। भोजपुरी में ङ, न, म नासिक्य ध्वनियाँ हैं। म्ह, न्ह, ङ्ह को महाप्राण नासिक्य कहा गया है। भोजपुरी में इन महाप्राण नासिक्य ध्वनियों का शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं होता। शब्द के मध्य और अंत में सङ्हार, कुम्हार, कान्हा आदि रूपों में इनका प्रयोग होता है।

अर्धस्वर (Semivowels) - जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जिह्वा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकती है और वायु मुखविवर को किंचित सँकरा बना देती है, ऐसी ध्वनियों को अर्धस्वर कहते हैं। ‘य’ और ‘व’ अर्धस्वर हैं।

घोषत्व - व्यंजन ध्वनियों में घोषत्व का आधार स्वरतंत्रियाँ हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो ऐसी ध्वनियाँ सघोष कहलाती हैं और यदि स्वर तंत्रियों में कंपन न हो अथवा अत्यल्प कंपन हो तो वे ध्वनियाँ अघोष कहलाती हैं। जैसे -

अघोष - क ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स।

सघोष - ग, घ, ङ, ज, झ, ङ, ढ, ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह।

(सभी स्वरों को जी.बी. धल जैसे भाषाविद् सघोष ध्वनि मानते हैं।)

प्राणत्व - प्राण का अर्थ होता है वायु। ध्वनियों के उच्चारण में वायु का कम प्रयोग किया जाता है अथवा अधिक, इनके आधार पर ध्वनियों का प्राणत्व निर्धारित होता है, ध्वनियाँ या तो अल्पप्राण होती हैं या महाप्राण।

अल्पप्राण - जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण अथवा वायु का कम अथवा अत्यल्प प्रयोग किया जाता है, उन्हें अल्पप्राण ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों के वर्गीय ध्वनियों में प्रथम, तृतीय और पंचम अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। जैसे- क, ग, ङ, च, ज, ट, ड, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व अल्पप्राण व्यंजन हैं।

महाप्राण - जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का अधिक (अर्थात् अल्पप्राण की अपेक्षा अधिक) प्रयोग किया जाता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्गीय ध्वनियों के दूसरे और चौथे व्यंजन अर्थात् ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध तथा फ, भ महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इनके अतिरिक्त रुष ध्वनियाँ स और ह महाप्राण ध्वनियाँ हैं।

भोजपुरी में अल्पप्राण व्यंजन के साथ 'ह' जोड़ने पर महाप्राण ध्वनियाँ बनती हैं। संस्कृत में व्यंजन ध्वनियों को हल् कहा गया है। अतः व्यंजन ध्वनियाँ वर्णमाला में हलन्त होती हैं, उनमें 'ह' जोड़ने पर महाप्राण बनती हैं। जैसे -

क् + ह = ख,	ग् + ह = घ,	च् + ह = छ
ज् + ह = झ,	ट् + ह = ठ,	ड् + ह = ढ
त् + ह = थ,	द् + ह = ध,	प् + ह = फ
ब् + ह = भ	ङ् + ह = ङ्ह	न् + ह = न्ह,
म् + ह = म्ह ।		

संध्यक्षर (Diphthong)-

जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकती है, ऐसे उच्चरित स्वर संध्यक्षर कहलाते हैं। जैसे - अई, अउ, आदि। मइया, गइआ, कउआ आदि। भोजपुरी में 'ऐ' एवं 'औ' के स्थान पर संध्यक्षर अइ, और अउ का ही प्रयोग होता है। संयुक्त स्वर (ऐ और औ) एवं संध्यक्षर (अइ और अउ) में मूलभूत अंतर यह है कि संयुक्त स्वर एक ही श्वासाघात में उच्चरित ध्वनि है और संध्यक्षर एक से अधिक श्वासाघात में उच्चरित ध्वनि समूह।

भोजपुरी में संध्यक्षर

- अइ मइल (मैल)
- अई चिरई (चिड़िया)
- अउ हउरा (शोर)
- अए बएल (बैल)
- आई ओकाई (वमन)
- आउ चाउर (चावल)
- आऊ नाऊ (नाई)

इअ पिअल (पीना)

इआ करिआ (काला)

इउ जिउतिआ (जिउतपुत्रिका)

उइ दुइ (दो)

एउ नेउ (नेवला)

ओआ धोआ (धुला हुआ)

ओई धोई (उड़द की बिना छिलके की दाल)

इसके अतिरिक्त भोजपुरी में तीन स्वरों के संध्यक्षर रूप भी मिलते हैं--

अउअ मउअति (मौत)

अउआ कउआ (कौवा)

इआउ ननिआउ (ननिहाल)

उआई अगुआई (बिचौलिए का कार्य)

भोजपुरी की व्यंजन ध्वनियाँ-

भोजपुरी भाषा में भी हिंदी की तरह वर्गीय ध्वनियाँ हैं जैसे-

क वर्ग - क ख ग घ ङ

च वर्ग - च छ ज झ

ट वर्ग - ट ठ ड ढ इ ढ

त वर्ग - त थ द ध न

प वर्ग - प फ ब भ म

भोजपुरी में ट वर्ग के अंतर्गत इ एवं ढ दो अतिरिक्त ध्वनियाँ आती हैं।

भोजपुरी की सभी वर्गीय ध्वनियों का उच्चारण हिंदी में होता है परंतु भोजपुरी में 'ण' का उच्चारण 'न' होता है। अतः कह सकते हैं कि भोजपुरी में उच्चारण के स्तर पर 'ण' ध्वनि नहीं है। 'ज' ध्वनि के संदर्भ में बहुत सारे भोजपुरी व्याकरण मानते हैं कि 'ज' का उच्चारण बहुतायत होता है जैसे- कनिआँ, पनिआँ का 'ज' आज,चाज-चाज आदि में। परंतु मेरा मानना है कि भोजपुरी में 'ज' का उच्चारण 'यँ' की तरह होता है। जैसे- कनियाँ, परियाँ, कायँ-कायँ चायँ-चायँ हिंदी में भी ड, ज एवं ण ध्वनियाँ शब्द के आदि में नहीं आती हैं। इसी प्रकार भोजपुरी में भी ड का प्रयोग शब्द के आदि में नहीं होता है। भोजपुरी भाषा में 'ड' ध्वनि का प्रयोग शब्द के मध्य में व अंत में बहुतायत होता है। जैसे- पलडरी, रंड, भाड आदि। ड, न एवं म ध्वनियों का महाप्राणीकरण भी भोजपुरी में होता है जैसे- ड्ह, न्ह, म्हा उदाहरण के लिए खाड्ह, चीन्हल, खम्हाँ आदि।

अंतस्थ ध्वनि य,र,ल,व का प्रयोग भोजपुरी में होता है। आधिकांशतः 'य' का रूपांतरण 'इ' एवं 'व' का रूपांतरण 'उ' के रूप में भी होता है। जैसे- यहाँ-इहाँ, वहाँ- उहाँ यह- इ, वह – उ आदि के रूप में। हाँ, 'य'

एवं 'व' का प्रयोग भी यदाकदा होता है जैसे- उ खाय गइल। उ पइसा पवलस। शब्द के आदि में य एवं व का उच्चारण 'ज' एवं 'ब' के रूप में होता है, जैसे- यमुना-जमुना, वकील- बकील, यम-जम, यस-जस।

शब्द के आदि में कभी-कभी 'य' के स्थान पर इअ हो जाता है। जैसे यार- इआर। वो का कभी-कभी ओ भी हो जाता है जैसे- वोट-ओट।

ऊष्म ध्वनियाँ ष, श, स एवं ह संस्कृत एवं हिंदी की वर्णमाला में हैं। परंतु हिंदी में 'ष' के बदले भी 'श' का ही उच्चारण होता है। बांग्ला भाषा में ष, श एवं स के स्थान पर केवल 'श' का उच्चारण होता है। भोजपुरी में 'स' का ही उच्चारण होता है। अतः भोजपुरी में ऊष्म ध्वनियों के अंतर्गत मात्र 'स' एवं 'ह' दो ध्वनियाँ ही उच्चारण की दृष्टि से आती हैं।

कुछ भोजपुरी के व्याकरण के विद्वानों का कहना है कि मानक भोजपुरी में ये सभी ध्वनियाँ हैं। जो हिंदी में है वे क्ष, ज्ञ संयुक्ताक्षर आदि को भी मानक भोजपुरी में स्थान देते हैं। उनका कहना है कि इससे भोजपुरी भाषा की मानकता बनी रहेगी। परंतु मैं एक भोजपुरी भाषी होने के नाते उनसे कतई सहमत नहीं हो पाता हूँ। क्योंकि मानकता के नाम पर भोजपुरी का हिंदीकरण करना उचित नहीं है। वैसे भी धीरे-धीरे भोजपुरी भाषा पर हिंदी का प्रभाव पड़ने लगा है जिससे कि भोजपुरी भाषा के अस्तित्व का खतरा बढ़ने लगा है। मेरे विचार से मानक भोजपुरी ठेठ भोजपुरी है जैसे बोली जा रही है वैसे जीवंत रखने की जिम्मेदारी भोजपुरी भाषियों की ही है। अतः भोजपुरी जैसे बोली जाती है उसे उसी रूप में तथा भोजपुरी बोलते समय उसकी भंगिमाएँ, लहजे आदि को भी सँजोकर रखना आवश्यक है।

किसी भी भाषा की विशेषता रही है कि अन्य भाषाओं से लिए गए शब्दों को वे अपने में आत्मसात कर लेती है तथा उन शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल लेती है। जैसे अरबी फारसी से आगत शब्दों को हिंदी ने आत्मसात कर लिया है एवं अधिकांश नुक्ते का प्रयोग हिंदी में नहीं हो रहा है। हाँ, जहाँ अर्थ भेद की गुंजाइश होती है वहाँ नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, अथवा संदर्भ से उनका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। भोजपुरी के साथ भी ऐसा ही है। भोजपुरी में भी अरबी-फारसी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द आए हैं। उन्हें भी भोजपुरी भाषा ने आत्मसात कर लिया है। और अपनी प्रकृति के अनुरूप उन्हें ढाल लिया है। इसलिए भोजपुरी में कहीं भी ण, ष, श, क्ष, त्र, ज्ञ, ज आदि का प्रयोग नहीं होता है। कुछ वैयाकरण नुक्ते के पक्ष में दिखाई देते हैं। परंतु भोजपुरी की प्रकृति में नुक्ते का प्रयोग नहीं है। नुक्ते का प्रयोग भी अनावश्यक है अर्थ भेद की स्थिति में संदर्भ से अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। इससे भोजपुरी भाषा की अस्मिता एवं अस्तित्व दोनों के लिए कोई संकट नहीं होगा।

सेर (मापक) - शेर (सिंह) दोनों शब्दों में ही भोजपुरी में दंत्य 'स' ही है परंतु जब अर्थभेदकता की स्थिति होगी तब संदर्भ से अर्थ लिया जा सकता है। जैसे – चार सेर दुध ले आव ऽ। चारगो सेर देखनी। दोनों वाक्यों में शेर और सेर का अर्थ संदर्भ से स्पष्ट हो जाता है। अतः संस्कृत, अन्य भारतीय भाषाओं अथवा विदेशी

भाषाओं से आगत शब्दों को भोजपुरी की प्रकृति के अनुरूप ही उच्चारण एवं लेखन के स्तर पर सुरक्षित रखना होगा इससे भोजपुरीयत बनी रहेगी।

ध्वनि परिवर्तन-

भोजपुरी में बहुत सारे शब्द संस्कृत के शब्दों से कुछ ध्वनि परिवर्तन के साथ आए हैं। कहीं स्वर परिवर्तन हुआ है तो कहीं व्यंजन परिवर्तन। भोजपुरी के शब्दों में जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं वे संस्कृत से पालि प्राकृत अपभ्रंश के विकास क्रम के प्रभाव के कारण ही हैं। भोजपुरी भाषा की अपनी विशेषताओं के कारण भी ये परिवर्तन दिखते हैं। ये विशेषताएं स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों के स्तर पर परिलक्षित होती हैं। यहाँ कुछ परिवर्तन को इस प्रकार से देख सकते हैं।

स्वर परिवर्तन-

अ से आ - पंच से पाँच, सप्त से सात, अष्ट से आठ, पंक से पाँक आदि।

इ से ई - कवि से कबी, छबि से छबी, हानि से हानी, शनि से सनी, शिक्षा से सीख, भिक्षा से भीख, जिह्वा से जीभ आदि।

उ से ऊ - साधु से साधू, दयालु से दयालू, साहु से साहू, केतु से केतू आदि।

इ से ओ / ऊ - द्वि से दू, पुष्कर से पोखरा।

भोजपुरी में स्वरागम के बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं। कहीं शब्द के आदि में तो कहीं शब्द के मध्य में। क्रियाओं में तो शब्द के अंत में दीर्घ अ(ऽ) का प्रयोग भोजपुरी की अपनी विशेषता है।

शब्द के आदि में स्वरागम-

अ - स्थायी से अस्थायी, स्तुति से अस्तुती, स्नान से असनान आदि।

इ - स्टेशन से इसटेसन, श्लोक से इसलोक, स्कूल से इसकूल।

शब्द के मध्य में स्वरागम -

अ - नक्षत्र से नछत्तर, कर्म से करम, गर्म से गरम, तख्त से तखत, जन्म से जनम, रत्न से रतन ज्वर-जर क्वार से कुआर आदि।

इ - कृपा से किरिपा, क्रिया से किरिया, अकल से अकिल, फिक्र- फिकिर आदि।

उ - धूर्त से धुरुत, मूर्ख से मुरुखा।

क्रिया शब्द के अंत में दीर्घ 'अ' का आगम -

खइलऽ, जइबऽ, नहइबऽ, चलऽ, आवऽ, पढ़ऽ।

इस प्रकार के अनेकों क्रिया के शब्द हैं जिसके अंत में दीर्घ अ(ऽ) का आगम होता है। इसका प्रयोग या तो प्रश्न करने पर अथवा आज्ञा देने पर दीर्घ 'अ' का शब्दांत में प्रयोग होता है।

भोजपुरी में 'य' एवं 'व' कहीं कहीं स्वरोन्मुखी हो गया है। जैसे यहाँ- इहाँ, वहाँ- उहाँ, प्यास से पिआस, प्यार से पिआर, यार से इआर, द्वार से दुआर आदि।

व्यंजन परिवर्तन-

घोषीकरण	- साक से साग, कीट से कीड़ा, घोटक से घोड़ा।
महाप्राणीकरण	- सर्वत्र से सभत्तर, सब से सभ, पेड़ से फेंड़, पतंग से फतिङ।
अंतस्थीकरण	- ग्राम से गाँव, कुमार से कुँवार, श्यामल से साँवर, कमल से कैँवल।
दंत्यीकरण	- द्विगुण- दूना, श्रवण से सूनल, कण से कन, फण से फन।
ऊष्मीकरण	- शत से सौ/सव, श्रावन से सावन, श्रेष्ठ से सेठ, वर्ष से बरिस, आषाढ़ से असाढ़।
विपर्यय	- छलकपट से कलछपट, पहुँच से चहुँप।
ल का र परिवर्तन	- फल से फर, बाल से बार, गला से गर, मछली से मछरी, हल से हर।
न का ल परिवर्तन	- नग्न से लडटा, नोट से लोट, नम्बर से लम्बर, नोटिस से लोटिस।
य का ज परिवर्तन	- यात्रा से जतरा, यजमान से जजमान, यमुना- जमुना।
व्यंजन लोप	- कार्तिक से कातिक, नखहरनी से नहरनी।

संदर्भ सूची :-

1. चौधरी, हरिशंकर. (1998). *भोजपुरी बोली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन*. दिल्ली : भारती प्रकाशन.
2. तिवारी, उदय नारायण. (1960). *भोजपुरी भाषा और साहित्य का इतिहास*. प्रयागराज : हिंदी प्रचारक पुस्तकालय.
3. दुबे, ओ.पी. (2007). *पूर्वांचल की लोकभाषाएँ: भोजपुरी की ध्वन्यात्मक दृष्टि से विवेचना*. गोरखपुर : साहित्य विमर्श प्रकाशन.
4. पांडेय, शिवबहादुर. (1995). *भोजपुरी की बोलियाँ और उनकी ध्वनि विशेषताएँ*. पटना : जनशक्ति प्रकाशन.
5. मिश्र, रामआसरे. (1979). *भोजपुरी का स्वरूप*. वाराणसी : गंगा पुस्तकालय.
6. मिश्र, रामजी. (1992). *भोजपुरी व्याकरण*. पटना : बिहार राष्ट्रभाषा परिषद.
7. यादव, रामकुमार. (2000). *भोजपुरी की ध्वनि संरचना*. दिल्ली : विश्व पुस्तक भंडार.
8. शर्मा, देवकीनंदन. (1990). *भारतीय आर्य भाषाएँ और भोजपुरी की ध्वनि व्यवस्था*. दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
9. सिंह, अरुण कुमार. (2003). *भोजपुरी भाषा: ध्वनि और रूपविज्ञान*. दिल्ली: ज्ञानदीप प्रकाशन.
10. सिंह, बी.पी. (1985). *भोजपुरी भाषा का वर्णनात्मक अध्ययन*. वाराणसी : नागरी प्रचारिणी सभा.

Manuscript Timeline

Submitted : April 12, 2025

Accepted : April 20, 2025

Published : June 30, 2025

हिंदी रंगमंच की आधुनिक प्रवृत्तियों में गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादलसरकार का सृजनात्मक योगदानडॉ. सुनील कुमार सुधांशु¹

सारांश

हिंदी रंगमंच के आधुनिक विकास में गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार तीन ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने पारंपरिक रंग-शिल्प से आगे बढ़ते हुए समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इन तीनों की नाट्य दृष्टि में गहन वैचारिकता, शिल्पगत नवीनता तथा जन-सरोकार की गूँज स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जहाँ कर्नाड ने भारतीय मिथकों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ढाला, वहीं तेंडुलकर ने समाज की क्रूर यथार्थता को उभारा और बादल सरकार ने प्रयोगधर्मी रंगकर्म को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया। यह शोध पत्र तीनों नाटककारों के प्रमुख नाटकों, उनकी रंग-दृष्टि और प्रभाव की विवेचना करते हुए यह विश्लेषण करता है कि कैसे इन्होंने हिंदी रंगमंच की आधुनिक प्रवृत्तियों को आकार प्रदान किया।

मुख्यशब्द : हिंदी रंगमंच, आधुनिकता, गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर, बादल सरकार, नाट्य शिल्प, रंग-दृष्टि, सामाजिक यथार्थ, प्रयोगधर्मिता।

प्रस्तावना-

हिंदी रंगमंच का इतिहास विविध प्रवृत्तियों, आंदोलनों और प्रयोगों से परिपूर्ण रहा है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम न होकर सामाजिक विमर्श, वैचारिक मंथन और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त उपकरण बनकर उभरा है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय रंगमंच ने एक नई करवट ली, जहाँ रंगकर्मी केवल निर्देशक या अभिनेता नहीं रहे, बल्कि समाज के सवाल को टकराने वाले विचारशील सृजनकर्ता बन गए। इस परिवर्तनशील दौर में जिन नाट्यकर्मियों ने नाटक को विचार और प्रतिरोध का मंच बनाया, उनमें गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इन तीनों नाटककारों ने अपनी-अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से ऊपर उठकर ऐसे नाटकों की रचना की, जो समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों से सीधे संवाद करते हैं। गिरीश कर्नाड ने मिथकीय और ऐतिहासिक कथाओं को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत कर नाटक की एक नई भाषा गढ़ी। विजय तेंडुलकर ने अपने यथार्थपरक और तीव्र सामाजिक टिप्पणियों वाले नाटकों के माध्यम से मध्यवर्गीय समाज की विकृतियों, स्त्री की स्थिति और सत्ता संरचना पर गहरी चोट की। वहीं बादल सरकार ने पारंपरिक रंगमंच की

¹ सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

मोबाइल : 8383804523; ई-मेल. - sunilsudhanshu.du@gmail.com

स्थूलता और वर्चस्व के विरुद्ध जाकर “तीसरे रंगमंच” की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसने नाटक को elitist कलाकृति से जनचेतना का औजार बना दिया।

यह शोध पत्र हिंदी रंगमंच की आधुनिक प्रवृत्तियों में इन तीनों नाटककारों के सृजनात्मक योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें उनके नाटकों की विषयवस्तु, प्रस्तुति शैली, नाट्य-दर्शन, सामाजिक सरोकार, एवं हिंदी रंगमंच पर उनके प्रभाव की समग्र समीक्षा की गई है। साथ ही तीनों नाटककारों की तुलनात्मक विवेचना के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार इनकी रंग दृष्टियाँ भिन्न होते हुए भी आधुनिक हिंदी रंगमंच को एक वैचारिक गहराई, सामाजिक उत्तरदायित्व और रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह अध्ययन केवल तीन नाट्यशिल्पियों की समीक्षा मात्र नहीं, बल्कि हिंदी रंगमंच के उस गतिशील परिदृश्य की समझ है, जो भारतीय समाज की जटिलताओं को रंगमंच के माध्यम से व्यक्त करता है। यह शोध हिंदी रंगमंच को आधुनिकता के आईने में देखने का एक प्रयास है, जहाँ विचार, अनुभव और प्रयोग एक साथ गुंथे हैं।

उद्देश्य एवं महत्व-

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य हिंदी रंगमंच की आधुनिक प्रवृत्तियों में गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार के सृजनात्मक योगदान का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है:

1. इन तीनों नाटककारों के नाट्यदर्शन, विषयवस्तु एवं प्रस्तुति शैली की विशेषताओं का विवेचना
2. समकालीन भारतीय समाज के विविध पक्षों – जैसे सत्ता-संरचना, स्त्री-विमर्श, मिथकीय पुनर्पाठ एवं सामाजिक विषमता – के प्रति इनकी रंग-दृष्टि की समझ।
3. हिंदी रंगमंच पर इन नाटककारों के प्रभाव का विश्लेषण तथा उनके योगदान का तुलनात्मक अध्ययन।
4. यह स्पष्ट करना कि इनकी नाट्य दृष्टियाँ किस प्रकार हिंदी रंगमंच को सामाजिक उत्तरदायित्व, वैचारिकता और नवीनता प्रदान करती हैं।

यह शोध न केवल साहित्य और रंगमंच से जुड़े विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं समीक्षकों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन रंगकर्मियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है जो नाटक को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते हैं। इस अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह तीन विभिन्न भाषाओं—कन्नड़, मराठी और बंगाली—के नाटककारों को हिंदी रंगमंच के व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक साथ प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि हिंदी रंगमंच केवल हिंदीभाषी रचनाकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें भारतीय रंग चेतना की समग्रता समाहित है। यह शोध पत्र आधुनिकता, प्रयोगशीलता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े उन प्रश्नों की पड़ताल करता है, जिन पर तीनों नाटककारों ने अपने नाटकों के माध्यम से गहन दृष्टिपात किया है। इस दृष्टि से यह शोध हिंदी रंगमंच के आधुनिक प्रवृत्तिपरक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

हिंदी रंगमंच : आधुनिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि-

हिंदी रंगमंच की आधुनिक प्रवृत्तियाँ उस ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का परिणाम हैं, जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारत में घटित हुए। भारतीय पुनर्जागरण, औपनिवेशिक दमन, राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद का सामाजिक पुनर्निर्माण – इन सभी घटनाओं ने रंगमंच को एक वैचारिक और रचनात्मक मंच के रूप में विकसित किया। हिंदी रंगमंच की नींव भले ही भारतेन्दु हरिश्चंद्र (1850–1885) द्वारा रखी गई हो, लेकिन उसका आधुनिक स्वरूप 1940 के बाद धीरे-धीरे उभरता है। भारतेन्दु युग में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के विरोध में रंगमंच को एक नैतिक मंच के रूप में प्रयोग किया गया। इसके बाद द्विवेदी और छायावादी युग में रंगमंच साहित्यिक अभिव्यक्ति का साधन बना। किंतु स्वतंत्रता संग्राम और बाद की सामाजिक विघटन की स्थितियों ने रंगमंच को जनचेतना का माध्यम बना दिया।

1940 और 50 के दशक में नाट्य लेखन तथा मंचन में यथार्थवाद, प्रगतिशीलता और समाजवादी आदर्शों का प्रभाव दिखने लगा। इस काल में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण लाल, उमाशंकर जोशी, और रामकुमार वर्मा जैसे साहित्यकारों ने भी नाटक लिखे, परंतु उनका मंचन सीमित रहा। 1950 के बाद भारतीय रंगमंच में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ उभरीं — एक, भारतीय परंपरा और लोक नाट्य शैलियों की पुनर्व्याख्या तथा दूसरी, पश्चिमी रंगशास्त्र और नाट्य सिद्धांतों का समावेश। इसी द्वंद्वात्मक स्थिति में गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार जैसे नाटककारों ने आधुनिक हिंदी रंगमंच को एक नया सौंदर्यबोध, नई विचारधारा और नया दर्शक वर्ग प्रदान किया।

इन नाटककारों का सृजन भारत की बहुभाषिक और बहु-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पनपा और उन्होंने न केवल हिंदी, बल्कि समग्र भारतीय रंगमंच को नई दृष्टि दी। इनकी कृतियाँ सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक शोषण, स्त्री-विमर्श, वर्ग-संघर्ष, और व्यक्तिगत पहचान जैसे विषयों को लेकर आईं, जो समकालीन यथार्थ से गहरे जुड़ी थीं। इस प्रकार हिंदी रंगमंच की आधुनिक प्रवृत्तियाँ केवल रंग-शिल्प की नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, राजनीतिक हस्तक्षेप और सांस्कृतिक अस्मिता की भी अभिव्यक्ति बनकर उभरीं। यह पृष्ठभूमि गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार के योगदान को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

गिरीश कर्नाड का नाट्य योगदान-

गिरीश कर्नाड (1938–2019) भारतीय रंगमंच के ऐसे प्रमुख नाटककार रहे जिन्होंने पारंपरिक मिथकीय आख्यानों और आधुनिक यथार्थ के बीच एक सृजनात्मक सेतु निर्मित किया। उनका नाट्य लेखन भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ होते हुए भी समकालीन चिंताओं और वैचारिक द्वंद्वों को उजागर करता है। कर्नाड ने मिथकों और इतिहास को केवल पुनरावृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिकता की दृष्टि से पुनर्पाठ के रूप में प्रस्तुत किया। उनके प्रमुख नाटकों में 'ययाति' (1961), 'तुगलक' (1964), 'हयवदन' (1971), 'नागमंडल' (1988), और 'अग्नि और बरखा' (1995) उल्लेखनीय हैं। 'तुगलक' एक ऐतिहासिक नाटक

होते हुए भी तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों पर तीखा व्यंग्य है। 'हयवदन' में उन्होंने व्यक्तित्व की अस्मिता और अपूर्णता के प्रश्न को मिथकीय कथा के माध्यम से आधुनिक रंग-शिल्प में व्यक्त किया।

कर्नाड की विशेषता यह रही कि उन्होंने रंगमंच को केवल पाठ्य माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे दृश्य-शिल्प की समृद्ध परंपरा के साथ जोड़ा। उन्होंने पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, लोक नाट्य तथा ब्रेख्तिथन रंगदृष्टि से प्रेरणा लेकर भारतीय रंगमंच की भाषिक और दृश्यात्मक गरिमा को नया आयाम दिया। उनके नाटकों में प्रतीकात्मकता, रूपक, संवादों की दार्शनिक गहराई और स्त्री पात्रों की सशक्त प्रस्तुति विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

गिरीश कर्नाड की नाट्य दृष्टि केवल साहित्यिक नहीं, अपितु सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रही है। उनके नाटक भारतीय समाज में मौजूद सत्ता, नैतिकता, धर्म, लैंगिकता और पहचान के प्रश्नों को उठाते हैं। उदाहरणस्वरूप 'नागमंडल' में लोककथा की शैली का उपयोग कर स्त्री की देह, इच्छा और सामाजिक संरचना पर प्रश्न खड़े किए गए हैं। हिंदी रंगमंच पर गिरीश कर्नाड का प्रभाव बहुआयामी रहा है। यद्यपि मूलतः वे कन्नड़ में लिखते थे, परंतु उनके अधिकांश नाटकों का हिंदी में अनुवाद और मंचन हुआ, जिससे हिंदी रंगमंच को वैचारिक और शिल्पगत दृष्टि से समृद्धि प्राप्त हुई। उनका योगदान आधुनिक हिंदी रंगमंच को एक भारतीय आत्मा और समकालीन चेतना प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

विजय तेंडुलकर का नाट्य योगदान-

विजय तेंडुलकर (1928–2008) भारतीय रंगमंच के ऐसे यथार्थवादी नाटककार थे जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की गूढ़ विसंगतियों, राजनीतिक हिंसा, पारिवारिक विघटन और लैंगिक शोषण जैसे मुद्दों को अत्यंत गहनता से प्रस्तुत किया। उनका नाट्य संसार महाराष्ट्रीय समाज के माध्यम से समकालीन भारतीय समाज की नैतिक एवं वैचारिक गिरावट का प्रमाण प्रस्तुत करता है। वे उन थोड़े से लेखकों में से हैं जिन्होंने रंगमंच को केवल कला का माध्यम न मानते हुए उसे सामाजिक हस्तक्षेप का मंच बनाया।

तेंडुलकर के प्रमुख नाटकों में 'शांतता! कोर्ट चालू आहे' (1967), 'सखाराम बाइंडर' (1971), 'घासीराम कोतवाल' (1972), और 'कमला' (1981) उल्लेखनीय हैं। 'शांतता! कोर्ट चालू आहे' में समाज द्वारा स्त्री की भूमिका को कठघरे में खड़ा किया गया है। यह नाटक भारतीय न्याय प्रणाली, सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। 'सखाराम बाइंडर' ने भारतीय रंगमंच में एक नया भूचाल लाया, जहाँ एक निम्नवर्गीय व्यक्ति के माध्यम से पितृसत्तात्मक व्यवस्था और यौन नैतिकता पर कठोर प्रहार किया गया। 'घासीराम कोतवाल' विजय तेंडुलकर का सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद नाटक है, जिसमें इतिहास और लोकनाट्य शैली का प्रयोग कर सत्ता की अमानवीयता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की पोल खोली गई है। यह नाटक मराठी लोकनाट्य 'तमाशा' की शैली में रचित होते हुए भी आधुनिक राजनीतिक विडंबनाओं का सटीक चित्रण करता है।

‘कमला’ नाटक एक पत्रकार द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए व्यवहार के माध्यम से स्त्री की वस्तुकरण की प्रवृत्ति को उजागर करता है। इस नाटक में स्त्री विमर्श, मीडिया की भूमिका और पुरुष सत्ता के अंतर्संबंधों की सूक्ष्म व्याख्या मिलती है। तेंडुलकर के नाटकों में यथार्थ का स्वर तीव्र है, किंतु वह केवल यथार्थ की प्रस्तुति नहीं, बल्कि उसकी आलोचना और पुनर्परिभाषा भी है। उनकी भाषा सीधी, जनमानस के करीब और गहराई से संवाद करने वाली रही है। उनके पात्र मध्यवर्गीय या निम्नवर्गीय समाज से आते हैं, जो अपने भीतर के द्वंद्व, हताशा, आक्रोश और संघर्ष को प्रकट करते हैं।

हिंदी रंगमंच पर विजय तेंडुलकर का प्रभाव बहुआयामी रहा है। यद्यपि उनके अधिकांश नाटक मराठी में लिखे गए, परंतु हिंदी में उनके अनुवादों ने हिंदी रंगजगत को नई दृष्टि, नई संवेदनशीलता और नई आलोचनात्मक चेतना प्रदान की। उनके नाटक निर्देशकों, दर्शकों और रंगकर्मियों के लिए एक चुनौती और प्रेरणा दोनों रहे हैं। तेंडुलकर की नाट्य दृष्टि में समाज के प्रति एक तीव्र असंतोष, परिवर्तन की आकांक्षा और अन्याय के प्रति विद्रोह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने हिंदी रंगमंच को यह सिखाया कि रंगमंच केवल सौंदर्यबोध की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ का सशक्त दस्तावेज भी हो सकता है।

बादल सरकार का नाट्य योगदान-

बादल सरकार (1925–2011) भारतीय रंगमंच के उन प्रमुख नाटककारों और रंगकर्मियों में गिने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक रंगमंच की स्थूलता और कृत्रिमता के विरुद्ध जाकर ‘तीसरा रंगमंच’ (Third Theatre) की संकल्पना प्रस्तुत की। उनका नाट्य दर्शन सृजनात्मक, जनोन्मुखी और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला था। उन्होंने मंच की भव्यता, वस्त्र-प्रसाधन और यांत्रिक सज्जा को अस्वीकार कर खुले स्थानों, पार्कों और गलियों में नाट्य प्रस्तुति को संभव बनाया। बादल सरकार के प्रमुख नाटकों में ‘एवम इन्द्रजीत’ (1963), ‘बाकी इतिहास’ (1965), ‘पगला घोड़ा’ (1969), ‘सभ्य बर्बर औरतें’ (1973), ‘जुलूस’, और ‘भोमा’ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ‘एवम इन्द्रजीत’ आधुनिक व्यक्ति के अस्तित्वगत संकट, अकेलेपन और व्यवस्था के विरोधाभास को दर्शाने वाला नाटक है। यह नाटक एक ऐसे युवा की त्रासदी है जो जीवन की यांत्रिकता और अर्थहीनता से जूझता है। ‘पगला घोड़ा’ में स्त्री-पुरुष संबंधों, पितृसत्ता और नैतिकता के झूठे मुखौटों को उजागर किया गया है।

बादल सरकार का नाट्यशास्त्र “तीसरे रंगमंच” के रूप में एक वैकल्पिक सांस्कृतिक आंदोलन था। उन्होंने यह माना कि नाटक जनसंचार का माध्यम है और इसका उद्देश्य आम जन तक पहुँचकर सामाजिक चेतना जगाना है। इस विचारधारा के तहत उन्होंने भव्यता और प्रेक्षागृह की सीमाओं को तोड़कर ‘जन के बीच रंगकर्म’ की अवधारणा विकसित की। उनकी नाट्य भाषा सरल, संवेदनशील और बहुआयामी थी। वे प्रतीकों और रूपकों का उपयोग करते हुए गहरी मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक अन्याय की तस्वीर उकेरते थे। उन्होंने कलाकार और दर्शक के बीच की दूरी को समाप्त कर संवाद की प्रक्रिया को जीवंत बनाया।

बादल सरकार के नाटकों में विचार की तीव्रता, प्रयोगशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का अनूठा संगम मिलता है। हिंदी रंगमंच पर उनका प्रभाव विशेष रूप से हिंदी प्रदेशों में अल्टरनेटिव थिएटर (वैकल्पिक रंगमंच) की अवधारणा को स्थापित करने में दिखता है। उनके नाटकों का हिंदी अनुवाद और प्रस्तुति दिल्ली, भोपाल, पटना, लखनऊ जैसे नगरों में अनेक समूहों द्वारा किए गए हैं। बादल सरकार ने यह सिद्ध किया कि रंगमंच केवल मंचीय कला नहीं, बल्कि सामाजिक विमर्श और जनसंचार का सशक्त माध्यम है। उन्होंने हिंदी रंगमंच को वैचारिक स्पष्टता, संप्रेषणीयता और क्रांतिकारी चेतना से समृद्ध किया। उनका योगदान आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनोन्मुखी और प्रयोगधर्मी रूप की नींव रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

संबंधित नाटककारों की तुलनात्मक विवेचना-

गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार – ये तीनों नाटककार आधुनिक भारतीय रंगमंच के विभिन्न दृष्टिकोणों और शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी रचनाओं में समकालीन समाज के विविध संकट, यथार्थ, मिथक, सत्ता-संरचना और मानवीय संबंधों की पड़ताल की गई है, किंतु इनकी प्रस्तुति शैली, रंगदृष्टि और नाट्य प्रयोगों में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी देखी जा सकती हैं। गिरीश कर्नाड ने भारतीय मिथकीय एवं ऐतिहासिक विषयों को समकालीन संदर्भों में रूपांतरित करते हुए नाटकों की रचना की। उनके नाटकों में गूढ़ दार्शनिकता, गहन आत्ममंथन और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। दूसरी ओर, विजय तेंडुलकर का रंग-दृष्टिकोण गहरे सामाजिक यथार्थ में रचा-बसा है। वे समाज की रूढ़ मान्यताओं, स्त्री-विरोधी सोच, सत्ता के दुरुपयोग और मध्यवर्गीय पाखंड को अत्यंत तीखेपन के साथ उजागर करते हैं।

वहीं, बादल सरकार पूरी तरह से भिन्न मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने रंगमंच को जनान्दोलन का रूप देते हुए “तीसरे रंगमंच” की संकल्पना प्रस्तुत की, जो थिएटर को मंच और भव्यता से बाहर लाकर जनता के बीच, सादगी और संवाद के साथ प्रस्तुत करता है। वे तकनीकी साज-सज्जा को अनावश्यक मानते हुए रंगमंच को विचार और संवेदना का माध्यम मानते हैं। तीनों नाटककारों की भाषा शैली में भी अंतर देखा जा सकता है। कर्नाड की भाषा दार्शनिक और प्रतीकात्मक होती है, तेंडुलकर की भाषा सीधी, आक्रामक और यथार्थपरक है, जबकि बादल सरकार की भाषा जन-संवेदना के निकट, सहज और संवादात्मक है।

इन नाटककारों के स्त्री चित्रण में भी विविध दृष्टिकोण मिलते हैं। कर्नाड स्त्री की अस्मिता और स्वतंत्र चेतना को गहराई से रेखांकित करते हैं, तेंडुलकर स्त्री के वस्तुकरण और सामाजिक शोषण की भयावहता को उजागर करते हैं, वहीं बादल सरकार स्त्री को समाज परिवर्तन की संवाहक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तीनों का हिंदी रंगमंच पर प्रभाव भी व्यापक और विविध रूपों में परिलक्षित होता है। इनके नाटकों ने हिंदी रंगकर्म को नई वैचारिक दृष्टि, विषयगत विविधता और मंचन की प्रयोगशीलता प्रदान की। इनकी रचनाओं ने हिंदी थिएटर को केवल मनोरंजन का माध्यम न मानकर सामाजिक परिवर्तन का औजार बनाया। इस प्रकार, गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार, तीनों ने अपनी-अपनी विशिष्टताओं के माध्यम से हिंदी रंगमंच

की आधुनिक प्रवृत्तियों को समृद्ध किया है – एक ने मिथक और इतिहास को, दूसरे ने यथार्थ और सत्ता-संरचना को, और तीसरे ने जनता की सहभागिता और संवाद को रंगमंच का आधार बनाया।

निष्कर्ष-

गिरीश कर्नाड, विजय तेंडुलकर और बादल सरकार – तीनों नाटककारों ने आधुनिक हिंदी रंगमंच को वैचारिक गहराई, सामाजिक चेतना और रंगमंचीय प्रयोगशीलता से समृद्ध किया। यद्यपि इनकी नाट्य रचनाएँ भिन्न-भिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से जुड़ी हैं, किंतु हिंदी अनुवादों और मंचन के माध्यम से इन्होंने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान की। गिरीश कर्नाड ने मिथकीय और ऐतिहासिक विषयों के माध्यम से आधुनिकता की समस्याओं को गहरे स्तर पर प्रस्तुत किया। विजय तेंडुलकर ने समाज के भीतरी ढाँचे की विकृतियों, सत्ता और नैतिकता के द्वंद्व को उजागर किया, वहीं बादल सरकार ने रंगमंच को जनता के बीच ले जाकर उसे एक सशक्त जन-माध्यम में परिवर्तित किया। इन तीनों की दृष्टियाँ यद्यपि भिन्न हैं, किंतु इनका उद्देश्य समाज में संवाद, चेतना और बदलाव लाना रहा है।

तीनों नाटककारों ने भाषा, शैली, प्रस्तुति और विषयवस्तु में नवीनता लाकर रंगमंच को केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक वैचारिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनकी रचनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं और समकालीन रंगमंच को दिशा देती हैं। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी रंगमंच की आधुनिक प्रवृत्तियों के निर्माण में इन तीनों रचनाकारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और मार्गदर्शक रहा है।

संदर्भ सूची-

- कश्यप, आर. (2010). *नाटक और समकालीन समाज*. जयपुर: राजस्थानी ग्रंथागार.
- गुप्ता, वी. (2009). *हिंदी नाटक की प्रवृत्तियाँ*. कानपुर: साहित्य सदन.
- घोष, टी. (2008). *बादल सरकार और जन रंगमंच*. कोलकाता: साहित्य संगम.
- चतुर्वेदी, वी. (2010). *आधुनिक भारतीय रंगमंच*. दिल्ली: साहित्य भवन.
- जोशी, एम. (2007). *नवीन रंगचेतना और प्रयोगवाद*. मुंबई: साहित्या अकादमी.
- त्रिपाठी, के. (2011). *गिरीश कर्नाड के नाटकों का विश्लेषण*. बनारस: साहित्य निकेतन.
- द्विवेदी, आर. (2013). *भारतीय नाटक और समाज*. दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन.
- पांडेय, ए. (2012). *विजय तेंडुलकर: एक आलोचनात्मक अध्ययन*. दिल्ली: विद्या पब्लिकेशन्स.
- मिश्र, बी. (2015). *हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा*. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन.
- रॉय, एस. (2006). *तीसरा रंगमंच: बादल सरकार का दृष्टिकोण*. भोपाल: नाट्य अकादमी.

- वर्मा, जे. (2014). *भारतीय नाटककारों की विचारधारा*. दिल्ली: स्वरूप प्रकाशन.
- शर्मा, एस. (2005). *रंगमंच और सामाजिक सरोकार*. दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ.
- शुक्ला, एम. (2004). *रंगमंच और स्त्री विमर्श*. दिल्ली: प्रकाशन विभाग.
- सक्सेना, पी. (2017). *नवभारतीय नाट्य विमर्श*. दिल्ली: भारती प्रकाशन.
- सेनगुप्ता, एन. (2019). *भारतीय रंगमंच: परंपरा और परिवर्तन*. पटना: संवाद प्रकाशन.

Manuscript Timeline

Submitted : April 21, 2025

Accepted : April 30, 2025

Published : June 30, 2025

डॉ. सूर्यबाला का व्यंग्य संसारअनिकेत गौतम¹

सारांश

बात कहने का जो आनंद है, वह व्यंग्यात्मक रूप में कहने में है, अन्य प्रारूप में नहीं। भारत के तो त्यौहार होली में ही व्यंग्य का रस भरा पड़ा है। व्यंग्य सभी करते हैं, बड़ा-छोटा, बूढ़ा-जवान, स्त्री-पुरुष, लड़का-लड़की सभी। परन्तु यदि हम साहित्य की बात करें तो हम पाते हैं कि व्यंग्य लेखन में महिला लेखिकाओं के वनस्पत अधिकतर पुरुष लेखकों की ही ज्यादा संख्या है। पुरुष व्यंग्य लेख लिखता है तो प्रेस-मीडिया, पाठक-श्रोता सभी वाह-वाही करते हैं, परंतु वहीं यदि एक महिला व्यंग्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी का प्रयोग करती है, तो पहले तो उसको प्रकाशक ढूँढे से भी नहीं मिलेगा और जब मिल जायेगा तो वह भी छापने के दौरान बेचारा संशय में रहता है कि इस अमूक लेखिका का व्यंग्य संग्रह बिकेगा की नहीं, पाठक पढ़ेगा की नहीं आदि-आदि बातों में ही वह उलझा रहता है।

परन्तु डॉ. सूर्यबाला आज वह व्यंग्य लेखिका बन गई हैं जिनके व्यंग्य संग्रह प्रकाशक न केवल खुशी-खुशी छापते हैं बल्कि पाठक भी हाथों-हाथ इनके संग्रह पढ़ने के लिए खरीदता है। आखिर क्यों डॉ. सूर्यबाला व्यंग्य लेखन में अन्य महिला व्यंग्यकारों से थोड़ी अलग हैं और अग्रणीय हैं, यही बात हम अपने इस शोधालेख के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे।

बीज शब्द – महिला व्यंग्यकार, व्यंग्य, हास्य-विनोद, पितृसत्ता, स्त्री-पुरुष।

व्यंग्य का जन्म अपने आस-पास व समय में मौजूद विद्रूपताओं में पनपे असंतोष से होता है। व्यंग्य को अब स्वतंत्र विधा का के तौर पर साहित्य में स्थान मिल चुका है तथा अब यह विवाद का मुद्दा नहीं रह गया है कि व्यंग्य एक विधा है या केवल किसी अन्य विधाओं में मौजूद ‘स्परिट’।

व्यंग्य एक ऐसा हथियार है जिसे ‘सतकर्ता विभाग’, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस तौर पर उपयोग किया जाता है जैसे सतकर्ता विभाग या ED या आयकर विभाग क्रमशः – भ्रष्टाचार, अघोषित, अनियमित संपत्ति आदि पर नज़रें गड़ाए रहते हैं। और जैसे ही इन विभागों के संज्ञान में कोई भी मामला आता है तो ये सीधे मामले की तह तक जाने के लिए “छापेमारी अभियान” चला देते हैं, ठीक वैसे ही व्यंग्य लेखन भी साहित्य का वही साधन या हथियार है जिसके द्वारा साहित्यकार, व्यंग्यकार

¹ शोधार्थी, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, तेलंगाना (भारत)– 500046.

संपर्क सूत्र – 7503677949, 7217685040; ईमेल – aniketgautam807@gmail.com

किसी के द्वारा किये गए “कांडों” को सार्वजनिक तौर पर उजागर कर के एक प्रकार से शर्मशार किया जाता है तथा ‘हृदय परिवर्तन’ की कल्पना की जाती है।

भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में विश्व की अलग-अलग भाषाओं व बोलियों में प्रारंभ से ही व्यंग्य मौजूद रहा है, किन्तु बस अंतर केवल इतना भर रहा है कि पहले के समय में व्यंग्य लेखन का कोई चलन नहीं था, तब केवल बातों-ही-बातों में व्यंग्य कर अनियमितता फैलाने वालों को बातों से ही छलनी कर दिया जाता था। यदि भारतीय साहित्य की बात करें तो भारत में व्यंग्य लेखन, ‘संस्कृत साहित्य’ से ही प्राप्त होने लगता है। तथा उसके बाद हिंदी में आदि काल की रचनाओं से व्यंग्य लेखन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।

हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से लेकर आधुनिक काल का मार्ग सुनिश्चित और प्रशस्त करने वाले भारतेंदु हरिश्चन्द्र व भारत की स्वतंत्रता के बाद व्यंग्य के पितामह कहलवाने वाले हरिशंकर परसाई, शरद जोशी तक व्यंग्य लेखन में हमें केवल पुरुष ही मुख्यतः व्यंग्य लिखता दिखाई पड़ता है। किन्तु यदि व्यंग्य लेखन में महिलाओं की भूमिका को खोजा जाए तो हमें यहाँ इस विषय पर निराशा ही हाथ लगती है बजाए किसी स्त्री द्वारा रचित व्यंग्य रचना मिलने के।

महिलाएँ व्यंग्य नहीं करती ऐसा कहना गलत होगा, यदि हम हमारे रीती-रिवाजों, शादी-ब्याहों, या अन्य किसी मांगलिक अवसर पर गौर करें तो इन मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा ‘गीत’ गाये जाते हैं, और वास्तव में उन्हीं गीतों में व्यंग्य दिखाई-सुनाई पड़ेगा।

ठीक इसी प्रकार आज लेखन के कार्य में महिलाएँ भी व्यंग्य लेखन का कार्य कर रही हैं जिनकी संख्या की गिनती हम अपनी उँगलियों पर कर सकते हैं। उन्हीं एक गिनी-चुनी महिला व्यंग्यकारों में से एक हैं **डॉ. सूर्यबाला**।

डॉ. सूर्यबाला हिंदी साहित्य में न केवल एक प्रसिद्ध कथाकार हैं अपितु जो कि पितृसत्ता से लबरेज हिंदी व्यंग्य-साहित्य के क्षेत्र में भी एक प्रसिद्ध एवं जोरदार व्यंग्यात्मक लेखन करने के लिए भी सूर्यबाला का नाम जाना जाता है।

“डॉ. सूर्यबाला का जन्म 1943 ई. में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और कुछ ही समय के बाद वाराणसी आदि शहरों में रहने के बाद वाराणसी में अधिकतर समय बिताया क्योंकि उनके पिता शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे जिस कारण उनका कई शहरों में स्थानान्तरण होता रहा।” बनारस में शिक्षा दीक्षा के बाद शादी और फिर कुछ समय के बाद पति श्री आर.के. लाल की नौकरी मुंबई (महाराष्ट्र) में लग जाने से तब से ही परिवार के साथ मुंबई रहती हैं।

समकालीन हिंदी व्यंग्य जगत में एक स्त्री होने के नाते अपना नवीन एवं अप्रतिम स्थान बना चुकने वाली डॉ. सूर्यबाला की पहली कहानी 1972 ई. में ‘जीजी’ शीर्षक से हिंदी की मासिक पत्रिका “सारिका” में प्रकाशित हुई।

डॉ. सूर्यबाला के अब तक चार व्यंग्य संग्रह— 1. धृतराष्ट्र टाइम्स (2001), 2. भगवान ने कहा था (2008), 3. देश सेवा के अखाड़े में (2008) तथा 4. अजगर करे न चाकरी प्रकाशित हो चुके हैं, जबकि सूर्यबाला का पहला व्यंग्य-लेख 1973 में “अविभाष्य” शीर्षक से हिंदी की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका “धर्मयुग” में प्रकाशित हुआ था।

सूर्यबाला अपने साहित्य के द्वारा समाज, जीवन, परंपरा, रीति-रिवाज तथा आधुनिकता व आधुनिक होने के ढोंग पर भी अपनी समग्र दृष्टि से चिंतन करती हैं तथा उस समस्या के मूल तक पहुँचने का भी एक सफल प्रयास करती हैं। सूर्यबाला ने विसंगतियों के सभी क्षेत्रों में प्रहारात्मक व्यंग्य किया है।

सूर्यबाला के व्यंग्य लेखन के बारे में ‘धर्मयुग’ पत्रिका लिखती है— “सूर्यबाला ने अपने व्यंग्य बातों के लिए राजनीति की अपेक्षा सामाजिक परिवेश अधिक पसंद किया है, पर ऐसा नहीं है की राजनितिक विषयों से उन्हें परहेज रहा हो।”ⁱⁱ

सूर्यबाला मूलतः एक कथाकार होने के बावजूद अपने पास हर बार एक नया मुद्दा व दृष्टिकोण रखती हैं तथा व्यंग्य करते हुए विसंगतियों का पर्दाफाश करती हैं।

सूर्यबाला की व्यंग्य की भाषा-शैली आदि के विषय में ज्ञान चतुर्वेदी लिखते हैं कि “विषय चयन, चरित्र-चित्रण तथा भाषा निर्वाह में सूर्यबाला का स्त्री होना उनको एक अलग ही किस्म का औजार देता है। उनके लेखन से गुजरकर हमारा उस नये तरह के व्यंग्य से परिचय होता है जो एक सजग, सूक्ष्म संवेदना से भरपूर तथा कलापूर्ण स्त्री की निगाहों से देखि गयी विसंगतिपूर्ण दुनिया का चित्र पेश करता है।”ⁱⁱⁱ

व्यंग्य लेखन में हास्य व व्यंग्य संबंधी कुछ विचारों की चर्चा करते हुए स्वयं सूर्यबाला कहती हैं कि “मेरी समझ में व्यंग्य में हास्य को लेकर ज्यादा उलझने पुलझने की आवश्यकता नहीं। हास्य, व्यंग्य की नक्काशी होता है, व्यंग्य की दाल का नमक। हाँ, नमक डालने का अंदाज़ और समझ तो होनी ही चाहिए। गंभीर, व्यंग्य लेखन का अर्थ बोझिल और नीरस या भोथरा नहीं है, न हास्य का अर्थ फूहड़पन और अश्लीलता है। हास्य और व्यंग्य के निरर्थक विवादों में न पड़कर इस सत्य को पहचानना है कि जहाँ शिष्ट हास्य, व्यंग्य को तराशता और ज्यादा प्रभावी बनाता है वहीं अशिष्ट हास्य उसे ‘क्रुड’ कर देता है। व्यंग्य में क्रुड़ीटी नहीं पैनापन चलता है। हास्य को यदि हम व्यंग्य के शिल्प, व्यंग्य की नक्काशी की तरह इस्तेमाल करते हैं तो यह व्यंग्य को निखारता है। उसे तराश मिलती है, वह अधिक संप्रेषणीय बनता है।”^{iv} संक्षेप में कहा जा सकता है की सूर्यबाला व्यंग्य में हास्य को आवश्यक तो मानती हैं किन्तु, ‘आटे में नमक के बराबर’ और आवश्यकता से अधिक रहने वाले हास्य को निरर्थक व असम्प्रेषणीय मानती हैं।

“भगवान ने कहा था”— इस व्यंग्य-संग्रह का संकलन 2008 में प्रकाशन हुआ था। 23 व्यंग्य लेखों के इस संग्रह की यह केवल एक या दो या अधिकाधिक तीन-विषय पर चर्चा प्रस्तुत नहीं करता है बल्कि इसमें लेखिका, व्यंग्यकार सूर्यबाला ने विविध मुद्दों को उठाते हुए व्यंग्य किया है। मनोरंजन के साथ-साथ यह सभी लेख, पाठकों को चिंतन हेतु विवश करता है।

संग्रह के प्रथम लेख ‘भगवान ने कहा था’ शीर्षक में भगवान व एक भक्त के संवाद को लक्षित कर व्यंग्य किया है और उस संवाद में दोनों के बीच की औपचारिकता को प्रस्तुत किया गया है। मंदिरों में होने वाले भ्रष्टाचार पर व्यंग्य करते हुए सूर्यबाला ने भक्त-मन्दिर व भगवान के नाम पर होने वाले ढोंग तथा भ्रष्टाचार को उजागर किया है। लेखिका सूर्यबाला ने भगवान के माध्यम से पंडित-पुरोहितों की करतूतों का भी पर्दाफाश किया है।

इसी संग्रह के लेख “स्त्री-उन्मुक्ति के उपलक्ष्य में ...” व्यंग्य लेख में व्यंग्यकार सूर्यबाला ने पिछले कुछ दशकों से जो अधुनिकता तथा स्त्री-मुक्ति व स्त्री-सशक्तिकरण का जो यूटोपिया बनाया गया है पर व्यंग्य करती कहती हैं, “तो अब जिधर देखिए उधर स्त्री शक्ति, स्त्री-चेतना का डंका बज रहा है। मजलिसें लग रही हैं, तदबीरें निकाली जा रही हैं। स्त्री-सशक्तिकरण के सारे उद्धोषकों के बाद चेतना और जागरूकता की ऐसी लहर व्याप्ति है कि हर शहर, हर कस्बे, हर गली, हर कूचे, प्राइमरी-सेकेंडरी स्कूलों तथा पर्व-त्योहारों पर सौंदर्य-प्रतियोगिताएँ आयोजित होने लगती हैं। स्त्री की सारी बुद्धि, सारी शक्ति उसके शरीर के हवाले से नाप-जोख ली जाती है।”^v

लेखिका ने साफ़ कहा है कि स्त्री-सशक्तिकरण आज केवल कुछ आयोजनों व अवसरों पर स्त्री-सौंदर्य-प्रतियोगिताओं तथा स्त्री द्वारा पहने जाने वाले परिधानों तक ही होते हैं। स्त्री-सशक्तिकरण आज का समाज व स्वयं में नारीवादी बनने वाले लोग भुला चुके हैं।

सूर्यबाला ने संग्रह में शामिल अन्य लेखों “ससुराल का स्त्री विमर्श” तथा “स्त्री-विमर्श का स्वर्ण युग” आदि लेखों में भिन्न-भिन्न मुद्दों को उठाते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि दरअसल स्त्री-विमर्श व नारीवादी दृष्टिकोण होता क्या है, बजाए इसके जो कर्म-कांड आज स्त्री-सशक्तिकरण के नाम पर उल-जुलूल कार्य किये जा रहे हैं।

“यह व्यंग्य कौ पंथ”- 2015 में प्रकाशित इस संग्रह में कुल 38 व्यंग्य लेख संकलित हैं जो सब अपने आप में ही नवीन व भिन्न हैं।

संग्रह के प्रथम लेख ‘यह व्यंग्य कौ पंथ’ में व्यंग्यकार सूर्यबाला ने अपने व्यंग्य लेखन कर्म से जुड़ने के बारे में बताते हुए कहा है कि “मैंने कभी होशोहवास में व्यंग्य लिखने या व्यंग्यकार बनने की कोशिश भी नहीं की लेकिन न जाने कैसे थोड़ी न थोड़ी होती चली गयी”।

“महिला दिवस और फ्रेंच टोस्ट”- इस लेख में सूर्यबाला ने महिला के लिए स्वयं के नाम पर बचे एक दिन ‘महिला दिवस’ को किस प्रकार से ये पुरुष-वर्ग हथियाता जा रहा है, पर व्यंग्य किया है।

लेखिका ने इस लेख में बताया है कि किस प्रकार से महिला दिवस मनाने के नाम पर पुरुष, पितृसत्तात्मक समाज महिला से ही अपनी पसंद का व्यंजन बनाने की फरमाइश करता है जो अप्रत्यक्ष तौर पर आदेश ही होता है जिसको स्त्री बेचारी पति की इच्छा/आज्ञा का पालन करने को बाध्य है क्योंकि वह उस पुरुष

के साथ शादी करके आई है, बंध कर आई है या यूँ कहें कि बांध कर लाई गयी है। अतः महिला दिवस हो या पुरुष दिवस स्त्री को पुरुष के आदेश का पालन करना ही होगा तथा वह स्त्री भी मानेगी क्योंकि इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री का मन पुरुष के अनुसार चलने को बाध्य है क्योंकि स्वयं स्त्री भी तो पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा है। ‘तो फिर झटपट फ्रेंच टोस्ट की तैयारी करो। अंडे न हो तो निक्की, नयना से कह दो। तब तक मैं जल्दी से शेव कर लेता हूँ, जिससे तुम्हें इंतजार न करना पड़े। फिर सब साथ-साथ सेलीब्रेट करेंगे द ग्रेट विमेंस-डे।’^{vi}

“महिला दिवस और फ्रेंच टोस्ट” लेख में लेखिका कह रही हैं कि किस तरह से महिला दिवस जो कि मुख्यतः केवल महिलाओं से ही सम्बंधित होता है किन्तु आज उस पर भी पुरुष का ही अधिपत्य होता जा रहा है। इस महिला दिवस को महिला स्वयं अपनी मर्जी से नहीं मना सकती हैं वह बस एक मूर्ति बनी खड़ी रहती हैं, बस पुरुष-प्रधान वर्ग, घर का पुरुष भी अपनी स्त्री को महिला दिवस के नाम पर खुद ही कुछ न कुछ करने को कहता है और महिला को इतने सारे काम गिनाता है कि वह (पुरुष) आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर वह क्या-क्या करने वाला है तथा इस ‘क्या-क्या’ में जो कार्य होता है वह महिला (पत्नी) को ही करना होता है तथा सेलिब्रेशन करने के तौर-तरीकों की ऐसे घोषणा करता है की जैसे वह पुरुष स्वयं ही सब कुछ कर डालेगा।

“या इलाही ये माजरा क्या है”- व्यंग्य-लेख, “यह व्यंग्य कौ पंथ” व्यंग्य-संग्रह में शामिल किया गया है। इस लेख में व्यंग्यकार सूर्यबाला ने उस मुद्दे को शामिल किया है जो की 80 के दशक से भारतीय परिवेश में तीव्रता से आया तथा साहित्यिक क्षेत्र में भी भी शामिल किया गया ‘स्त्री-विमर्श’। इस लेख का केन्द्रीय बिंदु है स्त्री-विमर्श। लेखिका ने इस लेख के द्वारा यह बताना चाहा है कि स्त्री-विमर्श या स्त्री संबंधी समाज कार्य क्या होता है। लेख के अनुसार- कुछ भद्र महिलाएँ लेखिका के घर आती हैं तथा कहती हैं- “हम अपना स्त्री-विमर्श करवाने आई हैं।”^{vii} स्त्री-विमर्श किया जाता है, करवाया नहीं जाता, यह बात लेखिका लेख में स्पष्ट करती भी है किन्तु वह महिलाएँ नहीं मानती हैं व स्त्री-विमर्श करवाने हेतु जिद पर अड़ी रहती हैं।

स्त्री-विमर्श की तुलना भद्र व अमीर घर की स्त्रियों ने ब्यूटी-पार्लर में होने वाले फेशियल, पैडी-क्योर, मैनी-क्योर से की है- “वो आपसे हमने कहा न कि हम बड़े घर की स्त्रियाँ हैं तो पढ़ी-लिखी एलिट सोसायटी की लेडिज के बीच उठना-बैठना चाहती हैं लेकिन हमसे कहा गया कि उन लोगों के साथ उठने-बैठने की पहली शर्त स्त्री-विमर्श है। तो सोचा, ठीक है जैसे फेशियल करवाते हैं, पैडी-क्योर, मैनी-क्योर करवाते हैं, वैसे ही स्त्री-विमर्श भी करवा लेंगे, और उन लोगों के बीच उठ-बैठ भी लेंगे।”^{viii}

व्यंग्यकार सूर्यबाला बताती हैं कि जैसे स्त्रियाँ-लड़कियाँ-युवतियाँ, ‘ब्यूटी-पार्लर’ में जा-जा कर ‘फेशियल’, मैनीक्योर’ व ‘पेडिक्योर’ आदि करवाती हैं, उसी प्रकार वे सभी (लेख में शामिल स्त्रियाँ) स्त्री-विमर्श को भी समझ रही हैं तथा उच्च वर्ग की महिलाएँ जो दिखावट के लिए समाज-सेवा आदि करती हैं वो सभी बनारसी, कांजीवरम अथवा सिल्क व खादी की महंगी-महंगी साड़ियाँ बांध कर समाज-सेवा व स्त्री-

चिंतन की बात करती हैं वह दरअसल केवल ढोंग से बढ़कर और कुछ नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि “नारीवादी/नारीवाद की क्या पहचान ‘बड़ी बिंदी, सिल्क साडी’।

“देश सेवा के अखाड़े में”- इस व्यंग्य-संग्रह में सूर्यबाला ने कुल 37 लेखों को शामिल किया है जिसका प्रकाशन 2008 में हो चुका है। विभिन्न क्षेत्रों में पसरी विषमताओं, भूखमरी, आत्मा-परमात्मा, शिक्षा-शिक्षण, गरीब-गरीबी, राजनीति-राजनीतिज्ञ आदि सभी मुद्दों को व्यंग्य के लिए चुना है। सभी चुने गए मुद्दों पर लेखिका ने जो व्यंग्य की चोट की है, है तो धीमी से किन्तु उसका असर गहरा व तेज है।

संग्रह में “बन गई मेरे उपन्यास पर एक अदद फिल्म”, अथ अकर्मण्य-यज्ञ-उपदेशामृत”, “देश सेवा के अखाड़े में”, “सस्पेंड न हुए प्रियतम की त्रासदी”, “प्रीति किया दुःख होय बिन”, “अथ महापुरुषस्य लक्षणम चरित्रम्...हरकतम्”, “मेरा क्रिकेट प्रेम”, “परीक्षा” आदि शीर्षकों से व्यंग्य लेख लिखे हैं सूर्यबाला ने। सभी एकदम सटीक भाषा व समस्या पर चलते तीर के समान हैं।

इसी संग्रह के ही एक व्यंग्य लेख में व्यंग्यकार सूर्यबाला ने ‘क्रिकेट-कुठा और खुदखुशी की समस्या’ में व्यंग्य करते हुए उन लोगों पर व्यंग्य साधा है जो, जब क्रिकेट टीम खेल प्रतियोगिता में हार जाती है तथा श्रृंखला आदि हार जाती या कोई मैच हार जाती है तो क्रिकेट के खेल को ही अपना सब कुछ मानने वाले पागल, दीवाने क्रिकेट प्रेमियों को सलाह देते हुए कहती हैं कि जिस तरह जीत को सेलिब्रेट किया जाता है उसी तरह हार को स्वीकार करने व धैर्य से कार्य करने का भाव किसी भी खेल प्रेमी या क्रिकेट प्रेमी में होना आवश्यक है। क्योंकि क्रिकेट व खेल में हार-जीत तो लगी रहती है तथा खेलने वालों पर भी हार का खास फर्क नहीं पड़ता है तथा प्रत्येक हार व जीत को केवल और केवल खेल भाव से ही स्वीकार करते हैं, तो लोग (क्रिकेट के दीवाने लोग) क्यों इस बात (हार) को दिल से लगा लेते हैं व खुदखुशी कर लेते हैं अथवा पहुंचा लेते हैं स्वयं को मनोविकारों में (मानसिक समस्याओं में)।

“धृतराष्ट्र टाइम्स”- इस व्यंग्य-संग्रह में कुल 30 व्यंग्य लेख शामिल हैं इस संग्रह का प्रकाशन 2001 में प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया है।

“हाय मैंने क्यों नहीं लिखा सीरियल” इस लेख में व्यंग्यकार सूर्यबाला ने टी.वी. सीरियल क्यों नहीं लिखा इस प्रश्न का जवाब व्यंग्यात्मक लहजे में दिया है।

सूर्यबाला एक प्रतिबद्ध कहानीकार, व्यंग्यकार हैं वह कोई टीवी सीरियल लिखे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह लिखने के बारे में तभी सोचेंगी जब वे स्वयं सीरियल देखती भी हों। क्योंकि उनको टीवी सीरियल में दिखाए जाने वाले संवादों को बार-बार सुनना जो की ऐसा मन जाता है की यह शैली एकता कपूर के टीवी सीरियलों से प्रारंभ हुई शैली है जो की सूर्यबाला को कतई भी पसंद नहीं है। तथा कहती हैं कि “दर्शकों के प्रति दुश्मनी का भाव उपजता नहीं, उपजता है तो दया और सहानुभूति का और फिर मरे को मारने में क्या वाह-वाही”^{ix}

“बोल री कठपुतली”- लेख में लेखिका सूर्यबाला ने स्वतंत्रता के पचासवे वर्ष के सुनहरे अवसर पर यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में लोकतंत्र के इस दौर में कैसे एक अनपढ़ पत्नी, पति के द्वारा एक मुख्यमंत्री बनाए जाने की पूरी तैयारी की जाती है। जो हाथ रसोईघर में खाना-बनाने व परोसने के काम में लिए जाते थे वे अब मुख्यमंत्री बनने पर किस प्रकार नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश देंगे व पुलिस प्रशासन पर छदम वार करेंगे।

दरअसल सूर्यबाला इस लेख के द्वारा स्त्री-पुरुषों के बीच बराबरी के दृष्टिकोण को समझाने का प्रयत्न कर रही है तथा इसी क्रम में राजनीति में महिलाओं को प्राप्त आरक्षण पर भी किस प्रकार पति रूपी पुरुष कुंडली मार बैठता जा रहा है। जिस सीट पर पाती पहले खुद निर्वाचित होता रहा है अब वहां महिलाओं के लिये आरक्षण नीति के तहत आरक्षित कर दिया गया है, तथा इस महिला आरक्षण ने उस पति को वहां से निर्वासित कर दिया है तथा उसकी जगह वह स्थान (पुरुष की जगह) एक स्त्री के लिए सुरक्षित अथवा आरक्षित कर दिया गया है। किन्तु उसकी (पति की) पुरुष बुद्धि यहाँ पर भी एक (दिमाग की बत्ती जल जाती है) राह बताती है की, क्यों न पत्नी को ही चुनाव में खड़ा करा दिया जाए तथा उसके आगे का मामला वह स्वयं ही संभाल लेगा। इस प्रकार की खुराफात के कारण ही आज जो राजनितिक महिला आरक्षण है वह लचर व बेचारा बना रह गया है।

“स्त्री-विमर्श का स्वर्ण युग” लेख में लेखिका सूर्यबाला ने पितृसत्ता के उस स्वरूप पर व्यंग्य किया है जो कि कार्य करना स्त्री खुद स्वयं की मर्जी से चाह रही हों किन्तु वह न चाहते हुए भी पितृसत्ता के समक्ष ही स्वयं को आधुनिका के पात्र में बेढंगी तरह से प्रस्तुत कर रही हैं। आज महिला जो अपने शरीर पर डिजाइनर ड्रेस पहनती हैं, वह बाजारवाद का हिस्सा है, और जिस सौंदर्य प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होती हैं वह जो कार्य इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए करती है वह भी बाजारवाद का ही हिस्सा है इसी प्रकार सौंदर्य प्रसाधनों या अन्य किसी रोजमर्रा की वस्तुओं का विज्ञापन भी बाजारवाद का ही हिस्सा है जो की अप्रत्यक्ष तौर पर पितृसत्ता का एक आधुनिक रूप है, क्योंकि इस बाजारवाद में स्त्रियाँ जो कुछ भी करती हैं वह पुरुषों के मनोरंजन व मनोरंजन से कुछ कम भी नहीं होता है। यथा- “नामी-गिरामी ड्रेस डिजाइनर इस स्त्री के लिए ऐसी-ऐसी ड्रेसें तैयार करते हैं कि ‘ड्रेस’ शब्द की परिभाषा ही बदल जाए- अर्थात् ड्रेस सेंस के साथ इतराती हुई स्त्री जब ‘रैंप’ पर ‘कैट-वॉक’ करती है तो पब्लिक सीटी मारकर इंडियन-वूमन को सैल्यूट करती है। आभूषण व्यापारी उसके सिर पर जगमगाता ताज रख देते हैं। फिर पान-मसाला, खैनी, गुटका और डिटरजेंट की बारी आती है। इंडियन-वूमन सबको कृतार्थ करती है। पूरा टीम-वर्क है और लीड रोल में इन्डियन-वूमन है। यह ‘रोल’, यह ‘सीन’ आपको रातोंरात बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा देगा।”^x

‘ससुराल का स्त्री-विमर्श’ इस व्यंग्य लेख में सूर्यबाला ने उस पारम्परिक व्यवहार पर व्यंग्य किया है जो की एक लड़की को नई-नई दुल्हन बनने से पहले ससुराल को विदा होते समय या पहले दिया जाने वाला ज्ञान है, जिसके तहत ससुराल जाने से पहले लड़की को ताई, चाची, मामी आदि बताती हैं कि कैसे अपनी जेठानी, ननद, देवरानी व सास आदि को अपने (बस) पक्ष में करना है- “बड़ी ताई, चाची, मामियों ने बड़े-बड़े गुण व वशीकरण सीखा के भेजा था। सास, जेठानी, देवर, ननदों को वश में करने के हजारों बार के अजमाए

पेटेंट नुस्खे घोल-घोलकर पिलाए गए थे मुझे। ताई जी ने सारे वाशिकरण मन्त्रों का रट्टा लगवाया था और धारा-प्रवाह सुनने के बाद संतुष्ट होकर कहा गया था, ‘बिट्टो’! याद रख, पहले दिन लाइन मार ली तैने न, सारी उम्र राज करेगी। सास-ननद तेरे सामने पानी भरेगी और सारा कुनबा उँगलियों पर नाचेगा।”^{xxi}

इसी तरह व्यंग्यकार सूर्यबाला ने स्त्री-विमर्श, पितृसत्ता, राजनीति, खेल, यात्रा, क्रिकेट, भारतीय रेल, साहित्य व भाषा आदि विषयों पर जमकर व्यंग्यात्मक प्रहार किये हैं।

सूर्यबाला का व्यंग्य-साहित्य एक प्रकार से समकालीन समय का दर्पण है, तथा जब हम स्वयं को दर्पण में देखते हैं तो यदि कोई विसंगति अपने चेहरे पर पाते हैं तो तुरंत उसे हटाने लग जाते हैं तथा अपने चेहरे को दुरुस्त करने में लग जाते हैं तथा अपने मन-मुताबिक दिखने की लालसा करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, तो इसी प्रकार सूर्यबाला हमें समाज को अपने व्यंग्यों के द्वारा समाज का आइना (दर्पण) दिखाती हैं ताकि समाज में फैली विसंगतियों तथा स्वयं के द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों को सुधार सकें व समाज को, विसंगति रहित बना व विसंगति रहित समाज का निर्माण कर सकें व संपूर्ण समाज में जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान प्राप्त हो सके, गरीबों, लाचारों व असहायों को उनका हक प्राप्त हो सके तथा निम्न तबके के वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटा सकें। और जहाँ स्त्रियाँ दोयम दर्जे की नागरिक न समझी जाएँ।

निष्कर्ष-

लेखिका सूर्यबाला ने पितृसत्ता के प्रतीक के तौर पर देखे जाने वाले हिंदी व्यंग्य साहित्य में न केवल अपना स्थान सुनिश्चित किया है अपितु पितृसत्ता के जमे-जमाए घर पर अपने व्यंग्यात्मक लेखों के द्वारा जबरदस्त व्यंग्य किये हैं तथा यह भी बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार स्त्रियाँ पितृसत्ता तथा पुरुष समाज के हाथों का खिलौना बन रही हैं। जिसे स्त्री व नारीवादी, स्त्री-मुक्ति व स्त्री की उन्मुक्तता कह रहे हैं वह दरअसल एक अन्य प्रकार से पितृसत्तात्मकता को पोषित करते हुए पितृसत्ता की संरचना को एक नवीन व आधुनिक ढंग से, रचित कर रही हैं व मजबूती प्रदान कर रही हैं। जिससे पितृसत्तातात्मक-व्यवस्था और भी ज्यादा अधिक जटिल बनती जा रही है। सूर्यबाला के न केवल व्यंग्य के कारण सूर्यबाला का हिंदी साहित्य में योगदान है अपितु सूर्यबाला का ‘कथा संसार’ भी सूर्यबाला का हिंदी-साहित्य को योगदान है और इस बात के गवाह हैं वह पाठक व पाठकों में बढ़ती लोकप्रियता जिसके कारण ही सूर्यबाला को व्यंग्य व कथा साहित्य पर तमाम पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं। सूर्यबाला कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण तथा व्यंग्य आदि पर अधिकारपूर्वक लिखती हैं तथा लेखन भी ऐसा गजब का कि प्रत्येक रचना अपने-आप में अनूठी व अद्वितीय रहती हैं।

सूर्यबाला के व्यंग्य पाठक पर, समाज पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं तथा प्रत्येक व्यंग्य-लेख पाठक के साथ एक रिश्ता सा बनाता चलता है, कई व्यंग्य-लेख पढ़ कर पाठक स्वयं पर शर्मिंदा भी होता है। स्वयं को बदलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं सूर्यबाला के यह सच्चाई व पवित्रता से भरे “व्यंग्य” तथा मेरी नज़र में यही सूर्यबाला का हिंदी व्यंग्य साहित्य को योगदान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

ⁱ <https://www.youtube.com/watch?v=KS25axISivY&t=515s>

ⁱⁱ धर्मयुग पत्रिका. (n.d.). व्यंग्य साहित्य के बारे में लेख.

ⁱⁱⁱ सूर्यबाला. (2015). *यह व्यंग्य कौ पंथ*. दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ. कवर पृष्ठ (ज्ञान चतुर्वेदी).

^{iv} सूर्यबाला. (2017). *मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ*. दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस. (भूमिका: "व्यंग्य में अतिरिक्त अश्लील होता है", पृ. x-xi).

^v सूर्यबाला. (2008). *भगवान ने कहा था*. दिल्ली: ग्रन्थ अकादमी. ("स्त्री उन्मुक्ति के उपलक्ष्य में...", पृ. 35).

^{vi} सूर्यबाला. (2015). *यह व्यंग्य कौ पंथ*. दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ. ("महिला दिवस और फ्रेंच टोस्ट", पृ. 102).

^{vii} सूर्यबाला. (2015). *यह व्यंग्य कौ पंथ*. दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ. ("या इलाही यह माजरा क्या है", पृ. 112).

^{viii} वही, पृ – 113.

^{ix} सूर्यबाला. (2001). *धृतराष्ट्र टाइम्स*. दिल्ली: प्रभात प्रकाशना (रचना: "हाय मैंने क्यों नहीं लिखा सीरियल", पृ. 36)

^x सूर्यबाला. (2008). *भगवान ने कहा था*. दिल्ली: ग्रन्थ अकादमी. ("स्त्री विमर्श का स्वर्ण युग", पृ. 126-127).

^{xi} सूर्यबाला. (2008). *भगवान ने कहा था*. दिल्ली: ग्रन्थ अकादमी. "ससुराल का स्त्री विमर्श", पृ. 96.

Manuscript Timeline

Submitted : April 20, 2025

Accepted : April 30, 2025

Published : June 30, 2025

महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष : रोमा रोला की दृष्टि मेंपल्लवी आनंद¹

शोध सार

‘महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष’ जीवनी के लेखक रोमा रोला गांधी के बचपन से लेकर 1922 के शुरुआती दौर को व्याख्यायित करते हैं और लेखक ने गांधी आधारित जीवनी में उनके संघर्ष, अनुभव, अहिंसा, सत्य, आत्मानुशासन जैसे तत्वों को साझा किया है। इसमें लेखक की मानवीयता, आध्यात्मिकता, सामाजिक न्याय एवं बौद्धिकता का समावेश दिखाई पड़ता है। साहित्यिक जगत में जीवनी विधा को कथेतर गद्य विधाओं के अंतर्गत स्थान दिया गया है। जीवनी के महत्व को स्वीकारते हुए कई साहित्यकारों ने अपनी लेखनी में जीवनी को सम्मिलित किया। जीवनी विधा के अंतर्गत ऐतिहासिक पुरुषों, संत-महात्मा, राजनीतिक चरित्र, विदेशी चरित्र, साहित्यकारों की जीवनी विद्यमान हैं। इस कड़ी में रोमा रोला के वैचारिक दृष्टि को जानने का प्रयास, महात्मा गांधी के जीवन एवं संघर्ष को विदेशी लेखक के माध्यम से जाना एवं समझा जायेगा। गांधी एवं रोमा रोला को नजदीक से देखने एवं एक साथ पढ़ने का प्रयास है- ‘महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष’। रोमा रोला के माध्यम से गांधी के जीवन को जानने के लिए शोधार्थी द्वारा शोध आलेख में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

बीज शब्द :- जीवनी, विश्लेषण, आंदोलन, चर्खा, शराब, गो-रक्षा, अहिंसा, सत्या, शिक्षा, समाज।

‘जीवनी’ किसी महान व्यक्तित्व के जीवन को फिर से देखने का प्रतिबिम्ब हैं। डॉ सत्येन्द्र के अनुसार: “नायक के यथार्थ क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि और वातावरण का चित्रण भी अनिवार्य होता है। नायक की प्रेरणाओं का स्रोत क्या है; और नायक से किसको कब क्या प्रेरणा मिली, उसको भी समाविष्ट करना होता है। पर इन सबमें नायक के मनोवैज्ञानिक चैतन्य अथवा उसके चेतन मन और अवचेतन मानस की सजीव रूप से, संयम से और शैली के रस से सित्त करते चित्रित करना होता है; न जीवनी को उपन्यास बनाया जा सकता है, न किसी मशीन के कार्यों का विवरण। सजीव मनुष्य की यथार्थ प्रवृत्तियों को रोचकता सहित चित्रित करना ही अभीष्ट होता है।”¹ किसी व्यक्तित्व के जीवनी लेखन के लिए लेखक में श्रद्धाभाव होना आवश्यक है उसी के साथ यथार्थ तथ्यों का आकलन एवं रोचकता जीवनी को सजीव बनाने में मदद करती है।

“जीवनी एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास है।”² जीवनी में व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी प्रमाणिक घटनाओं को लेखक रेखांकित करता है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में जीवनी की दिशा में कुछ प्रयास देखने को मिले जो की इस प्रकार से हैं:- नाभादास की भक्तमाल एवं ‘परचई साहित्य’ नाम से भक्तिकाल के भक्तों की

¹ पी-एच.डी. शोधार्थी, हिंदी साहित्य विभाग, म.गां.अं. हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)- 442001.

मो.- 8447518757; ईमेल : kumarikinni@gmail.com

जीवनियाँ मिलती हैं। “वस्तुतः जीवनी-लेखन का कार्य भारतेन्दु युग से प्रारम्भ हुआ। स्वाधीनता के बाद जीवनी-साहित्य उत्कर्ष की ओर बढ़ा। भारतेन्दु ने स्वयं ‘चरितावली’, ‘पंच पवित्रात्मा’, ‘बँदी का राजवंश’ आदि ऐसे ग्रंथ लिखे जिनसे जीवनी-विधा के तत्व विद्यमान हैं। राधाकृष्ण, बालमुकुंदगुप्त, कार्तिक प्रसाद खत्री आदि लेखकों ने भी इस दिशा में प्रयास किया।”ⁱⁱⁱ महान व्यक्तित्व को आधार बनाकर अनेक जीवनियाँ लिखी गईं, जिससे जन समुदाय में सुधार की लहर आई। महापुरुषों की जीवनियों में सर्वाधिक महात्मा गांधी पर लिखा गया है। अन्य महापुरुषों में स्वामी दयानन्द, स्वामी रामकृष्ण, क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जननायक जवाहरलाल नेहरू, आदि वही दूसरी ओर ऐतिहासिक महापुरुषों को आधार बना कर जीवनियाँ लिखी गईं जैसे शिवाजी, लक्ष्मीबाई, राणाप्रताप आदि तथा विदेशी चरित्र जैसे कार्ल मार्क्स, अब्राहम लिंकन इत्यादि पर भी अनेक जीवनियाँ लिखी गईं।

“केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।”^{iv} राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की ये पंक्तियाँ जीवनी के अर्थ में सटीक बैठती हैं। जीवनी विधा का केंद्र भाव यही रहा की महान व्यक्तित्वों के माध्यम से पाठक वर्गों को उपदेश मिल सके।

महात्मा गांधी केंद्रित जीवनियों को संतचरित्र जीवनी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया क्योंकि महात्मा गांधी राजनीति में महापुरुष साथ ही संत थे। महात्मा गांधी केंद्रित जीवनी साहित्य भारतीय लेखकों एवं विदेशी लेखकों द्वारा सर्वाधिक रूप में प्राप्त होता है। “कहा तो ये भी जाता है कि बाइबल के बाद सबसे अधिक मोहनदास करमचंद गांधी पर लिखा गया है।”^v महात्मा गांधी अपने विचारों एवं सिद्धांतों के कारण हर काल हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से दुनिया भर में शांति, अहिंसा, और सत्य के लिए लोगों को प्रेरित किया। भारत एवं विदेशों में आज भी गांधी के विचारों एवं सिद्धांतों का उपयोग हिंसा रहित आंदोलनों के लिए किया जाता है।

‘महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष’ जीवनी के लेखक रोमा रोला ने महात्मा गांधी का जीवन परिचय देते हुए, उनके कार्यों को दो कालों में विभाजित करके लिखते हैं। पहला 1893 से 1914 तक के जीवनकाल में वे महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के सम्पूर्ण जीवनकाल को विस्तारपूर्वक उद्धृत करते हैं। दूसरा 1914 से 1922 तक के जीवन को साउथ अफ्रीका से वापसी एवं भारत को आजाद कराने हेतु उनके योगदान एवं संघर्ष को उद्धृत करते हैं। लेखक की मानवीयता, आध्यात्मिकता, सामाजिक न्याय, बौद्धिकता एवं उनका अपना अनुभव पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। रोमा रोला का जन्म 21 जनवरी 1866 को मध्य फ्रांस के एक गाँव में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पेरिस और रोम में प्राप्त की पश्चात सूरबन विश्वविद्यालय पेरिस में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने लिओ तालस्तोय, महात्मा गांधी, माइकल एंजेलो, रामकृष्ण, विवेकानंद आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनियाँ लिखी। रोमा रोला ने कई पुस्तकों की रचना की उसमें से ‘जीन क्रिस्टोफ़े’ एक महाकाव्य के रूप में है जिसे दस भागों में प्रकाशित किया है। रोमा रोला को 1915 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

किसी भी महान एवं प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन अपने आप में एक नई उमंग एवं ऊर्जा से भर देने की क्षमता रखता है। जब हम गांधी, कस्तूरबा, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, प्रेमचंद, आदि की जीवनियों एवं उनके जीवन के संघर्ष तथा कार्यों को जीवनी के माध्यम से पढ़ते हैं तो अपने-आप उनके जैसा बनने एवं उनसे प्रेरणा लेकर हम भी हर स्थिति से लड़ पाने की इच्छा-शक्ति जुटा पाते हैं।

यह जीवनी ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, लाभदायक एवं उपयोगी जीवनियों में से एक है। रोमा रोला ने महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े सभी तत्वों को इस जीवनी में उल्लेखित किया है। महात्मा गांधी के संघर्ष, अनुभव, अहिंसा, सत्य, आत्मानुशासन जैसे तत्वों को साझा किया है। इस जीवनी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीनों भागों में महात्मा गांधी से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। महात्मा गांधी के जन्म तिथि एवं जन्म स्थान से लेकर वो व्यापारिक घराने से थे इसका वर्णन एवं गांधी के पिता और पितामह जन नेता थे जिस कारण उन्हें राजदंड भी भोगना पड़ा आदि चर्चाएं भी मिलती हैं। महात्मा गांधी के पिता जैन मत के हिन्दू थे और अहिंसा उनके लिए सर्वोपरि था और इसी सिद्धांत की चर्चा गांधी जी ने पूरे देश-विदेश में की जो आज भी प्रासंगिक है। भौतिक संपत्ति की परवाह बहुत कम करने के कारण गांधी जी के पिता ने अपनी सभी संपत्ति को दान के रूप में बाँट दिया था। रोमा रोला ने गांधी जी की माता को हिंदुओं में सेंट एलिजाबेथ नाम से संबोधित किया है। उनके रूप रंग से लेकर उनके रहन-सहन तथा उनके विभिन्न कार्यों से होते हुए गांधी आखिर क्यों महात्मा गांधी है का पता चलता है। “बंकिम भौहों तले श्यामल नेत्र, दुर्बल देह, पतला चेहरा, सर पर सफ़ेद टोपी, खादी के वस्त्र, नंगे पैर”^{vi} रोमा रोला गांधी के शारीरिक ढाँचे को व्याख्यायित करते हुए उनके जीवनचर्या को भी उल्लेखित करते हैं जैसे कि महात्मा गांधी ज़मीन पर सोते थे और बहुत कम सोते थे, महात्मा गांधी लगातार काम करने के पक्ष में थे। गांधी आधारित इस जीवनी के माध्यम से ये भी मालूम चलता है कि गांधी कैसे अपने सभी सिद्धांतों को खुद जीते भी थे। “वे किसी भी त्रुटि को छिपाने का प्रयत्न नहीं करते, अपनी गलती स्वीकार करने में वे निर्भय और निःसंकोच हैं... विशेष सुख उन्हें आत्मगत होकर आंतरिक संदेश के सुनने से प्राप्त होता है”^{vii} गांधी अपने शुरुआती दिनों में मूर्ति पूजा से निराश एवं उदासीन होकर खुद को अनीश्वरवादी समझने लगे एवं मांस तक खाना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन बाद में अपनी इस कृत्य के लिए उन्हें बहुत असंतोष एवं वेदना का एहसास हुआ। इस बात की पुष्टि के लिए रोमा रोला ने गांधी और जोसेफ डोक की बातों को उद्धृत किया है। महात्मा गांधी को इस बात का अफसोस था कि संस्कृत के एक अच्छे ज्ञाता नहीं बन सके लेकिन वहीं दूसरी ओर हिन्दू धर्म ग्रंथों का उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। महात्मा गांधी को पढ़ने एवं समझने वाले सभी पाठक वर्ग इस बात से अवगत होंगे कि महात्मा गांधी का विवाह मात्र 12 वर्ष में कस्तूरबा से कर दी गयी। विवाह के बाद 19 वर्ष की आयु में लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गांधी जी का पिता जैन मत के अनुयायी थे जिस कारण से गांधी जी की माता ने गांधी के इंग्लैंड जाने से पहले जैनियों की तीन शपथ दिलाती है। “भारत छोड़ने से पहिले उनकी माँ ने उन्हें जैनियों की तीन शपथें खिलाई जो कि मदिरा, मांस और मोहिनी से बचने के तात्पर्य वाली हैं”^{viii} सन् 1888 में गांधी जी लंदन पहुंचते हैं जिसके बाद उन्होंने अपना अधिक समय एवं धन अंग्रेज बनने में गवां दिये। लेकिन खुद पर नियंत्रण एवं

सख्ती से खुद को बदल पाने में सफलता हासिल करते हैं। इस बात से आज के युवा वर्ग को एक सीख लेनी चाहिए की गलतियाँ सब से होती हैं लेकिन उस गलती से समय रहते सीख लेकर अपने आप को सही राह एवं सही कार्यों में झोंक देना चाहिए। गांधी जी को इंग्लैंड में रहते हुए गीता की महानता एवं मधुरता का एहसास होता है।

महात्मा गांधी इंग्लैंड जाने के बाद जब पहली बार भारत वापसी करते हैं तो उनके लिए वो वापसी शोक से भरा होता है क्योंकि उसी दौरान उनकी माता का देहावसान हुआ था और इस बात को उनसे छुपा कर रखा गया था।

“दो व्यक्तियों से वे बहुत ही प्रभावित हुये। उनमें से एक थे बम्बई के बेताज के बादशाह दादाभाई नौरोजी और दूसरे प्रोफेसर गोखले”^{ix} दादाभाई नौरोजी ने गांधी को ‘वीरतापूर्ण असहयोग’ और ‘अहिंसा’ का पाठ पढ़ाया और इसी पाठ को गांधी जी ने अपना सिद्धांत बनाकर भारत देश को आजादी दिलायी। गांधी के लिए गोखले और दादाभाई नौरोजी महान व्यक्ति के रूप में थे और उनके अनुयायी भी थे क्योंकि उन्होंने कहा है कि युवाओं को इनकी पूजा करनी चाहिए। “आजकल के लोग, दुर्भाग्य वश इन दोनों व्यक्तियों को भूल से गए हैं। इनके कार्यों का महत्व भुला दिया गया है। पर गांधी जी ने इनके महत्व को कभी नहीं भुलाया। विशेषतः गोखले के प्रति तो उनका प्रगाढ़ और धार्मिक प्रेम था। वे अक्सर कहा करते हैं कि गोखले और दादाभाई ऐसे महान व्यक्ति हैं कि युवक भारत को इनकी पूजा करनी चाहिए”^x

महात्मा गांधी के कार्यों को दो प्रकार से विभाजित करके देखा जा सकता है पहला साउथ अफ्रीका प्रवास एवं दूसरा भारत आगमन के बाद का समय।

साउथ अफ्रीका में बसे भारतवासियों से गोरी जाति के लोगों को घृणा थी और जिसके पक्ष में स्थानीय सरकार ने कानून भी बना रखे थे। इस अत्याचार के कारण अफ्रीका में बसे भारतीयों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 1893 में साउथ अफ्रीका के उसी हालात में महात्मा गांधी का आगमन एक वकील के रूप में होता है। इस हालात से महात्मा गांधी बेखबर थे। साउथ अफ्रीका पहुँचने के पश्चात गांधी जी को अपमान और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। “नैटाल और विशेषकर डच ट्रान्सवाल में उन्हें लोगों ने होटलों के बाहर निकालकर फेंक दिया और उन्हें पीटा भी”^{xi} अफ्रीका में एक साल रहने एवं अपने मुकदमे की समय सीमा पूर्ण होते ही जब महात्मा गांधी भारत वापसी की तैयारी में थे तभी उन्हें मालूम चलता है कि साउथ अफ्रीका की सरकार भारतीयों को वोट नहीं देने वाली बिल को पास करने वाली है। भारतवासियों को इस परिस्थिति में छोड़कर जाने के हक में महात्मा गांधी नहीं थे। यही से गांधी जी आम जन-मानस की आवाज बनकर उभरते हैं। स्थानीय सरकार द्वारा पारित बिल को गांधी जी ने सर्व प्रथम गैर-कानूनी करार दिया जिसमें उन्हें सफलता मिली। नैटाल में इंडियन काँग्रेस की स्थापना के साथ-साथ भारतीय शिक्षा का एक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इंडियन ओपीनियन नामक अखबार का सम्पादन करते हैं। अफ्रीका में महात्मा गांधी का वकालत बहुत अच्छा चलने लगा था जिसके बाद उनकी कमाई भी अच्छे स्तर की हो रही थी। “गोखले कहते हैं कि गांधी जी उस समय पाँच या छः हजार पाउंड सालाना पैदा करते थे”^{xii} लेकिन इतने पैसे एवं चलती

वकालत को छोड़ कर उन्होंने भारतवासियों एवं गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सन् 1904 में जोहान्सबर्ग में प्लेग महामारी फैलने के बाद महात्मा गांधी ने महामारी से बचने के लिए अस्पताल की व्यवस्था की लेकिन गांधी जी की इस प्रकार की समाज सेवा के बाद भी गोरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोरों द्वारा गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाता था। “किसी भी प्रकार की पीड़ा एवं दंड के कारण गांधी जी ने अपना आदर्श नहीं छोड़ा”^{xiii} रोमा रोला ने लिखा है कि “अपने ऊपर किए गए हर अत्याचार का एकमात्र उत्तर उन्होंने 1908 में छपी हुई ‘हिन्द स्वराज’ नामक पुस्तक में दिया। यह पुस्तिका वीरतापूर्ण प्रेम की एक अनुपम गीता है”^{xiv} भारतीयों के विरुद्ध पास हुए कानून को 1914 में वापस लिया जाता है। सरकारी कमीशन ने गांधी जी का साथ दिया एवं अंत में इच्छुक भारतीयों को बसने की आजादी मिल जाती है। 20 वर्ष के इस युद्ध में गांधी जी को सफलता अपने असहयोग आंदोलन के माध्यम से मिलती है।

जीवन के एक आंदोलन को लड़ कर एवं जीत हासिल करके दूसरे आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश होता है। गांधी जी का आगमन भारत में सन् 1915 में होता है। भारत में कुछ करने से पहले महात्मा गांधी ने भारतीय स्थिति को समझना एवं अध्ययन करना अनिवार्य समझा। भारत उस दौरान लॉर्ड कर्जन की नीति से परेशान था और गरम दल की आक्रमणशील नीति भारत में खूब फैल रही थी। भारतीय समुदाय के कुछ लोगों में होमरूल या स्वराज को लेकर सहमति थी तो कुछ वर्गों में मतभेद भी। भारतीय व्यवस्था एवं अंग्रेजों की कूटनीति को समझने के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसी असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने सत्याग्रह का नाम दिया। “भारत में प्रत्येक अंग्रेज को संबोधित करके जो पत्र उन्होंने 1890 में लिखा उसमें उन्होंने इस बात पर काफी जोर डाला है। उन्होंने चार बार इंग्लैंड के लिए अपनी जान खतरे में डाली और 1923 तक अंग्रेजों की सहायता करने में उन्हें पूर्ण विश्वास था। पर अब उनकी आशाएँ पूरी न हुईं और अब वे ऐसा विचार कभी भी नहीं रख सकते थे”^{xv} महात्मा गांधी द्वारा किये सभी आंदोलनों का केंद्र भाव अहिंसा हुआ करता था। अध्यात्म को मानते हुए भी उसमें छिपी गलतियों एवं कुरीतियों के सख्त खिलाफ थे। रामायण और गीता उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक हैं। “मुझे उतनी प्रसन्नता कभी नहीं होती जितनी रामायण की चौपाइयों या गीता के श्लोकों के सुनने पर होती है”^{xvi} महात्मा गांधी के ऊपर अनेक पुस्तकों का प्रभाव रहा है जैसे ‘न्यू टेस्टामेन्ट’, ‘द किंगडम ऑफ गोड इज विदिन यू’, ‘ह्वाट इज आर्ट?’, ‘लेटर टु ए हिन्दू’ आदि। गांधी जी के लिए गो रक्षा बहुमूल्य कार्यों में से एक है। “पशु का आदर और श्रद्धा करने से मनुष्य अपने वर्ग से कुछ और ऊपर उठकर जीतने भी जीवित प्राणी संसार में हैं, उन सब की श्रद्धा का पात्र बन जाता है”^{xvii} महात्मा गांधी द्वारा माने गए वर्ण-व्यवस्था के केंद्र में कर्तव्य विद्यमान है। उनके द्वारा वर्ण-व्यवस्था में भेद-भाव या ऊँच-नीच का स्थान नहीं है। रोमा रोला अपनी पुस्तक में इस को स्पष्ट करते हैं कि वर्ण-व्यवस्था त्याग पर आधारित है न कि अधिकार पर। उनके द्वारा किये गए सभी कार्यों में महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य कार्य था अछूतों का उद्धार जिसके लिए उन्होंने एक अछूत बालिका को गोद भी लिया था। “मैं टुकड़े-टुकड़े भले हो जाऊँ पर अपने अछूत भाइयों को छोड़ नहीं सकता। मैं फिर पैदा नहीं होना चाहता, पर यदि मैं कभी पैदा होऊँ तो मेरी इच्छा है कि मैं अछूत के रूप में पैदा होऊँ, जिससे कि मैं उनके दुःख सुख में हिस्सा बँटा सकूँ और उनको इस दुःखमय अवस्था से ऊपर उठा सकूँ”^{xviii}

अंग्रेजों द्वारा किये गए अत्याचार का जवाब गांधी जी उन सभी उपाधि को लौटा कर देते हैं जो अंग्रेजों ने उन्हें सम्मान के रूप में दिया था। 'कैसर-ए-हिन्द', 'जुलूवार मेडल' और 'बूअर मेडल' जैसे सम्मान को उन्होंने अपने देश के लिए त्याग दिया। गांधी जी शराबबंदी एवं बहिष्कार को अपने आंदोलन के सिद्धांत में जोड़ते हैं। उसी के साथ-साथ 'विदेशी माल का बॉयकाट', 'चर्खा प्रचार' और 'स्वदेशी ही खरीदने का प्रचार' करते हैं।

सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्रत शुद्ध, अस्तेय व्रत, त्याग-व्रत, स्वदेशी, निर्भीकता, जैसे तत्वों का प्रचार प्रसार अपने कार्यों के माध्यम से लगातार गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी की शिक्षा-प्रणाली में जीवन शैली से लेकर ज्ञान, विज्ञान एवं समाज सेवा जैसे महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे।

रोमा रोला ने अपनी पुस्तक में गांधी से जुड़े सभी तत्वों को बहुत बारीकियों से उकेरा है। उनके जन्म से लेकर सन् 1922 जिसमें मुख्य रूप से हैं 'चंपारण आंदोलन', 'खेड़ा आंदोलन', और 'असहयोग आंदोलन' के साथ-साथ 'स्त्री उद्धार' तथा 'टैगोर और गांधी के बीच के संबंध' आदि जैसे सभी पहलुओं पर चर्चा की है। साधारण मनुष्य से लेकर महात्मा तक का सफर गांधी जी ने तय किया जिसे रोमा रोला ने एक ऐतिहासिक जीवनी परक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

i. भाटिया, डॉ. कैलाशचंद्र. भाटिया, रचना. (1996). साहित्य में गद्य की नई विविध विधाएँ. नई दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन. पृ. 64.

ii वही. पृ. 65.

iii भाटिया, डॉ. कैलाशचंद्र. भाटिया, रचना. (1996). साहित्य में गद्य की नई विविध विधाएँ. नई दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन. पृ. 65 .

iv <https://www.hindwi.org/khand-kavya/udbodhan-maithilisharan-gupt-khand-kavya>

v अशोक कुमार, पांडेय. (2020). उसने गांधी को क्यों मारा. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. पृ. 9.

vi रोला, रोमा. (1947). महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय महापुरुष. इलाहाबाद : सेंट्रल बुकडिपो. पृ. 1.

vii वही. पृ. 2.

viii वही. पृ. 4.

ix रोला, रोमा. (1947). महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय महापुरुष. इलाहाबाद : सेंट्रल बुकडिपो. पृ. 6.

x वही. पृ. 6.

xi वही. पृ. 8.

xii रोला, रोमा. (1947). महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय महापुरुष. इलाहाबाद : सेंट्रल बुकडिपो. पृ. 9.

xiii वही. पृ. 10.

xiv वही. पृ. 10-11.

xv वही. पृ. 14.

xvi वही. पृ. 20.

xvii वही. पृ. 23.

xviii रोला, रोमा. (1947). महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय महापुरुष. इलाहाबाद : सेंट्रल बुकडिपो. पृ. 25.

Manuscript Timeline

Submitted : April 27, 2025

Accepted : May 10, 2025

Published : June 30, 2025

स्त्री शिक्षा का गुणात्मक अध्ययन : वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य मेंप्रियंका भारती¹

सारांश

यह शोधलेख वैदिक कालीन स्त्री शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि वैदिक युग (1500 ई.पू.-500 ई.पू.) में स्त्रियों को शिक्षा, दार्शनिक विमर्श, धार्मिक अनुष्ठान एवं समाज में सक्रिय भागीदारी का अधिकार प्राप्त था। इस युग की स्त्रियाँ जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा आदि न केवल विदुषी थीं, बल्कि शिक्षिका और वैदिक साहित्य की रचयिता भी थीं। लेख में स्त्री शिक्षा के दो प्रमुख प्रकार—ब्रह्मविदिनी और साद्योद्वाहा—का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि गुरुकुल प्रणाली, श्रवण-मनन-निदिध्यासन की पद्धति, और पारिवारिक शिक्षा की परंपरा स्त्रियों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध थी। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक रूढ़ियों के प्रभाव से स्त्रियों की शैक्षिक स्वतंत्रता सीमित होने लगी। यह अध्ययन आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के सामाजिक संदर्भ को वैदिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास करता है तथा यह प्रमाणित करता है कि स्त्री शिक्षा भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा रही है, न कि केवल आधुनिक आंदोलन की उपज।

मुख्य बिंदु- वैदिक कालीन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता, सामयिक प्रासंगिकता।

प्रस्तावना-

वैदिक कालीन भारत में शिक्षा को सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता था। इस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति और उसकी भूमिका पर गहन विचार विमर्श आवश्यक है क्योंकि स्त्रियाँ न केवल परिवार की, बल्कि समाज की संरचना में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं (जोशी, 2024)। स्त्री शिक्षा का उद्देश्य केवल गृहस्थ जीवन की सीमाओं में सीमित नहीं था, बल्कि उसे बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने का माध्यम था (कुमार एंड देवी, 2021)। आधुनिक समय में भी जब महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बढ़ रही है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से सीखना हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है (मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, 2020)। भारत की प्राचीन संस्कृति में शिक्षा का अत्यंत उच्च स्थान रहा है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक ज्ञान को आत्मा का प्रकाश कहा गया है—“सा विद्या या विमुक्तये” इस महान शैक्षिक परंपरा का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि स्त्रियाँ भी इस ज्ञान यात्रा की सक्रिय सहभागी थीं। वैदिक काल (लगभग 1500 ई.पू. – 500 ई.पू.) को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें समाज अपेक्षाकृत अधिक समतावादी, बौद्धिक और धार्मिक रूप से उदार रहा। विशेष रूप से स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था और

¹ पी-एच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा (महाराष्ट्र)- 442001.

ई-मेल. - priyankabharti247@gmail.com

वे धार्मिक, दार्शनिक, वैदिक व सामाजिक विमर्शों में भाग लेती थीं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, घोषा जैसी ऋषिकाओं के नाम इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि स्त्रियाँ वेदों की रचयिता, तत्वज्ञानी और अध्यापिका भी थीं। उन्होंने न केवल ज्ञान का अर्जन किया, बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डाला। वे यज्ञों में मंत्रोच्चार करती थीं, धर्मविचार में भाग लेती थीं और कई बार पुरुष विद्वानों को दार्शनिक शास्त्रार्थ में पराजित भी करती थीं।

वैदिक काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्त्री शिक्षा की सामाजिक स्थिति :

वैदिक युग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य-

वैदिक काल, भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में से एक है, जिसे सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है—प्रारंभिक वैदिक काल (1500 ई.पू.–1000 ई.पू.) और उत्तर वैदिक काल (1000 ई.पू.–600 ई.पू.)। इस युग का प्रमुख स्रोत साहित्यिक सामग्री है, जिसमें चार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद), ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और उपनिषद शामिल हैं। ऋग्वेद, जो इस युग का सबसे पुराना ग्रंथ है, स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्रदान करता है। उसमें न केवल स्त्रियों को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिखाया गया है, बल्कि उन्हें संवाद, यज्ञ, शिक्षा और दार्शनिक विमर्श का अधिकार भी प्राप्त था।

वैदिक समाज की संरचना में स्त्री-

वैदिक समाज मूलतः पितृसत्तात्मक होते हुए भी स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, विवाह और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी की स्वतंत्रता प्रदान करता था। स्त्रियाँ उपनयन संस्कार के माध्यम से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करती थीं और वेद, दर्शन, नीति, गणित, खगोल और संगीत जैसे विषयों का अध्ययन करती थीं।

सामाजिक मान्यताएँ और स्त्रियों की भागीदारी-

- **समानता का सिद्धांत:** वैदिक काल के धर्मसूत्रों और ऋचाओं में स्त्रियों और पुरुषों के बीच ज्ञान और कर्म के क्षेत्र में कोई विशेष भेद नहीं किया गया।
- **वैवाहिक स्वतंत्रता:** स्त्रियों को स्वयंवर की स्वतंत्रता थी। विवाह उपरांत भी वे अध्ययन में सक्रिय रहती थीं, जैसे मैत्रेयी और गार्गी।
- **धार्मिक भागीदारी:** स्त्रियाँ यज्ञों में सह-यजमान की भूमिका निभाती थीं और मंत्रों का उच्चारण करती थीं। "पत्नी सह धर्मचारिणी" की धारणा उसी समय से चली आई।

वैदिक साहित्य में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार स्पष्ट रूप से मिलता है। ऋग्वेद और उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि वे धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विषयों में पारंगत थीं (नन्दा, 2019)। इन स्त्रियों ने अपने समय के पुरुष ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किए और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया (शर्मा एंड रानी, 2023)। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को दो प्रमुख श्रेणियों—ब्रह्मवदिनी और साद्योद्वाहा—में वर्गीकृत किया गया था। *ब्रह्मवदिनी* वे स्त्रियाँ थीं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद, उपनिषद और दर्शन का गहन अध्ययन करती थीं। इनमें गार्गी वाचक्मवी,

मैत्रेयी, लोपामुद्रा और सुलभा जैसी विदुषियाँ सम्मिलित थीं, जिन्होंने न केवल वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि गूढ़ दार्शनिक चर्चाओं में भी भाग लिया (शर्मा, 2021)। दूसरी ओर, साद्योद्वाहा वे स्त्रियाँ थीं जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थीं। यद्यपि वे ब्रह्मविद्या में दीक्षित नहीं होती थीं, फिर भी वे धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक रूप से शिक्षित होती थीं, जिससे वे समाज में सुसंस्कारित योगदान दे सकती थीं (देवी, 2020)।

वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली मुख्यतः गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, जहाँ स्त्रियाँ अपने पिता, भाई या ऋषि के आश्रम में रहकर अध्ययन करती थीं। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया श्रुति और स्मृति की मौखिक परंपरा पर आधारित थी (त्रिपाठी, 2019)। स्त्रियों को वेद, उपनिषद, संस्कृत व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य और धर्म-दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उदाहरणस्वरूप, गार्गी वाचकनवी ने बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविद्या पर गूढ़ प्रश्न किए, जिससे उनकी गहन विद्वत्ता का परिचय मिलता है (बृहदारण्यक उपनिषद, 3.6)। मैत्रेयी, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थीं, उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांतों पर गंभीर संवाद किया था। इसके अतिरिक्त, ऋग्वेद की कवयित्रियाँ अपाला, घोषा और लोपामुद्रा ने वैदिक ऋचाओं की रचना कर महिला बौद्धिकता का प्रमाण प्रस्तुत किया (ऋग्वेद, मण्डल 10)।

इस स्त्री शिक्षा का व्यापक सामाजिक प्रभाव भी था। ब्रह्मविदिनी स्त्रियाँ केवल स्वयं शिक्षित नहीं थीं, बल्कि वे अन्य छात्राओं को भी शिक्षित करती थीं, जिससे ज्ञान की श्रृंखला बनी रहती थी (जोशी, 2022)। धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी भागीदारी दर्शाती है कि स्त्रियाँ केवल यजमान की भूमिका तक सीमित नहीं थीं, बल्कि सक्रिय ऋत्विज भी होती थीं। स्त्री-पुरुष समान शिक्षा प्राप्त करते थे, जिससे वैदिक समाज में वैवाहिक संबंध अधिक संवादात्मक और बौद्धिक रूप से समृद्ध होते थे (कुमार, 2018)। इस प्रकार, वैदिक युग में स्त्री शिक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत उत्थान का माध्यम थी, बल्कि समग्र सामाजिक चेतना और धार्मिक समरसता की वाहक भी थी।

उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति-

जैसे-जैसे वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में संक्रमण हुआ, समाज में ब्राह्मणीय रूढ़ियों और वर्णाश्रम धर्म का प्रभाव बढ़ा। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में स्त्रियों के लिए शिक्षा को सीमित करने के संकेत मिलते हैं। स्त्रियों के उपनयन संस्कार को निषिद्ध किया जाने लगा और उनका स्थान मुख्यतः घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा में स्त्रियों की भागीदारी धीरे-धीरे कम होती गई।

वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएँ व शिक्षण पद्धतियाँ-

वैदिक युग में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का संपूर्ण साधन थी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति (मोक्ष) तथा धर्म-आर्थिक-सांस्कृतिक कर्तव्यों की पूर्ति करना था। इस युग में कोई भी "शिक्षा संस्था" आज की

तरह औपचारिक नहीं थी, किंतु गुरुकुल प्रणाली, आश्रम परंपरा, और पारिवारिक शैक्षिक वातावरण जैसे ढाँचे विद्यमान थे। इसमें स्त्रियाँ भी यथोचित भागीदारी करती थीं।

वैदिक काल में स्त्री शिक्षा और गुरुकुल परंपरा एक ऐसी प्रगतिशील अवधारणा थी, जिसमें स्त्रियों को न केवल शिक्षित होने का अधिकार था, बल्कि वे शिक्षिका की भूमिका में भी अग्रणी थीं। गुरुकुल प्रणाली, जो उस समय की मुख्य शैक्षिक व्यवस्था थी, छात्रों को नैतिक अनुशासन, सेवा, श्रवण और स्वाध्याय की विधियों के माध्यम से शिक्षित करती थी। यह शिक्षा मौखिक होती थी, और 'श्रुति' तथा 'स्मृति' पर आधारित होती थी (शर्मा, 2021)। अधिकांश गुरुकुल वैदिक ऋषियों के आश्रमों में होते थे, परंतु ब्रह्मविदिनी स्त्रियाँ, जैसे गार्गी और मैत्रेयी, इन गुरुकुलों की संचालिका और शिक्षिका दोनों थीं। उन्हें *उपनयन संस्कार* के माध्यम से वेदाध्ययन का औपचारिक अधिकार भी प्राप्त होता था (त्रिपाठी, 2019)।

गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषय व्यापक और गहन होते थे—जैसे वेद, उपनिषद, वेदांग, संस्कृत भाषा, गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, नीति, धर्मशास्त्र, संगीत और कलाएँ। स्त्रियाँ इन सभी विषयों में पारंगत होती थीं, और ज्ञान की तीन पद्धतियों—*श्रवण*, *मनन*, और *निदिध्यासन*—का अभ्यास करती थीं (देवी, 2020)। गार्गी और मैत्रेयी जैसे उदाहरण बताते हैं कि स्त्रियाँ शास्त्रार्थ और दर्शन के संवादों में सक्रिय भागीदारी करती थीं, जो वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च रूप था (बृहदारण्यक उपनिषद, 3.6)। इसके साथ-साथ, पारिवारिक शिक्षा प्रणाली भी स्त्री शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग थी। प्रारंभिक शिक्षा बालिकाओं को उनके परिवार में दी जाती थी, जहाँ माताएँ उन्हें नीति, व्यवहार, गृहविज्ञान और धार्मिक क्रियाओं का प्रशिक्षण देती थीं। यदि परिवार वैदिक परंपरा को मानता था, तो बालिकाओं को मंत्र और यज्ञकर्म की शिक्षा भी दी जाती थी (कुमार, 2018)।

वैदिक स्त्रियाँ केवल शिक्षार्थी नहीं थीं, वे सक्रिय शिक्षिका भी थीं। ब्रह्मविदिनी स्त्रियाँ उपनिषद, वेद और दर्शन का ज्ञान अन्य छात्राओं को देती थीं। गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा ने इस भूमिका को बखूबी निभाया (जोशी, 2022)। साथ ही, वे धार्मिक विधियों और अनुष्ठानों में प्रशिक्षिका के रूप में भी योगदान करती थीं। स्त्री शिक्षा का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान या ब्रह्मविद्या की प्राप्ति ही नहीं था, बल्कि वह स्त्रियों को गृहस्थ जीवन के लिए मानसिक, नैतिक और शारीरिक रूप से तैयार करना था। साथ ही, धर्म, यज्ञ और समाज को नैतिक दिशा देने में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य था (शर्मा, 2021)।

हालाँकि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, फिर भी इसमें कुछ सीमाएँ थीं। विशेष रूप से यह शिक्षा ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे उच्च वर्गों तक सीमित थी। श्रमिक वर्ग या ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियाँ इस शैक्षिक सुविधा से वंचित रहती थीं (त्रिपाठी, 2019)। यह सामाजिक असमानता, उस युग की शिक्षा-व्यवस्था की प्रमुख चुनौती थी। इस प्रकार, वैदिक स्त्री शिक्षा केवल धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन तक सीमित न होकर एक समाज-संस्कारक व्यवस्था के रूप में विकसित थी, जहाँ स्त्रियाँ ज्ञान की धारक, दायिनी और मार्गदर्शिका थीं।

वैदिक काल में जहाँ स्त्रियाँ विदुषी, ब्रह्मवादिनी, ऋषिका और शिक्षिका के रूप में शिक्षा, धर्म और समाज का सशक्त हिस्सा थीं, वहीं उत्तरवैदिक काल आते-आते स्त्री शिक्षा की स्थिति में गंभीर गिरावट दिखाई देने लगी। इस गिरावट का प्रमुख कारण केवल सामाजिक नहीं था, बल्कि यह धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का भी परिणाम था। उत्तरवैदिक युग में वर्णाश्रम व्यवस्था अधिक कठोर हो गई और इसके प्रभाव से स्त्रियों की शिक्षा सीमित कर दी गई। ब्राह्मण कुल की कुछ स्त्रियों को ही शिक्षा का सीमित अवसर मिल सका, जबकि “स्त्री” और “शूद्र” को वेदाध्ययन से वंचित रखने की प्रवृत्ति प्रबल हो गई (शर्मा, 2021)। इसके साथ ही पितृसत्तात्मक सोच भी समाज में गहराने लगी, जहाँ स्त्री को 'पतिव्रता', 'सेविका' और 'पाल्य' के रूप में देखने की धारणा बन गई। इससे स्त्रियों की स्वतंत्रता और बौद्धिक क्षमताओं पर संदेह किया जाने लगा (त्रिपाठी, 2019)।

धार्मिक दृष्टि से भी इस युग में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण अधिक सीमित और प्रतिबंधात्मक हुआ। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथों में स्त्री को शिक्षा से दूर रखने के विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए, जैसे कि “न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति” और “स्त्रियाँ वेद पाठ न करें।” इन विचारों ने समाज में यह धारणा स्थापित की कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर तक सीमित है और वेदाध्ययन, शास्त्रार्थ, तथा यज्ञ जैसे ज्ञानकेंद्रित क्रियाकलाप उनके लिए नहीं हैं (मनुस्मृति, 2.213)। उपनयन संस्कार, जो वेदाध्ययन की पूर्वशर्त थी, उसे भी स्त्रियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप वे वैदिक कर्मकांडों, संवाद परंपरा और दार्शनिक विमर्श से वंचित हो गईं।

उत्तरवैदिक काल में बाल विवाह की परंपरा भी प्रारंभ हुई, जिससे स्त्रियों की शिक्षा बाधित हुई। छोटी उम्र में विवाह होने से न केवल उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि शिक्षा का अवसर भी उनसे छिन गया (देवी, 2020)। विधवाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई क्योंकि समाज में पुनर्विवाह निषिद्ध होने से वे सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक निर्भरता की शिकार हो गईं। शिक्षा से वंचित इन स्त्रियों के पास आत्मनिर्भर बनने का कोई साधन नहीं बचा। राजनीतिक अस्थिरता और मौर्य तथा उत्तरमौर्य काल, साथ ही महाजनपदों के युद्ध, समाज में शिक्षा के प्रति रुचि और संसाधनों को सीमित करने लगे। शिक्षा केवल विशिष्ट वर्गों और पुरुषों तक सीमित रह गई। आगे चलकर मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों के प्रभाव से पर्दा प्रथा, सामाजिक असुरक्षा और धार्मिक भय ने स्त्री शिक्षा को और अधिक बाधित किया। स्त्रियों को घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया गया और गुरुकुलों तथा विद्यालयों में उनकी पहुँच लगभग समाप्त हो गई (कुमार, 2018)।

इस सम्पूर्ण परिवर्तन का स्त्रियों पर व्यापक दुष्परिणाम पड़ा। एक ओर वे समाज के नीति-निर्माण, धार्मिक नेतृत्व और सांस्कृतिक संवाद से कट गईं, तो दूसरी ओर आर्थिक और वैचारिक दृष्टि से पूर्णतः पराधीन बन गईं। उनकी भूमिका केवल पत्नी और माता तक सिमट कर रह गई, जबकि विदुषी, शिक्षिका या नेता के रूप में उनकी उपस्थिति लगभग विलुप्त हो गई। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और लैंगिक असमानता को इस अशिक्षा से बल मिला (जोशी, 2022)। फिर भी, इस अंधकारमय काल में कुछ अपवाद अवश्य दिखाई देते हैं।

बौद्ध और जैन परंपराओं में संघमित्रा और करुणा जैसी महिलाएँ शिक्षित होकर धर्म और शिक्षा का प्रचार करती रहीं। भक्ति आंदोलन में मीराबाई, अक्का महादेवी, और लल्लेश्वरी जैसी महिलाएँ ज्ञान और भक्ति का प्रतीक बनकर उभरीं। ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिक्षा और आत्मज्ञान की लौ कुछ स्त्रियों ने जलाए रखी (शर्मा, 2021; त्रिपाठी, 2019)।

आधुनिक युग में वैदिक स्त्री शिक्षा की प्रासंगिकता-

आधुनिक युग में वैदिक स्त्री शिक्षा की प्रासंगिकता न केवल ऐतिहासिक गौरव का विषय है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और समग्र सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणास्रोत भी बन चुकी है। वैदिक काल में जहाँ स्त्रियाँ स्वतंत्र, शिक्षित और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली थीं, वहीं आज भी समानता, गरिमा और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता उतनी ही प्रबल है। उस समय की शिक्षा प्रणाली ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि शिक्षा में लिंग भेद का कोई स्थान नहीं है, और सभी के लिए ज्ञान का द्वार खुला था। यह विचार आज के आधुनिक भारतीय संविधान में भी परिलक्षित होता है, जिसमें अनुच्छेद 14, 15 और 21A के तहत शिक्षा का समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्त्री शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है, और सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना', तथा 'सुकन्या समृद्धि योजना' जैसी कई योजनाएँ चलाई हैं जो बालिकाओं के शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। वैदिक स्त्रियाँ न केवल विदुषी थीं, बल्कि चरित्र और नैतिकता की प्रतिमूर्ति भी थीं। गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी महिलाओं ने धर्म, संयम और विवेक के उच्च आदर्श स्थापित किए। वे केवल शैक्षणिक ज्ञान की अधिष्ठात्री नहीं थीं, बल्कि नीतिशास्त्र और आत्मज्ञान की ज्ञाता भी थीं। आज के समय में जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार-प्राप्ति नहीं रह गया, वहाँ नैतिक शिक्षा और मूल्याधारित जीवन की पुनः स्थापना अत्यंत आवश्यक हो गई है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में वैदिक मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य है।

वैदिक युग की स्त्रियाँ आत्मनिर्भर और सक्रिय थीं। मैत्रेयी और गार्गी के शास्त्रार्थ, उनके निर्णय लेने की स्वतंत्रता और धार्मिक, दार्शनिक क्षेत्र में उनकी योग्यता इस बात का प्रमाण है। वर्तमान समय में भी कई क्षेत्रों में स्त्रियाँ समान अधिकारों और अवसरों से वंचित हैं, परन्तु वैदिक काल का यह उदाहरण दर्शाता है कि स्त्री सशक्तिकरण का मूल आधार शिक्षा ही है। परिवार और समाज में भी वैदिक स्त्रियों की भूमिका संतुलनकारी और संवाहिका रही। उन्होंने अपने परिवारों को संस्कार, धर्म और ज्ञान के साथ पोषित किया, जिससे गृहस्थ जीवन का नैतिक और बौद्धिक केंद्र बनीं। आज जब परिवार विखंडित हो रहे हैं और नैतिक संकट बढ़ रहा है, तब शिक्षित महिलाएँ ही परिवार की रीढ़ बन सकती हैं। एक शिक्षित माँ ही अगली पीढ़ी को शिक्षित करने में सक्षम होती है।

भारतीयता और संस्कृति के संदर्भ में भी वैदिक स्त्री शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। वैदिक स्त्रियाँ वेद, संस्कृत, संगीत और शास्त्रों के माध्यम से अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़ी थीं। उनका शिक्षण जीवन भारतीयता की अभिव्यक्ति था। आज की शिक्षा प्रणाली, जो अधिकांशतः पाश्चात्य मॉडल पर आधारित है, सांस्कृतिक

जड़ों से दूर कर रही है। इसलिए वैदिक स्त्री शिक्षा की पुनर्चिंतन से हम भारतीय मूल्यों को शिक्षा प्रणाली में पुनः स्थापित कर सकते हैं। अंततः, नीति निर्माण और नेतृत्व के क्षेत्र में भी वैदिक युग की स्त्रियाँ प्रेरणादायक थीं। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला और घोषा न केवल शिक्षिका थीं, बल्कि वे विचारों की नेता भी थीं, जिनके विचार आज भी भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आधुनिक युग में महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है, परंतु नीति-निर्माण में उनकी हिस्सेदारी सीमित है। वैदिक परंपरा स्पष्ट करती है कि नेतृत्व की योग्यता लिंग पर नहीं, बल्कि ज्ञान और विचार की गहराई पर निर्भर करती है, जो आज के समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। इस प्रकार, वैदिक स्त्री शिक्षा न केवल इतिहास की विरासत है, बल्कि आधुनिक महिला सशक्तिकरण, नैतिकता, संस्कृति और नेतृत्व के लिए आज भी एक मूल्यवान मार्गदर्शक सिद्ध होती है।

सुझाव-

वैदिक स्त्री शिक्षा की प्रासंगिकता और उसके आधुनिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सबसे पहले, शिक्षा नीतियों में वैदिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद और स्त्री ऋषियों के योगदान को विद्यालय और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे छात्राएँ वैदिक स्त्री आदर्शों से जुड़कर शिक्षा के प्रति एक सशक्त दृष्टिकोण विकसित कर सकें। इसके साथ ही, बालिकाओं की शिक्षा में नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा का समावेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल आधुनिक विज्ञान या तकनीकी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है; स्त्रियों में संवेदनशीलता, नेतृत्व कौशल, दार्शनिक दृष्टिकोण और संस्कृति का ज्ञान भी आवश्यक है, जो वैदिक स्त्री शिक्षा का सार रहा है। अगला सुझाव है स्त्री नेतृत्व को बढ़ावा देना, जहाँ विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान किए जाएं। जैसे गार्गी और मैत्रेयी ने शास्त्रार्थ और बौद्धिक क्षेत्र में नेतृत्व किया था, वैसे ही आज की स्त्रियाँ भी शिक्षाविद्, नीति-निर्माता और शोधकर्ता बन सकें। इसके साथ ही, शिक्षा में अब भी विद्यमान लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना भी जरूरी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के बीच शिक्षा की पहुँच में अंतर स्पष्ट है, जिसके लिए विशेष योजनाएँ और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि हर बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त, गुरुकुल आधारित शिक्षा के पुनरुद्धार का प्रयास किया जाना चाहिए। आधुनिक स्कूल प्रणाली में गुरुकुल परंपरा के नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पक्षों को पुनः जोड़ा जाना चाहिए। विशेषतः स्त्रियों के लिए ऐसे संस्थान स्थापित किए जाएं जो उन्हें न केवल अकादमिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त बनाएँ। अंततः, शोध एवं इतिहास लेखन में स्त्रियों की भूमिका को महत्व देना भी आवश्यक है। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को ऋषिकाओं, वैदिक स्त्रियों और उनकी शिक्षात्मक परंपराओं पर अधिक शोध को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे इतिहास में स्त्रियों के योगदान की सही और व्यापक पहचान स्थापित हो सके। इन सुझावों को अपनाकर हम न केवल वैदिक स्त्री शिक्षा की समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित कर पाएंगे, बल्कि आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास के मार्ग को भी प्रशस्त कर सकेंगे।

निष्कर्ष-

वैदिक कालीन स्त्री शिक्षा की प्रासंगिकता आधुनिक युग में न केवल ऐतिहासिक गौरव का स्रोत है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और समग्र सामाजिक विकास के लिए एक आवश्यक मॉडल भी प्रस्तुत करती है। वैदिक शिक्षा प्रणाली ने स्त्रियों को स्वतंत्र, शिक्षित और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाया था, जो आज के समय में भी समानता, नैतिकता और नेतृत्व कौशल के विकास के लिए मार्गदर्शक है। वर्तमान शिक्षा नीतियों में वैदिक मूल्यों का समावेश, बालिकाओं की शिक्षा में नैतिक और सांस्कृतिक पक्षों को जोड़ना, और स्त्री नेतृत्व को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि महिलाओं को उनके अधिकार और अवसर सुनिश्चित हो सकें। साथ ही, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को समान बनाया जाना चाहिए। गुरुकुल परंपरा के आध्यात्मिक एवं बौद्धिक पक्षों को पुनः स्थापित कर स्त्रियों को समग्र विकास की ओर प्रेरित किया जा सकता है। अंततः, स्त्रियों की भूमिका पर शोध को प्रोत्साहित कर उनकी ऐतिहासिक और सामाजिक भागीदारी को उजागर करना समाज के लिए ज्ञान-वर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध होगा। इस प्रकार, वैदिक स्त्री शिक्षा की सीख आधुनिक युग के लिए मार्गदर्शक बनी रहनी चाहिए, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण और राष्ट्र का प्रगति पथ दोनों सुनिश्चित हो सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फ्यूचर्स. (2021). *रीइमेजनिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर: अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन*. यूनेस्को.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- कुमार, एस. (2018). *एजुकेशन एंड जेंडर इन एंशिएंट इंडिया*. दिल्ली: भारतीय विद्या प्रकाशन.
- कुमार, पी., एंड देवी, आर. (2021). रिजिटिंग जेंडर इक्वालिटी इन वैदिक इंडिया: मिथ और रियलिटी? *जर्नल ऑफ इंडिक स्टडीज*, 9(2), 101–118.
<https://doi.org/10.23943/jis.v9i2.211>
- चौधरी, एन., एंड मिश्रा, टी. (2022). स्टेटस ऑफ विमेन एजुकेशन इन ऋग्वैदिक एज: अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज रिसर्च*, 14(4), 87–94.
- जोशी, एम. (2022). *वैदिक विमेन: फिलॉसॉफिकल एक्सप्लोरेशनस*. नई दिल्ली: वेदांत प्रेस.
- जोशी, एम. के. (2024). *विमेन एंड नॉलेज इन वैदिक लिटरेचर: अ फेमिनिस्ट रीअप्रेजल*. दिल्ली: आर्यन बुक्स इंटरनेशनल।
- त्रिपाठी, एन. (2019). गुरुकुल ट्रेडिशन एंड फीमेल पार्टिसिपेशन इन वैदिक लर्निंग. *बनारस हिंदू जर्नल ऑफ स्टडीज*, 11(2), 45–60.

- त्रिपाठी, एम. (2023). *शिक्षा का भारतीय दृष्टिकोण: वेदों से एनईपी तक*. लखनऊ: विद्या भारती प्रकाशन.
- देवी, आर. (2020). *रोल ऑफ विमेन इन वैदिक सोसाइटी*. वाराणसी: आर्य पब्लिकेशंस.
- नन्दा, ए. (2019). *वैदिक विमेन: इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशनस एंड स्पिरिचुअल एजेंसी*. नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स.
- बनर्जी, एस., एन्ड कपूर, डी. (2020). विमेन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन इन एंशिपेंट इंडिया: अ सोशियो-कल्चरल स्टडी. *साउथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज*, 7(3), 142–155.
<https://doi.org/10.1016/sajss.2020.07.009>
- मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। (2020). *नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020*.
<https://www.education.gov.in>
- शर्मा, ए. (2021). *विमेन सीअर्स ऑफ द वेदास*. दिल्ली: प्रकाशन मंदिर.
- शर्मा, ए., एंड रानी, एस. (2023). द रेलेवेस ऑफ वैदिक एजुकेशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन द 21st सेंचुरी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन*, 12(1), 55–68.
<https://doi.org/10.5678/ijicc.v12i1.1234>
- सिंह, आर. (2025). *एंशिपेंट विजडम, मॉडर्न पाथवेज़: वैदिक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन विमेन 'स एजुकेशन*. वाराणसी: भारतीय विद्या पब्लिकेशंस.

Manuscript Timeline

Submitted : May 06, 2025

Accepted : May 20, 2025

Published : June 30, 2025

भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020प्रतिभा गुप्ता¹**सारांश**

21वीं शताब्दी में राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए भारतीयता और आधुनिकता के समावेशन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया। जिसमें आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को भारतीय जड़ों और गौरवशाली परंपराओं से पोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संकल्पित है, जोकि व्यक्ति को केवल साक्षर बनाने के लिए तत्पर ही नहीं, बल्कि मनुष्य को एक जिम्मेदार सामाजिक, नैतिक, एवं चिंतनशील व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रयासरत है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का मूल आधार व्यक्तित्व निर्माण के साथ-साथ जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करना रहा है। जिसको वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी अति आवश्यक माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ सामाजिक-संवेगात्मक विकास को भी महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके उपरान्त ही सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा, जोकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा के दृष्टांत वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय मूल्यों एवं आधुनिक संकल्पनाओं पर आधारित सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा द्वारा व्यक्ति में आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, सामाजिक जागरूकता, संबंध कौशल, उचित निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है, जोकि व्यक्ति को तार्किक रूप से चिंतनशील बनाने के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकने योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

मुख्य बिन्दु : भारतीय ज्ञान परंपरा, सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।

प्रस्तावना-

शिक्षा व्यक्ति को संपूर्णता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा द्वारा मानव शिष्टाचार को सीखता है और अपने जीवन को सुसंस्कृतवान एवं ज्ञानवान बनाता है, इसलिए भारतीय शिक्षा में ज्ञान का बहुत अधिक महत्त्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) भारतीय मूल्यों और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली को नई दिशा एवं अंतरदृष्टि दे रही है। आधुनिकता के साथ-साथ इस नीति में पुरातन

¹ जूनियर रिसर्च फ़ेलो, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

ईमेल - pratibhagupta0097@gmail.com

ज्ञान-विज्ञान को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जिसमें 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन कौशलों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे व्यक्ति में सिर्फ रटत अधिगम ही विकसित न हो बल्कि व्यक्ति का बहुमुखी विकास होना चाहिए। जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में विविध प्रकार के कौशलों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात के गयी है, जैसे आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, निर्णय क्षमता, प्रतिदिन जीवन समस्याओं के लिए समस्या समाधान कौशल आदि। पुरातन भारतीय शिक्षा प्राणली में आत्म ज्ञान और मोक्ष को ही सर्वोत्तम लक्ष्य के रूप में माना गया है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी महत्वपूर्ण बताया है और इसके लिए व्यक्ति का नैतिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष को भी विकसित करने पर जोर दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं विविध दर्शनों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। जिनके आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2022 का निर्माण हुआ है। भारतीय ज्ञान की प्रासंगिकता वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी।

भारतीय ज्ञान परंपरा-

भारतीय ज्ञान परंपरा आदिकाल से चली आ रही सबसे प्राचीन परंपरा है। जो की निरंतर प्रवाहमान है जिसमें कभी भी स्थिरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, यह नित्य, नवीन, वैज्ञानिकता से युक्त और सदा ही प्रासंगिक रही है और रहेगी भी। भारतीय शिक्षा का आधार स्तम्भ सदैव वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, शास्त्र और दर्शन इत्यादि रहा है। सभी दर्शनों का अध्ययन करने के उपरांत यह देखने को मिलता है कि सभी में शिक्षा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के रूप में आत्मानुभूति को सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। यहां तक कि विष्णुपुराण में उल्लिखित है कि ‘तत कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् कर्म वही जो बंधन में न बांधे विद्या वही जो मुक्त करे। भारतीय परंपरा में विद्या मुक्ति के साधन के साध्य के रूप में रही है। जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से जीवन के सभी अविद्या रूपी विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर विदेह मुक्ति की कामना कर सकता है।

यदि भारतीय ज्ञान संस्कृति को हम विषयों की सीमाओं में बांधने अथवा विभाजित रूप में समझने का प्रयास करते हैं, तो हम पृथ्वी पर एक सीधी रेखा खींचने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होगा। भारतीय ज्ञान की धारा कल-कल, अविरल बहती रही है। सत्य सनातन परंपरा में ज्ञान को सिखाया नहीं जा सकता है और न ही ज्ञान को सृजित किया जा सकता है, बल्कि वह अपने आंतरिक संसार से तप अथवा साधनाओं के माध्यम से साक्षात्कार किया जा सकता है। वास्तविक ज्ञान आत्मानुभूति का प्रतिफल है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि “Education is the manifestation of the perfection already in man”। (त्रिपाठी, 2021) प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन, मथुरा, औदन्तपुरी, नगिया आदि थे, जिनमें वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, षड्दर्शन के साथ जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन इत्यादि का अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान किया जाता था, जहां पर विश्व के अनेक देशों के विद्यार्थी विद्या ग्रहण के लिए आते थे, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के गौरवशाली इतिहास का द्योतक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)-

स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु दो शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया शिक्षा नीति 1968, एवं 1986 (लाल, 2003), परंतु इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अथवा भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हेतु सन् 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का निर्माण पुरातन ज्ञान परंपरा की संकल्पना एवं वर्तमान शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है। जिसमें भारतीय मूल्यों और संस्कृति को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। “ज्ञान, प्रज्ञा, और सत्य की खोज को भारतीय दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता रहा है” (रा.शि.नी., 2020)। यह नीति भी इन्हीं संकल्पनाओं पर केंद्रित है। इस नीति में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को महत्वपूर्ण माना गया है, इसके लिए व्यक्ति के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास हेतु शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के उद्देश्यों को तीन पक्षों में विभाजित किया गया है- संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, परन्तु पूर्व की शिक्षा नीतियों में शिक्षा के संज्ञानात्मक पक्ष को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, उसी के अनुसार शिक्षा को संचालित किया जाता था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में संज्ञानात्मक पक्ष के साथ-साथ सामाजिक-संवेगात्मक पक्ष, एवं कौशल विकास को भी सम्मिलित किया गया है।

इस शिक्षा नीति में संस्कृति के रूप में भाषा और कला को महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखता है, जिससे यह पता चलता है कि वह किस प्रकार का चिंतन करता है, उसके संवेगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कला के माध्यम से मनुष्य आनंदानुभूति के साथ ही स्वयं की भावनाओं को संतुलित करना सीखता है। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों, रंगमंचन, बाल साहित्य और संगीत को महत्वपूर्ण अंग माना गया है। बाल्यावस्था से लेकर उच्च स्तर तक सभी के कल्याण और प्रसन्नता के साथ शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। योग और ध्यान पद्धति वर्तमान जीवनशैली के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, जिसकी वकालत राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी करती है, जो कि व्यक्ति के सामाजिक संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक हैं, जिसके परिणामस्वरूप ही हम सम्पूर्ण मानव की कल्पना एवं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सकेंगे।

सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के साथ ही साथ व्यक्ति के सामाजिक – संवेगात्मक और नैतिक विकास को भी आवश्यक माना गया है। जिससे एक संतुलित मानव का निर्माण हो सके। यह नीति भारतीय संस्कृति में विद्वान सभी मूल्यों को आत्मसात करने की सिफारिश करती है। व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समानुभूति को विकसित करना, व्यक्तियों में सेवाभाव उत्पन्न करना, आत्म बोध एवं नागरिकता बोध जैसे मूल्यों को आत्मसात करने का उद्देश्य रखा गया है। व्यक्ति को चिंतनशील एवं तार्किक निर्णय लेने के साथ-साथ, जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिसके लिए पाठ्यक्रम का नवीनीकरण किया गया है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के तहत

कुछ शिक्षण सस्थानों में सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है जैसे-आनंदमयी पाठ्यक्रम (हैपीनेस करीकुलम, 2018), जिसका आधार भारतीय ज्ञान एवं सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा का कैसेल मॉडल है। जिसके पाँच आयाम हैं-1.आत्म जागरूकता, 2.आत्म नियमन, 3.सामाजिक जागरूकता, 4.संबंध कौशल और 5.उचित निर्णय करना (कसेल, 2003)।

शोध का उद्देश्य : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन करना।

शोध क्रियाविधि : प्रस्तुत शोध गुणात्मक प्रकृति का है। जिसके विस्तृत अध्ययन हेतु भारतीय दर्शन (सांख्य, योग, जैन एवं बौद्ध दर्शन), कठोपनिषद् एवं तैत्तिरीय उपनिषद् से संदर्भ को प्राप्त करने हेतु विषयवस्तु विश्लेषण तकनीकी का उपयोग किया गया है।

भारतीय दार्शनिक परंपरा में सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा का स्वरूप-

भारतीय दार्शनिक परंपरा में षड्दर्शन (सांख्य, न्याय, योग, मीमांसा, वैशेषिक, वेदान्त) के साथ जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है (पाण्डेय, 2022)। भारतीय दर्शन में सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा केवल इन दो शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विषद वर्णन किया गया है, जो आत्मानुभूति, आत्म संयम, लोक कल्याण आदि की भावना से प्रेरित है।

जैन दर्शन : जैन दर्शन का उद्देश्य सभी भारतीय दर्शन की तरह मानव जीवन को मुक्ति की ओर अग्रसर करना है। जैन दर्शन में त्रिरत्न की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। जिसका आधार सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चरित्र है। सम्यक् ज्ञान व्यक्ति को आत्मा एवं पुद्गल में सही और गलत के मध्य अंतर करने के सक्षम बनाता है, परंतु जैन दर्शन में व्यक्ति के समुचित विकास के लिए सम्यक् दर्शन और सम्यक् चरित्र भी महत्वपूर्ण है। सम्यक् दर्शन के द्वारा मानव के भावनात्मक पक्ष का विकास होता है। जैन दर्शन में क्रोध, अहंकार, माया, आदि कुप्रवर्तियों का वर्णन किया गया। जिन्हें कषाय कहा गया (पचोरी, 2015), ये सभी बंधन का कारण होती हैं। मनुष्य को आत्मज्ञानी अथवा आत्म जागरूक होने के लिए इन कषायों से मुक्त होना पड़ेगा। जैन दर्शन में मानव के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए पंच महाव्रत का पालन करना अनिवार्य किया गया है- 1. किसी भी व्यक्ति को मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूपों में हिंसा नहीं करनी चाहिए है, 2. मानव को अपने विचार, वाणी तथा व्यवहार में सत्यता को अपनाना चाहिए। 3. स्थूल तथा सूक्ष्म किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। 4. सभी प्रकार के काम-भोगों को संयमित करना, तथा इंद्रिय-लोलुपता को नियंत्रित करना और 5. विषयासक्ति का त्याग करना तथा वस्तुओं के संग्रह को नियंत्रित करना।

बौद्ध दर्शन : बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन एक संवेदनशील मानव महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया। महात्मा बुद्ध जी के जीवन में जो भी परिवर्तन आया उसका आधार दुःख (संवेग) ही था। इसलिए बौद्ध दर्शन को दुःखवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मानव के जीवन में दुःख है और इस दुःख से मुक्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही पाया जा सकता है। इसे हम आत्म ज्ञान अर्थात् आत्म जागरूकता के रूप में भी समझ सकते हैं।

सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में संवेगों की पहचान, नियंत्रण करना सिखाया जाता है। बौद्ध दर्शन में सामाजिक संवेगात्मक शिक्षा के स्वरूप में अत्यधिक समानता दिखती है। बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग के द्वारा व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिरता को विकसित करने का प्रयास किया जाता रहा है।

अप्प दीपों भव-

बुद्ध ने कहा 'अप्प दीपो भव' अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो, उन्होंने मनुष्य को स्वयं के भीतर छिपे प्रकाश को पहचानने के लिए प्रेरित किया और कहा कि तुम्हें अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। अतएव मनुष्य को इस प्रकार प्रेरित करने वाली शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता वर्तमान परिस्थिति में है जब मनुष्य अपनी अच्छाइयों, कमियों, शक्तियों का आकलन करने के योग्य बन सके जिससे उसमें आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण की क्षमता विकसित हो सके। इससे मनुष्य में सामाजिक संवेगात्मक स्थिरता विकसित होगी। सम्यक् स्मृति मनुष्य को एकाग्रता के साधन का अभ्यास करने की ओर प्रेरित करती है, जिससे उसका चित्त शांत होगा। एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर एवं शुद्ध होंगी।

आर्य सत्यों को गहनता से अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि जब हम प्रथम एवं द्वितीय आर्य सत्य की व्याख्या करते हैं कि दुःख है, दुःख का कारण है, तो सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा के प्रथम आयाम स्व जागरूकता की प्रक्रिया से गुजरते हैं। स्व आकलन करने के बाद यह सुनिश्चित करते हैं कि जीवन में दुःख है। जब हम तृतीय एवं चतुर्थ आर्य सत्य से समझते हैं कि दुःख का निरोध किया जा सकता है साथ ही दुःख निरोध का मार्ग भी है, तब प्रतीत्यसमुत्पाद से ही अविद्या, तृष्णा, और अज्ञान का अंधकार मिटता है और मनुष्य सभी दुःखों से निवृत्त होकर आत्म नियंत्रण, आत्म जागरूकता और आत्म संयम की प्राप्ति कर सकता है।

सांख्य एवं योग दर्शन : सांख्य दर्शन का प्रतिपादन महर्षि कपिल ने किया। सांख्य दर्शन के दो मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति त्रिगुणात्मक है अर्थात् प्रकृति का निर्माण तीन गुणों से होता है, सत, रज और तम। सांख्य दर्शन में सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा सत गुण के द्वारा विकसित किया गया है। सत गुण का जिन मनुष्यों में विकास होता है उनकी प्रवृत्ति सात्विक होती है। उनका मस्तिष्क सदैव एकाग्र रहता है। अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। संवेगात्मक रूप से स्थिर और संकल्पित होते हैं। सकारात्मक नजरिया, आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण दूसरों के प्रति करुणा, दया भी रखते हैं। जिसके माध्यम से वे दूसरों के साथ सामाजिक संबंधों का निर्माण भी कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होते हैं। योग दर्शन सांख्य दर्शन का व्यावहारिक पक्ष है। योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः (यो.सू., 1.2)

इस सूत्र के द्वारा महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में संवेगात्मक स्थिरता के स्वरूप को समझाया है। मन की अस्थिरता के कारण योग करना कठिन है। मन को इधर-उधर भटकने से बचाने के लिय चित्त के सभी वृत्तियों को शांत एवं संतुलित करना होगा, अविद्या (स्व-जागरूकता), अस्मिता, अभिनिवेश, संवेग आदि सामाजिक-संवेगात्मक स्थिरता का कारण है। इसको संतुलित एवं विकसित करने के लिए अष्टांग योग मार्ग को अपनाना

चाहिए। मनुष्य यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के मार्ग को अपनाकर सामाजिक- संवेगात्मक विकास को विकसित करते रहे हैं।

उपनिषद् : भारतीय संस्कृति में उपनिषदों की संख्या 108 है। जो कि विभिन्न विषयवस्तु से संबंधित है। प्रत्येक उपनिषद् जीवन के वास्तविकता को जानने के लिए एक दृष्टि प्रदान करती है, जो मानव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए एक नींव की तरह कार्य करती है। मनुष्य के सभी संशयों के लिए उचित हल प्रस्तुत करने में सहायता करती है। उपनिषदों में सख्ती से निर्देश दिया गया है कि ब्रह्म के उच्चतम ज्ञान की शिक्षा पाने से पहले साधक को मन की अविचल शांति प्राप्त करनी चाहिए जो उसे शांत, आत्म-संयमित, आत्म-इनकार, धैर्यवान (तितिक्षु) और संयमित (मन की एकाग्रता वाला) हो। इसके अतिरिक्त ब्रह्म के निष्ठावान साधक को भोजन की शुद्धता और परिणामस्वरूप प्रकृति की शुद्धता (सत्त्वशुद्धि) का पालन करना पड़ता था।

कठोपनिषद् : कठोपनिषद् यम और नैचिकेता के मध्य प्रश्नोत्तरी के द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों पर गहन अंतरदृष्टि प्रदान करती है। विभिन्न श्लोकों के अर्थों से सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा का वर्णन प्राप्त होता है-

आत्मानँ रथितं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥

उक्त श्लोक में नचिकेता के द्वारा यमराज से किए गए प्रश्न पर यमराज ने कहा कि हे नचिकेतः! तुम इस जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो, और शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम की रस्सी समझो। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण को स्थिर करने के लिए आत्मा शरीर बुद्धि और मन को समझने और उसमें स्थायित्व लाने की और संकेत किया गया है (कठो. 1.3.3)।

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥५॥


श्लोक 5 में यमराज ने कहा है कि जो मनुष्य अज्ञानी हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है जिनकी इंद्रियां भी उनके वश में नहीं रहती। जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते। इस प्रसंग में भी यमराज ने नचिकेता को यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति का मन संतुलित नहीं है उसमें आत्म जागरूकता की कमी है अर्थात् वह बुद्धिहीन मानव है, उदाहरण के रूप में इंद्रियों को उस बे लगाम घोड़े के संज्ञा दी गई है जिस पर नियंत्रण नहीं होता है, वह सही मार्ग पर नहीं चल सकता, जिस प्रकार इंद्रियों के द्वारा मनुष्य ज्ञान को ग्रहण करता है, परंतु इन पर नियंत्रण नहीं तो ये अपने वास्तविक मार्ग से विचलित ही रहेंगी (कठो. 1.3.5)।

यस्तु विज्ञानवान्भवाति युक्तेन मनसा सदा ।
स्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥

परंतु जो मनुष्य बुद्धिमान है और जिनका मन वश में है उनकी इंद्रियां भी उनके वश में उसी प्रकार रहती हैं जैसे उत्तम घोड़े सारथी के वश में रहते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से बुद्धिमान व्यक्ति के गुणों के विषय में

बात की गई है। यहां पर जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियां स्थिर हैं, वह व्यक्ति सामाजिक संवेगात्मक रूप से स्थिर एवं संतुलित रहता है (कठो. 1.3.6)।

तैत्तिरीय उपनिषद् : इस उपनिषद् में पंचकोश सिद्धांत का वर्णन है। जो कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रासंगिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में पंचकोश सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। NCF, 2022 आधारभूत स्तर की विषयवस्तु में पंचकोश सिद्धांत को शामिल किया गया है। “शिक्षा का भारतीय विज्ञान व्यापक और गहरा रहा है, इसमें यह शामिल है कि शिक्षा को आन्तरिक और बाह्य दोनों ही तरह के विकास को पोषित करना चाहिए। बाहरी दुनिया के बारे में सीखना और अपनी आंतरिक वास्तविकता एवं स्व के बारे में सीखना साथ-साथ होना चाहिए”(NCF, 2022)।



प्राणमय कोष (महत्वपूर्ण आवरण): प्राणमय कोष में महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति शामिल है जो भौतिक शरीर को सक्रिय करती है। यह विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है और श्वास परिसंचरण और चयापचय से जुड़ा होता है। प्राणायाम (श्वास पर नियंत्रण) और योग जैसे अभ्यास इस सूक्ष्म ऊर्जा के बारे में जागरूकता पैदा करने, व्यक्ति के भीतर संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। प्राणमय कोष का पोषण करके, व्यक्ति जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है, तनाव को कम कर सकता है, और जीवन शक्ति और जीवंतता की गहरी भावना का अनुभव कर सकता है, जो समग्र खुशी में योगदान देता है। यह सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा के आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण के पक्षों को प्रदर्शित करता है।

मनोमय कोष (मानसिक कोष): मनोमय कोष विचारों, भावनाओं और मन के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें संज्ञानात्मक क्षमताएं, संवेदी धारणाएं और मानस का विशाल परिदृश्य शामिल है। खुशी अक्सर किसी के मानसिक परिदृश्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जो दृष्टिकोण और विश्वास से आकार लेती है। सचेतनता, सकारात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने से आंतरिक शांति और खुशी मिल सकती

है। ध्यान और आत्म-प्रतिबिंब जैसे अभ्यास व्यक्तियों को मन की जटिलताओं को नेविगेट करने, स्पष्टता, लचीलापन और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाते हैं।

विज्ञानमय कोष (बौद्धिक कोष): विज्ञानमय कोष बुद्धि या विवेकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जो तर्क, भेदभाव और उच्च संज्ञानात्मक कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। यह व्यक्तियों को झूठ से सच, भ्रम से वास्तविकता को पहचानने और उनके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप समुचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है। ऐसे प्रयास जो सीखने, रचनात्मकता और दार्शनिक पूछताछ जैसी बौद्धिक जिज्ञासा को उत्तेजित करते हैं, जीवन को अर्थ और उद्देश्य से समृद्ध कर सकते हैं, संतुष्टि और संतुष्टि की गहरी भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। यह कोष आत्म जागरूकता के पक्ष के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के आयामों को बताता है। इस कोष के द्वारा उचित निर्णय शक्ति को विकसित किया जा सकता है जो की सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा का अंतिम आयाम है।

आनंदमय कोष (आनंदमय कोष): मानव अनुभव के मूल में आनंदमय कोष, आनंद या शुद्ध चेतना का आवरण निहित है। यह मन और अहंकार के उतार-चढ़ाव से परे, खुशी के शाश्वत स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। व्यक्तिगत स्वयं की सीमाओं को पार करके और इस उच्च वास्तविकता के साथ जुड़कर, व्यक्ति आनंद, शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि की गहन स्थिति का अनुभव कर सकता है। आत्म-मूल्यांकन भक्ति और समर्पण जैसे अभ्यास इस सहज आनंद की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे स्थायी खुशी और आंतरिक संतुष्टि मिलती है। यह कोष सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा के सम्पूर्ण पक्षों को अपने में अंतर्निहित करता है और यह इससे भी बहुत आगे की स्थिति मोक्ष की प्राप्ति करने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष-

आधुनिक शिक्षा अथवा पश्चात्य शिक्षा प्रणाली में सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा का स्वरूप सतही स्तर एवं केवल मनोवैज्ञानिक संकल्पनाओं पर आधारित है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा में सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक विस्तृत एवं गहन है, जोकि सामाजिक संवेगात्मक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति को विकसित करने का अंतिम लक्ष्य मानता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष को एकल रूप में विकसित करने पर जोर नहीं देते हैं, बल्कि एक वृत्त के समरूप हैं जो संपूर्णता में विकसित होता है। पंचकोश के सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है, जिसके प्रत्येक स्तर पर और अधिक शुद्धता आती रहती है। पंचकोश सिद्धांत में सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा के सभी आयाम-जैसे आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, सामाजिक जागरूकता, संबंध कौशल और उचित निर्णयन क्षमता का समावेश है। दर्शन शास्त्र की सभी शाखाओं से जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा को आधार प्रदान करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में सामाजिक-संवेगात्मक शिक्षा एवं विकास को पश्चात्य सभ्यता के अनुसार संरचित और संकुचित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि लघु कथाओं और विभिन्न जीवन्त प्रसंगों और सूत्रों के माध्यम से विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- ओड़, एल.के. (2022). *शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि*. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी.
- कॉलाबोरेटिव फॉर ऐकडेमिक, सोशल एण्ड इमोशनल लर्निंग (CASEL) (2005). *सेफ एण्ड साउन्ड: ऐन एजुकेशनल लीडर्स गाइड टू एविडन्स बेस्ड सोशल एण्ड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स-इलिनोएस एडिशन*. शिकागो, आईएल : ऑथर <https://casel.org/safe-and-sound-guide-to-sel-programs/>
- त्रिपाठी, पी.एन. (2021) *स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन*. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास.
- नारायण, जी. के. (2018). प्रमुख उपनिषदों में मन की अवधारणा. *विजिडम लाइब्रेरी*. <https://www.wisdomlib.org/hinduism/essay/concept-of-mind-in-the-major-upanishads>
- पचोरी, गिरीश (2015). *उभरते भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका*. आर लाल बुक डिपो.
- पतंजलि, योग सूत्र.
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, (2022). एन.सी.आर. टी. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (2020). शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.
- लाल, आर. बी. एवं शर्मा, के. के. (2012). *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं*. आर लाल बुक डिपो.
- *विष्णुपुराण*. गीताप्रेस
- शंकरभाष्य, कठोपनिषद्. गीताप्रेस.
- सिवानन्द, एस. (2020). कठोपनिषद् का सार. *द डिवाइन लाइफ सोसाइटी*. https://www.sivanandaonline.org/?cmd=displaysection§ion_id=582

Manuscript Timeline

Submitted : May 18, 2025

Accepted : May 30, 2025

Published : June 30, 2025

शिक्षा, सामाजिक-न्याय एवं समतामूलक अंतरसम्बन्ध(डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों के सन्दर्भ में)डॉ. मीनाक्षी शर्मा¹

सारांश

यह शोध-पत्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं समता के विचारों का विश्लेषण करता है और यह दर्शाता है कि उन्होंने इन तत्वों को भारतीय समाज में वास्तविक लोकतंत्र की नींव के रूप में कैसे देखा। अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और समानता प्राप्त करने का सबसे सशक्त साधन है। उन्होंने दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की मुक्ति के लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, आरक्षण, और कानूनी सुधारों को आवश्यक माना। उनका समता का विचार केवल विधिक प्रावधानों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन के पक्षधर थे। यह शोध-पत्र अम्बेडकर के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता को रेखांकित करता है और यह बताता है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए उनके सिद्धांत आज भी मार्गदर्शक हैं।

मुख्य शब्द : डॉ. भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा, सामाजिक न्याय, समता, आरक्षण, दलित उत्थान, महिलाओं के अधिकार, संविधान, लोकतंत्र, जातिवाद उन्मूलन

प्रस्तावना-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (04 अप्रैल 1891-06 दिसम्बर 1956) भारत के प्रमुख समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उनका जन्म मध्य-प्रदेश के महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता-पिता की 14वीं संतान थे और महार जाति से सम्बन्ध रखते थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था।

अम्बेडकर ने प्रारम्भिक शिक्षा सतरा में प्राप्त की, जहाँ उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1912 में मुम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गये और 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम.ए. और 1917 में पी.एचडी. की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से डी.एससी. की डिग्री भी अर्जित की। डॉ. अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त छूआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य

¹ असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एम.जे.एन. (पी.जी.) कॉलेज, हरिद्वार.

दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाना था। 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मन्दिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। उनका मानना था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है।

स्वतंत्रता के बाद डॉ. अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 02 वर्ष 11 महीने और 17 दिनों में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 नवम्बर, 1949 को अपनाया गया। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व के सिद्धान्तों को संविधान में शामिल किया। 1951 में हिन्दू कोड बिल पारित न होने के कारण उन्होंने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के कारण बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। 06 दिसम्बर 1956 को उनका निधन हो गया। मरणोपरान्त 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है, जो सामाजिक-न्याय और समानता के लिए समर्पित था। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचारों का सार इस प्रकार है-

डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा, समाजिक न्याय एवं समानता सम्बन्धी प्रमुख विचार :

शिक्षा (जागरूकता और आत्मसम्मान का साधन)-

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। उन्होंने कहा, “शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पीयेगा वह दहाड़ेगा”। उन्होंने दलितों और शोषित वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। अम्बेडकर ने शिक्षा को सभी नागरिकों का मूलभूत अधिकार माना और कहा कि समाज में समानता लाने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने सरकारी स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया और कहा कि समाज में सुधार तब होगा जब महिलायें शिक्षित होंगी।

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को जातिगत भेदभाव मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। उन्होंने दलितों को धार्मिक अंध विश्वासों से मुक्त होकर तर्क और वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा से ही समाज में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित की जा सकती है। अम्बेडकर केवल सैद्धान्तिक शिक्षा के समर्थक नहीं थे, बल्कि उन्होंने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि व्यावसायिक शिक्षा से समाज के पिछड़े वर्ग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। उन्होंने औद्योगीकरण और वैज्ञानिक शिक्षा को भारत की प्रगति के लिए अनिवार्य बताया। यह उनका प्रसिद्ध नारा था ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो’ जिसमें उन्होंने शिक्षा को

संगठन और संघर्ष के लिए आवश्यक पहला कदम बताया। शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर सकता है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और न्याय के लिए आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा को दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना। उनके विचार आज भी शिक्षा नीति और सामाजिक समानता के सन्दर्भ में प्रासंगिक हैं।

सामाजिक न्याय-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट किया कि जाति प्रथा सामाजिक अन्याय की जड़ है और इसे समाप्त किये बिना समाज में समानता नहीं आ सकती। उन्होंने 'अस्पृश्यता' को मानवता के खिलाफ अपराध बताया और इसे खत्म करने के लिए संघर्ष किया। उनका कहना था कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव रहेगा, तब तक सच्चा सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता। अम्बेडकर ने कहा, "समाज में किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर ऊँचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए।" उन्होंने सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक और आर्थिक समानता को अधूरा माना। उनके अनुसार, सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ है, सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। उन्होंने भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये।

संविधान में अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) और अनुच्छेद 46 (पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा) जैसी सुविधायें अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों पर आधारित हैं।

अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल अधिकार देने से नहीं मिलेगा, अपितु दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा बराबरी पर लाना आवश्यक है। उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आरक्षण नीति और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व को सामाजिक-न्याय के लिए आवश्यक माना। अम्बेडकर महिलाओं की समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिन्दू कोड बिल लाकर महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार, विवाह और तलाक में समानता देने का प्रयास किया। उनका मानना था कि समाज में न्याय तब तक स्थापित नहीं हो सकता, जब तक महिलायें आत्मनिर्भर और शिक्षित न हों।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, केवल सामाजिक समानता ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक समानता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल सामाजिक समानता ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक समानता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल वोट देने का अधिकार पर्याप्त नहीं है, अपितु सभी को संसाधनों और अवसरों तक समान पहुँच होनी चाहिए। उन्होंने श्रमिकों के अधिकार, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया।

समानता (समता मूलकता)-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने समता मूलक समाज (Egalitarian Society) की कल्पना की थी, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। उनके अनुसार वास्तविक लोकतंत्र तभी सम्भव है, जब समाज में सभी को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। अम्बेडकर के अनुसार, “समानता (समता) के बिना लोकतंत्र एक छलावा है। उन्होंने कहा, “राजनीतिक लोकतंत्र पर आधारित न हों।” उनका मानना था कि केवल वोट देने का अधिकार देना पर्याप्त नहीं, अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार और मिलने चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को समानता के सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखा। उन्होंने कहा “जाति आधारित समाज में समता नहीं सम्भव है, इसलिए जाति प्रथा को समाप्त करना जरूरी है।”

अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन संविधान में शामिल करवाया, ताकि समाज में भी सभी को समान दर्जा मिल सके। उनका मानना था कि सिर्फ सामाजिक समानता पर्याप्त नहीं, बल्कि आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर धन कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित रहेगा, तो समता स्थापित नहीं हो सकती।” श्रमिकों के अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी और भूमि सुधारों पर जोर देकर उन्होंने आर्थिक न्याय की वकालत की। अम्बेडकर महिलाओं को समान अधिकार देने के प्रबल समर्थक थे। हिन्दू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार, विवाह में समानता और तलाक का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि, “कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता, यदि उसकी महिलायें समान अधिकारों से वंचित हैं।” उन्होंने कहा कि “शिक्षा समानता प्राप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है।” सभी को समान शैक्षिक अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें। दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसी सोच का हिस्सा थी। अम्बेडकर ने कहा कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो समाज में समानता सुनिश्चित करें।

उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18), अवसरों की समानता (अनुच्छेद 16) और सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 46) को शामिल कराया। उनका मानना था कि राज्य को सकारात्मक भेदभाव (Affirmative Action) द्वारा कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए।

निष्कर्ष-

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, अपितु सामाजिक परिवर्तन और न्याय के लिए आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा को दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना। उनके विचार आज भी शिक्षा नीति और सामाजिक के सन्दर्भ में प्रासंगिक हैं। डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का विचार केवल कानूनों तक सीमित नहीं था, अपितु वे समाज में वास्तविक समानता और समरसता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा, आरक्षण, महिलाओं के अधिकार और जातिवाद उन्मूलन को सामाजिक न्याय के प्रमुख स्तम्भ माना। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। डॉ. अम्बेडकर का समता का विचार केवल कानूनों तक सीमित नहीं था, अपितु वे चाहते

थे कि समाज की मानसिकता भी बदले। उनके अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता मिलकर ही एक सच्चे लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज की नींव रख सकते हैं। उनके विचार आज भी समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरणादायक हैं।

संदर्भ सूची

- Ambedkar, B.R. (1936). *Annihilation of caste*. Retrieved from <https://www.ambedkar.org>
- Ambedkar, B.R. (1945). *What Congress and Gandhi have done to the Untouchables*. Bombay: Thacker & Co.
- Ambedkar, B.R. (1947). *States and minorities: What are their rights and how to secure them in the Constitution of free India?* Bombay: Thacker & Co.
- Chakravarti, U. (2003). *Gendering caste: Through a feminist lens*. Kolkata: Stree.
- Government of India. (1950). *The Constitution of India*. Retrieved from <https://legislative.gov.in>
- Jaffrelot, C. (2005). *Dr. Ambedkar and untouchability: Fighting the Indian caste system*. New York: Columbia University Press.
- Keer, D. (1990). *Dr. Babasaheb Ambedkar: Life and mission* (4th ed.). Mumbai: Popular Prakashan.
- Omvedt, G. (1994). *Dalits and the democratic revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit movement in colonial India*. New Delhi: Sage Publications.
- Zelliot, E. (2005). *From untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar movement*. New Delhi: Manohar Publishers.

Manuscript Timeline

Submitted : May 23, 2025

Accepted : June 10, 2025

Published : June 30, 2025

भारतीय समाज में पुरुष उत्पीड़न पर सामाजिक जागरूकता का अभाव : कारण औरसमाधानडॉ. वन्दना सिंह¹

सारांश

यद्यपि भारत में लिंग-आधारित हिंसा एक गंभीर मुद्दा है, फिर भी सार्वजनिक विमर्श और कानूनी सुरक्षा मुख्यतः महिलाओं पर केंद्रित रही है और अक्सर उत्पीड़न के पुरुष पीड़ितों की उपेक्षा की जाती है। यह अध्ययन भारतीय समाज में पुरुष उत्पीड़न के बारे में सामाजिक जागरूकता की कमी में योगदान देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक, कानूनी और संस्थागत कारकों की जाँच करता है। द्वितीयक डेटा विश्लेषण—जिसमें अपराध रिपोर्ट, अकादमिक शोध, गैर-सरकारी संगठनों के निष्कर्ष और मीडिया आख्यान शामिल हैं—का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन पुरुष पीड़ितता की संरचनात्मक अदृश्यता को उजागर करता है। यह इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे कठोर लिंग-मानदंड, पक्षपाती कानूनी ढाँचे और पुरुषत्व का रूढ़िवादी चित्रण पुरुष अनुभवों के हाशिए पर जाने में योगदान करते हैं। यह शोध सहायता संगठनों और अदालती मामलों के आँकड़ों का भी विश्लेषण करता है, जिससे पुरुषों की बढ़ती अनसुलझी शिकायतों और उनके बहिष्कार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का पता चलता है। इन निष्कर्षों के आधार पर, यह अध्ययन लिंग-तटस्थ कानूनी सुधारों, समावेशी जागरूकता अभियानों और ऐसी सहायता प्रणालियों की वकालत करता है जो उत्पीड़न को एक मानवीय—न कि लिंग-आधारित—मुद्दा मानें। सभी लिंगों के लिए न्याय और सुरक्षा तक समान पहुँच को बढ़ावा देकर, यह अध्ययन भारतीय समाज में उत्पीड़न से निपटने के लिए एक अधिक संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का आह्वान करता है।

मुख्य शब्द : पुरुष उत्पीड़न, लिंग संबंधी रूढ़िवादिता, सामाजिक जागरूकता, भारत में पुरुषत्व, लिंग-तटस्थ कानून, झूठे आरोप, घरेलू हिंसा, कानूनी सुधार, पुरुष उत्पीड़न, भारत में लैंगिक पूर्वाग्रह इत्यादि।

प्रस्तावना-

भारतीय समाज में, लिंग-आधारित उत्पीड़न से जुड़ा विमर्श मुख्यतः महिलाओं पर केंद्रित रहा है, जिससे पुरुष उत्पीड़न के मुद्दे को अक्सर कमतर आंका जाता है और गलत समझा जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव से निपटने के लिए विकसित कानूनी, सामाजिक और संस्थागत तंत्रों के बावजूद, उत्पीड़न के शिकार पुरुषों के लिए समान स्वीकृति और समर्थन संरचनाएँ लगभग नदारद हैं। यह असंतुलन गहराई से जड़ जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों और लैंगिक रूढ़िवादिता से उपजा है, जो पुरुषत्व को शक्ति,

¹ असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस.एम.जे.एन.(पी.जी.) कॉलेज, हरिद्वार.

ई-मेल. - vs1578531@gmail.com

भावनात्मक संयम और प्रभुत्व से जोड़ते हैं, जिससे पुरुष की कमजोरी का विचार सामाजिक रूप से अस्वीकार्य या यहाँ तक कि उपहास का पात्र बन जाता है। पुरुष उत्पीड़न के बारे में सामाजिक जागरूकता का अभाव — चाहे वह भावनात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या यौन हो—चुप्पी, इनकार और कलंक के चक्र को बनाए रखता है। लड़के और पुरुष, जो उत्पीड़न का अनुभव करते हैं, खासकर घरेलू परिवेश, शैक्षणिक संस्थानों या कार्यस्थलों पर, जब वे अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उन्हें उपहास या अविश्वास का सामना करना पड़ता है। विश्वसनीय आंकड़ों और आधिकारिक रिपोर्टिंग तंत्रों का अभाव समस्या के दायरे को और भी अस्पष्ट कर देता है, जिससे नीतिगत कमियाँ और सामाजिक उपेक्षा पैदा होती है। जागरूकता की इस कमी का एक प्रमुख कारण मीडिया और शिक्षा में लैंगिक मुद्दों का एकतरफ़ा चित्रण है, जहाँ पुरुषों को आमतौर पर हमलावर और महिलाओं को पीड़ित के रूप में देखा जाता है। यह द्विआधारी दृष्टिकोण दुर्व्यवहार के पीड़ितों के रूप में पुरुषों के अनुभवों की पड़ताल को हतोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक-तटस्थ कानूनों का अभाव और पुरुष पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन, आश्रय या परामर्श जैसी अपर्याप्त सहायता सेवाएँ इस मुद्दे की अनदेखी में योगदान करती हैं। पुरुष उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाना न केवल लैंगिक न्याय प्राप्त करने के लिए, बल्कि विषाक्त पुरुषत्व को खत्म करने और सभी व्यक्तियों के भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है। समाधान में व्यापक शिक्षा, कानूनी सुधार, मानसिक स्वास्थ्य वकालत और समावेशी नीति-निर्माण शामिल होना चाहिए जो पुरुष उत्पीड़न की जटिलताओं को पहचाने। यह स्वीकार करके कि उत्पीड़न केवल लिंग-विशिष्ट नहीं है, समाज एक अधिक संतुलित, सहानुभूतिपूर्ण और न्यायसंगत ढाँचा बनाना शुरू कर सकता है जो सभी व्यक्तियों को, लिंग की परवाह किए बिना, दुर्व्यवहार से बचाता है।

लिंग-आधारित हिंसा पर समकालीन विमर्श में, मुख्यतः महिलाओं के उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐतिहासिक उत्पीड़न को देखते हुए यह महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यह अनजाने में उत्पीड़न का सामना करने वाले पुरुषों के अनुभवों को दबा देता है। भारतीय समाज में, पुरुष उत्पीड़न एक ऐसा मुद्दा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है और जिसकी रिपोर्टिंग कम होती है, जो सांस्कृतिक वर्जनाओं, लैंगिक रूढ़ियों और कानूनी अदृश्यता में लिपटा हुआ है। जागरूकता की यह कमी न केवल पुरुष पीड़ितों को हाशिए पर धकेलती है, बल्कि एक ऐसे चक्र को भी जारी रखती है जहाँ लिंग के आधार पर न्याय और सहानुभूति से इनकार किया जाता है। जैसे-जैसे समाज समानता की ओर बढ़ रहा है, एक सच्चे समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक ताने-बाने को बढ़ावा देने के लिए पुरुष उत्पीड़न को स्वीकार करना ज़रूरी हो गया है। इस अनभिज्ञता का एक प्रमुख कारण भारतीय संस्कृति में गहराई से समाए कठोर लैंगिक मानदंड हैं। "मजबूत, मौन पुरुष" की अवधारणा बचपन से ही प्रबल होती है, जो पुरुषों को अपनी कमजोरी व्यक्त करने से हतोत्साहित करती है। पारंपरिक भारतीय पुरुषत्व भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा को स्वीकार करने से रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप जब पुरुष उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है (नायर, 2016)। परिणामस्वरूप, पीड़ित पुरुष अक्सर आघात को अपने अंदर ही दबा लेते हैं, और उनके पास अपनी बात कहने के लिए सामाजिक शब्दावली और संस्थागत समर्थन दोनों का अभाव होता है। भारतीय कानूनी ढाँचा इस मुद्दे को और जटिल बना देता है। अधिकांश लिंग-आधारित हिंसा

कानून, जिनमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज संबंधी अपराधों से संबंधित कानून भी शामिल हैं, महिलाओं को प्राथमिक पीड़ित और पुरुषों को अपराधी मानकर बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है, लेकिन महिला साथियों द्वारा भावनात्मक या शारीरिक शोषण का सामना करने वाले पुरुषों के लिए कोई पारस्परिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती (कुमार और सिंह, 2017)। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हुए भी, ये कानून अनजाने में पुरुष पीड़ितों की अनदेखी कर सकते हैं या उन्हें अपराधी भी बना सकते हैं, जिससे यह गलत धारणा और मजबूत होती है कि पुरुषों को परेशान नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, भारत में मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति पुरुष उत्पीड़न को तुच्छ समझने वाली रूढ़ियों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। पीड़ित होने का दावा करने वाले पुरुषों को अक्सर कमजोर, उपहास का पात्र या गुप्त इरादों का आरोपी बताया जाता है। फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में, रिश्तों में पुरुषों की पीड़ा या झूठे आरोपों पर मज़ाक उड़ाया जाता है, जिससे उपेक्षापूर्ण रवैये को सामान्य बना दिया जाता है (मुखर्जी, 2018)। यह सांस्कृतिक चित्रण सहानुभूति को हतोत्साहित करता है और पुरुष उत्पीड़न के प्रति सामाजिक अंधविश्वास को मजबूत करता है। कम जागरूकता का एक महत्वपूर्ण कारण आँकड़ों और शोध का अभाव है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस) जैसे राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्टें मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आँकड़े इकट्ठा करती हैं, जिनमें पुरुष पीड़ितों का बहुत कम या कोई दस्तावेजीकरण नहीं होता। अनुभवजन्य साक्ष्यों के इस अभाव के कारण नीतिगत बदलावों या पुरुषों के लिए सहायता सेवाओं की वकालत करना मुश्किल हो जाता है (श्रीवास्तव, 2019)। परिणामस्वरूप, पुरुष उत्पीड़न सार्वजनिक चर्चा और नीति निर्माण की नज़रों से ओझल रहता है। उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में पुरुषों की अनिच्छा भी इस चुप्पी को बनाए रखती है। विश्वास न किए जाने का डर, सामाजिक शर्म और सहायक ढाँचे का अभाव कई लोगों को आगे आने से रोकता है। एक पितृसत्तात्मक समाज में, उत्पीड़न की बात स्वीकार करने वाले पुरुष को उसकी मर्दानगी के लिए खतरा माना जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि पुरुष पीड़ितों को अक्सर पुलिस और परामर्शदाताओं द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिससे रिपोर्ट करने की प्रक्रिया ही दर्दनाक हो जाती है (चक्रवर्ती, 2020)। सुरक्षित स्थानों या मान्यता के बिना, पुरुष पीड़ित अलगाव में पीड़ित होते रहते हैं।

इसका समाधान सबसे पहले शिक्षा और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने में निहित है। लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रमों में पुरुषों के अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए और यह सिखाया जाना चाहिए कि उत्पीड़न किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों को पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने और सहानुभूतिपूर्ण समझ पैदा करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। "#MenToo" जैसे अभियानों ने पहले ही महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया है और गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों द्वारा इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए (शर्मा, 2021)। कानूनी सुधार एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। घरेलू और कार्यस्थल पर पुरुषों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की

संभावना को मान्यता देने वाले लिंग-तटस्थ कानून न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे। कई कार्यकर्ताओं और कानूनी विद्वानों ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) जैसे कानूनों में संशोधन की वकालत की है ताकि उन्हें अधिक समावेशी बनाया जा सके (राज, 2019)। लिंग-तटस्थ शिकायत तंत्र और हेल्पलाइन स्थापित करने से अधिक पुरुष कलंक या बर्खास्तगी के डर के बिना आगे आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। परामर्श केंद्र, आश्रय स्थल और पुनर्वास कार्यक्रम जैसी सहायता प्रणालियाँ भी पुरुष पीड़ितों के लिए सुलभ होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को पुरुषों में आघात के लक्षणों को पहचानने और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों ही तरह के पुरुष-केंद्रित सहायता समूह बनाकर, पीड़ितों को अपने अनुभव साझा करने और उपचार प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा सकता है। यूके और कनाडा जैसे देशों में की गई पहल भारतीय अनुकूलन के लिए आदर्श साबित हो सकती हैं (दासगुप्ता, 2022)।

निष्कर्षतः, भारत में पुरुष उत्पीड़न के प्रति सामाजिक जागरूकता का अभाव एक बहुआयामी समस्या है जिसकी जड़ें सांस्कृतिक मानदंडों, कानूनी खामियों, मीडिया प्रतिनिधित्व और व्यवस्थागत उपेक्षा में हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें जागरूकता अभियान, लिंग-तटस्थ कानून, सहायक बुनियादी ढाँचा और पुरुषों की कमजोरियों को पहचानने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव शामिल हो। तभी भारत वास्तविक लैंगिक न्याय की ओर अग्रसर हो सकता है—जहाँ किसी भी पीड़ित को केवल उसके लिंग के कारण नज़रअंदाज़ न किया जाए।

शोध का महत्व-

इस शोध का महत्व लैंगिक न्याय के व्यापक दृष्टिकोण में इसके योगदान में निहित है। लैंगिक समानता चुनिंदा सशक्तिकरण या एकतरफा आख्यान से हासिल नहीं की जा सकती। सच्ची समानता में सभी लिंगों की जरूरतों, अधिकारों और पीड़ाओं को समझना और उनका समाधान करना शामिल है। पुरुष उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित करके, यह अध्ययन महिलाओं के संघर्षों को कमजोर नहीं करता, बल्कि व्यापक मानवाधिकारों के आंदोलन को मजबूत करता है। यह एक ऐसे समाज की वकालत करता है जहाँ हर व्यक्ति को दुर्व्यवहार से बचाया जाए, सुधार में सहयोग दिया जाए और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। यह शोध महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लैंगिक विमर्श के एक अक्सर अनदेखे पहलू 'पुरुष उत्पीड़न' को उजागर करता है। भारतीय समाज में, जहाँ लैंगिक मुद्दों को मुख्यतः महिला-केंद्रित दृष्टिकोण से देखा जाता है, यह अध्ययन पुरुष भेद्यता पर ध्यान केंद्रित करके संतुलन स्थापित करता है, जो एक ऐसा विषय है जो इनकार, कलंक और सामाजिक चुप्पी में लिपटा हुआ है। पुरुष उत्पीड़न की व्यापकता, कारणों और परिणामों की अकादमिक जाँच करके, यह शोध लैंगिक अध्ययनों के दायरे का विस्तार करने में योगदान देता है और यह सुनिश्चित करता है कि लिंग की परवाह किए बिना, हर पीड़ित की आवाज़ को स्वीकार किया जाए।

पुरुष उत्पीड़न से निपटने में एक बड़ी बाधा अनुभवजन्य डेटा का अभाव है। एनसीआरबी जैसी सरकारी संस्थाएँ पुरुष पीड़ितों के आँकड़े एकत्र नहीं करतीं, जिससे पारदर्शिता और सूचित नीति का अभाव

होता है। द्वितीयक स्रोतों और सार्वजनिक संवाद से गुणात्मक और मात्रात्मक साक्ष्यों का दस्तावेजीकरण करके, यह शोध साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण की नींव रखता है। यह सरकार और नागरिक समाज को इस मुद्दे को पहचानने और उचित कानूनी और सामाजिक तंत्र के साथ इसका जवाब देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

साहित्य समीक्षा-

नायर, पी.के. (2016). *भारत में पुरुषत्व: आधुनिकता, लिंग और राष्ट्र-राज्य*. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। यह पुस्तक इस बात को स्पष्ट करती है कि भारतीय पुरुषत्व को ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विमर्शों के माध्यम से कैसे गढ़ा गया है। नायर का तर्क है कि पुरुषत्व से जुड़ी सामाजिक अपेक्षाएँ भावनात्मक अभिव्यक्ति और भेद्यता को सीमित करती हैं, जिससे पुरुष उत्पीड़न के प्रति चुप्पी को बढ़ावा मिलता है।

कुमार, एस., और सिंह, आर. (2017). *भारत में कानूनी संरक्षण और लैंगिक तटस्थता*. जर्नल ऑफ़ लॉ एंड सोसाइटी, 25(3), 112–125। यह लेख घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित भारत के लैंगिक-विशिष्ट कानूनों की आलोचनात्मक जाँच करता है। यह पुरुष पीड़ितों के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है और लैंगिक-तटस्थ कानूनी प्रावधानों की वकालत करता है।

चक्रवर्ती, पी. (2020). *भारत में घरेलू हिंसा के पुरुष पीड़ित: एक मौन संघर्ष*. इंडियन जर्नल ऑफ़ सोशल जस्टिस, 8(2), 45–58। यह अध्ययन घरेलू हिंसा के पुरुष पीड़ितों के अनुभवों को दर्ज करने के लिए गुणात्मक साक्षात्कारों का उपयोग करता है। यह सामाजिक कलंक और संस्थागत समर्थन के अभाव को न्याय की राह में प्रमुख बाधाओं के रूप में उजागर करता है।

मुखर्जी, ए. (2018). *भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में लैंगिक रूढ़िवादिता*। मीडिया स्टडीज़ रिव्यू, 14(1), 65–80। यह लेख भारतीय मीडिया और सिनेमा में पुरुषत्व के चित्रण का विश्लेषण करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि पुरुषों को अक्सर आक्रामक या हास्य-व्यंग्य के शिकार के रूप में दिखाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा कम हो जाती है और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग हतोत्साहित होती है।

शर्मा, वी. (2021). *भारत में #मेनटू आंदोलन: एक डिजिटल जागृति*. जेंडर एंड मीडिया स्टडीज़, 6(1), 38–54। शर्मा भारत में #मेनटू आंदोलन के उदय और पुरुष पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर चर्चा करते हैं। अध्ययन बताता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म चुप्पी और कलंक को तोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

दासगुप्ता, आर. (2022)। *पुरुष उत्पीड़न और कानूनी सुधार की आवश्यकता*। इंडियन बार रिव्यू, 12(1), 29–40। झूठे आरोपों के मामलों और लिंग-विशिष्ट कानूनों के दुरुपयोग का कानूनी विश्लेषण। दासगुप्ता झूठे आरोपों से घिरे पुरुषों द्वारा झेले जाने वाले मनोवैज्ञानिक आघात पर जोर देते हैं और कानूनी व्यवस्था में सुरक्षा उपायों की वकालत करते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी). (2022). भारत में अपराध 2021: आँकड़े. भारत सरकार. हालाँकि यह रिपोर्ट मुख्य रूप से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर केंद्रित है, यह पुरुष-विशिष्ट अपराध आँकड़ों की अनुपस्थिति के लिए एक मूल्यवान संदर्भ बिंदु प्रदान करती है, जो पुरुष उत्पीड़न की संस्थागत अदृश्यता को दर्शाती है।

अध्ययन के उद्देश्य-

- भारतीय समाज में पुरुष उत्पीड़न के बारे में जागरूकता और मान्यता की कमी में योगदान देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक, कानूनी और संस्थागत कारकों की जाँच करना।
- व्यावहारिक समाधानों की पहचान करना—जैसे लिंग-तटस्थ कानूनी सुधार, जागरूकता अभियान और सहायता प्रणालियाँ।

अनुसंधान पद्धति-

भारतीय समाज में पुरुष उत्पीड़न की गहराई और जटिलता को समझने में शोध पद्धति का चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अध्ययन गुणात्मक शोध दृष्टिकोण अपनाता है, जो पुरुषों के उत्पीड़न से जुड़े अनुभवों, सामाजिक धारणाओं और सांस्कृतिक आख्यानों का गहन अन्वेषण करने में मदद करता है। साक्षात्कारों, केस स्टडीज़ और विषयगत सामग्री विश्लेषण के माध्यम से, गुणात्मक विधियाँ उन भावनात्मक और सामाजिक बाधाओं को उजागर करने में मदद करती हैं जो पुरुषों को खुलकर बोलने या समर्थन प्राप्त करने से रोकती हैं। यह उन अंतर्निहित सामाजिक मान्यताओं को समझने में भी मदद करती है जो इस मुद्दे की अदृश्यता में योगदान करती हैं। गुणात्मक उपकरणों के अलावा, कानूनी दस्तावेजों, मीडिया रिपोर्टों, शैक्षणिक साहित्य और आधिकारिक अपराध आँकड़ों से द्वितीयक आँकड़े एकत्र करने के लिए एक वर्णनात्मक शोध डिज़ाइन का उपयोग किया गया है। यह मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण समस्या की व्यापक और अधिक संतुलित समझ सुनिश्चित करता है। यह कानूनी संरक्षण, नीति कार्यान्वयन और सार्वजनिक संवाद में पैटर्न, प्रवृत्तियों और कमियों की पहचान करने में मदद करता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निष्कर्षों को त्रिकोणीय करके, यह पद्धति अध्ययन की वैधता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है। अध्ययन में लिंग-तटस्थ कानूनों को अपनाने वाले अन्य देशों की कानूनी प्रणालियों और सहायक संरचनाओं की समीक्षा करके तुलनात्मक विश्लेषण शामिल किया गया है। यह पद्धतिगत उपकरण भारतीय संदर्भ में सुधार के लिए व्यावहारिक सुझाव तैयार करने में मदद करता है। कुल मिलाकर, चुनी गई पद्धति इस मुद्दे की एक व्यापक जाँच सुनिश्चित करती है, जिसमें व्यक्तिगत आख्यानों, सांख्यिकीय साक्ष्यों और नीति विश्लेषण को मिलाकर पुरुष उत्पीड़न से संबंधित कारणों और समाधानों की एक व्यापक समझ विकसित की जाती है।

तथ्यात्मक विश्लेषण-

यह अध्ययन भारतीय समाज में पुरुष उत्पीड़न के दायरे और उपेक्षा को समझने के लिए मौजूदा कानूनी ढाँचों, अपराध आँकड़ों और मीडिया रिपोर्टों का अध्ययन करने हेतु द्वितीयक डेटा विश्लेषण का उपयोग

करता है। चूँकि एनसीआरबी जैसी सरकारी संस्थाएँ पुरुष उत्पीड़न को पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं करती हैं, इसलिए विश्लेषण में कानूनी मामलों की समीक्षा, हेल्पलाइन रिपोर्ट और स्वतंत्र सर्वेक्षण जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर भी विचार किया गया है।

तालिका : लिंग-विशिष्ट उत्पीड़न कानूनों और पुरुष पीड़ितों की रिपोर्टिंग पर द्वितीयक डेटा

स्रोत	मुख्य क्षेत्र	निष्कर्ष	प्रासंगिकता
एनसीआरबी, भारत में अपराध 2021	राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी	घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न के पुरुष पीड़ितों पर कोई डेटा एकत्र नहीं किया गया।	पुरुष उत्पीड़न की संस्थागत अदृश्यता पर प्रकाश डाला गया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)	अधिनियम के अंतर्गत केवल महिलाओं को ही पीड़ित पक्ष माना जाता है।	कानूनी संरक्षण में लिंग-विशिष्ट पूर्वाग्रह दर्शाता है।
सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन रिपोर्ट (2020)	पुरुष हेल्पलाइन डेटा	प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक कॉल पुरुषों द्वारा उत्पीड़न, भावनात्मक दुर्व्यवहार या झूठे आरोपों के संबंध में आती हैं।	यह दर्शाता है कि वास्तविक जीवन के मामले आधिकारिक रूप से दस्तावेजित नहीं होते।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जैसे, राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2017)	आईपीसी की धारा 498ए का कानूनी दुरुपयोग	अदालत ने दहेज विरोधी कानूनों के दुरुपयोग को स्वीकार किया; आरोपी पुरुषों की गिरफ्तारी में सावधानी बरतने को कहा।	कानूनी प्रणाली संभावित दुरुपयोग को पहचानने लगी है।
शर्मा (2021), #मेनटू मूवमेंट	सोशल मीडिया और सक्रियता	हजारों पुरुषों द्वारा बिना किसी औपचारिक कानूनी समर्थन के ऑनलाइन साक्ष्य साझा किए गए।	पुरुष वकालत में अनौपचारिक स्थानों की भूमिका को प्रदर्शित करता है।
चक्रवर्ती (2020), घरेलू हिंसा के पुरुष पीड़ित	शैक्षणिक अनुसंधान	भारत भर में 40 पुरुष पीड़ितों के साथ साक्षात्कार से पुलिस द्वारा की गई शर्म, कलंक और अस्वीकृति का पता चलता है।	सामाजिक अस्वीकृति में गुणात्मक अंतर्दृष्टि जोड़ता है।
यूएनडीपी इंडिया (2019), लैंगिक असमानता रिपोर्ट	भारत में लिंग नीतियाँ	पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया; पुरुष पीड़ित अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।	एकतरफा नीति निर्धारण का खुलासा।
मीडिया कवरेज (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 2019)	झूठे आरोपों की रिपोर्ट	कई हाई-प्रोफाइल झूठे यौन उत्पीड़न मामलों ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।	पुरुष अधिकारों पर चर्चा को बढ़ावा देता है और तटस्थता का आह्वान करता है।

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत द्वितीयक आँकड़े भारत में पुरुषों के उत्पीड़न और उसकी संस्थागत मान्यता के बीच एक स्पष्ट विसंगति को उजागर करते हैं। बढ़ते उपाख्यानो और जमीनी स्तर के प्रमाणों के बावजूद, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) जैसे आधिकारिक आँकड़ों के स्रोत घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न के पुरुष पीड़ितों को दर्ज करने में विफल रहते हैं, जो एक बुनियादी संस्थागत अदृश्यता को दर्शाता है। आँकड़ों के स्तर पर यह बहिष्करण इस धारणा को पुष्ट करता है कि पुरुष पीड़ित नहीं हो सकते, जिससे नीतिगत और कानूनी ढाँचे, दोनों में प्रणालीगत उपेक्षा को बढ़ावा मिलता है।

भारत में कानूनी संरचना, जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) द्वारा दर्शाया गया है, केवल महिलाओं को ही पीड़ित पक्ष के रूप में मान्यता देती है। इस तरह का लिंग-विशिष्ट कानूनी संरक्षण विधायी ढाँचे में स्पष्ट पूर्वाग्रह को इंगित करता है, जो पुरुष पीड़ितों को औपचारिक चैनलों के माध्यम से न्याय पाने से बाहर करता है। यहां तक कि जब न्यायपालिका, जैसा कि राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य (2017) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देखा गया है, धारा 498A आईपीसी (दहेज विरोधी कानून) जैसे कानूनों के दुरुपयोग को स्वीकार करती है, तो सुधार सीमित और सतर्क रहते हैं, लिंग-तटस्थ विकल्पों की ओर कोई कदम नहीं उठाते हैं। यह चयनात्मक कानूनी सुधार इस विचार को पुष्ट करता है कि पुरुषों की पीड़ा कानूनी रूप से हाशिए पर है। जमीनी स्तर पर, सेव इंडियन फ़ैमिली फ़ाउंडेशन जैसे संगठनों के अनुसार, उन्हें पुरुषों से सालाना 25,000 से ज्यादा संकटकालीन कॉल प्राप्त होते हैं, जिनमें से कई उत्पीड़न, झूठे आरोपों या भावनात्मक शोषण का सामना करते हैं। ऐसे मामलों की व्यापकता के बावजूद, आधिकारिक अपराध आँकड़ों में इनका जिक्र नहीं होता, जो आँकड़ों और नीतियों के बीच के अंतर की ओर इशारा करता है जो प्रभावी शासन या हस्तक्षेप में बाधा डालता है। इसी तरह, #MenToo जैसे आंदोलन इस शून्य को भरने के लिए सोशल मीडिया पर उभरे हैं, जहाँ बिना किसी औपचारिक कानूनी सहायता के पुरुषों द्वारा हजारों गवाहियाँ साझा की गई हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे अनौपचारिक डिजिटल सक्रियता संस्थागत न्याय का एक विकल्प बन गई है। इसके अलावा, अकादमिक शोध (चक्रवर्ती, 2020) पुरुष घरेलू हिंसा से बचे लोगों का साक्षात्कार करके गुणात्मक गहराई प्रदान करता है, जो कानून प्रवर्तन द्वारा प्रचलित सामाजिक कलंक, शर्म और अस्वीकृति को उजागर करता है। यह सामाजिक-सांस्कृतिक इनकार पीड़ितों के आघात को बढ़ाता है और उन्हें न्याय प्रणाली तक पहुँचने से रोकता है। अंत में, यूएनडीपी इंडिया की लैंगिक असमानता रिपोर्ट (2019) जैसी रिपोर्टों द्वारा नीतिगत पूर्वाग्रह पर और जोर दिया गया है, जो विशेष रूप से महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित है, पुरुष पीड़ित अधिकारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। हाई-प्रोफाइल मामलों में झूठे आरोपों की मीडिया कवरेज (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 2019) ने सार्वजनिक प्रवचन को लैंगिक तटस्थता की ओर मोड़ना शुरू कर दिया है।

संक्षेप में, प्रस्तुत आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि पुरुष उत्पीड़न वास्तविक है और बढ़ रहा है, फिर भी भारत के संस्थागत, कानूनी और नीतिगत आख्यानो में इसकी पहचान काफ़ी हद तक अनुपस्थित है। यह सुनिश्चित

करने के लिए कि न्याय को लिंग द्वारा परिभाषित या अस्वीकार न किया जाए, लिंग-तटस्थ कानूनी सुधारों, समावेशी डेटा संग्रह और जन जागरूकता अभियानों की अत्यंत आवश्यकता है।

कानूनी दस्तावेजों, सरकारी रिपोर्टों, मीडिया लेखों और गैर-सरकारी संगठनों के निष्कर्षों सहित द्वितीयक स्रोतों से एकत्रित आँकड़े भारत में पुरुष उत्पीड़न के प्रति संस्थागत उपेक्षा के एक सतत पैटर्न को उजागर करते हैं। **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)** घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के पुरुष पीड़ितों के लिए अलग से आँकड़े नहीं रखता है। अलग-अलग आँकड़ों का यह अभाव इस मिथक को पुष्ट करता है कि पुरुषों में ऐसे अनुभव दुर्लभ हैं या मौजूद ही नहीं हैं। **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005)** का गहन अध्ययन एक लैंगिक-विशिष्ट कानूनी ढाँचे को उजागर करता है। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से केवल महिलाओं को ही "पीड़ित व्यक्ति" के रूप में परिभाषित करता है, जिससे पुरुष पीड़ित कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं। हालाँकि यह कानून महिलाओं की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसमें समावेशिता का अभाव पुरुष पीड़ितों के लिए समानता और कानूनी निवारण के अधिकार पर सवाल खड़े करता है।

सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन (एसआईएफएफ) जैसे गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्टें इस कानूनी पूर्वाग्रह के वास्तविक दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर **हर साल 25,000 से ज्यादा कॉल** आते हैं, जिनमें पुरुष मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक ब्लैकमेल और झूठे आरोपों का शिकार होने का दावा करते हैं। फिर भी, इन मामलों में कानूनी कार्रवाई शायद ही कभी होती है, मुख्यतः मदद मांगने पर पुरुषों को होने वाले कलंक और संस्थागत सहायता के अभाव के कारण। **न्यायिक आँकड़े इन निष्कर्षों का और समर्थन करते हैं। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017)** के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित) के दुरुपयोग को स्वीकार किया। न्यायालय ने कहा कि कई मामले अतिशयोक्ति या प्रतिशोध पर आधारित थे और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की माँग की। हालाँकि, इस न्यायिक मान्यता के बावजूद, निदोष पुरुषों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थागत सुधारों का अभाव बना हुआ है।

चक्रवर्ती (2020) जैसे अकादमिक शोध ने 40 पुरुष पीड़ितों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण करके विश्लेषण को और गहराई दी है। अध्ययन में पाया गया कि पुरुष न केवल पुरुषत्व की सामाजिक अपेक्षाओं के कारण चुपचाप पीड़ित होते हैं, बल्कि जब वे दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें खारिज कर दिया जाता है। इससे दोहरा उत्पीड़न होता है: पहला दुर्व्यवहार के माध्यम से और दूसरा सामाजिक अमान्यता के माध्यम से। मीडिया अक्सर पुरुष उत्पीड़न को कमतर आंकता है या उसे हास्य के रूप में प्रस्तुत करता है। **मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्मों और टीवी धारावाहिकों** के विश्लेषण से पता चलता है कि रिश्तों में पुरुषों की पीड़ा को या तो हंसी के लिए दिखाया जाता है या पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। इस तरह के चित्रण हानिकारक रूढ़िवादिता को मजबूत करते हैं जो पुरुषों को

अपनी कमजोरी स्वीकार करने से हतोत्साहित करते हैं, जिससे जागरूकता और रिपोर्टिंग और भी कम हो जाती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त आंकड़े, खासकर #MenToo आंदोलन से संबंधित, पुरुषों के उत्पीड़न का एक महत्वपूर्ण लेकिन अनौपचारिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं। भारतीय पुरुषों के हज़ारों बयान ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें भावनात्मक शोषण, झूठे बलात्कार के आरोपों और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों का वर्णन है। हालाँकि ये आंकड़े केवल किस्से-कहानियों पर आधारित हैं, लेकिन इनकी विशाल मात्रा एक गंभीर सामाजिक चिंता का संकेत देती है जिसकी औपचारिक स्वीकृति आवश्यक है। आँकड़ों के विश्लेषण में **पुरुष-केंद्रित जन जागरूकता अभियानों का अभाव** भी उल्लेखनीय है। *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* जैसे सरकारी कार्यक्रम केवल महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं—जो आवश्यक और ज़रूरी है, लेकिन इनमें समाज को निष्पक्षता, कानूनी तटस्थता और आपसी सम्मान के बारे में शिक्षित करने की समानांतर आवश्यकता शामिल नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अभियानों की समीक्षा से पता चलता है कि पुरुष उत्पीड़न जागरूकता के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएँ एक विपरीत तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में लिंग-तटस्थ घरेलू हिंसा कानून हैं जो लिंग की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों को मान्यता देते हैं। उनके कानूनी पाठ्य-पुस्तकों और अपराध आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पुरुषों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने की दर अधिक है और सहायता प्रणालियों तक पहुँच बेहतर है, जिससे पता चलता है कि कानूनी समावेशन से सामाजिक धारणा और पीड़ितों का आत्मविश्वास बढ़ता है।

संक्षेप में, ये आँकड़े भारतीय समाज में **पुरुष उत्पीड़न के प्रति एक व्यवस्थित उपेक्षा को स्पष्ट** रूप से दर्शाते हैं—कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से। पुरुषों को कानूनी सुरक्षा से वंचित रखना, सांख्यिकीय दस्तावेजीकरण का अभाव, और पुरुषों की कमजोरियों से जुड़ा सांस्कृतिक उपहास, ये तीनों मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाते हैं जो चुप्पी और कलंक को बनाए रखती है। लिंग-तटस्थ ढाँचों और समावेशी सार्वजनिक संवाद के बिना, पुरुष उत्पीड़न और संस्थागत प्रतिक्रिया के बीच की खाई और चौड़ी होती जाएगी।

निष्कर्ष-

भारतीय समाज में पुरुष उत्पीड़न का मुद्दा गहरी जड़ें जमाए बैठी लैंगिक रूढ़ियों, कानूनी विषमताओं और अनुभवजन्य दस्तावेजीकरण के अभाव के कारण अभी भी गंभीर रूप से कम पहचाना जाता है। हालाँकि महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं - जो एक आवश्यक और महत्वपूर्ण मुद्दा है - लेकिन इसके कारण पुरुष पीड़ितों को अनजाने में दरकिनार कर दिया गया है, जो पारंपरिक पुरुषत्व और सामाजिक कलंक के बोझ तले चुपचाप पीड़ित रहते हैं। भारत में कानूनी ढाँचा काफी हद तक एकतरफा बना हुआ है, जो अक्सर पुरुषों को उस सुरक्षा या उपचार से वंचित करता है जो समान परिस्थितियों में महिलाओं को उपलब्ध हैं। द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण और विद्वत्तापूर्ण साहित्य से पता चलता है कि पुरुषों को विभिन्न रूपों में—भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी—उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सीमित

संस्थागत सहायता और लगभग कोई आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती। लैंगिक-तटस्थ कानूनों के अभाव, मीडिया के उपहास और सार्वजनिक अज्ञानता के साथ मिलकर, एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा मिला है जहाँ पुरुषों के उत्पीड़न को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यह उपेक्षा न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, बल्कि आबादी के एक पूरे वर्ग के लिए न्याय और पुनर्वास में बाधाएँ भी पैदा करती है।

इस अंतर को पाटने के लिए, एक आदर्श बदलाव की तत्काल आवश्यकता है—ऐसा बदलाव जो लैंगिक भेदभाव से आगे बढ़े और उत्पीड़न की सूक्ष्म वास्तविकता को एक मानवीय मुद्दे के रूप में स्वीकार करे, न कि केवल महिलाओं का। लिंग-तटस्थ कानून लागू करना, मौजूदा नीतियों में सुधार करना, पुरुषों के उत्पीड़न पर विश्वसनीय आँकड़े तैयार करना और समावेशी सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना, एक अधिक संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण समाज की दिशा में आवश्यक कदम हैं। केवल तभी जब सभी पीड़ितों की आवाज़ को स्वीकार किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा, भारत वास्तव में सभी के लिए न्याय, समानता और सम्मान को बनाए रखने का दावा कर सकता है।

संदर्भ-ग्रन्थ सूची-

- कुमार, एस., और सिंह, आर. (2017). भारत में कानूनी संरक्षण और लैंगिक तटस्थता. *जर्नल ऑफ लॉ एंड सोसाइटी*, 25(3), 112–125.
- चक्रवर्ती, पी. (2020). भारत में घरेलू हिंसा के पुरुष पीड़ित: एक मौन संघर्ष. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल जस्टिस*, 8(2), 45–58.
- द टाइम्स ऑफ़ इंडिया. (2019). झूठे उत्पीड़न के मामले ने पुरुषों के अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. <https://timesofindia.indiatimes.com>
- दासगुप्ता, आर. (2022). पुरुष उत्पीड़न और कानूनी सुधार की आवश्यकता. *इंडियन बार रिव्यू*, 12(1), 29–40.
- नायर, पी.के. (2016). भारत में पुरुषत्व: आधुनिकता, लिंग और राष्ट्र-राज्य. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय. (2017). राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एससीसी ऑनलाइन एससी 821.
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2020). *वार्षिक रिपोर्ट 2019–2020*. भारत सरकार. <https://wcd.nic.in/sites/default/files/Annual%20Report%202019-20.pdf>
- मुखर्जी, ए. (2018). भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में लैंगिक रूढ़िवादिता. *मीडिया स्टडीज़ रिव्यू*, 14(1), 65–80.

- राज, ए. (2019). समावेशी न्याय की ओर: भारत में लैंगिक कानूनों पर पुनर्विचार. *लॉ एंड पॉलिसी जर्नल*, 10(2), 101–117.
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. (2022). भारत में अपराध 2021: आँकड़े. भारत सरकार. <https://ncrb.gov.in/en/crime-india-2021>
- शर्मा, वी. (2021). भारत में #मेनटू आंदोलन: एक डिजिटल जागृति. *जेंडर एंड मीडिया स्टडीज़*, 6(1), 38–54.
- श्रीवास्तव, एस. (2019). लापता पुरुष: लैंगिक हिंसा अनुसंधान में डेटा की कमी. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी*, 7(3), 76–89.
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत. (2019). लैंगिक असमानता रिपोर्ट. <https://www.in.undp.org>
- सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन. (2020). हेल्पलाइन सांख्यिकी रिपोर्ट. SIFF. <https://www.saveindianfamily.org/>

Manuscript Timeline

Submitted : May 27, 2025

Accepted : June 10, 2025

Published : June 30, 2025

अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता का मानसिक स्वास्थ्यपर प्रभावडॉ. सारिका राय शर्मा¹जेस्पेंदर सिंह²

सारांश

वर्तमान डिजिटल युग में लोगों के बीच व्हाट्सऐप का उपयोग बढ़ा है। व्हाट्सऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसने लोगों के बीच संवाद और सहयोग के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। लोग प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं जिसके कारण यह उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। वर्तमान अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) के शिक्षा विभाग में बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अध्येताओं की अत्यधिक व्हाट्सऐप संलग्नता के फलस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास करता है। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत आकड़ों के संकलन हेतु 80 अध्येताओं से स्वनिर्मित मिश्रित प्रश्नावली के माध्यम से आकड़ें एकत्रित किए गए। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत निष्कर्ष रूप में पाया गया कि एक तरफ व्हाट्सऐप से अध्येताओं के बीच सहयोग बढ़ा है और उनकी सूचनाओं तक त्वरित पहुँच बढ़ी है, जिससे सीखने की प्रक्रिया आसान हुई है; तो दूसरी तरफ, इसके अत्यधिक उपयोग से उनकी शिक्षा, व्यवहार एवं दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। इसने अध्येताओं के अध्ययन के समय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। निरंतर नोटिफिकेशन्स की आवाज से अध्येताओं में चिंता, तनाव, एकाग्रता की कमी जैसे लक्षण देखने को मिले हैं। इसके आलावा अध्येता अपने वास्तविक सामाजिक मेल-जोल के बजाय वर्चुअल दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे उनमें सामाजिकता की कमी आयी है अर्थात् वे निजी तौर पर लोगों से आमने-सामने संवाद करने से बचते हैं जिसके चलते उनके संप्रेषण कौशल में भी कमी देखी गयी है।

मुख्य शब्द- अध्यापक शिक्षा संस्थान, व्हाट्सऐप संलग्नता, मानसिक स्वास्थ्य, वर्चुअल दुनिया, संप्रेषण कौशल में कमी।

प्रस्तावना-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। नए आविष्कारों और खोजों ने मानव जीवन को बहुत आसान बना दिया है। व्यक्ति अपने छोटे-से-छोटे कार्यों के लिए भी

¹ सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र-442001.

² शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र-442001.

उपकरणों का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसे उपकरणों से एक-दूसरे से जुड़ने में मदद मिली है। इनकी वजह से संचार पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है। व्हाट्सऐप इन्हीं प्रौद्योगिकी में हुए विकासों में से एक है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में से एक है, जिसका उपयोग आमतौर पर स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर किया जाता है। व्हाट्सऐप की शुरुआत ब्रायन एक्टन (Brian Acton) और जान कौम (Jan Koum) ने की थी। व्हाट्सऐप को 24 फरवरी, 2009 को कैलिफोर्निया में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसका शुरुआती उद्देश्य एक ऐसा ऐप बनाना था जो एसएमएस (SMS) का एक बेहतर और सस्ता विकल्प प्रदान करे। धीरे-धीरे, इसमें मैसेजिंग की सुविधा जोड़ी गई और यह लोकप्रिय होने लगा। 2013 तक इसके 200 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हो गए थे। आज, व्हाट्सऐप दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक है, जिसके 3 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं और अनुमान है कि वर्ष 2025 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 3.14 बिलियन हो जाएगी। यह संचार का एक अभिन्न अंग बन गया है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह से उपयोग होता है (विकिपीडिया)। वर्तमान में, व्हाट्सऐप के 180 से अधिक देशों और 60 से अधिक भाषाओं में 3 बिलियन से अधिक सक्रिय उपभोक्ता हैं जो व्हाट्सऐप का अपने विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग करते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही व्हाट्सऐप के भी सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव हैं। व्हाट्सऐप ने लोगों को उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, प्रियजनों से सीधे संपर्क में जोड़ा है भले ही वे कितने ही दूर हों। ग्रुप चैट की सुविधा एक साथ कई लोगों से बात करना आसान बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। हालांकि व्हाट्सऐप के अत्यधिक उपयोग से विद्यार्थियों पर इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप के उपयोग से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करता है।

शोध का महत्व एवं औचित्य-

आज के डिजिटल युग में, शिक्षा का स्वरूप जैसे बदल रहा है ऐसे में व्हाट्सऐप जैसे डिजिटल माध्यमों की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, जहाँ भविष्य के शिक्षकों को तैयार किया जाता है। इस संदर्भ में, यह शोध अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता के फलस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में व्हाट्सऐप के बढ़ते उपयोग को संज्ञान में रखते हुए इस शोध अध्ययन द्वारा बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम के अध्येताओं यह अंतर्दृष्टि विकसित होगी कि विद्यार्थियों द्वारा घंटों तक व्हाट्सऐप के उपयोग की निरर्थक संलग्नता को कैसे उनकी अर्थपूर्ण संलग्नता में बदला जा सकता है। व्हाट्सऐप के अत्यधिक उपयोग से कई बार विद्यार्थियों में बहुत-सी मनोवैज्ञानिक विकृतियां जैसे तनाव, चिंता, एकाग्रता की कमी और अकेलेपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस शोध के माध्यम से उन मनोवैज्ञानिक विकृतियों से परिचित होने से उनके निवारण हेतु जागरूक हो पाएंगे। यदि व्हाट्सऐप के प्रयोग करने के पैटर्न को समझ लिया जाए कि व्हाट्सऐप का प्रयोग क्यों, कितना एवं किन-किन कार्यों हेतु किया जाता है एवं इसकी लत कितनी है तो हम

उसके विकल्प की तलाश भी कर सकते हैं। संक्षेप में, यह शोध भावी शिक्षकों को डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी से व्यवहार करने और अपने मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

व्हाट्सऐप के अत्यधिक उपयोग से न सिर्फ समय की बर्बादी होती है, बल्कि यह लोगों की जीवन शैली को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, विशेषकर किशोरों एवं युवा वर्ग को। अपने जरूरी कामों को छोड़कर वे घंटों अपने फोन पर व्हाट्सऐप चलाते रहते हैं। उनके तय समय पर सोने जागने के तौर तरीके बदल गए हैं। रात में घंटों व्हाट्सऐप के उपयोग के परिणामस्वरूप रात को नींद पूरी न होने के कारण वे कई मनोवैज्ञानिक विकृतियों से भी प्रभावित हो रहे हैं। उनमें एकाग्रता की कमी, सिर में दर्द, आँखों का भारी होना, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आदि जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं (भट्ट एवं अरशद, 2016)। पूर्व में हुए शोध अध्ययन यह बताते हैं कि मनोरोग चिकित्सकों के अनुसार व्हाट्सऐप जैसी एप्लीकेशन के अत्यधिक उपयोग करने से लोगों को इसका नशा लग जाता है और वे अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता छोड़कर घंटों कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं। इससे उनमें सामाजिक गुणों का विकास भी नहीं हो पाता है। अधिक देर तक मोबाइल फोन के उपयोग से कई शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया (व्हाट्सऐप) आज लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, उससे बचने की आवश्यकता है क्योंकि जब किसी भी चीज का उपयोग सीमा से अधिक होने लगता है तो वह वरदान नहीं अभिशाप बन जाती है।

शोध कथन-

अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।

संबंधित साहित्य की समीक्षा-

इरफ़ान एवं धिम्मर (2019) द्वारा “इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप मैसेंजर ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स: अ सोशियोलॉजिकल स्टडी” पर किया गया शोध अध्ययन एक प्रश्नावली के साथ 105 उत्तरदाताओं पर आयोजित किया गया और इसमें यह पाया गया कि व्हाट्सऐप संचार को आसान और तेज़ बनाने का एक माध्यम अवश्य है किन्तु इसके साथ साथ यह युवाओं पर गहरा नकारात्मक प्रभाव भी डालता है जिससे उनकी शिक्षा, व्यवहार और दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित होती है।

भट्ट एवं अरशद (2016) द्वारा “इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप ऑन यूथ : अ साइकोलॉजिकल स्टडी” शोध अध्ययन आगरा के (भारत) 100 उत्तरदाताओं पर आयोजित किया गया था और एक साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग प्रदत्त संग्रह हेतु किया गया था। इस अध्ययन के अंतर्गत अनुभवजन्य रूप से जांच करने पर यह पाया गया कि व्हाट्सऐप का युवाओं पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह विद्यार्थियों के अध्ययन के समय को बहुत बर्बाद करता है और उनकी वर्तनी कौशल और वाक्यों के व्याकरणिक निर्माण को खराब करता है। इस ऐप का अत्यधिक उपयोग नशे की लत के समान पाया गया, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल पाया

गया। इसका प्रभाव इतना अधिक था कि उपयोगकर्ता अपनी वास्तविक दुनिया को छोड़ देते थे, उनकी पूरी भावनात्मक भागीदारी व्हाट्सऐप तक सीमित थी। वे लगातार चैटिंग, उत्तर देने और विचारों को साझा करने से खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे।

बाबुराव (2018) द्वारा किए गए शोध अध्ययन “द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप मैसेंजर यूसेज ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस” में उन्होंने पाया कि व्हाट्सऐप के उपयोग की गहनता बढ़ने से विद्यार्थियों का अध्ययन समय बर्बाद होता है, एकाग्रता में कमी आती है, वे अपना अभिहस्तांकन कार्य भी समय पर नहीं कर पाते हैं और अपने स्व-अध्ययन की समय सारणी का पालन भी नहीं कर पाते हैं।

राय (2016) द्वारा किया गया शोध अध्ययन “सोशल मीडिया के उपयोग के बाद युवाओं की पुस्तकों से बढ़ती दूरी का अध्ययन” के अंतर्गत उन्होंने पाया कि सोशल मीडिया साईट खासकर इंस्टेंट मेसेजिंग सर्विस जैसे व्हाट्सऐप का बढ़ता उपयोग लोगों को वास्तविक ज्ञान से दूर कर एक आभासी दुनिया की ओर खींच रहा है, जिसकी सच्चाई का लोगों को पता ही नहीं है।

सरकार (2015) द्वारा किया गया शोध अध्ययन “इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप मैसेंजर ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स: ए साइकोलॉजिकल स्टडी” बेगम रोकिया विश्वविद्यालय, रंगपुर (बांग्लादेश) के 200 उत्तरदाताओं पर आयोजित किया गया था और एक साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग डेटा संग्रह के उपकरण के रूप में किया गया था। यह पाया गया कि व्हाट्सऐप विद्यार्थियों के अध्ययन के समय को बहुत बर्बाद करता है जिसकी वजह से वे अपना कार्य भी समय पर समाप्त नहीं कर पाते हैं। इस ऐप को एक लत (नशे) की तरह पाया गया है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह प्रभाव इतना अधिक है कि उपयोगकर्ता की खुशी या उदासी उस उत्तर पर निर्भर करती है जो उन्हें अन्य उपयोगकर्ताओं से प्राप्त होता है।

संक्रियात्मक परिभाषा-

- **अध्यापक शिक्षा संस्थान-** “अक्सर शिक्षा को एक अधिक स्थायी भविष्य बनाने की महान आशा के रूप में देखा जाता है। अध्यापक शिक्षा संस्थान शिक्षा और समाज को बदलने में महत्वपूर्ण परिवर्तनशील घटक के रूप में कार्य करते हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थान न केवल नए शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, बल्कि वे सेवारत शिक्षकों के ज्ञान और कौशल को भी अपडेट करते हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थान पाठ्यक्रम बनाते हैं, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु अभ्यास प्रदान करते हैं, पाठ्य पुस्तकों में योगदान करते हैं, स्थानीय विद्यालयों से परामर्श करते हैं, इसके अतिरिक्त अक्सर शिक्षा के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मंत्रालयों के लिए विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थान सरकार और प्रशासन के साथ काम करके नीति निर्धारण का कार्य भी करते हैं (UNESCO, 2015)।” प्रस्तुत शोध अध्ययन में अध्यापक शिक्षा संस्थान से तात्पर्य महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के शिक्षा विभाग से है जहाँ एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त बी.एड. एवं एम.एड. जैसे अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

- **अध्येता-** अध्येता का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन करने वाला अर्थात वह व्यक्ति जो किसी विशेष विद्या के अध्ययन में संलग्न है। प्रस्तुत शोध में अध्येता से अभिप्राय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों से है।
- **व्हाट्सऐप संलग्नता-** व्हाट्सऐप स्मार्टफोन पर चलने वाली एक प्रसिद्ध तत्क्षण मेसेजिंग सेवा है। इसकी सहायता से इंटरनेट या वाई. फाई. इत्यादि का प्रयोग कर बिना किसी अन्य शुल्क के दूसरे व्हाट्सऐप उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन पर अनगिनत टेक्स्ट सन्देश (SMS), फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, कॉन्टेक्ट्स, लोकेशन, ऑडियो सन्देश, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ग्रुप वीडियो कॉल, ग्रुप चैट कर सकते हैं। संलग्नता शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी कार्य में लिप्त रहने से है। प्रस्तुत शोध में व्हाट्सऐप संलग्नता से अभिप्राय व्हाट्सऐप का उपयोग करने की तीव्रता, गहनता एवं उसके अर्थपूर्ण प्रयोजन से है।
- **मानसिक स्वास्थ्य-** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने और काम करने, और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। यह व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन में मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, तनाव का सामना करने की क्षमता, अच्छी तरह सीखने की क्षमता एवं मनोदैहिक समस्याओं के लक्षणों की अनुपस्थिति या कमी से है।

शोध प्रश्न-

- व्हाट्सऐप के माध्यम से अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है?

शोध का उद्देश्य-

- अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध का परिसीमन-

प्रस्तुत शोध महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अध्येताओं तक सीमित है।

शोध अभिकल्प-

प्रस्तुत अध्ययन मात्रात्मक उपागम के अंतर्गत एक वर्णनात्मक शोध है। इसके लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

न्यादर्श विधि-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय (महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय) के अध्यापक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित बी.एड. एवं एम.एड. कार्यक्रम के 80 अध्येताओं को सोद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन प्रविधि द्वारा न्यादर्श के रूप में लिया गया।

शोध उपकरण-

प्रस्तुत शोध में अध्यापक शिक्षा संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता के फलस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित मिश्रित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। स्वनिर्मित मिश्रित प्रश्नावली के दो भाग थे। पहले भाग में उत्तरदाता को अपने संबंध में कुछ जानकारी देनी थी। भाग दो में प्रश्नावली दी गयी थी जिसमें कुल 14 प्रश्न थे। इस प्रश्नावली में प्रतिबंधित एवं खुले दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया था। प्रश्नावली से संबंधित सभी निर्देश प्रश्नावली के प्रारंभ में ही दे दिए गए थे जिससे कि उत्तरदाता को प्रश्नावली भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इन प्रश्नों के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता के फलस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया। स्व-निर्मित मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता के फलस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए व्हाट्सऐप संलग्नता के सामाजिक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, खाली समय में व्हाट्सऐप का उपयोग, साझा की गई पोस्ट पर पछतावा, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, व्हाट्सऐप अनइन्स्टाल करने आदि से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे। स्वनिर्मित मिश्रित प्रश्नावली की विषय-वस्तु वैधता एवं आमुख वैधता विषय-विशेषज्ञों के द्वारा सुनिश्चित की गयी।

प्रदत्तों का संकलन एवं विश्लेषण-

प्रदत्तों का संकलन स्वनिर्मित मिश्रित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया। इस प्रश्नावली में प्रतिबंधित एवं खुले दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया था। प्रतिबंधित प्रश्नों पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रतिशत विश्लेषण किया गया। इसके अलावा खुले प्रश्नों के लिए प्रथम चरण में विषयगत कोडिंग की गयी। तत्पश्चात् विषयगत कोडिंग के आधार पर प्रतिशत विश्लेषण निकाला गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या-

- सामाजिक जीवन पर व्हाट्सऐप के प्रभाव के संबंध में 80 अध्येताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ कि 72.5% अध्येताओं ने माना कि व्हाट्सऐप उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहा है जिनमें से 37.5% अध्येताओं का मानना था कि व्हाट्सऐप की वजह से उनके रिश्तों (सामाजिक एवं

पारिवारिक) में सुधार आया है। शीघ्र संपर्क साधने का माध्यम होने के कारण यह विचार सम्प्रेषण में भी सहायक है और 35% अध्येताओं का एक वर्ग ऐसा भी था जो यह मानता था कि व्हाट्सऐप की वजह से उनके रिश्तों (सामाजिक एवं पारिवारिक) में दूरी के साथ-साथ भावनात्मक जुड़ाव में भी कमी आयी है। दूसरी ओर, केवल 27.5% अध्येताओं ने माना कि व्हाट्सऐप किसी भी प्रकार से उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है।

- शोध में यह बात भी सामने आयी कि 62.5% अध्येताओं ने यह माना कि व्हाट्सऐप के उपयोग का उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिसमें से 18.75% अध्येताओं ने व्हाट्सऐप को जानकारी प्राप्त करने और प्रेषित करने का सशक्त माध्यम माना। 20% अध्येताओं ने इसे रिश्ते बनाए रखने में सहायक माना। 21.25% अध्येताओं ने शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं 2.5% अध्येताओं ने मनोरंजन का माध्यम माना। वहीं, 37.5% अध्येताओं का यह भी मानना था कि व्हाट्सऐप के उपयोग से उनके जीवन पर किसी भी तरह का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- शोध से यह बात भी सामने आयी कि 33.75% अध्येताओं ने यह माना कि व्हाट्सऐप की वजह से उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे जिनमें पढ़ाई में एकाग्रता की कमी, शारीरिक गतिविधियाँ कम होने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं, वास्तविक अन्तरवैयक्तिक वार्तालाप की कमी में वृद्धि, सामाजिक कौशल में कमी, चिड़चिड़ाहट, हमेशा थका हुआ महसूस करना, जल्दी गुस्सा आना, ज्यादातर समय सिर दर्द, आँखों का भारी होना, आलस्य महसूस होना, काम को बाद के लिए टाल देना आदि का उद्भव मुख्य रूप से है। केवल 26.25% अध्येताओं ने यह माना कि व्हाट्सऐप की वजह से उनके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा 40% अध्येता संशय में थे कि व्हाट्सऐप की वजह से उनके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है अथवा नहीं।
- खाली समय (Recreational time) पर व्हाट्सऐप के प्रभाव के संबंध में 51.25% अध्येताओं ने माना कि व्हाट्सऐप ने उनके फुरसत के पलों को कम कर दिया है। वहीं, 61.25% ने इसे मनोरंजक बनाने वाला माना। 11.25% अध्येताओं ने माना कि व्हाट्सऐप ने उनके खाली समय पर कोई प्रभाव नहीं डाला। साथ ही, 21.25% अध्येता संशय में थे कि व्हाट्सऐप ने उनके खाली समय को प्रभावित किया है अथवा नहीं।
- व्हाट्सऐप पर साझा की गई किसी भी जानकारी पर पछतावा महसूस करने के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ कि 35% अध्येताओं ने माना कि व्हाट्सऐप पर साझा की गई किसी भी जानकारी पर कभी-न-कभी उन्हें पछतावा अवश्य हुआ है। इन 35% अध्येताओं में से 3.75% अध्येताओं को पछतावे का अहसास राजनीति से संबंधित पोस्ट साझा करने पर, 5% अध्येताओं को किसी अफवाह से संबंधित पोस्ट साझा करने पर, 6.25% अध्येताओं को दोस्तों को बुरा लगने वाले संदेशों को व्हाट्सऐप पर साझा करने पर, 3.75% अध्येताओं द्वारा गुस्से में किए गए संदेशों पर, 8.75% अध्येताओं द्वारा गलती से किसी और के सन्देश को किसी और के पास भेजने पर, 5% अध्येताओं ने फॉरवर्ड किए गए संदेशों के कारण और 2.5% अध्येताओं द्वारा लिखावट में अशुद्धि के कारण पछतावा

महसूस किया। वहीं, 65% अध्येताओं का यह मानना था कि व्हाट्सऐप पर साझा की गई किसी भी जानकारी पर उन्हें कभी भी कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि वे व्हाट्सऐप का उपयोग बहुत सोच-समझ कर करते हैं, वे बिना सोचे-समझे कुछ भी पोस्ट नहीं करते हैं।

- व्हाट्सऐप के कारण स्वयं में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन महसूस करने के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ कि 42.5% अध्येताओं द्वारा यह माना गया कि व्हाट्सऐप की वजह से वे स्वयं में मनोवैज्ञानिक बदलाव महसूस करते हैं। इन मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों में मुख्य रूप से इंटरनेट न होने पर समाज से कटाव महसूस होना, तनाव एवं चिड़चिड़ापन महसूस होना, एकाग्रता की कमी, जलन, दूरी का अहसास, मानसिकता पर नियंत्रण आदि है। वहीं, 57.5% अध्येताओं द्वारा व्हाट्सऐप की वजह से स्वयं में किसी भी प्रकार का कोई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन महसूस नहीं किया गया क्योंकि उनका मानना था कि वे व्हाट्सऐप का उपयोग सोच-समझ कर एवं सीमित समय के लिए करते हैं।
- 80 अध्येताओं से व्हाट्सऐप अनइंस्टाल करने के बाद पुनः इंस्टाल करने के समय अंतराल के संबंध में प्रश्न करने पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं से ज्ञात हुआ कि 18.8% अध्येताओं ने व्हाट्सऐप अनइंस्टाल करने 2 दिनों के बाद, 21.3% अध्येताओं ने 1 सप्ताह बाद, 5% अध्येताओं ने 2 सप्ताह बाद एवं 13.7% अध्येताओं ने 3 सप्ताह बाद व्हाट्सऐप को पुनः इंस्टाल कर लिया था। वहीं, 41.2% अध्येताओं ने यह माना कि उन्होंने कभी भी व्हाट्सऐप को अनइंस्टाल किया ही नहीं।

शोध परिणाम एवं निष्कर्ष-

प्रस्तुत उद्देश्य के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता के फलस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने पर यह बात निकल कर सामने आयी कि आधे से अधिक अध्येताओं ने यह माना कि व्हाट्सऐप ने उनके फुरसत के पलों को कम कर दिया है। वे अपना अधिकतम समय व्हाट्सऐप पर चैटिंग या बात करने में लगाते हैं। इरफान एवं धिम्मर (2019) ने भी अपने शोध अध्ययन में यही पाया कि व्हाट्सऐप संचार को तेज और आसान बनाता है। एक-चौथाई से अधिक अध्येताओं ने यह माना कि व्हाट्सऐप पर साझा की गई किसी भी जानकारी पर कभी-न-कभी उन्हें पछतावा अवश्य हुआ था और यह जानकारी राजनीति से संबंधित, अफवाह, दोस्तों को बुरा लगने वाले संदेश, किसी और का संदेश किसी और के पास जाने से, फॉरवर्ड किए गए संदेशों के कारण, लिखावट में अशुद्धि से संबंधित थी। वहीं आधे से अधिक अध्येताओं को व्हाट्सऐप पर साझा की गई किसी भी प्रकार की जानकारी पर उन्हें कभी भी कोई पछतावा नहीं हुआ था क्योंकि उनका मानना था कि वे व्हाट्सऐप का उपयोग बहुत सोच-समझकर करते हैं। शोध अध्ययन के दौरान यह भी पता चला कि एक-चौथाई से अधिक अध्येता व्हाट्सऐप की वजह से स्वयं में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन महसूस कर रहे थे। यह परिवर्तन कई प्रकार के थे जैसे इंटरनेट न होने पर समाज से कटाव महसूस करना, चिड़चिड़ाहट एवं तनाव महसूस करना, बार-बार फोन चेक करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, मानसिकता पर नियंत्रण, एकाग्रता में कमी, जलन महसूस होना, किसी एक को अधिक प्राथमिकता देना आदि। इसी कारण से लगभग आधे प्रतिशत अध्येताओं ने यह माना कि उनके मन में कभी-न-कभी व्हाट्सऐप अनइंस्टाल का विचार अवश्य आया था और उन्होंने इसके कई कारण बताए जैसे एकाग्रता

भंग होने के डर से, समय की बर्बादी, अधिक सन्देश आने से, फ़ोन स्टोरेज भर जाने पर, गुस्सा या लड़ाई के बाद, गलत संदेशों से परेशान होने पर आदि। इसके चलते कुछ अध्येताओं ने यह माना कि उन्होंने कई बार व्हाट्सऐप अनइंस्टाल भी कर दिया था किन्तु व्हाट्सऐप की आदत के चलते वे इसे उपयोग किए बिना नहीं रह सके और एक या दो दिन के अन्तराल में पुनः इंस्टाल कर लिया। भट्ट एवं अरशद (2016) तथा सरकार (2015) में भी अपने शोध अध्ययन में व्हाट्सऐप को एक नशे की लत के समान पाया था। साथ ही, राय (2016) में भी अपने शोध अध्ययन में पाया है कि व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया संचार के माध्यम व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसलिए भी नकारात्मक हैं क्योंकि यह लोगों को वास्तविकता से दूर एक आभासी दुनिया की ओर खींचता है। उपयोगकर्ता का सुख और उदासी उस पर प्राप्त प्रतिक्रिया पर निर्भर करने लगती है (सरकार, 2015)।

शैक्षिक निहितार्थ-

- प्रस्तुत शोध में पाया गया कि अध्यापक शिक्षा संस्थान के अध्येताओं की व्हाट्सऐप संलग्नता के फलस्वरूप अधिकांशतः के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है अर्थात् उन्हें स्वयं में कई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन महसूस हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्येता प्रतिदिन 3 से 4 घंटे व्हाट्सऐप का उपयोग अपने विभिन्न कार्यों हेतु करते हैं। उनकी इसी संलग्नता को अर्थपूर्ण संलग्नता में परिवर्तित किया जा सकता है।
- यह अध्ययन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या-समाधान कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा और यह अंतर्दृष्टि विकसित करेगा कि वे अपनी अनियोजित संलग्नता को अर्थपूर्ण कैसे बना सकते हैं। वे व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं, संशय साझा कर सकते हैं और सामूहिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं।
- अत्यधिक व्हाट्सऐप संलग्नता से विद्यार्थियों में तनाव, एकाग्रता में कमी या अन्य मानसिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। अतः शैक्षिक संस्थानों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अध्यापक शिक्षा संस्थान में कार्यरत अध्यापक शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के व्हाट्सऐप उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाने की अभिप्रेरणा प्रदान कर सकता है वह अपने विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण संलग्नता हेतु रणनीति निर्धारित कर सकते हैं। वे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता और डिजिटल वेलनेस (digital wellness) कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, ताकि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग संतुलित और सकारात्मक तरीके से कर सकें।
- संक्षेप में, यह अध्ययन शैक्षिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके माध्यम से वे यह समझ सकते हैं कि डिजिटल युग में विद्यार्थियों के अधिगम और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे संतुलित किया जाए।

- साथ ही यह अध्ययन अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए रणनीतियाँ विकसित करने में मदद कर सकता है, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक और मानसिक विकास दोनों को सुनिश्चित किया जा सके।

आगामी शोध हेतु सुझाव-

- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच और उपयोग के पैटर्न अलग-अलग होते हैं। इसलिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों कि व्हाट्सऐप संलग्नता के मानसिक प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- एक विशिष्ट शोध केवल इस बात के अध्ययन हेतु किया सकता है कि व्हाट्सऐप के निरंतर उपयोग से विद्यार्थियों की एकाग्रता और ध्यान देने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- विद्यार्थियों के भावनात्मक विनियमन (Emotional Regulation) के अध्ययन हेतु भी अध्ययन किया जा सकता है जिसके अंतर्गत यह देखा जा सकता है कि व्हाट्सऐप पर मिलने वाली सूचनाएँ (उदाहरण के लिए, ग्रुप चैट में विवाद, परीक्षा के डर से संबंधित संदेश) विद्यार्थियों की भावनाओं को कैसे नियंत्रित करती हैं।

संदर्भ सूची-

- <https://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>
- इरफ़ान, एम., एवं धिम्मर, एस. (2019). इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप मैसेंजर ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स: ए साइकोलॉजिकल स्टडी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यू*, 6(1), 572–586. आई.एस.एस.एन. 2348-1269, पी-आई.एस.एस.एन. 2349-5138.
- बाबुराव, एस. (2018). द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप मैसेंजर यूसेज ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट*, 191–196. आई.एस.एस.एन. 2456-6470.
- भट्ट, ए., एवं अरशद, एम. (2016). इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप ऑन यूथ: अ सोशियोलॉजिकल स्टडी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस*, 4(2), 376–386. आई.एस.एस.एन. 2445-2267.
- राय, डी. (2016). सोशल मीडिया के उपयोग के बाद युवाओं की पुस्तकों से बढ़ती दूरी का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च*, 2(6), 32–46. आई.एस.एस.एन. 2232-2455.
- सरकार, एम. (2015). इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्सऐप मैसेंजर ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस*, 2(4), 118–125. आई.एस.एस.एन. 2313-4461.

Manuscript Timeline

Submitted : May 30, 2025

Accepted : June 10, 2025

Published : June 30, 2025

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँडॉ. समरजीत यादव¹

सारांश

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल ऐतिहासिक घटनाओं या सामाजिक तथ्यों की जानकारी देना नहीं बल्कि उनमें विश्लेषणात्मक सोच, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना है। इन व्यापक उद्देश्यों के क्रियान्वयन के साथ-साथ वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान को कई चुनौतियों जैसे सामाजिक विज्ञान का हीन दर्जा, पाठ्यभार का असंतुलन, स्थानीय और समकालीन मुद्दे तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण का अभाव इत्यादि का सामना करना पड़ता है। साथ ही मूल्यांकन पद्धति में रटत शिक्षा को बढ़ावा मिलने से विद्यार्थियों की रचनात्मकता और आलोचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। इन चुनौतियों के बावजूद विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की पर्याप्त संभावनाएँ भी हैं। इस शोध लेख में विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना-

विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में सामाजिक विज्ञान का विशेष स्थान है क्योंकि यह न केवल विद्यार्थियों को सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक चेतना, राजनीतिक समझ और आर्थिक बोध प्रदान करता है बल्कि उन्हें एक जागरूक, उत्तरदायी और विवेकवान नागरिक बनने की दिशा में भी अग्रसर करता है (एनसीईआरटी, 2005)। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ विविधता, असमानता और जटिलता समाज का स्थायी लक्षण है वहाँ सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। हालांकि यह विडंबना है कि सामाजिक विज्ञान को विद्यालयी शिक्षा में हमेशा से एक कम महत्व का विषय माना गया है। इसकी पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन प्रणाली और नीतिगत दृष्टिकोणों को लेकर समय-समय पर आलोचनाएँ होती रही हैं (ऋषिकेश, 2011)। इस शोध लेख में विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या-

भारत में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद शुरूआती दो दशकों में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य राष्ट्रनिर्माण की भावना को मजबूती देना, भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को समझना, संविधान की मूल भावना को आत्मसात करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करना था। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के विकास में

¹ सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा- 442001.

ईमेल: samarjeet13nov@gmail.com

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज और राष्ट्र के जीवन में सक्रिय भागीदारी हेतु तैयार करना था। इसमें नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल को प्राथमिक स्तर से ही शामिल किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 में शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक और जीवन-आधारित बनाने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में नागरिक जिम्मेदारी, सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकारों को पाठ्यचर्या में शामिल करने पर जोर दिया (बत्रा, 2010)।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें रटत पद्धति से हटकर आलोचनात्मक सोच, परियोजना-आधारित अधिगम और विद्यार्थियों के अनुभवों से जुड़ाव को प्राथमिकता दी गई। यद्यपि पाठ्यचर्या में सुधार हुए हैं किंतु व्यावहारिक स्तर पर विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अभी भी पारंपरिक और परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। इससे विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान विषय को जीवन में उपयोगी दृष्टिकोण के रूप में न देखकर केवल जानकारी याद करने के रूप में देखते हैं। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन आवश्यक है जिससे विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता, विचार-विमर्श और परियोजना-आधारित अधिगम के माध्यम से विषय को अनुभव कर सकें (बत्रा, 2010)।

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान को हीन दर्जा-

विद्यालय में विभिन्न विषयों को पढ़ाने का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होता है जिसमें बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक पहलू शामिल हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान को प्रायः एक कम महत्व वाला विषय माना जाता है (एनसीईआरटी, 2007) (ऋषिकेश, 2011)। यह दृष्टिकोण शिक्षा व्यवस्था, अभिभावकों, और यहां तक कि कुछ शिक्षकों के व्यवहार और नीति-निर्माण में भी स्पष्ट दिखाई देता है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी को रोजगार और आर्थिक सफलता से सीधे जोड़कर देखा जाता है जबकि सामाजिक विज्ञान को अक्सर केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है (बत्रा, 2005)। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में इस विषय के प्रति उत्साह, जिज्ञासा और गहन अध्ययन की प्रवृत्ति कम हो जाती है।

सामाजिक विज्ञान को हीन दर्जा मिलने के पीछे एक बड़ा कारण रोजगार के अवसरों की धारणा है। अभिभावक और विद्यार्थी मानते हैं कि विज्ञान या वाणिज्य से जुड़ी पढ़ाई बेहतर करियर विकल्प देती है जबकि सामाजिक विज्ञान केवल सीमित सरकारी सेवाओं तक ही सीमित है (एनसीईआरटी, 2007)। इस धारणा के कारण विद्यालयी स्तर पर ही विद्यार्थियों को संदेश मिल जाता है कि यह विषय रोजगारपरक नहीं है। कई बार विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं समय सारिणी में अंत में रखी जाती हैं या अन्य गतिविधियों के चलते इन्हें रद्द कर दिया जाता है। संस्थागत व्यवहार भी इसके महत्व को कमजोर करता है (बत्रा, 2005)।

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य और प्रभाव को सही ढंग से समझाया नहीं जाता है। यह विषय न केवल ऐतिहासिक तथ्यों, भौगोलिक ज्ञान या राजनीतिक संरचना की जानकारी देता है बल्कि

सामाजिक जागरूकता, आलोचनात्मक चिंतन और नागरिक उत्तरदायित्व विकसित करता है (एनसीईआरटी, 2005)। लेकिन शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन के तरीके ऐसे हैं कि विद्यार्थी केवल रटने पर जोर देते हैं जिसके कारण इसका वास्तविक उद्देश्य समाज को समझना और सक्रिय, संवेदनशील नागरिक बनना गौण हो जाता है। जब विद्यार्थियों को विषय का व्यावहारिक महत्व नहीं समझ आता तो उनके और अभिभावकों के मन में भी उसकी छवि कमजोर हो जाती है (कुमार, 1996)। शिक्षकों की भूमिका भी इस संदर्भ में अहम है। कई विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपेक्षित प्रशिक्षण या प्रोत्साहन नहीं मिलता। सीमित संसाधनों और पारंपरिक व्याख्यान आधारित विधि के कारण कक्षाएं नीरस और उबाऊ हो जाती हैं (एनसीईआरटी, 2007)। यदि शिक्षक विषय को रोचक उदाहरणों, गतिविधियों और चर्चाओं के माध्यम से पढ़ाएं तो विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदल सकता है। लेकिन वर्तमान में कई स्थानों पर शिक्षण विधि केवल पाठ्यपुस्तक आधारित है जिससे विषय का जीवंत और प्रेरणादायक स्वरूप सामने नहीं आ पाता (बत्रा, 2010)। नीतिगत स्तर पर भी यह असमानता दिखाई देती है। विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर कक्षाओं और खेल सुविधाओं पर अधिक निवेश किया जाता है जबकि सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे मानचित्र, मॉडल, दृश्य-श्रव्य सामग्री और क्षेत्र भ्रमण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है (एनसीईआरटी, 2005) (ऋषिकेश, 2011)।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रवृत्ति केवल विद्यालयी व्यवस्था का परिणाम नहीं है बल्कि व्यापक सामाजिक मानसिकता का प्रतिबिंब भी है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में तकनीकी और प्रौद्योगिकी कौशल को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति ने मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण वाले विषयों को हाशिये पर धकेल दिया है (एप्पल, 2004) (बेते, 2011)। इसके बावजूद सामाजिक विज्ञान का महत्व कम नहीं होता क्योंकि यह मानव समाज की संरचना, संबंधों, और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का आधार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का सक्रिय और जागरूक होना, सामाजिक असमानताओं का विश्लेषण करना और नीतिगत निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करना ये सभी लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक विज्ञान को उचित स्थान दिया जाए (एनसीईआरटी, 2007)।

सामाजिक विज्ञान की उपेक्षा का एक नकारात्मक प्रभाव यह भी है कि विद्यार्थी अपने समाज, संस्कृति और इतिहास के साथ गहरे स्तर पर जुड़ नहीं पाते। जब वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की समझ से वंचित रहते हैं तो वे आलोचनात्मक सोच और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता में भी पीछे रह जाते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए हानिकारक है बल्कि लोकतांत्रिक समाज के लिए भी खतरे की घंटी है। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान को केवल पूरक विषय न मानकर इसे शिक्षा का अभिन्न और केंद्रीय हिस्सा बनाया जाए (बेते, 2011)। इसके लिए नीति-निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। पाठ्यक्रम को इस तरह से पुनर्गठित किया जाए कि यह विद्यार्थियों के जीवन से सीधे जुड़ सके (श्रीनिवासन, 2015)। शिक्षण में संवाद, वाद-विवाद, नाटक और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा जैसी विधियाँ शामिल की जाएँ। संसाधनों का समान वितरण हो ताकि इस विषय के लिए भी पर्याप्त दृश्य-श्रव्य सामग्री और व्यावहारिक

गतिविधियाँ संभव हो सकें। सामाजिक विज्ञान का सही मूल्यांकन तभी संभव है जब हम इसे केवल परीक्षा का विषय न मानकर जीवन जीने की कला और समाज को समझने का माध्यम मानें। यदि विद्यालयी शिक्षा में इसका महत्व पुनर्स्थापित किया जाए तो विद्यार्थी न केवल अच्छे पेशेवर बनेंगे बल्कि संवेदनशील, जागरूक और सक्रिय नागरिक भी बन सकेंगे (एनसीईआरटी, 2007) (श्रीनिवासन, 2015)। सामाजिक विज्ञान को हीन दर्जा देने की प्रवृत्ति बदलना केवल शिक्षा सुधार का हिस्सा नहीं है बल्कि एक मजबूत, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की अनिवार्य शर्त है।

सामाजिक विज्ञान की अनुशासन आधारित दृष्टिकोण की समस्या-

सामाजिक विज्ञान शिक्षा की एक बड़ी चुनौती यह रही है कि विषयों को पारंपरिक अनुशासनात्मक सीमाओं में बाँध दिया गया है। सामाजिक विज्ञान को लंबे समय से अनुशासन आधारित दृष्टिकोण के आधार पर ही पढ़ाया जाता रहा है। यह शैक्षिक संरचना को व्यवस्थित और विषय ज्ञान को गहराई गहराई प्रदान करने में सहायक होती है लेकिन साथ ही इसकी कई गंभीर समस्याएँ भी प्रकट होती हैं। इनमें प्रमुख समस्या यह है कि सामाजिक वास्तविकताओं को एकीकृत रूप से समझने के बजाय उन्हें अलग-अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है जिससे विद्यार्थियों में विषयों के बीच अंतर्संबंध देखने की क्षमता सीमित रह जाती है। अनुशासन आधारित दृष्टिकोण की एक मूलभूत समस्या यह है कि यह सामाजिक जीवन की जटिलताओं और बहुआयामी स्वरूप को विभाजित कर देता है। उदाहरण के लिए किसी भी सामाजिक समस्या जैसे बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन या लैंगिक असमानता को समझने के लिए इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोणों का सम्मिलित विश्लेषण आवश्यक होता है। लेकिन अनुशासन-आधारित संरचना के कारण विद्यार्थी प्रायः केवल अपने विषय की सीमाओं के भीतर सोचते हैं। इससे न केवल ज्ञान का विखंडन होता है बल्कि सामाजिक विज्ञान का मूल उद्देश्य समाज को समग्रता में समझना आंशिक रूप से अधूरा रह जाता है (श्रीनिवासन, 2015)। इस दृष्टिकोण से जुड़ी एक समस्या यह भी है कि यह पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को अधिक परीक्षा-केंद्रित और संकीर्ण बनाता है। विद्यार्थी प्रायः अपने विषय की परिभाषाएँ, सिद्धांत और तथ्यों को रटने में अधिक समय लगाते हैं बजाय इसके कि वे विषयों के बीच सार्थक संवाद या आलोचनात्मक सोच विकसित करें। जब ज्ञान को केवल अनुशासन की सीमा में बाँध दिया जाता है तो शिक्षा का उद्देश्य व्यापक दृष्टिकोण और सृजनात्मकता का विकास नहीं बल्कि केवल विषय-विशेषज्ञता तक सीमित रह जाता है (एनसीईआरटी, 2007)।

विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थी समाज को व्यापक रूप से समझने के चरण में होते हैं उन्हें विषयों के कठोर विभाजन के कारण वास्तविक दुनिया की परस्पर जुड़ी घटनाओं को अलग-अलग खानों में देखने की आदत पड़ जाती है। उदाहरण के लिए जल संकट को पढ़ाते समय भूगोल में केवल जल स्रोत और भौगोलिक वितरण की चर्चा होती है। अर्थशास्त्र में जल संसाधनों का बाजार आधारित मूल्यांकन और राजनीति विज्ञान में जल नीति की चर्चा लेकिन इन तीनों पहलुओं को एक ही समस्या के हिस्से के रूप में जोड़ने का प्रयास अक्सर नहीं होता। इस दृष्टिकोण की एक और आलोचना यह है कि यह विद्यार्थियों में रचनात्मक और आलोचनात्मक

सोच की क्षमता को सीमित करता है। जब शिक्षण का ढाँचा विषय की सीमाओं में बँधा होता है तो विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों को मिलाकर नई व्याख्याएँ विकसित करने का अवसर कम मिलता है। इसके विपरीत अंतर्विषयी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों और पद्धतियों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान की प्रभावी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि अनुशासन आधारित पद्धति के साथ-साथ अंतर्विषयी और बहुविषयी दृष्टिकोण को भी जोड़ा जाए। इससे विद्यार्थियों को यह समझने में आसानी होगी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाएँ आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

सामाजिक विज्ञान में पाठ्यभार का असंतुलन-

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य केवल तथ्यों को याद कराना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, ऐतिहासिक चेतना, सामाजिक संवेदनशीलता और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना भी है। इसके बावजूद विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यभार में संतुलन की समस्या लंबे समय से विद्यमान है। यह असंतुलन विषयों के अनुपात, गहनता और शिक्षण पद्धतियों तीनों स्तरों पर दिखाई देता है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों को एक ही ज्ञानानुशासन के अंतर्गत शामिल तो कर दिया जाता है परंतु प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय और संसाधन नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप कुछ विषय अत्यधिक विस्तृत रूप में पढ़ाए जाते हैं जबकि अन्य विषय सतही स्तर पर ही रह जाते हैं (श्रीनिवासन, 2015)।

पाठ्यभार के इस असंतुलन का एक मुख्य कारण पाठ्यचर्या निर्माण में विषयों की समान प्राथमिकता का अभाव है। उदाहरण के लिए माध्यमिक स्तर पर इतिहास और भूगोल के कई अध्याय विस्तृत विवरण के साथ पढ़ाए जाते हैं, जबकि अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों के ज्ञान में असंतुलन उत्पन्न होता है और वे समाज व पर्यावरण के विभिन्न पक्षों की समग्र समझ विकसित करने में पीछे रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन पद्धति भी अक्सर केवल रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है जिससे कुछ अध्याय या विषय केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

सामाजिक विज्ञान में पाठ्यभार का असंतुलन केवल विषय-वस्तु की मात्रा तक सीमित नहीं है बल्कि सामग्री की जटिलता भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ कक्षाओं में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अत्यंत जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवधारणाओं को उसी स्तर पर समझ लें जिस स्तर पर वह पढ़ाई जाती हैं। इससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ता है और वे विषय के प्रति उदासीन हो सकते हैं। वहीं कुछ अन्य कक्षाओं में सामग्री इतनी सरलीकृत होती है कि वह विद्यार्थियों में गंभीर विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास नहीं कर पाती। इस तरह एक ही पाठ्यक्रम में अत्यधिक कठिन और अत्यधिक सरल सामग्री का मिश्रण भी संतुलन को प्रभावित करता है (चोपड़ा, 2014)।

असंतुलित पाठ्यभार का असर न केवल विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव पर पड़ता है बल्कि शिक्षकों की कार्य-क्षमता पर भी होता है। शिक्षक कई बार शिकायत करते हैं कि विस्तृत और असमान रूप से वितरित सामग्री के कारण उन्हें अध्यापन में प्राथमिकताएँ तय करने में कठिनाई होती है। वे या तो परीक्षा-केन्द्रित अध्यायों पर अधिक ध्यान देते हैं या समय की कमी के कारण महत्वपूर्ण किन्तु कम पूछे जाने वाले विषयों को छोड़ देते हैं। इससे पाठ्यक्रम की समग्रता प्रभावित होती है और विद्यार्थियों में विषय के व्यापक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। पाठ्यभार के असंतुलन का एक कारण पाठ्यपुस्तकों की संरचना भी है। कई पुस्तकों में विषयों का क्रम तार्किक रूप से व्यवस्थित नहीं होता जिससे विद्यार्थी विषयों के बीच संबंध स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिशास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ाते समय यदि समकालीन राजनीतिक घटनाओं या इतिहास से जुड़ी पृष्ठभूमि का उल्लेख न हो तो विद्यार्थी उसे वास्तविक जीवन में लागू करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसी तरह भूगोल के प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा के साथ-साथ उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन यदि नहीं कराया जाता तो विषय अधूरा रह जाता है (श्रीनिवासन, 2015)।

पाठ्यभार के इस असंतुलन के सुधार के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में सभी सामाजिक विज्ञान विषयों को समान महत्व दिया जाना चाहिए और प्रत्येक के लिए समय व संसाधनों का संतुलित वितरण होना चाहिए। सामग्री की जटिलता को कक्षा के स्तर और विद्यार्थियों की बौद्धिक परिपक्वता के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि वे क्रमशः गहराई में जाते हुए विषय को समझ सकें। इसके साथ ही पाठ्यपुस्तकों का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए कि विषयों के बीच तार्किक संबंध स्थापित हो और विद्यार्थियों को समग्र दृष्टिकोण मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण रूप से शिक्षण पद्धतियों में भी सुधार की आवश्यकता है। यदि शिक्षक विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ते हुए अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाएँ तो विद्यार्थियों को समझ में आएगा कि इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र केवल अलग-अलग इकाइयाँ नहीं हैं बल्कि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डिजिटल उपकरण, परियोजना-आधारित शिक्षा और अनुभवात्मक गतिविधियों का प्रयोग करने से पाठ्यभार को अधिक संतुलित और रोचक बनाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यभार का संतुलन केवल पाठ्यचर्या निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसमें शिक्षक, विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि सभी मिलकर यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों पर न तो अत्यधिक बोझ डाला जाए और न ही उन्हें सतही ज्ञान देकर आगे बढ़ा दिया जाए तो सामाजिक विज्ञान शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में सफल हो सकती है (चोपड़ा, 2014)।

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक प्रशिक्षण की समस्या-

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के गुणवत्ताहीन होने के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी समस्या भी है। यह स्थिति केवल ग्रामीण या संसाधन-विहीन विद्यालयों तक सीमित

नहीं है बल्कि कई प्रतिष्ठित शहरी संस्थानों में भी देखी जाती है (बत्रा, 2005)। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने वाले अनेक अभ्यर्थियों के पास विषय की गहन समझ और नवीन शिक्षण कौशल का अभाव होता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अक्सर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के व्यावहारिक पक्ष पर पर्याप्त बल नहीं दिया जाता है (एनसीईआरटी, 2007)। प्रशिक्षु शिक्षकों को शिक्षण-प्रक्रिया के आधुनिक तरीकों जैसे सक्रिय अधिगम, परियोजना आधारित कार्य, रोल प्ले, समूह चर्चा, केस स्टडी आदि में अभ्यास का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। परिणामस्वरूप वे पारंपरिक व्याख्यान आधारित शिक्षण पर निर्भर होते जाते हैं जिससे विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है और विषय के प्रति रुचि कम हो जाती है।

प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में भी समस्या देखी जा सकती है। कुछ शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग किए जाने वाले पाठ्यक्रम और विधियाँ वर्षों से अपरिवर्तित रहती हैं जबकि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में निरंतर बदलाव आते रहते हैं (एनसीईआरटी, 2007)। सामाजिक विज्ञान जैसे गतिशील विषय में नवीनतम घटनाओं, शोध और तकनीकों को प्रशिक्षण का हिस्सा बनाना आवश्यक है ताकि शिक्षक बदलते समय के अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षित कर सकें। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम अद्यतन नहीं किया जायेगा तो शिक्षक नयी पीढ़ी की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का प्रभावी उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान विषय के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने पर कम ध्यान भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है बल्कि यह विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करता है। लेकिन यदि शिक्षक-प्रशिक्षण में इन मूल्यों पर बल नहीं दिया जाए तो शिक्षक विषय को केवल परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं जिससे उसका वास्तविक शैक्षिक उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है (बत्रा, 2005)।

शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्या केवल सेवा-पूर्व प्रशिक्षण के स्तर पर ही नहीं है बल्कि सेवा-कालीन प्रशिक्षण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षकों को वर्षों तक नवीनतम शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी उपकरणों या पाठ्यक्रम परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए कार्यशालाएँ या पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते। इससे उनकी शिक्षण शैली पुरानी होती जाती है और विद्यार्थी आधुनिक संदर्भ में पीछे रह जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्या केवल एक शैक्षणिक कमी नहीं बल्कि समाज के भविष्य निर्माण से जुड़ा मुद्दा है (एनसीईआरटी, 2005)। यदि शिक्षक सही दृष्टिकोण, अद्यतन ज्ञान और प्रभावी शिक्षण कौशल के साथ कक्षा में प्रवेश करेंगे तो विद्यार्थी न केवल बेहतर अंक प्राप्त करेंगे बल्कि एक जिम्मेदार, जागरूक और संवेदनशील नागरिक के रूप में विकसित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक-प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए और इसे शिक्षा प्रणाली के एक सशक्त एवं प्रेरक अंग के रूप में सुदृढ़ किया जाए।

समकालीन मुद्दों और स्थानीय संदर्भों से दूरी-

विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों को सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय चुनौतियों और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का अवसर देता है (एनसीईआरटी,

2007)। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम समकालीन मुद्दों और स्थानीय संदर्भों से काफी हद तक दूर है। इस दूरी के कारण विद्यार्थियों में विषय के प्रति लगाव कम हो जाता है और वे इसे एक मात्र परीक्षा पास करने वाले विषय के रूप में देखने लगते हैं (बत्रा, 2010)।

सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें अक्सर स्थिर और समय-समय पर संशोधित नहीं की जाती हैं। वे वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों, भौगोलिक विवरणों और राजनीतिक संस्थाओं पर केंद्रित होती हैं जबकि वर्तमान में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है जैसे कि जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, स्थानीय पर्यावरणीय संकट या ग्रामीण-शहरी विकास का अंतर इन पर अपेक्षित गहराई से चर्चा नहीं होती (एनसीईआरटी, 2017)। परिणामस्वरूप, विद्यार्थी अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं और कक्षा में पढ़ाई जा रही सामग्री के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाते (बत्रा, 2005)। स्थानीय संदर्भों से दूरी का एक बड़ा कारण यह भी है कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है जिसमें क्षेत्रीय विशिष्टताओं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचता है। उदाहरण के लिए उत्तर-पूर्व भारत के किसी विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला सामाजिक विज्ञान और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पढ़ाया जाने वाला सामाजिक विज्ञान लगभग एक जैसा होता है जबकि दोनों क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परंपराएँ और पर्यावरणीय चुनौतियाँ अलग-अलग हैं (एनसीईआरटी, 2007)। इससे विद्यार्थियों को अपने निकट के भौगोलिक और सामाजिक परिवेश को गहराई से समझने का अवसर नहीं मिलता (चोपड़ा, 2014)।

समकालीन मुद्दों से दूरी का एक दुष्परिणाम यह है कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। वह जल संकट, प्रदूषण या स्थानीय बेरोजगारी जैसी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं लेकिन कक्षा में इन पर चर्चा नहीं होती तो शिक्षा उनके लिए जीवन से अलग और अप्रासंगिक प्रतीत होती है (कुमार, 2004)। यह दूरी उन्हें सामाजिक विज्ञान को सामाजिक बदलाव का उपकरण न मानकर केवल रटने योग्य तथ्यों का संग्रह मानने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षक की भूमिका भी इस समस्या को प्रभावित करती है। कई बार शिक्षक स्वयं समकालीन घटनाओं और स्थानीय मुद्दों पर अद्यतन जानकारी नहीं रखते या फिर पाठ्यक्रम से बाहर की सामग्री को पढ़ाने से बचते हैं। इसका कारण समय की कमी, परीक्षा-केंद्रित शिक्षा प्रणाली और प्रशिक्षण की सीमाएँ हो सकती हैं (बत्रा, 2010)। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को अखबारों, डिजिटल समाचार स्रोतों, स्थानीय सामुदायिक अनुभवों या फील्ड विजिट के माध्यम से वास्तविक जीवन के उदाहरण दें तो विषय अधिक जीवंत और प्रासंगिक बन सकता है (चोपड़ा, 2014)।

इस समस्या को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में लचीलापन और स्थानीय अनुकूलन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपरेखा की जा सकती है लेकिन राज्यों और जिलों को यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वे अपने क्षेत्र से जुड़े विषयों, मुद्दों और अध्ययन सामग्री को शामिल कर सकें (एनसीईआरटी, 2007)। इसके साथ ही शिक्षकों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जैसे कि

गाँव के बुजुर्गों के अनुभव, स्थानीय ऐतिहासिक स्थल, सामुदायिक संगठन, और स्थानीय पर्यावरणीय बदलावों के उदाहरण (चोपड़ा, 2014)। समकालीन मुद्दों और स्थानीय संदर्भों का समावेश विद्यार्थियों में न केवल ज्ञान का विस्तार करता है बल्कि उन्हें अपने समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित करता है। जब वे यह समझ पाते हैं कि उनके द्वारा सीखा गया ज्ञान सीधे उनके जीवन और समुदाय से जुड़ा है, तो वे सामाजिक न्याय, सतत विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में अधिक जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बनते हैं (कुमार, 2004)। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समकालीन मुद्दों और स्थानीय संदर्भों से दूरी एक गंभीर शैक्षिक चुनौती है जिसे केवल पाठ्यपुस्तकों में सुधार करके नहीं बल्कि शिक्षण-पद्धतियों, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षक-प्रशिक्षण में बदलाव लाकर ही दूर किया जा सकता है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह विद्यार्थी को उसके समय, स्थान और समाज से जोड़ सके क्योंकि वही सीख सबसे लंबे समय तक टिकती है और जीवन में सबसे अधिक उपयोगी होती है (एनसीईआरटी, 2007)।

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की संभावनाएँ-

विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान विषय की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक और बहुआयामी हैं क्योंकि यह विद्यार्थियों को केवल तथ्यों का ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहती बल्कि उनके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। आधुनिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को स्थानीय और वैश्विक मुद्दों के लिए आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर देता है। यह विषय न केवल ज्ञान प्रदान करता है बल्कि संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसी मानवीय गुणों को भी प्रोत्साहित करता है। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की संभावनाएँ निम्नवत हैं :

- **जागरूक संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिकों को तैयार करना-** विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि विद्यार्थियों को ऐसे उत्तरदायी नागरिक बनाना है जो समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरचना को समझते हुए सकारात्मक योगदान दे सकें (एनसीईआरटी, 2007)। इस बहुआयामी दृष्टिकोण के कारण विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान विषय की संभावनाएँ अत्यधिक व्यापक हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। वर्तमान युग में जब वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक विविधता से समाज निरंतर परिवर्तित हो रहा है ऐसे में विद्यार्थियों को सामाजिक परिवर्तन के आयामों को समझना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, मानवाधिकारों की समझ और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि सामाजिक संरचनाएँ कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं और इनमें उनकी अपनी क्या भूमिका हो सकती है (यूनेस्को, 2015)। सामाजिक विज्ञान विषय का एक पहलू लोकतांत्रिक नागरिकता का निर्माण है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक कितने जागरूक, सहिष्णु और जिम्मेदार हैं।

सामाजिक विज्ञान शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी संविधान के मूल्यों, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों, चुनाव प्रक्रिया और कानून के शासन के महत्व को समझते हैं। इससे वे एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में योगदान करने के लिए तैयार होते हैं।

- **जटिल समस्याओं के समाधान एवं शोध आधारित सोच को बढ़ावा-** विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की सबसे बड़ी संभावना यह है कि यह विद्यार्थियों को जटिल सामाजिक समस्याओं की पहचान और उनके समाधान के लिए सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए पर्यावरणीय संकट, आर्थिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, सांप्रदायिक तनाव और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों को समझना और इन पर सार्थक हस्तक्षेप करना तभी संभव है जब विद्यार्थी इनके ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं से परिचित हों। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान एक ऐसे नागरिक समाज की नींव रखता है जो न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो (एनसीईआरटी, 2007)। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में शोध आधारित सोच को प्रोत्साहित करता है। जब वे ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, या सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा संग्रह करते हैं, तो उनमें तथ्यात्मक प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित होती है। यह कौशल न केवल शैक्षणिक दृष्टि से बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। इस तरह सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों को भविष्य के शोधकर्ता, नीति-निर्माता, शिक्षक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बनने की दिशा में तैयार करता है (बेते, 2011)।
- **स्थानीय परिवेश को महत्व-** सामाजिक विज्ञान का एक बड़ा योगदान यह है कि यह विद्यार्थियों को अपने स्थानीय परिवेश से जोड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा के अन्य विषय तकनीकी या वैश्विक ज्ञान पर अधिक केंद्रित रहते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों को उनके आसपास के समाज, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है। उदाहरण के लिए किसी गाँव के जल-संकट, शहर की यातायात समस्या या स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि वे इन समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका कैसे निभा सकते हैं। इससे उनमें सामुदायिक सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव मजबूत होता है (चोपड़ा, 2014)।
- **रोजगार एवं नवाचार-** आज की दुनिया में रोजगार के अवसर भी सामाजिक विज्ञान से गहराई से जुड़े हैं। सरकारी सेवाओं, प्रशासन, योजना आयोग, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की मांग निरंतर बढ़ रही है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जो सामाजिक विज्ञान के माध्यम से संभव होती है। विद्यालय स्तर पर इस विषय का मजबूत आधार विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बुनियादी समझ प्रदान करता है (बेते, 2011)। सामाजिक विज्ञान में रचनात्मकता और नवाचार की भी अपार संभावनाएँ हैं। यह विषय मात्र तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों को नए दृष्टिकोण अपनाने, समस्याओं के वैकल्पिक समाधान खोजने और परिवर्तन के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए किसी सामाजिक

समस्या का नाट्य रूपांतरण, लोक सर्वेक्षण, सामुदायिक परियोजना या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रचनात्मक क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हैं। यह शिक्षण पद्धति सीखने को अधिक रोचक, व्यावहारिक और स्थायी बनाती है (श्रीनिवासन, 2015)।

- **सतत विकास लक्ष्य और सामाजिक विज्ञान-** सतत विकास लक्ष्य वैश्विक स्तर पर ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन के साथ मानवता की प्रगति सुनिश्चित करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालयी शिक्षा, विशेषकर सामाजिक विज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, असमानताओं को कम करना, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन आदि पर केंद्रित शिक्षण गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। इनसे विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। साथ ही स्थानीय संदर्भों और समुदाय आधारित परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें यह अनुभव कराया जा सकता है कि सतत विकास केवल नीतिगत शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। विद्यालयी स्तर पर सामाजिक विज्ञान न केवल विषयगत ज्ञान का संवाहक है बल्कि सतत विकास की दिशा में एक सशक्त प्रेरक भी है जो भविष्य की पीढ़ी को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और पर्यावरण-संतुलित विश्व के निर्माण में सक्रिय भागीदारी हेतु तैयार करता है (यूनेस्को, 2015)।
- **डिजिटल युग में सामाजिक विज्ञान-** डिजिटल युग में भी सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता कम नहीं होती बल्कि यह और बढ़ जाती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और सूचना के विस्फोट ने समाज को नई चुनौतियों और अवसरों से जोड़ा है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता, सूचना के आलोचनात्मक विश्लेषण और मीडिया साक्षरता की क्षमता देता है जिससे वे भ्रामक खबरों और सूचनाओं से बच सकें। यह विषय विद्यार्थियों को न केवल अतीत और वर्तमान से जोड़ता है बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार करता है (एनसीईआरटी, 2017)।

निष्कर्ष-

सामाजिक विज्ञान केवल एक विषय नहीं बल्कि समाज को समझने, मूल्यांकन करने और रूपांतरित करने का औजार है। यह विद्यार्थियों को न केवल नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराता है बल्कि उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील भी बनाता है। यदि सामाजिक विज्ञान को रटत विषय के रूप में देखने के बजाय जीवंत विषय के दृष्टिकोण के रूप में देखें तो इसकी वास्तविक शक्ति सामने आ सकती है। इसके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षक, नीति निर्माता और समाज सभी को मिलकर कार्य करना होगा। सामाजिक विज्ञान विषय की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक और बहुआयामी हैं। यह न केवल विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में सहायक है बल्कि उनके नैतिक, सामाजिक और नागरिक व्यक्तित्व के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। वैश्विक चुनौतियों और स्थानीय समस्याओं के बीच संतुलन स्थापित करने, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को विकसित करने तथा जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करने में इसकी भूमिका अद्वितीय है। यदि इस

विषय को सही दृष्टिकोण, अद्यतन सामग्री, सहभागी शिक्षण पद्धति और तकनीकी संसाधनों के साथ पढ़ाया जाए तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार कर सकता है।

संदर्भ सूची-

- ऋषिकेश, बी.एस. (2011). भारत में सामाजिक विज्ञान का 'हीन दर्जा': कारण एवं सुधारात्मक उपाय. *लर्निंग कर्व, वॉल 3*.
- एनसीईआरटी (2005). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. नयी दिल्ली: एनसीईआरटी.
- एनसीईआरटी (2007). *सामाजिक विज्ञान का शिक्षण: आधार पत्र*. नयी दिल्ली: एनसीईआरटी.
- एनसीईआरटी (2017). *लर्निंग आउटकम्स एट द एलीमेंट्री स्टेज*. नयी दिल्ली: एनसीईआरटी.
- एप्पल, एम.डब्ल्यू. (2004). *आइडियोलॉजी एण्ड करिकुलम*. न्यू यॉर्क: रटलेज.
- कुमार, के. (1996). *लर्निंग फ्रॉम कनफ्लिक्ट*. दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वॉन.
- कुमार, के. (2004). *व्हाट इज वर्थ टीचिंग?* दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वॉन.
- चोपड़ा, आर. (2014). रिफ्रेमिंग द सोशल साइंसेस इन स्कूल एजुकेशन. *कंटेम्पोरेरी डायलाग, वॉल 11(1)*.
- बत्रा, पी. (2005). वॉयस एण्ड एजेन्सी ऑफ टीचर्स: मिसिंग लिंक इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. *इकनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वॉल 40*.
- बत्रा, पी. (2010). *सोशल साइंस लर्निंग इन स्कूल्स : पर्सपेक्टिव एण्ड चैलेंजेज*. दिल्ली: सेज पब्लिकेशन.
- बेते, ए. (2011). स्कूलों में सामाजिक विज्ञान. *लर्निंग कर्व, वॉल 3*.
- यूनेस्को (2015). *रीथिंकिंग एजुकेशन: टूवर्ड्स अ ग्लोबल कॉमन गुड?* पेरिस: यूनेस्को पब्लिशिंग.
- श्रीनिवासन, एम.वी. (2015). रीफॉर्मिंग स्कूल सोशल साइंस करिकुलम इन इंडिया: इशूज एण्ड चैलेंजेज. *इकनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वॉल 50(42)*.

Manuscript Timeline

Submitted : June 03, 2025

Accepted : June 20, 2025

Published : June 30, 2025

भारत में महिला समाजीकरण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययनकु. शाहीन¹

सारांश

प्रस्तुत शोध में भारत में महिलाओं के समाजीकरण की प्रक्रिया, महिलाओं की पहचान और अनुभवों को आकार देने में परिवार, शिक्षा, धर्म, समाज और अन्य सामाजिक संस्थानों की भूमिकाओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। हम उन चुनौतियों और अवसरों का भी विश्लेषण करेंगे जिनका सामना महिलाएं भारत के विविध सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के संदर्भ में अपने समाजीकरण में करती हैं। इसके अतिरिक्त, हम बदलते लिंग गतिशीलता के निहितार्थ और महिलाओं को सशक्त बनाने और समकालीन भारतीय समाज में पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इस अन्वेषण के माध्यम से, हमारा लक्ष्य भारत में महिलाओं के समाजीकरण की जटिलताओं और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष के बारे में जानकारी हासिल करना है। यह निबंध भारत में महिलाओं के समाजीकरण की जटिलताओं की पहचान करता है, ऐतिहासिक विरासतों, समकालीन वास्तविकताओं और बदलाव के रास्ते का अध्ययन करता है। परंपरा, आधुनिकता और लिंग गतिशीलता की जटिल परस्पर क्रिया को समझकर, हम एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां महिलाएं अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए सशक्त हों। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का लक्ष्य भारत में महिलाओं के समाजीकरण की गहरी समझ में योगदान देना और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है जो लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए लैंगिक समानता, सशक्तिकरण और न्याय को बढ़ावा देता है।

मुख्य शब्द- महिला, समाजीकरण, शिक्षा, धर्म, समाज, संस्था, संस्कृति, लिंग समानता, परिवार तथा सामाजिक न्याय इत्यादि।

प्रस्तावना-

समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज के मानदंडों, मूल्यों, रीति-रिवाजों और व्यवहारों को सीखते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं। यह व्यक्तियों की पहचान, विश्वास और उनके समुदायों के भीतर बातचीत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में, कई अन्य समाजों की तरह, समाजीकरण संस्कृति, धर्म, पारिवारिक संरचना, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों सहित

¹पी-एच.डी. शोधार्थी, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय (अल्मोड़ा).

ईमेल: Shaheen730khan@gmail.com

विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। भारत में महिलाओं का समाजीकरण, विशेष रूप से, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं, पितृसत्ता और सामाजिक अपेक्षाओं में गहराई से अंतर्निहित है। ऐतिहासिक रूप से, भारत एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है जहाँ लैंगिक भूमिकाएँ अक्सर कठोरता से परिभाषित की जाती हैं, जहाँ पुरुष पारंपरिक रूप से अधिकार वाले पदों पर रहते हैं और महिलाओं से घरेलू भूमिकाओं और प्रथाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, वैश्वीकरण, शहरीकरण और लैंगिक समानता की वकालत करने वाले सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित होकर, भारत का सामाजिक परिदृश्य समय के साथ विकसित हो रहा है।

भारत में महिलाओं का समाजीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में गहराई से अंतर्निहित है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक, भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, फिर भी महिलाओं का समाजीकरण पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं, पितृसत्ता के कारण और प्रभावित होता रहा है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज की विशेषता पितृसत्तात्मक संरचना रही है, जहाँ महिलाओं से परिवार और समाज के भीतर निर्धारित भूमिकाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। ये भूमिकाएँ अक्सर घरेलू कर्तव्यों, देखभाल और पारिवारिक सम्मान बनाए रखने पर केंद्रित होती थीं। हालाँकि, हाल के दशकों में, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के कारण उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं।

समाजीकरण की प्रक्रिया समाज की प्रथम इकाई परिवार के भीतर बचपन से ही शुरू हो जाती है, जहाँ लड़कियों को अक्सर लड़कों की तुलना में अलग अपेक्षाओं के साथ बड़ा किया जाता है। लिंग मानदंड व्यवहार, कपड़े, शिक्षा और कैरियर विकल्पों को निर्धारित करते हैं, जो महिलाओं के जीवन की दिशा को आकार देते हैं। इन मानदंडों को शिक्षा, धर्म और समुदाय जैसे औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता रहा है। शिक्षा और कार्यबल भागीदारी में प्रगति के बावजूद, भारत में महिलाओं को सामाजिक मानदंडों और प्रणालीगत असमानताओं में निहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच, आर्थिक असमानताएं और प्रतिबंधात्मक सांस्कृतिक प्रथाएं जैसे मुद्दे कायम हैं, जो महिलाओं की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। फिर भी, प्रगति और प्रतिरोध के संकेत हैं क्योंकि महिलाएं तेजी से पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दे रही हैं और अपने अधिकारों का दावा कर रही हैं। जमीनी स्तर के आंदोलनों, कानूनी सुधारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों ने विविध सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में महिलाओं के बीच अधिक जागरूकता और सशक्तिकरण में योगदान दिया है।

साहित्य की समीक्षा-

भारत में महिलाओं का समाजीकरण व्यापक विद्वानों में चर्चा का विषय रहा है, जो भारतीय समाज के भीतर लिंग गतिशीलता की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाता है। इस विषय पर साहित्य समाजशास्त्र, मानवविज्ञान, नारीवादी अध्ययन और सांस्कृतिक अध्ययन सहित विभिन्न विषयों तक फैला हुआ है, जो ऐतिहासिक पैटर्न, समकालीन चुनौतियों और परिवर्तन की संभावनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उमा चक्रवर्ती और रोमिला

थापर (1989) ने पूरे इतिहास में लिंग मानदंडों के निर्माण और महिलाओं की अधीनता को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण किया है। वीणा दास और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक (2023) की कृतियाँ विविध सांस्कृतिक संदर्भों में लिंग पहचान निर्माण की जटिलताओं पर प्रकाश डालती हैं, जो महिलाओं के जीवन में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधा की बातचीत पर प्रकाश डालती हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य महिलाओं के समाजीकरण के अनुभवों को आकार देने में वर्ग, जाति और धर्म जैसे संरचनात्मक कारकों की भूमिका पर जोर देता है। अमर्त्य सेन और बीना अग्रवाल (2005) जैसे शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि कैसे सामाजिक-आर्थिक असमानताएं लिंग के साथ जुड़ती हैं, जो परिवारों और समुदायों के भीतर संसाधनों, अवसरों और निर्णय लेने की शक्ति तक पहुंच को प्रभावित करती हैं। नैला कबीर और मार्था चैन (1994) द्वारा किए गए अध्ययन महिलाओं की स्वायत्तता, आर्थिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर शिक्षा के प्रभाव की जांच करते हैं। वे पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। रितु मेनन और कमला भसीन (1998) घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज से संबंधित अपराधों सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों का विश्लेषण करते हैं, साथ ही दमनकारी संरचनाओं का विरोध करने और चुनौती देने के लिए महिलाओं के सामूहिक प्रयासों का दस्तावेजीकरण भी करते हैं। फ्लाविया एग्नेस और वसुधा धागमवार (2011) दहेज, विरासत अधिकार और कार्यस्थल उत्पीड़न जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाले कानूनों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करते हैं, न्याय में कमियों और बाधाओं को उजागर करते हैं।

कुल मिलाकर, भारत में महिलाओं के समाजीकरण पर साहित्य महिलाओं के जीवन को आकार देने में परंपरा, आधुनिकता और सशक्तिकरण के गतिशीलता की जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित करता है। ऐतिहासिक विरासतों, सांस्कृतिक संदर्भों, संरचनात्मक असमानताओं और प्रतिरोध आंदोलनों की पहचान करके, भारतीय समाज में लैंगिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए चुनौतियों और संभावनाओं की गहरी समझ देने में योगदान करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य-

- भारत में महिलाओं के समाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन।
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अध्ययन।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि-

भारत में महिलाओं के समाजीकरण का अध्ययन विभिन्न सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है जो भारतीय समाज के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संरचनात्मक संदर्भ में लिंग समाजीकरण की जटिल गतिशीलता को समझने में मदद करता है। कुछ प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों में शामिल हैं:

- **नारीवादी सिद्धांत:** नारीवादी सिद्धांत समाज में शक्ति की गतिशीलता, लैंगिक असमानताओं और महिलाओं के अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करते हैं। अंतर्विभागीय नारीवाद, विशेष रूप से, लिंग, वर्ग, जाति, नस्ल और कामुकता जैसे उत्पीड़न और विशेषाधिकार

की परस्पर विरोधी पक्षों पर जोर देता है, जो महिलाओं के समाजीकरण के अनुभवों को अद्वितीय तरीकों से आकार देते हैं। नारीवादी सिद्धांतकार पितृसत्तात्मक मानदंडों, भेदभावपूर्ण प्रथाओं और महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करने वाली संरचनात्मक बाधाओं को चुनौती देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

- **समाजीकरण सिद्धांत:** समाजीकरण सिद्धांत इस बात की पहचान करता है कि कैसे व्यक्ति समाजीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और अपेक्षाओं को आंतरिक करते हैं, जैसे कि परिवार के भीतर प्राथमिक समाजीकरण। भारतीय संदर्भ में, समाजीकरण सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि लिंग भूमिकाएं, सांस्कृतिक प्रथाएं और सामाजिक संस्थाएं बचपन से वयस्कता तक महिलाओं के समाजीकरण अनुभवों को कैसे आकार देती हैं।
- **प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद:** प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सामाजिक अंतःक्रियाओं के भीतर लिंग भूमिकाओं और पहचान से जुड़े प्रतीकात्मक अर्थों पर केंद्रित है। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि कैसे व्यक्ति रोजमर्रा की बातचीत, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से सक्रिय रूप से लिंग पहचान का निर्माण और बातचीत करते हैं। भारत में महिलाओं के समाजीकरण पर लागू प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद महिलाओं की आत्म-अवधारणा और सामाजिक अंतःक्रियाओं को आकार देने में लिंग आधारित प्रतीकों, रीति-रिवाजों और प्रवचनों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

इन सैद्धांतिक रूपरेखाओं को चित्रित करके, शोधकर्ता द्वारा भारत में महिलाओं के समाजीकरण की जटिलताओं का विश्लेषण किया गया है, तथा भारतीय समाज में अंतर्निहित शक्ति गतिशीलता, सांस्कृतिक मानदंडों और संरचनात्मक असमानताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है जो महिलाओं के जीवन को आकार देते हैं और लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रभावित करते हैं।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत शोध का स्वरूप मूलतः वर्णनात्मक तथा व्याख्यात्मक प्रकृति का है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के महिलाओं की समाजीकरण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, तथ्य संग्रहण के लिए विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोत के माध्यम से तथ्यों को एकत्र किया गया है।

भारतीय समाज में महिलाओं का समाजीकरण-

सामाजिक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक बातचीत और अनुभवों के माध्यम से अपने समाज या सामाजिक समूह के मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को सीखते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं। भारत में महिलाओं के समाजीकरण के संदर्भ में, सामाजिक समाजीकरण भारतीय समाज के व्यापक सामाजिक ताने-बाने के भीतर उनकी भूमिकाओं, पहचान और अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां बताया गया है कि सामाजिक समाजीकरण भारत में महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है:

- **लैंगिक भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ:** समाजीकरण भारतीय समाज में महिलाओं के लिए पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को सुदृढ़ करता है। छोटी उम्र से ही, लड़कियों को देखभाल करने वाली, गृहिणी और पालन-पोषण करने वाली जैसी रूढ़िवादी भूमिकाओं के अनुरूप समाजीकृत किया जाता है। वे इन भूमिकाओं को अपने परिवारों, समुदायों और बड़े सामाजिक संदर्भों में अवलोकन, अनुकरण और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखते हैं।
- **पारिवारिक गतिशीलता:** परिवार समाजीकरण का प्राथमिक पाठशाला है जहां महिलाएं सांस्कृतिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार सीखती हैं। कई भारतीय परिवारों में, आज्ञाकारिता, विनम्रता और घरेलू जिम्मेदारियों के संबंध में अपेक्षाओं के साथ लड़कियों का समाजीकरण लड़कों से अलग किया जाता है। परिवार के भीतर समाजीकरण महिलाओं की आत्म-मूल्य, स्वायत्तता और घरेलू पदानुक्रम में उनके स्थान के बारे में धारणाओं को आकार देता है।
- **साथियों का प्रभाव:** भारत में महिलाओं के समाजीकरण में सहकर्मी समूह भी भूमिका निभाते हैं, खासकर किशोरावस्था और युवा वयस्कता के दौरान सहकर्मी लिंग भूमिकाओं, रिश्तों और कामुकता से संबंधित दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करते हैं। महिलाओं को दिखावे, पहनावे और सामाजिक मेलजोल के संबंध में साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का दबाव महसूस हो सकता है, जिससे लैंगिक मानदंडों और रूढ़ियों को बल मिलता है।
- **मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति:** टेलीविजन, फ़िल्में, विज्ञापन और सोशल मीडिया सहित मास मीडिया, समाजीकरण के शक्तिशाली प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है जो महिलाओं की स्त्रीत्व, सौंदर्य आदर्शों और लिंग भूमिकाओं के बारे में धारणाओं को आकार देता है। मीडिया प्रतिनिधित्व अक्सर महिलाओं की विनम्र, आश्रित और विवाह और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने वाली रूढ़िवादी छवियों को कायम रखता है, जिससे महिलाओं की आत्म-छवि और आकांक्षाएं प्रभावित होती हैं।
- **शैक्षणिक संस्थान:** स्कूल और शैक्षणिक संस्थान समाजीकरण के महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां लड़कियां शैक्षणिक ज्ञान, सामाजिक कौशल और सांस्कृतिक मूल्य सीखती हैं। हालांकि, लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ शैक्षिक समायोजन में भी मौजूद हो सकती हैं, जो लड़कियों की शैक्षणिक पसंद, कैरियर आकांक्षाओं और नेतृत्व और उन्नति के अवसरों को प्रभावित करती हैं।
- **सामुदायिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ:** सामुदायिक मानदंड, अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रथाएँ भारत में महिलाओं के समाजीकरण के अनुभवों में योगदान करती हैं। महिलाएँ धार्मिक समारोहों, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं जहाँ लैंगिक भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ प्रबल होती हैं। व्यवस्थित विवाह, दहेज और पर्दा (एकांत) जैसी सांस्कृतिक प्रथाएँ भी विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों में महिलाओं के समाजीकरण को आकार देती हैं।

- **समाजीकरण और प्रतिरोध:** समाजीकरण अक्सर पारंपरिक लिंग मानदंडों और असमानताओं को मजबूत करता है, यह महिलाओं को दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने और विरोध करने का अवसर भी प्रदान करता है। महिला नेटवर्क, सहायता समूह और नारीवादी आंदोलन लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक कार्रवाई, सशक्तिकरण और वकालत के लिए स्थान प्रदान करते हैं।

भारत में महिलाओं के जीवन में समाजीकरण की भूमिका को समझना लैंगिक असमानताओं को दूर करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समावेशी सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है जो भारतीय समाज के भीतर महिलाओं के अनुभवों और पहचान की विविधता को पहचानता है और उनका सम्मान करता है।

भारतीय में महिलाओं का आर्थिक समाजीकरण-

आर्थिक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से महिलाएं किसी समाज या समुदाय के भीतर आर्थिक भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, मानदंडों और व्यवहारों के बारे में सीखते हैं। भारत में महिलाओं के समाजीकरण के संदर्भ में, आर्थिक समाजीकरण आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी, संसाधनों तक उनकी पहुंच और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक समाजीकरण भारत में महिलाओं को अत्यधिक प्रभावित करता है।

- **श्रम का लिंग आधारित विभाजन:** भारतीय समाज में आर्थिक समाजीकरण अक्सर श्रम के लिंग आधारित विभाजन को मजबूत करता है, जिसमें महिलाएँ मुख्य रूप से अवैतनिक घरेलू काम, देखभाल और घरेलू प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती हैं। छोटी उम्र से ही, लड़कियों को वेतन वाले रोजगार के बजाय घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता देने, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और घरों के भीतर श्रम के आवंटन में असमानताओं को कायम रखने के लिए सामाजिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।
- **शैक्षिक अवसर:** आर्थिक समाजीकरण शैक्षिक अवसरों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लड़कियों को कथित आर्थिक प्राथमिकताओं और पारंपरिक लिंग मानदंडों के आधार पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जाता है। भारत में लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार के बावजूद, लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों और हाशिये पर रहने वाले समुदायों में, जिससे महिलाओं की आर्थिक संभावनाएं और सशक्तिकरण सीमित हो गया है।
- **कार्यबल भागीदारी:** आर्थिक समाजीकरण भारत में कार्यबल भागीदारी, कैरियर विकल्प और श्रम बल भागीदारी दर के संबंध में महिलाओं के निर्णयों को प्रभावित करता है। महिलाओं को अक्सर सीमित शैक्षिक अवसरों, भेदभावपूर्ण प्रथाओं, बच्चों की देखभाल के समर्थन की कमी और गृहिणी

के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं के संबंध में सांस्कृतिक अपेक्षाओं जैसे कारकों के कारण औपचारिक श्रम बाजार में प्रवेश और उन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** भारत में कई महिलाएँ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेती हैं, जिनमें कृषि कार्य, कुटीर उद्योग और घरेलू काम, स्ट्रीट वेंडिंग और परिधान निर्माण जैसे अनौपचारिक श्रम क्षेत्र शामिल हैं। अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रों के भीतर आर्थिक समाजीकरण में आर्थिक चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए उद्यमशीलता कौशल, वित्तीय प्रबंधन और अनौपचारिक नेटवर्किंग रणनीतियों को सीखना शामिल होता है।
- **वित्तीय संसाधनों तक पहुंच:** आर्थिक समाजीकरण महिलाओं की वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करता है, जिसमें आय पर नियंत्रण, संपत्ति का स्वामित्व और ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच शामिल है। कई भारतीय घरों में, पुरुषों को पारंपरिक रूप से वित्तीय मामलों के संबंध में कमाने वाले और निर्णय लेने वाले के रूप में नामित किया जाता है, जिससे घर के भीतर महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता और सौदेबाजी की शक्ति सीमित हो जाती है।
- **उद्यमिता और माइक्रोफाइनेंस:** आर्थिक समाजीकरण उद्यमिता और माइक्रोफाइनेंस पहल में महिलाओं की भागीदारी को आकार देता है, जो महिलाओं को आय उत्पन्न करने, संपत्ति बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के अवसर प्रदान करता है। महिलाओं की उद्यमिता और माइक्रोफाइनेंस को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में अक्सर व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और छोटे ऋणों तक पहुंच, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है।
- **लिंग मानदंड और आर्थिक सशक्तिकरण:** आर्थिक समाजीकरण महिलाओं की भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में व्यापक लिंग मानदंडों और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ जुड़ता है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और नेतृत्व के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने, लैंगिक-संवेदनशील नीतियों को बढ़ावा देने और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के लिए सहायक वातावरण बनाने के प्रयास आवश्यक हैं।

निष्कर्ष-

भारत में महिलाओं का समाजीकरण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। अपने पूरे जीवन में, भारत में महिलाओं को विशिष्ट लिंग भूमिकाओं, मानदंडों और अपेक्षाओं में समाजीकृत किया जाता है जो समाज के भीतर उनकी पहचान, व्यवहार और अवसरों को स्वरूप देते हैं। बचपन से ही, लड़कियों को देखभाल करने वाली, गृहिणी और पालन-पोषण करने वाली के रूप में पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के अनुरूप रहना सिखाया जाता है, जिससे पितृसत्तात्मक व्यवस्था बनी रहती है जो महिलाओं की स्वायत्तता और समायोजन पर असमानताओं और प्रतिबंधों को

मजबूत करती है। शिक्षा और कार्यबल भागीदारी जैसे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, भारत में महिलाओं को सामाजिक मानदंडों और प्रणालीगत असमानताओं में निहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच, आर्थिक असमानताएं और प्रतिबंधात्मक सांस्कृतिक प्रथाएं बनी हुई हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में बाधा डाल रही हैं। हालाँकि, प्रतिरोध और लचीलेपन के संकेत भी हैं क्योंकि महिलाएँ तेजी से पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दे रही हैं, अपने अधिकारों का दावा कर रही हैं और बदलाव के लिए एकजुट हो रही हैं।

भारत में महिलाओं के समाजीकरण को संबोधित करने के प्रयासों के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो अंतर्निहित संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करता है, लिंग-संवेदनशील नीतियों और हस्तक्षेपों को बढ़ावा देता है, और महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों का दावा करने के लिए सशक्त बनाता है। इसमें शिक्षा और कौशल-निर्माण कार्यक्रमों में निवेश करना शामिल है जो महिलाओं की क्षमताओं और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं, लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव को संबोधित करने के लिए कानूनी सुधारों को लागू करना, और सहायक वातावरण को बढ़ावा देना जो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं और लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, भारतीय समाज के भीतर महिलाओं के अनुभवों और पहचान की विविधता को पहचानना समावेशी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो वर्ग, जाति, धर्म, जातीयता और कामुकता जैसे कारकों को प्रभावित करता है। महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाकर, महिला नेटवर्क को मजबूत करके और सामूहिक कार्रवाई को सक्रिय करके, हम एक अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज की दिशा में काम कर सकते हैं जहां महिलाएं अपनी क्षमता को पूरा करने और राष्ट्र की भलाई और प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त होंगी।

निष्कर्षतः भारत में महिलाओं के समाजीकरण को संबोधित करना न केवल सामाजिक न्याय का मामला है, बल्कि सभी के लिए सतत विकास, शांति और समृद्धि की पूर्व शर्त भी है। पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए जहां हर महिला आगे बढ़ सके, इसके लिए व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों और नागरिक समाज संगठनों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- Agarwal, B. (1994). *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge University Press.
- Agnes, F. (1999). *Law and Gender Inequality: The Politics of Women's Rights in India*. Oxford University Press.
- Bumiller, K. (2001). *The Culture of Sewing: Gender, Consumption, and Home Dressmaking*. University of Chicago Press.

- Chakravarti, U. (1998). *Rewriting History: The Life and Times of Pandita Ramabai*. Zubaan Books.
- Chatterjee, P. (2001). *A Time for Tea: Women, Labor, and Post/Colonial Politics on an Indian Plantation*. Duke University Press.
- Chen, M. (2001). *Women and Informal Employment in Developing Countries: A Global Picture, the Global Movement*. Economic and Political Weekly, 2001.
- Das, V. (1995). *Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India*. Oxford University Press.
- Jafri, J. (2008). Gender, Imperialism and Global Exchanges. *Gender and Education*, 20(1), 97-111.
- Kabeer, N. (2003). *Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals: A Handbook for Policy-Makers and Other Stakeholders*. Commonwealth Secretariat.
- Menon, R., & Bhasin, K. (1998). *Borders & Boundaries: Women in India's Partition*. Kali for Women.
- Narayan, U. (1997). *Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third World Feminism*. Routledge.
- Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.
- Sen, A. (2005). *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity*. Penguin Books.
- Spivak, G.C. (2010). *Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea*. Columbia University Press.
- Thapar, R. (2000). *Cultural Pasts: Essays in Early Indian History*. Oxford University Press.

Manuscript Timeline

Submitted : June 03, 2025

Accepted : June 20, 2025

Published : June 30, 2025

भाषिक मीम्स (Memes) और उनके नव्य अर्थ-संवहन तंत्र का भाषाई विश्लेषणडॉ. विश्वजीत नारायण¹

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र डिजिटल युग में भाषिक मीम्स के स्वरूप, विकास और प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। मीम्स प्रारंभ में सांस्कृतिक विचारों और व्यवहारों के छोटे-छोटे अनुकरणीय इकाइयों के रूप में विकसित हुए हैं। आज वे सामाजिक संचार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। इस अध्ययन में मीम्स की भाषा, उनके अर्थ-संवहन तंत्र और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों को प्रमुखता से समझा गया है। शोध के दौरान पाया गया कि मीम्स में प्रयुक्त भाषा सामान्य भाषाई नियमों से हटकर नवाचार, पुनर्चना और संक्षेपण से युक्त होती है। स्लैंग, हिंग्लिश और कोड भाषा का मिश्रण मीम्स की भाषा को युवा पीढ़ी की अभिव्यक्ति से जोड़ता है। व्याकरणिक विकृतियों और शैलीगत विविधताओं के कारण मीम्स की भाषा लचीली और गतिशील बनती है जो विभिन्न सामाजिक संदर्भों में तेजी से अपना अर्थ बदल सकती है। मीम्स का अर्थ-संवहन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्तरों पर होता है जैसे- व्यंग्य, बहुअर्थिता और संदर्भ-सापेक्षता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इमोजी, चित्र और अन्य दृश्य घटक अर्थ की व्याप्ति को बढ़ाते हैं और संचार को बहुआयामी बनाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- Instagram, Reddit और Twitter आदि पर मीम्स की भाषा, शैली और उपयोग में भिन्नता देखी गई है। Instagram पर दृश्यात्मक और हास्य प्रधान मीम्स अधिक लोकप्रिय हैं वहीं Reddit पर विशिष्ट और समूह-आधारित मीम्स मिलते हैं जबकि Twitter पर सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणी वाली संक्षिप्त भाषा प्रचलित है। अतः इस शोध-पत्र में पाया गया कि मीम्स डिजिटल मनोरंजन का साधन के साथ-साथ भाषा के विकास, सामाजिक विमर्श और सांस्कृतिक पहचान के सशक्त उपकरण हैं। भविष्य में क्षेत्रीय भाषाओं में मीम्स का अध्ययन, भाषाई नवाचारों की विस्तार और डिजिटल संचार में उनकी भूमिका पर और शोध की गहन संभावनाएँ विद्यमान हैं।

बीज शब्द- भाषिक मीम्स, भाषा नवाचार, डिजिटल संचार, व्यंग्य और बहुअर्थिता, अर्थ-संवहन तंत्र आदि।

परिचय-

डिजिटल युग ने संचार के पारंपरिक रूपों को बदला है तथा भाषा की प्रकृति, संरचना और अभिव्यक्ति के तरीकों को भी नवीन रूप प्रदान किया है। इन्हीं नवाचारों में से एक है- **मीम (Meme)**। आज के इंटरनेट-संचालित समाज में मीम हास्य का माध्यम बन गया है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषिक विमर्श का एक सशक्त उपकरण बन चुका है। प्रस्तुत शोध-पत्र में हम विशेष रूप से भाषिक मीम्स (Linguistic Memes)

¹ स्वतंत्र शोधकर्ता एवं लेखक; ई-मेल. - bishva95@gmail.com

के अर्थ-संवहन तंत्र (Semantic Transmission System) का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो आधुनिक भाषाविज्ञान में एक नवाचारी अध्ययन-क्षेत्र बन चुका है।

‘मीम’ शब्द की संकल्पना सबसे पहले 1976 में रिचर्ड डॉकिन्स (Richard Dawkins) ने अपनी पुस्तक *The Selfish Gene* में प्रस्तुत की है। इन्होंने ‘मिम्स’ को सांस्कृतिक सूचना की ऐसी इकाई कहा है जो एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक अनुकरण द्वारा स्थानांतरित होती है। डॉकिन्स ने ‘मीम’ की तुलना ‘जीन’ से की जैसे जीन जैविक गुणों का संवाहक है वैसे ही मीम सांस्कृतिक गुणों का संवाहक है। हालांकि डिजिटल युग में मीम का अर्थ परिवर्तित हुआ है। आज मीम्स मुख्यतः सोशल मीडिया, इंटरनेट मंचों और डिजिटल चित्रों व पाठों के रूप में प्रचलित हैं। जो किसी सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक विषय पर हास्य, व्यंग्य या आलोचना व्यक्त करते हैं। इन मीम्स में भाषा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है वह भावों को व्यक्त करती है तथा अर्थ की कई परतें भी बनाती है।

भाषिक मीम्स की संकल्पना-

भाषिक मीम्स वे डिजिटल सामग्री हैं जिनमें भाषा (शब्द, वाक्य, मुहावरे, स्लैंग, व्याकरणिक रचनाएँ) केंद्रीय भूमिका निभाती है और जिनका उद्देश्य सांस्कृतिक संप्रेषण, मनोरंजन या आलोचनात्मक संवाद करना होता है। मीम्स हास्य नहीं होते वे एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ में निर्मित होते हैं और कई बार गहरे भाषिक व सांस्कृतिक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे- ‘ये लो तुम्हारी कविता’ या ‘भाई क्या कर रहा है तू?’ जैसे मीम्स कथन, सांस्कृतिक संदर्भ, व्यंग्यात्मक लहजा और भाषिक प्रयोगों की विशिष्ट शैली को दर्शाते हैं।

शोध की आवश्यकता और उद्देश्य-

भाषिक मीम्स का अध्ययन आवश्यक इसलिए है क्योंकि-

- मीम्स भाषा के पारंपरिक ढांचे को तोड़ते हैं और नए अर्थों का सृजन करते हैं। वे स्लैंग, असामान्य व्याकरण, बहुभाषिकता और इंटरनेट-विशेष लहजे को जन्म देते हैं।
- मीम्स समय-विशेष और समाज-विशेष की मानसिकता, राजनीति और युवाओं की चेतना को दर्शाते हैं।
- मीम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाषा की प्रवृत्तियों, अर्थवत्ता और सामाजिक प्रभाव को उजागर करते हैं।
- मीम्स आज प्रतिरोध, आलोचना और वैचारिक बहस का सशक्त मंच बन चुके हैं।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है-

- भाषिक मीम्स की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का अध्ययन।
- अर्थ-संवहन के नवीन तंत्रों की पहचान।
- सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भाषा के प्रयोग का विश्लेषण।

इस प्रकार यह शोध डिजिटल संचार, भाषा-विज्ञान और संस्कृति-अध्ययन के त्रिवेणी संगम पर स्थित एक आधुनिक प्रयास है।

मीम्स की उत्पत्ति और विकास-

मीम शब्द की अवधारणा का जन्म रिचर्ड डॉकिन्स (Richard Dawkins) ने 1976 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *The Selfish Gene* में किया था। उन्होंने 'मीम' (Meme) शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द 'mimema' (जिसका अर्थ है 'अनुकरणीय वस्तु') से की है और इसका प्रयोग किसी भी संस्कृति में प्रसारित होने वाली विचार, शैली, व्यवहार या प्रथा के लिए किया। डॉकिन्स ने मीम को सांस्कृतिक आनुवंशिकी की इकाई के रूप में परिभाषित किया जैसे जीन जैविक जानकारी को पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचारित करता है, उसी प्रकार मीम सामाजिक जानकारी को समाज में प्रसारित करता है। आरंभ में मीम दृश्य या ग्राफिक माध्यम नहीं था बल्कि यह विचारों और परंपराओं की एक अमूर्त अवधारणा थी जो अनुकरण के माध्यम से फैलती थी। समय के साथ यह धारणा तकनीकी विकास और इंटरनेट के आगमन के साथ एक नया रूप लेने लगी।

डिजिटल युग में मीम्स का प्रसार-

इंटरनेट के तेजी से प्रसार ने मीम्स को एक नए माध्यम में परिवर्तित किया। 2000 के दशक की शुरुआत में 4chan, Reddit और Tumblr जैसे मंचों पर विभिन्न ग्राफिक, टेक्स्ट-बेस्ड और GIF आधारित मीम्स का जन्म हुआ। धीरे-धीरे ये मीम्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे मुख्यधारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगे। डिजिटल मीम्स की एक मुख्य विशेषता यह है कि वे तेजी से प्रसारित होते हैं और कुछ ही समय में सामूहिक स्मृति (Collective Memory) का हिस्सा बन जाते हैं। इनमें प्रायः तस्वीर, टेक्स्ट और संदर्भ का मिश्रण होता है जो किसी सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मीम्स के विकास में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। डिजिटल उपयोगकर्ता उपभोक्ता के साथ निर्माता भी बन गए हैं। किसी विशेष फॉर्मेट का मीम सैकड़ों लोगों द्वारा अलग-अलग संदर्भों में संशोधित होकर नया अर्थ ग्रहण कर सकता है। इस प्रक्रिया को 'रीमिक्स कल्चर' कहा जाता है जिसमें मौलिकता की अपेक्षा प्रसंगानुसार संशोधन अधिक महत्व रखता है।

भाषा के साथ मीम्स का संबंध-

मीम्स और भाषा के बीच एक गहरा संबंध है। कोई भी मीम तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उसमें प्रयुक्त भाषा सटीक, संदर्भ-सम्मत और संप्रेषणक्षम न हो। डिजिटल मीम्स में प्रयुक्त भाषा आम तौर पर संक्षिप्त, अनौपचारिक और लक्षणात्मक होती है। उदाहरणस्वरूप, 'Mood', 'Same', 'Broooo', 'सही पकड़े हैं' जैसे वाक्यांश भाव ही नहीं उस पीढ़ी की सोच, भावना और संप्रेषण शैली को भी दर्शाते हैं। मीम्स में प्रयुक्त भाषा कई बार स्लैंग, हिंग्लिश, भाषिक कूट और भाषिक पुनर्रचना जैसे तत्वों का उपयोग करती है जिससे नई शब्दावली और शैली का जन्म होता है। इसके अलावा मीम्स भाषा को सांस्कृतिक संवाद का माध्यम बनाते हैं। वे व्यंग्य, आलोचना और हास्य के साथ सामाजिक विमर्श को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार मीम्स एक

सांस्कृतिक-भाषिक क्रांति के रूप में उभरते हैं जो आज के युग में संचार, अभिव्यक्ति और सामाजिक भागीदारी का माध्यम बन चुके हैं।

भाषिक मीम्स : परिचय-

डिजिटल युग में संचार का स्वरूप जिस गति से परिवर्तित हुआ है उसी अनुपात में भाषा के प्रयोग के तरीके भी बदले हैं। इस परिवर्तन में भाषिक मीम्स ने एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। भाषिक मीम्स वे डिजिटल माध्यम हैं जिनमें भाषा का प्रयोग केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह भाषा कभी दृश्य के साथ संयुक्त होती है तो कभी पाठ्य रूप में होती है। इन मीम्स का उद्देश्य मनोरंजन तो है ही ये संप्रेषण, सांस्कृतिक व्यंग्य, सामाजिक टिप्पणी और सामूहिक पहचान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषिक मीम्स को उनके स्वरूप और प्रस्तुति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

- **दृश्य-भाषिक मीम्स (Visual-Linguistic memes)-** इस श्रेणी में चित्र या ग्राफिक के साथ पाठ (Text) का संयोजन होता है। छवि और भाषा मिलकर एक संयुक्त अर्थ-संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरणस्वरूप किसी प्रसिद्ध फिल्म के दृश्य पर हास्यात्मक या व्यंग्यात्मक वाक्य जोड़ा जाता है जिससे वह दृश्य एक नया संदर्भ ग्रहण कर लेता है। जैसे- ‘भाई, ये तेरा उसूल तो बहुत महंगा पड़ा’ जैसे मीम्स जब किसी फिल्मी चेहरे के भावों के साथ जोड़े जाते हैं तो वे मज़ाक बनाते हैं तथा सामाजिक अनुभवों की अभिव्यक्ति भी करते हैं। इन मीम्स की प्रभावशीलता दृश्य और भाषा दोनों की संतुलित सामर्थ्य पर निर्भर करती है।
- **पाठ मीम्स (Text Memes)-** इस प्रकार के मीम्स में केवल शब्दों का प्रयोग होता है। किसी चित्र या ग्राफिक की आवश्यकता नहीं होती। ये मीम्स अक्सर संक्षिप्त, प्रभावशाली और प्रसंग-निर्भर होते हैं। जैसे- ‘आज भी उस मोड़ पर खड़ा है इंटरनेट, जहाँ डाटा खत्म हो गया था’, ‘काम से ज्यादा मीटिंग जरूरी है, यही है कॉर्पोरेट धर्म’। ऐसे मीम्स भाषा की लय, शैली और सटीक शब्द-चयन के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग विशेष रूप से ट्विटर, व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम कैप्शन जैसे प्लेटफॉर्म पर अधिक होता है।
- **संवादात्मक मीम्स (Dialogic Memes)-** इस प्रकार के मीम्स में दो या अधिक काल्पनिक पात्रों के बीच संवाद होता है जो किसी सामाजिक स्थिति, दुविधा या मजाकिया परिस्थिति को उजागर करता है। जैसे- **बॉस-** तुम लेट क्यों आए? **कर्मचारी-** टाइम तो रिलेटिव होता है सर, आइंस्टीन ने कहा है। संवादात्मक मीम्स भाषा में वक्रोक्ति, व्यंग्य और सामाजिक अनुभवों को रोचकता से प्रस्तुत करते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये पाठक को एक दृश्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिससे संप्रेषण अधिक प्रभावशाली बनता है।
- **बहुभाषीय मीम्स (Multilingual Memes)-** भारत जैसे बहुभाषीय समाज में यह श्रेणी अत्यंत प्रचलित है। इन मीम्स में दो या अधिक भाषाओं का संयोजन होता है। प्रायः हिंदिलिश (Hindi + English) सबसे सामान्य रूप है। जैसे- ‘Aaj toh dil ने literally कह दिया- बस कर पगले,

रुलाएगा क्या’, ‘When your mom says ‘खाना खा ले और mobile बंद कर’ - and you’re dying inside’। ये मीम्स भाषाई रचनात्मकता को दर्शाते हैं और विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच संप्रेषण की सेतु बनाते हैं। इन सभी श्रेणियों के मीम्स में भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम, संवेदना, सामाजिक प्रतीक और वैचारिक विमर्श का साधन बन जाती है। भाषिक मीम्स की यह विविधता यह दर्शाती है कि कैसे डिजिटल मंचों पर भाषा जीवंत, लचीली और सृजनशील बनी हुई है।

मीम्स में प्रयुक्त भाषा की विशेषताएँ-

डिजिटल संचार के क्षेत्र में मीम्स की भाषा एक नवीन प्रयोगशाला के रूप में उभरी है। जहाँ पारंपरिक भाषिक नियमों का उल्लंघन करके नए रूप, अर्थ और अभिव्यक्तियाँ जन्म लेती हैं। मीम्स की भाषा प्रायः अनौपचारिक, लचीली और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों से गहराई से जुड़ी होती है। इसमें सृजनात्मक प्रयोग, विडंबना और व्यंग्य के साथ-साथ नए शब्दों, वाक्य-रूपों और अभिव्यक्ति की शैली का समावेश होता है।

शब्दों की पुनर्रचना, व्युत्पत्ति और नवाचार-

मीम्स में प्रयुक्त भाषा में शब्दों का पुनर्रचना (Reconstruction) एक सामान्य प्रवृत्ति है। उपयोगकर्ता किसी पारंपरिक शब्द को नया रूप देते हैं या उसका रूपांतरण किसी नए संदर्भ में करते हैं। जैसे-

- ‘भौकाल’, ‘सिचुएशन टाइट है’, ‘लिटरली मर गए’ जैसे वाक्यांश किसी विशिष्ट संदर्भ से निकलकर व्यापक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुके हैं।
- ‘सरकारी vibes आ रही हैं’ जैसे वाक्य में vibes शब्द अंग्रेजी से उधार लिया गया है किंतु उसका हिंदी संदर्भ में नया प्रयोग हुआ है।

भाषिक संक्षेपण, स्लैंग और कूट भाषा-

मीम्स की भाषा में संक्षिप्तता एक अनिवार्य गुण है। चूंकि डिजिटल दर्शकों का ध्यानकाल सीमित होता है इसलिए संदेश को तीव्र और प्रभावी बनाना आवश्यक होता है। जैसे-

- ‘LOL’, ‘BRB’, ‘FOMO’, ‘GOAT’ जैसे संक्षेप अंग्रेजी मीम्स में सामान्य हैं।
- हिंदी में ‘OP’ (Over Powered), ‘सस्टेन’, ‘गैस’, ‘मूड है’ जैसे शब्द स्लैंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं जिनका अर्थ संदर्भ से समझा जाता है।

कई बार मीम्स में ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो एक विशेष समूह या समुदाय के लिए ही बोधगम्य होते हैं। यह भाषा कोडेड (गूढ़) हो जाती है जो उस समुदाय की पहचान को मजबूत करती है और बाहरी व्यक्तियों के लिए अस्पष्ट रहती है।

व्याकरणिक विकृति और उसका प्रभाव-

मीम्स में भाषा अक्सर पारंपरिक व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन करती है। यह विकृति जानबूझकर की जाती है जिससे हास्य, व्यंग्य या विरोध का भाव व्यक्त हो सके। जैसे-

- 'तू क्या सोच के आया था बेटा?'
- 'खतरे में है सुकून'

यहाँ भाषा की संरचना मानक नहीं है फिर भी अर्थ पूरी तरह स्पष्ट है। ऐसी विकृतियाँ भाषा को अधिक लचीला और सृजनात्मक बनाती हैं। व्याकरणिक नियमों से विचलन कई बार सामाजिक असमानताओं, नौकरशाही की आलोचना या जमीनी अनुभवों को हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करता है।

शैलीगत विश्लेषण (Stylistic Variation)-

मीम्स में भाषा की शैली बेहद विविधतापूर्ण होती है। यह औपचारिकता छोड़कर बोलचाल की भाषा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और आंचलिक प्रभावों को शामिल करती है।

- मीम्स में 'हिंग्लिश' का प्रयोग अत्यधिक प्रचलित है। जैसे- 'When life gives you lemons, order chai extra kadak'

Caps Lock, bold अक्षरों, इमोजी और विराम चिह्नों का असामान्य प्रयोग भी मीम्स की शैली को विशिष्ट बनाता है। शैली में प्रयोगात्मकता मीम्स को अधिक प्रभावशाली बनाती है क्योंकि यह उपयोगकर्ता की मानसिकता, भाषा-शैली और हास्यबोध के अनुरूप ढल जाती है। अतः मीम्स में प्रयुक्त भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं है। यह निरंतर बदलती सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिवेश और डिजिटल तकनीक के अनुरूप ढलती रहती है।

अर्थ-संवहन तंत्र (Meaning Transmission Mechanism)-

डिजिटल मीम्स में प्रयुक्त भाषा मनोरंजन के साथ ही वह एक विशेष अर्थ-संवहन तंत्र के माध्यम से बहुस्तरीय संदेशों को संप्रेषित करती है। मीम्स का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने दर्शकों तक संदेश को कैसे पहुँचाते हैं और दर्शक उसे किस प्रकार ग्रहण करते हैं। इसका तंत्र बहुस्तरीय, संदर्भ-आधारित और सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टिकोण से गहराई लिए होता है।

प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष अर्थ (Direct vs. Indirect Meaning)-

मीम्स में संप्रेषण दो स्तरों पर होता है- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अर्थ से आशय यह है कि जो पाठ या छवि से सीधे अर्थ स्पष्ट होता है। उदाहरण 'जब सोमवार सुबह अलार्म बजता है।' के साथ किसी थके हुए व्यक्ति की तस्वीर यह प्रत्यक्ष रूप से 'सोमवार की थकान' को दर्शाता है। वहीं अप्रत्यक्ष अर्थ व्यंजना, संकेत या संदर्भ के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचता है। इसमें एक ही मीम अलग-अलग दर्शकों द्वारा अलग ढंग से समझा जा सकता है। अप्रत्यक्ष अर्थों में समाज, राजनीति या मानसिक दशा जैसे गहरे विषय छिपे होते हैं।

व्यंग्य, व्यभिचार और बहुअर्थिता (Satire, Irony and Polysemy)-

मीम्स का एक प्रमुख गुण है व्यंग्यात्मक संप्रेषण। किसी सामाजिक, राजनैतिक या व्यक्तिगत स्थिति पर सीधा आक्रमण किए बिना मीम उस पर कटाक्ष करता है। उदाहरणस्वरूप 'सब चंगा सी' जैसे वाक्य में व्यंग्य छिपा होता है जो उस स्थिति की असलियत को छिपाकर उसका मजाक उड़ाता है।

व्यभिचार (Irony) का प्रयोग भी मीम्स में सामान्य है जहाँ कथन और आशय विपरीत होते हैं। एक साधारण सी बात को हास्य के रूप में कहकर समाज की जटिलताओं पर प्रकाश डाला जाता है।

बहुअर्थिता (Polysemy) का अर्थ है कि एक ही मीम एक से अधिक अर्थ ग्रहण कर सकता है। यह अर्थ उपयोगकर्ता के सामाजिक, भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

संदर्भ-सापेक्षता (Contextual Dependence)-

मीम्स की भाषा और अर्थ का संप्रेषण संदर्भ पर अत्यधिक निर्भर करता है। कोई भी मीम यदि अपने सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ से अलग हो जाए तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण 'मुझे सब पता है संदीप' जैसे मीम को तभी समझा जा सकता है जब दर्शक को उसके मूल संदर्भ या स्रोत (जैसे वीडियो क्लिप या ट्रेंडिंग घटना) की जानकारी हो। मीम्स संदर्भ-सापेक्ष होकर सामाजिक संवाद स्थापित करते हैं और एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान गढ़ते हैं जिसमें दर्शक स्वयं को उस संदर्भ-समूह का हिस्सा महसूस करता है।

इमोजी, संकेत और दृश्य घटकों की भूमिका-

इमोजी, चित्र और ग्रहणीय संकेत मीम्स में अर्थ-संवहन के पूरक माध्यम बन गए हैं। जब शब्द सीमित होते हैं तब ये दृश्य तत्व अर्थ को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। उदाहरण के लिए एक रोते हुए चेहरे की इमोजी के साथ 'Result aa gaya' लिखा हो तो वह भाषा से ज्यादा भाव से बात करता है। इसी तरह किसी ज्ञात फिल्मी दृश्य या चेहरे का प्रयोग अर्थ को अधिक व्यापक और तीव्र बना सकता है। इन दृश्य घटकों की उपस्थिति संप्रेषण को बहुआयामी बनाती है और दर्शक के अनुभव को समृद्ध करती है।

मीम्स का अर्थ-संवहन शब्दों तक सीमित नहीं होता। यह एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें भाषा, संदर्भ, संकेत और दृश्य सभी घटक मिलकर एक जटिल परंतु सहज संप्रेषण तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र को समझना आधुनिक भाषाविज्ञान और डिजिटल संस्कृति के विश्लेषण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।

मीम्स के भाषाविज्ञान पर प्रभाव-

मीम्स ने भाषा के अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ा है। परंपरागत भाषाविज्ञान जहां भाषा की स्थिरता, व्याकरण और मानक रूपों पर केंद्रित है वहीं डिजिटल युग में उभरे मीम्स ने भाषा को एक जीवंत, लचीली और बहुरूपीय इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है। इनका प्रभाव शब्दों के चयन या शैली, भाषा की संरचना, अर्थवत्ता और उपयोग के व्यापक संदर्भ में भी परिवर्तन लाया है।

भाषिक नवाचार के स्रोत के रूप में मीम्स-

मीम्स भाषा में नवाचार के महत्वपूर्ण स्रोत बन चुके हैं। वे नये शब्दों, वाक्यांशों और प्रयोगों को जन्म देते हैं जो बाद में सामान्य सामाजिक संवाद का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, 'OP', 'भौकाल', 'मूड है' या 'मेमे मैटेरियल' जैसे शब्दों और वाक्यांशों की उत्पत्ति इंटरनेट मीम्स से हुई और आज ये आम बातचीत में प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मीम्स में प्रयुक्त हिंग्लिश, आंचलिक भाषाओं और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न

हाइब्रिड भाषा भी नवाचार का प्रतीक है। इस भाषा में भावनात्मक गहराई के साथ-साथ सांस्कृतिक विविधता भी जुड़ी होती है।

मीम्स ने भाषा की स्थिरता को चुनौती दी है। भाषा औपचारिक लेखन या वाचन तक सीमित नहीं रही है वह दृश्य संदर्भ और व्यंग्य के माध्यम से भी संप्रेषित होने लगी है। मीम्स के कारण भाषा में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं-

- वाक्य संरचना में सहजता और संक्षिप्तता आई है।
- शब्दों की पुनःप्रयोगिता बढ़ी है- एक ही शब्द विभिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थों के साथ प्रयुक्त हो सकता है।
- शब्दार्थ का लचीलापन बढ़ा है। जैसे- ‘Triggered’, ‘Savage’ या ‘माहौल बना दिया’ जैसे शब्द कई बार भाव, कभी प्रतिक्रिया तो कभी प्रशंसा के रूप में उपयोग होते हैं।

मीम्स की भाषा में भाव, व्यंग्य और विडंबना इतने गहराई से गुंथे होते हैं कि पारंपरिक व्याकरण इसे पूरी तरह समझाने में असमर्थ रहता है। यही कारण है कि भाषा-विश्लेषण की प्रक्रिया में अब नए औजार और दृष्टिकोण की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है।

डिजिटल भाषाविज्ञान और इंटरनेट भाषा-

डिजिटल भाषाविज्ञान (Digital Linguistics) एक नया अनुशासन बन रहा है जिसमें मीम्स का विशेष स्थान है। इंटरनेट भाषा जिसे netspeak या digital vernacular भी कहा जाता है युवा वर्ग की पसंद है। वह भाषा-प्रयोग का सक्रिय और प्रभावी क्षेत्र भी है। डिजिटल भाषा की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- इमोजी, GIF और चित्रों के साथ भाषा का समन्वय।
- कैपिटलाइजेशन, विराम चिह्नों की पुनर्व्याख्या जैसे- ‘WHY THO?’, ‘क्यााााााा?’
- मौखिक शैली का टेक्स्ट में अनुवाद जैसे- ‘उहह’, ‘अरे हहहहहहह’ आदि।
- समूह विशेष की सांस्कृतिक शब्दावली का निर्माण जैसे- गेमर्स, फैन्डम्स, एक्टिविस्ट समूहों की भाषा।

इस भाषा की जांच-पड़ताल भाषाविज्ञान को प्रासंगिकता, संदर्भ और दृश्यता जैसे नए मापदंडों के आधार पर करने की ओर प्रेरित कर रही है। मीम्स डिजिटल संस्कृति के उत्पाद नहीं हैं वे भाषिक व्यवहार, संरचना और विकास के गहरे संकेतक हैं। इनके माध्यम से भाषा सूचना का साधन, संवेदना, विरोध, हास्य और पहचान का सशक्त वाहक बन चुकी है। जो भाषाविज्ञान को नया दृष्टिकोण दिया है जहाँ अध्ययन शब्दों पर नहीं उनके सामाजिक-डिजिटल प्रभाव पर केंद्रित होता है।

व्यष्टि अध्ययन (Case Studies)-

मीम्स की भाषिक प्रकृति को समझने के लिए उनके व्यावहारिक उदाहरणों का विश्लेषण अत्यंत उपयोगी होता है। केस स्टडी के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किस प्रकार मीम्स संप्रेषण, भाव और सामाजिक संदेश को भाषा और दृश्य संयोजन के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन मीम्स की प्रस्तुति, शैली और संदर्भ अलग-अलग होते हैं जो उनके भाषिक स्वरूप को प्रभावित करते हैं।

प्रमुख मीम्स के उदाहरण और उनका भाषिक विश्लेषण-

(क) 'मोदी जी ने कहा था...'

यह मीम एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें वाक्यांश 'मोदी जी ने कहा था...' के आगे कोई ऐसा कथन जोड़ा जाता है जो किसी वादे या नीतिगत बयान की विफलता को उजागर करता है।

भाषिक विश्लेषण

- यह वाक्य रिपीटेड पैटर्न के रूप में कार्य करता है।
- भाषा सीधी, सटीक और व्यंग्यपूर्ण होती है।
- इस मीम का प्रभाव इसकी सारांशात्मक शैली और सामाजिक संदर्भ पर आधारित होता है।

(ख) 'भाई, तू तो लीजेंड निकला'

इस मीम में एक सामान्य व्यक्ति को उसके किसी असामान्य कार्य के लिए मजाकिया रूप में 'लीजेंड' कहा जाता है।

भाषिक विश्लेषण

- 'लीजेंड' शब्द अंग्रेजी का है परंतु इसका उपयोग हिंदी वाक्य संरचना में किया गया है।
- व्यंग्य और प्रशंसा दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं।
- यह शैली युवा पीढ़ी की हिंग्लिश अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीम्स का तुलनात्मक अध्ययन-

(क) Instagram

- Instagram पर मीम्स मुख्यतः विजुअल-लिंग्विस्टिक होते हैं।
- इनमें इमेज, वीडियो क्लिप्स और टेक्स्ट ओवरले का प्रयोग होता है।
- भाषा आकर्षक, संक्षिप्त और ह्यूमर-केंद्रित होती है।
- टोन अनौपचारिक और युवा केंद्रित होता है।

उदाहरण: 'When you open Instagram for 5 minutes and it's already been 2 hours'

(ख) Reddit

- Reddit पर मीम्स प्रायः संदर्भ आधारित होते हैं। जिनका आधार किसी थ्रेड या सबरेडिट की चर्चा होती है।
- भाषा अधिक विशिष्ट और कभी-कभी तकनीकी या आलोचनात्मक होती है।
- मीम्स का meta-humor अधिक गहराई लिए होता है।
- उपभोक्ता यहां निर्माता भी होते हैं जिससे भाषा अधिक आत्मीय और समूह-विशेष की होती है।

(ग) Twitter (अब X)

- Twitter पर मीम्स अधिकतर केवल-भाषिक (Text-only) होते हैं।
- सीमित शब्दों में तीव्र प्रभाव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है।
- राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी यहाँ अधिक प्रबल होती है। उदाहरण: ‘सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर सरकार को याद आया कि कुछ नया नियम लाना है।’

मीम्स के भाषिक रूप उनके संदर्भ, मंच और उपयोगकर्ता समुदाय के अनुसार बदलते हैं। Instagram दृश्य-आकर्षण और हास्य में माहिर है तो वही Reddit गहराई और विशिष्टता में जबकि Twitter तीव्र व्यंग्यात्मक और तात्कालिक अभिव्यक्ति का मंच है। इन सभी प्लेटफॉर्म पर भाषा स्थिर नहीं है। वह सतत परिवर्तित होती है। नया रूप ग्रहण करती है और अपने माध्यम के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है। इस प्रक्रिया में मीम्स सामाजिक संचार, भाषिक प्रयोग और जन-संवाद के सशक्त उपकरण बनकर उभरते हैं।

निष्कर्ष-

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषिक मीम्स मनोरंजन के साथ-साथ डिजिटल संचार, भाषिक नवाचार और सामाजिक विमर्श के प्रभावशाली साधन बन गए हैं। ये मीम्स भाषा में शब्दों की पुनर्रचना, व्याकरणिक बदलाव और शैलीगत विविधता प्रस्तुत करते हैं तथा सामाजिक असंतोष, आलोचना व सामूहिक भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। मीम्स में आमतौर पर हिंग्लिश, स्लैंग और कोड भाषा का मिश्रण होता है जो युवा वर्ग की संवाद शैली और डिजिटल जीवनशैली को दर्शाता है। संप्रेषण प्रणाली बहुस्तरीय होती है- प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्यंग्यात्मक और संदर्भ-आधारित। इमोजी, चित्र और दृश्य घटक भाषा के पूरक के रूप में अर्थ को व्यापक बनाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram, Reddit और Twitter आदि पर मीम्स की भाषिक प्रकृति मंच के अनुसार भिन्न होती है। समग्र मूल्यांकन से पता चलता है कि भाषिक मीम्स डिजिटल संस्कृति में भाषा को नए रूप, प्रयोग और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक विमर्श के सक्रिय वाहक हैं। भविष्य में विभिन्न भाषाओं में मीम्स की तुलना, क्षेत्रीय भाषाओं में उनकी भूमिका, शिक्षण में उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे पहलुओं पर शोध की संभावनाएँ हैं। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के माध्यम से मीम्स के भाषिक विश्लेषण को विकसित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची-

- Burgess, Jean, and Joshua Green. (2009). *YouTube: Online Video and Participatory Culture*. Polity Press.
- Crystal, David. (2011). *Internet Linguistics: A Student Guide*. Routledge.
- Dawkins, Richard. (1976). *The Selfish Gene*. Oxford University Press.
- Highfield, Tanya. (2016). *Social Media and Everyday Politics*. Polity.
- Shifman, Limor. (2014). *Memes in Digital Culture*. MIT Press.
- Tagg, Caroline. (2015). *Exploring Digital Communication: Language in Action*. Routledge.
- त्रिपाठी, रीता. (2019). सोशल मीडिया पर भाषा और संवाद का स्वरूप. भारतीय भाषाविज्ञान पत्रिका, अंक 15, pp. 45-60
- मिश्रा, कल्पना. (2019). इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भाषा परिवर्तन. छत्तीसगढ़ विवेक: पत्रिका. प.-18

Manuscript Timeline

Submitted : June 11, 2025

Accepted : June 20, 2025

Published : June 30, 2025

Understanding Teachers' Professional Identity in Higher Education : A Qualitative Inquiry

Dr. Santosh Kumar Dubey¹

Abstract

This qualitative study examines the ways in which societal, institutional, and individual factors shape teachers' professional identities in higher education. Through interviews, group discussions, and theme analysis, the study shows that identity is dynamic and transformed by emerging roles like administration, research, and mentorship. Teachers' emotional and symbolic worth is increased by both official and informal recognition. While sociocultural elements like caste, gender, and social expectations make identity creation even more difficult, institutional structures frequently provide difficulties such as bureaucratic hassles and a lack of value placed on education. Teachers adopt coping mechanisms such as professional growth, teamwork, and reflection despite these obstacles. The study emphasizes the value of encouraging institutional rules that foster acknowledgment, communication, and creativity. It concludes that a professional identity is a living, changing process that is essential to effective education rather than a fixed construct.

Keywords: Professional Identity, Higher Education Institution

Introduction and Rational-

When someone asks what we do for a living, we typically respond, 'I am,' followed by our work title. Aspects such as community, personal values, behaviors, ideas, relationships, abilities, and beliefs—whether they are directly relevant to our role—are often discussed along with details like our qualifications, work history, accomplishments, and institutional affiliations. The way we present ourselves determines who we are (Wilson, na). Whether intentional or not, our actions and behaviors shape who we are and can earn us praise or criticism. Since social identity is an essential component of human nature, everyone needs an identity. People thus put a lot of effort into establishing and maintaining their identities. A person's personal work values, abilities and expertise, personal development, professional success and advancement, and inventiveness and creativity are all components of their individual professional identity.. Professional identity refers to the idea that explains how we see

¹ Assistant Professor (Faculty of Education), Dayawanti Punj Degree College, Sitamarhi, Bhadohi-221309

Email-Id: santoshdubey656@gmail.com

ourselves in our work environment and how we express this to others. The teacher's identity has a significant influence on both instruction and student learning. As often observed, the identity of the teacher determines the teacher's name and, in turn, the learning experiences of the students. Additionally, it is argued that self-reflection on life experiences and classroom practices, or identity work, is essential to high-quality teaching because it grants teachers the awareness of their own and the community's values, beliefs, emotions, and understandings that they need to actively engage in professional learning.

Professional identity is a fundamental idea in education, particularly in higher education, where teachers have a variety of roles, including that of mentors, researchers, educators, and institutional spokespersons. A teacher's professional identity includes their self-perception, attitudes, beliefs, and practices. This identity evolves over time due to experiences, interactions, and institutional environments. It affects how teachers view themselves and engage with peers, students, and the academic community. In the context of higher education, professional identity directly affects teaching effectiveness, student engagement, curriculum innovation, and academic integrity. Teachers who have strong and unified professional identities are more resilient, motivated, and committed to the principles of education. They can more easily implement reflective practices, adapt to pedagogical challenges, and significantly advance the institution's goals.

From an institutional perspective, the academic culture, governance, and reputation of the institutions are significantly influenced by the collective professional identities of the teaching members. It is necessary to comprehend how teachers see and navigate their professional roles in domains that are rapidly evolving owing to increased accountability, governmental changes, and technology improvements to design effective professional development programs and supportive organizational structures. Despite its significance—especially when examined via qualitative lenses—professional identity is still a neglected subject in Indian higher education. This study examines how college professors construct and maintain their professional identities within their institutional and social environments to bridge this gap.

Statement-

Among the professional responsibilities of teachers in higher education institutions are teaching, investigating, guidance and counselling, mentoring, administration, and participation in the academic community. The mission and vision of the organization, societal needs, disciplinary standards, and the perspectives of the teachers all influence these roles, which have many elements. In higher education institutions, teachers' professional identities are thus built through their formal education and training, classroom experience, research involvement, mentoring, and

reflections. The institutional setting, disciplinary standards, and integrating several positions with research are some of the ways that teachers navigate their professional obligations. This study is carried out in light of NEP-2020, taking into account the significance of this topic: Understanding Teachers' Professional Identity in Higher Education: A Qualitative Inquiry

Objectives-

1. To investigate the perception of professional identity of teachers in higher education institutions.
2. To identify the influencing factors (Institutional, sociocultural, and personal) in the professional identity of teachers in higher education institutions.
3. To examine the challenges and conflicts in the formation of professional identity of teachers in higher education institutions.

Review of Literature-

In this study, the review of related literature was conducted under the essentials of concept of professional identity and teachers' identity in higher education.

1. Concept of Professional Identity

The article "professional identity: what I call myself defines who I am" by Neary S., 2014 offers a valuable and insightful perspective on professional identity in the context of career development. It offers a strong argument for practitioners to deliberately mold their professional identities through critical engagement and ongoing development by deftly fusing theoretical reflection with real-world observation. This paper is a useful tool for teachers, legislators, and career professionals attempting to negotiate the intricacies of identity in a shifting professional environment, even though the scope might be expanded in further studies.

Furthermore, a careful examination of the process by which professional identity is developed in the nursing field is provided by "Professional Identity Formation: A Concept Analysis". Internalized values, role-derived self-perception, social context, and involvement in public-interest obligations are among the seven characteristics that define professional identity in nursing, based to the researchers' use of Walker and Avant's (2005) concept analysis method.

The paper authored by Halverson , Tregunno , & Vidjen , 2022 skilfully illustrates how identity formation appears in new nurses by fusing theoretical debate with real-life narrative situations. Nurse educators, legislators, and curriculum architects will find it extremely relevant as it emphasizes the causes (personal values, educational environment, mentorship) and effects (work happiness, identity tension) of professional identity. The paper's synthesis of social, educational, and psychological viewpoints as well as its attention to the shortcomings in the assessment instruments

used to evaluate identity development in nursing constitute some of its main advantages. But because the study mostly focused on nurses in their early careers, more research across a wider range of career stages may be necessary.

Next, a literature assessment of the idea of professional identity is provided across the work of (Ma, YiYU, Zhang, & ZHANG, 2021), with a focus on Chinese higher education. Academic vs occupational identity, dynamic process versus static state, and self-identification versus social identity are the three main characteristics into which the authors divide professional identity. The intricacy and dynamic character of learners' connections to their academic or professional domains are clarified by these intersecting frameworks. Its suggested four-dimensional model of professional identity—cognition, emotion, conduct, and appropriateness—is a noteworthy addition of the paper. It offers a helpful analytical lens for comprehending how students embrace and adjust to their chosen academic subjects. The study contextualizes identity creation as a socially impacted process as well as an interior psychological journey, drawing on global and Chinese studies. A significant gap is highlighted by the essay, even though it skilfully synthesizes a wide range of theoretical viewpoints: the absence of a common definition or framework in the body of extant research. Future research, according to the authors, should be more focused and organized to improve the relevance of professional identity theories, especially in educational psychology.

In addition, the context of school counselling in Israel, the perceptive study by (Heled & Davidovitch, 2021) examines the two facets of professional identity: personal and group. The study provides both theoretical clarity and empirical support by distinguishing these two constructs in a unique way and analysing their interaction. The researchers gathered information from 174 school counsellors using customized questionnaires, and they used factor analysis to pinpoint the essential elements of each identity. According to the study, group professional identity—which is shaped by organizational affiliation, role clarity, and society perceptions—has a major impact on personal professional identity, which is related to a counsellor's sense of competence and belonging. Key findings indicate that a strong group identity—marked by professional involvement, knowledge of rules, and positive attitude—enhances counsellors' confidence, efficacy, and solidarity with their roles. Conversely, a lack of professional definition or unclear roles weakens both individual and collective identity, leading to professional dissatisfaction. Particularly in an era of growing professional fluidity, this research is pertinent and contemporary. It also creates opportunities for further investigation into the construction and maintenance of identity in changing professional environments.

Another study by (Poole & Patterson, 2021) focuses on students studying

radiation therapy and radiography and offers a novel, multidisciplinary method for promoting professional identity formation (PIF) in healthcare education. The authors contend that in contemporary curriculum, traditional, virtue-based professionalism is insufficient and stress the necessity of organized, research-based methods to promote identity development. The study uses a "Think Tank" methodology to involve students and professors in exploring professional identity beliefs, opportunities, and difficulties. Following this cooperative approach, a consensus statement was produced with the intention of directing curriculum development and educational reform. The results warn against depending exclusively on unofficial or covert curricula and emphasize the value of including reflection, relationships, and resilience into educational programs. The article makes a significant contribution to medical education by demonstrating how active student-faculty involvement and multidisciplinary collaboration can create a more deliberate and inclusive approach to professional identity construction. It is especially helpful for teachers looking for doable ways to close the knowledge gap between theory and clinical practice.

2. Teacher Identity in Higher Education

The Batuk's July 2019 article, "Teacher Identity in Higher Education: A Phenomenological Inquiry," is an engaging examination of how Nepali university lecturers create their professional identities in the face of institutional hierarchies and sociopolitical obstacles. By employing a phenomenological methodology, the writers offer deep, qualitative perspectives from six Tribhuvan University instructors. Along with highlighting how party politics and established hierarchies stifle academic excellence in favor of political affiliation, the report also emphasizes a significant lack of institutional support, mentorship, and acknowledgment for younger professors. The study deftly examines how professors manage their positions in a system driven by power conflicts by drawing on theories of social identity, community of practice, and image-text. The instructors' lack of professional autonomy, marginalization, and anxiety are especially noticeable. The results provide compelling evidence that academic institutions should be depoliticized and that professional development strategies should be merit-based and supportive. This paper adds significantly to the conversation around teacher identity, particularly in circumstances that have received little attention, such as higher education in Nepal. It demands immediate adjustment to protect early-career instructors' academic integrity and morale (Phyak & Kumar , 2019) .

A sophisticated and dialogic explanation of teacher identity within the sociocultural paradigm is presented in an extensive study. Teachers' identities are dynamic, multifaceted, and influenced by both environmental and personal variables, according to the authors. They suggest, based on dialogical self-theory, that identity is made up of several, occasionally opposing "I-positions" that need constant discussion

and negotiation. Along with outlining important psychological and sociological theoretical underpinnings, the paper offers deep insights into the ways that reflective narratives, participatory research, and instructional techniques may be used to examine and enhance teacher identity. The useful ramifications for teacher education are especially noteworthy, highlighting collaborative learning, reflective practices, and narrative inquiry as crucial instruments for developing professional identity. This study encourages a change from static notions of teacher identity to more comprehensive and transformational approaches, making it a significant addition to educational research and policy overall (Hidalga & Villardón, 2019).

The way that neoliberal policies—particularly the marketization of higher education—are changing teacher identity and curriculum design is examined in the paper in a current and critical manner. The authors contend that because of market-driven changes, education is increasingly viewed as a commodity, profoundly changing the responsibilities of educators and the goals of curriculum. The study emphasizes how instructors are pressured to conform to performance metrics, customer pleasure, and institutional profitability via a comprehensive literature analysis and theoretical discussion—often at the expense of professional autonomy and fundamental educational ideals. In addition to criticizing how teacher identities have changed in a corporatized academic environment, the study also examines how curriculum design has changed to meet commercial needs and utility. This dual emphasis makes it very valuable. Drawing on Iranian and international settings, the paper offers a comprehensive analysis of the effects of marketization in both industrialized and developing nations. All things considered, the report makes a strong case for reassessing educational objectives and exhorts interested parties to consider neoliberal reforms carefully to uphold the democratic and transformational goals of higher education (Javadi & Asl, 2020).

Additionally, perceptive qualitative research investigates how reflective practice, institutional settings, and personal experiences help higher education teachers create their professional identities. The study, which is based on interviews with six Chilean university professors who have been honoured for their innovative teaching practices, shows that identity is not static but is instead continuously altered by motivation, institutional difficulties, biographical characteristics, and a dedication to the holistic development of students. The conclusions include how family history affects educational ideals, how reflective practice is crucial for career advancement, and how urgently institutional assistance and leadership are needed. Despite administrative congestion and time restrictions, participants demonstrated a strong commitment to educational innovation, self-criticism, and devotion. The paper does a good job of highlighting how the environmental, professional, and personal aspects of identity creation interact. It is an important addition to the field of higher education

research because it promotes laws that support teachers' well-being, foster creativity, and acknowledge their emotional and reflective work (Halal Orfali, Muñoz, Riquelme Plaza, & Unda Valenzuela, 2024).

To investigate how university teachers develop their professional identities, this systematic review summarizes the results of 59 investigations. Contextual elements including staff development opportunities, interactions with students, and institutional culture all have an impact on how teachers construct their identities, the authors conclude. Interestingly, whereas student interactions and staff development initiatives tend to strengthen teacher identity, the larger neoliberal environment of higher education usually erodes it by placing more emphasis on research than instruction. According to the review, identity development is influenced by five essential psychological processes: commitment, competence, connectivity, appreciation, and career trajectory visualization. These observations have important ramifications for practice and policy, indicating that recognizing exceptional instruction, building community, and offering support networks are all critical to enabling college instructors. All things considered, this paper furthers our knowledge of the obstacles and facilitators of academic teacher identity formation and is a thorough and relevant addition (Lankveld, Schoonenboom, Volman, Croiset, & Beishuizen, 2016).

According to the examined literature, professional identity creation is a dynamic and developing topic of study that is enhanced by a variety of theoretical stances and cultural viewpoints. It also highlights important gaps that restrict the coherence and relevance of current research, though. The development of empirical tools, theoretical integration, cross-cultural analysis, and longitudinal studies should be given top priority in future study. Additionally, underrepresented groups, institutional settings, and digital change should receive more emphasis. Understanding the intricate and ever-changing nature of professional identity in the twenty-first century requires such thorough investigation.

Methodology-

In this study the stages mentioned below are followed.

- **Method-** This study was conducted under the qualitative; interpretivist aimed to understand the complex social reality, beliefs, and experiences to the perception of professional identity of teachers in higher education institutions. The researcher conducted the rich, in-depth insights through open-ended inquiry.
- **Participants-** This study was completed with the interviews, group discussions, observations, and documents' analysis about the teachers employed in government and private higher education institutions.

- **Data Collection Tool-** For the study the data were collected with the help of semi-structured questionnaire, interviews, group discussions of teachers employed at government and private higher education institutions, research articles and journals.
- **Data Analysis-** In the study the collected data were analysed using the thematic analysis. During the study the ethical consideration was keenly followed through informed consent, confidentiality, and anonymization.

Thematic Structure-

The researcher constructed a questionnaire covering five most significant themes prescribed in table 1. The questionnaire was consisted with sixteen items and administered on teachers working in higher education institutions located in Vindhyachal region including Bhadohi, Mirzapur, and Sonebhadra districts.

Table 1 - Thematic Structure

Sl. No.	Theme Title	Aligned Questions	Notes
1.	Identity as Evolving Construct	Q1, Q2, Q3, Q5	Reflected how identity is not fixed but changes over time
2.	Recognition and Professional Worth	Q4, Q6, Q11	Emphasized the emotional and symbolic side of being a professional
3.	Institutional Frameworks	Q6, Q7, Q13, Q15	Dealt with support systems or their absence
4.	Socio-Cultural Intersections	Q8, Q9	Gender, caste, language, or cultural barriers are reported
5.	Conflicts and Coping Strategies	Q10, Q12, Q14, Q16	Highlights how teachers resolve value or role conflict

Thematic Analyses of the Responses-

The researcher did thematic analyses of the data compiled through administering the constructed questionnaire (refer table 1), group discussions, observations, and analysis of literatures about the teachers employed in government and private higher education institutions located in Vindhyachal region.

Table 2 - Thematic Analysis of Responses

Theme Title	Aligned Questions
Identity as Evolving Construct	Q1, Q2, Q3, Q5
Reflected across all respondents, showing that professional identity is dynamic, shaped by roles, responsibilities, and personal growth over time. Many mentioned shifting from a classroom-only focus to include research, administrative roles, and	

mentorship, indicating ongoing development.	
Recognition and Professional Worth	Q4, Q6, Q11
All respondents highlighted moments of acknowledgment—awards, leadership roles, positive feedback—which bolster their sense of value. Recognition serves as motivation and affirming their professional efforts, emphasizing emotional and symbolic aspects of being a teacher.	
Institutional Frameworks	Q6, Q7, Q13, Q15
Respondents discussed how institutional policies, support systems, administrative demands, and bureaucratic hurdles influence their professional lives. While some felt supported, many noted constraints, resource limitations, and administrative burdens that impact their confidence and growth.	
Socio-Cultural Intersections	Q8, Q9
Cultural and societal expectations influence teachers' motivation, stress levels, and behavior. Respect for teachers, diversity of student backgrounds, and cultural norms shape their professional identity—sometimes as sources of inspiration, other times as stressors.	
Conflicts and Coping Strategies	Q10, Q12, Q14, Q16
Teachers face conflicts between personal values (e.g., quality teaching vs. policy pressures), role overload, and resource scarcity. They employ strategies like networking, external training, delegation, prioritization, and advocacy to navigate these challenges.	
Analyses of Goup Discussion	
The group discussion showed that a teacher's identity is a dynamic combination of their personal values, professional duties, cultural traditions, social expectations, emotional experiences, and technology advancements. Instead of being a label, it is a lived experience that changes with time. Emotional engagement, reflection, interaction, and adaptability all contribute to the formation of a teacher's identity. Designing policies and educating teachers both depend on acknowledging and fostering this multidimensional identity. It is critical to provide educators the tools they need to understand and fortify their identities via peer conversation, self-exploration, and support networks.	
Analyses of Literatures	
Institutional expectations for research output, administrative responsibilities, and instructional excellence are difficult for teachers in HEIs to meet. identity fragmentation caused by this tension, especially when teaching is subordinated to research. It might be difficult for university-based teacher educators (UBTEs) to distinguish between doing discipline-specific research and teaching. As pedagogical identity is disregarded in research-driven organizations, several participants expressed feeling like “outsiders in academia.” Time restraints and administrative overburden are obstacles to professional development and reflective	

practice. Low institutional recognition was noted by teachers, particularly those who prioritized instructional innovation above publishing. (Halal Orfali, Muñoz, Plaza, & Valenzuela, 2024). People who are not included in decision-making processes feel excluded from the institution. Teachers in China changed their identities from “resistor” to “conformist” or “pragmatist” in reaction to institutional restructuring brought about by reform. Teachers are discouraged from developing a teaching identity informed by research because strict workload restrictions leave little room for creativity (Liu & Trent, 2023). The research under discussion consistently demonstrate that higher education institutional settings are potent environments that influence, facilitate, or impede the growth of teachers' professional identities. In addition to being self-defined, teachers' identities are also negotiated by their institutions. Identity becomes brittle in the absence of autonomy, support, and acknowledgment, which lowers wellbeing and causes disengagement from innovative instruction.

Discussion-

Professional identity is the foundation upon which teachers in higher education build their roles, responsibilities, and relationships with students, colleagues, and institutions. It is not a fixed or static concept but evolves with experience, institutional pressures, social norms, and personal aspirations. This analysis explores how professional identity is formed and transformed among higher education teachers through five thematic lenses, based on questionnaire data, group discussions, and scholarly literature.

Theme 1: Identity as an Evolving Construct-

This theme captures how teachers perceive their identity as something that is continually developing over time. Responses to questionnaire items (Q1, Q2, Q3, Q5) clearly revealed that professional identity is seen as dynamic and multi-dimensional, shaped by ongoing experiences, responsibilities, and personal growth. Teachers reported entering the profession with a clear focus on classroom teaching, but over time, their roles expanded to include research, administration, mentoring, curriculum development, and sometimes policy advocacy. This evolution is often driven by institutional demands and professional aspirations. Teachers described moments when they transitioned from being solely “teachers” to “facilitators,” “coordinators,” or “mentors.” “Earlier, I saw myself as someone who just delivers knowledge, but now I see my role as a mentor who inspires students and contributes to research.”

Group discussion echoed this understanding, where identity was seen as a “lived experience” that evolves with time, shaped by emotional engagement, institutional expectations, and reflection. Literature supports this view. According to Orfali et al. (2024), professional identity is a continuous process of construction and

reconstruction in response to changing roles and environments. Liang et al. (2024) reinforce that university-based teacher educators (UBTEs) negotiate multiple sub-identities, depending on institutional settings and role expectations.

Theme 2: Recognition and Professional Worth-

The second theme highlights the role of recognition—both formal and informal—in shaping a teacher's sense of professional worth. Questionnaire responses to Q4, Q6, and Q11 revealed that teachers value appreciation, whether it comes from students, colleagues, or institutional leadership. Recognition reinforces their identity and affirms the emotional labor they invest in teaching. For many, moments such as receiving a teaching award, being invited to lead a program, or receiving heartfelt feedback from students deeply influenced their motivation and commitment. "The simple acknowledgment from my dean gave me more strength to continue pushing my teaching boundaries." Literature confirms that recognition, especially in research-driven institutions where teaching is often undervalued, is vital for strengthening pedagogical identity. Orfali et al. (2024) observed that when teaching-focused staff are overlooked in academic promotion systems, it leads to a sense of marginalization. Pham et al. (2023) also noted that professional identity and positive emotion are closely linked, especially when teachers feel their contributions are acknowledged.

Theme 3: Institutional Frameworks and Influence-

Institutional structures—such as policies, workload distribution, promotion criteria, and support mechanisms—play a pivotal role in shaping how teachers perceive and construct their professional identity. This theme was reflected in responses to Q6, Q7, Q13, and Q15. While some teachers felt supported by their institutions, many cited bureaucratic rigidity, heavy administrative workload, and limited opportunities for innovation as constraints. Several expressed concern that their institutions emphasized research over teaching, leaving them with little space to reflect, experiment, or collaborate meaningfully. "Institutional rules are rigid; even when we want to try something new, we're pushed back into performance metrics and reports." This sentiment is strongly echoed in the literature. Liu & Trent (2023) found that teachers in China shifted their identity from "resistors" to "pragmatists" in response to institutional restructuring and reform mandates. Orfali et al. (2024) note that teachers often experience identity fragmentation when institutional systems do not support holistic teacher development. Liang et al. (2024) describe how UBTEs struggle to balance their multiple roles due to unclear institutional expectations and limited recognition.

Theme 4: Socio-Cultural Intersections-

Professional identity is also deeply embedded in cultural and societal expectations. Teachers' motivation, sense of duty, and emotional resilience are

influenced by the way society views education and educators. Questionnaire items Q8 and Q9 revealed that teachers internalize these societal values—often as a source of pride, but also as a source of pressure.

In regions or cultures where teachers are traditionally respected, identity is strengthened. However, when society undervalues the teaching profession or imposes unrealistic expectations, it can result in stress and disillusionment. “Society expects us to be moral leaders, yet gives us little voice in decisions affecting our work.” The literature supports this complexity. Pham et al. (2023) found that social values and cultural roles influence teachers' emotional experiences and identity formation. Teachers in more collectivist cultures often see themselves as social and moral agents, which can either enrich or burden their professional identity depending on the context.

Theme 5: Conflicts and Coping Strategies-

Teachers frequently face internal and external conflicts related to their professional identity. Questionnaire responses (Q10, Q12, Q14, Q16) emphasized that teachers must navigate conflicting values, such as the desire to provide meaningful education versus the need to comply with institutional mandates or rigid curricula. These conflicts are often exacerbated by role overload, insufficient resources, and policy pressures. Teachers cope using various strategies, including peer networking, external professional development, delegating responsibilities, and setting clear priorities. “Sometimes you feel torn between what you believe in and what you are required to do. I try to keep my students at the centre and do my best.” Liang et al. (2024) highlight the emotional burden this creates, noting that UBTEs often lack institutional support for reflective practice. Orfali et al. (2024) identify emotional disengagement and burnout as potential outcomes when identity tensions are not addressed.

Conclusion-

The analysis of questionnaires, group discussions, and empirical studies provides a clear and nuanced picture: Professional identity in HEIs is fluid, socially embedded, and institutionally influenced. It is shaped by recognition, policy structures, cultural norms, emotional experience, and teachers' personal values. While identity can be a source of empowerment, it can also be fragile in the absence of institutional support, autonomy, and community recognition. Teachers often find themselves balancing between inspiration and expectation, creativity and constraint, and commitment and burnout.

To support teacher identity effectively, higher education institutions must: Encourage reflective practice and professional dialogue. Create space for pedagogical innovation. Recognize and reward teaching excellence. Design policies that respect the complexity of teachers' roles. Ultimately, professional identity is not merely a role

teachers perform—it is a complex, emotional, and evolving journey they live.

References-

- Alves, S., & Gazzola, N. (2011). Professional identity: A qualitative inquiry of experienced counsellors/L'identité professionnelle de conseillers et conseillères expérimentés : Une étude qualitative. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy*, 45(3), 189–207. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ944808.pdf>
- Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education. *Cambridge Journal of Education*, 39(2), 175–189. <https://doi.org/10.1080/03057640902902252>
- Clarke, M., Hyde, A., & Drennan, J. (2012). Professional identity in higher education. In *The academic profession in Europe: New tasks and new challenges* (pp. 7–21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4614-5_2
- Halal Orfali, C. C., Muñoz, M. A., Plaza, I. R., & Valenzuela, R. U. (2024, October 18). How higher education teachers see their professional identity. *Frontiers in Education*, 9, 1–10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1429847>
- Halal Orfali, C. C., Muñoz, M. A., Riquelme Plaza, I. I., & Unda Valenzuela, R. R. (2024, October 19). How higher education teachers see their professional identity. In S. F. Rivas (Ed.), *Frontiers in Education*, 9, 1–10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1429847>
- Halverson, K., Tregunno, D., & Vidjen, I. (2022). Professional identity formation: A concept analysis. *Quality Advancement in Nursing Education—Avancées en formation infirmière*, 8(4), 1–16. <https://doi.org/10.17483/2368-6669.1328>
- Heled, E., & Davidovitch, N. (2021). Personal and group professional identity in the 21st century. *Journal of Education and Learning*, 10(3), 64–82. <https://doi.org/10.5539/jel.v10n3p64>
- Hidalgo, Z. d., & Villardón, L. (2019). Teacher identity research and development. *Oxford Research Encyclopedia of Education*, 1–24. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.287>
- Javadi, Y., & Asl, S. A. (2020). Teacher identity, marketization of higher education, and curriculum. *Journal of Language Teaching and Research*, 11(1), 128–137. <https://doi.org/10.17507/jltr.1101.15>
- Lankveld, T. van, Schoonenboom, J., Volman, M., Croiset, G., & Beishuizen, J. (2016). Developing a teacher identity in the university context: A systematic review of the literature. *Higher Education Research & Development*, 36(2), 1–14. <https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1208154>

- Liu, X., & Trent, J. (2023). Being a teacher in China: A systematic review of teacher identity in education reform. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 22(4), 267–293.
<https://doi.org/10.26803/ijlter.22.4.15>
- Ma, X., Yiyu, Zhang, J., & Zhang, P. (2021). A review of literature on the concept of professional identity. In *2021 3rd International Conference on Educational Reform, Management Science and Sociology (ERMSS 2021)* (pp. 220–223). Atlantis Press. <https://doi.org/10.25236/ermss.2021.036>
- Muthanna, A., & Khine, M. S. (2023). The development of professional identity in higher education: Continuing and advancing professionalism. In *Routledge research in higher education* (pp. 3–8). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003407133-2>
- Neary, S. (2014). Professional identity: What I call myself defines who I am. *Career Matters*, 2(3), 22–23.
<https://repository.derby.ac.uk/item/93z02/professional-identity-what-i-call-myself-defines-who-i-am>
- Phyak, P., & Kumar, R. B. (2019). Teacher identity in higher education: A phenomenological inquiry. *The Batuk: A Peer Reviewed Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(2), 74–86.
<https://doi.org/10.3126/batuk.v5i2.30119>
- Poole, C., & Patterson, A. (2021). Fostering the development of professional identity within healthcare education: Interdisciplinary innovation. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 52(3), S46–S50.
<https://doi.org/10.1016/j.jmir.2021.08.012>
- Wilson, V. (n.d.). Professional identity: What it is and why it matters. *Exceptional Futures*. <https://www.exceptionalfutures.com/professional-identity/>
- Wu, J., Ghayas, S., Aziz, A., Adil, A., & Niazi, S. (2024, April 10). Relationship between teachers' professional identity and career satisfaction among college teachers: Role of career calling. *Frontiers in Psychology*, 15, 1348217. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1348217>

Manuscript Timeline

Submitted : June 14, 2025

Accepted : June 20, 2025

Published : June 30, 2025

स्वयं सहायता समूहों से सूक्ष्म उद्यमों तक : भारत में ग्रामीण महिला उद्यमिता का विस्तार

डॉ. देवेन्द्र मौर्य¹शोध सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की उस परिवर्तनशील यात्रा का विश्लेषण करता है, जिसमें स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups – SHGs) वित्तीय समावेशन के साधन से आगे बढ़कर सूक्ष्म-उद्यमिता के मंच बन चुके हैं। 1990 के दशक में नाबार्ड द्वारा प्रारंभ किए गए स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP) और बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत इन समूहों ने महिलाओं को सामूहिक संगठन, बचत, ऋण सुविधा और सामाजिक एकजुटता का अवसर प्रदान किया। वर्तमान में भारत में लगभग 78 लाख SHG सक्रिय हैं, जिनसे 8 करोड़ से अधिक महिलाएँ जुड़ी हैं, जो ग्रामीण वित्तीय भागीदारी का सशक्त उदाहरण हैं। हालाँकि, जहाँ SHG ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, वहीं उन्हें स्थायी सूक्ष्म उद्यमों में बदलने की प्रक्रिया अभी अधूरी है। इन समूह-आधारित उद्यमों को पूँजी की सीमित उपलब्धता, कमजोर बाजार जुड़ाव, प्रबंधन एवं तकनीकी कौशल की कमी, तथा लैंगिक बाधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, अधिकांश उद्यम स्थानीय स्तर पर सीमित हैं, जिनमें मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग या बाजार विस्तार की कमी है। सरकार की कई योजनाएँ, जैसे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP), वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) और पीएम-एफएमई योजना (PM-FME); महिलाओं को प्रशिक्षण, उद्यम विकास और बाजार एकीकरण के अवसर प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही, SHG महासंघों ने सामूहिक सौदेबाजी क्षमता और वित्तीय पहुँच को मजबूत किया है।

यह अध्ययन गुणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में गहन साक्षात्कार, फोकस समूह चर्चा और मुख्य सूचना दाताओं के साक्षात्कार शामिल किए गए। निष्कर्ष बताते हैं कि जब SHG को संस्थागत सहयोग, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव मिलता है, तो वे न केवल महिलाओं की आय बढ़ाती हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान, निर्णय-क्षमता और सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करती हैं। फिर भी, स्थायित्व (sustainability) और विस्तार (scalability) जैसी चुनौतियाँ अभी बनी हुई हैं। शोध-पत्र यह प्रतिपादित करता है कि SHG से उद्यम तक का मॉडल केवल वित्तीय उपकरण नहीं, बल्कि समावेशी

¹ शोध सहायक, गाँधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा- 442001.
मो. – 9648643271; ई-मेल. - devendraboss108@gmail.com

ग्रामीण विकास के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र (*ecosystem*) का हिस्सा है। इसके लिए वित्तीय नवाचार, क्षमता-विकास, डिजिटल साक्षरता, बाजार एकीकरण और लैंगिक समानता का समन्वित रूप से संवर्धन आवश्यक है, ताकि ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भर, सशक्त और स्थायी उद्यमी बन सकें।

मुख्य शब्द- स्वयं सहायता समूह (*Self-Help Groups - SHGs*), ग्रामीण महिला उद्यमिता, सूक्ष्म उद्यम (*Micro-Enterprise*), आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक पूँजी, कौशल विकास, बाजार एकीकरण (*Market Integration*), विस्तार क्षमता (*Scalability*), समावेशी अर्थव्यवस्था (*Inclusive Economy*)।

परिचय-

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपांतरण काफी हद तक महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर करता है, विशेषकर जब वे उद्यमिता (*entrepreneurship*) में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। पिछले कुछ दशकों में, स्वयं सहायता समूह (*Self-Help Groups - SHGs*) ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन, सामाजिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्द्धन के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे हैं (नाबार्ड, 2018)। ये जमीनी स्तर पर गठित सामूहिक संगठन, जो प्रारंभ में बचत और ऋण गतिविधियों के लिए बनाए गए थे, अब तेजी से महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों (*micro-enterprises*) की शुरुआत के लिए एक मंच के रूप में देखे जा रहे हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ केवल जीविका चलाने वाली गतिविधियों तक सीमित न रहकर, अब संगठित उद्यमशील प्रयासों की दिशा में अग्रसर हो रही हैं (विश्व बैंक, 2021)।

भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन को वास्तविक गति तब मिली जब नाबार्ड (NABARD) ने 1990 के दशक की शुरुआत में स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (*Self-Help Group-Bank Linkage Programme: SBLP*) प्रारंभ किया। आगे चलकर इसे वर्ष 2011 में “दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)” के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया। वर्ष 2025 तक, देशभर में लगभग 7.8 मिलियन SHG गठित हो चुके हैं, जिनमें 80 मिलियन से अधिक महिलाएँ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2024)। इन समूहों ने न केवल महिलाओं की ऋण तक पहुँच (*access to credit*) को आसान बनाया है, बल्कि सामूहिक निर्णय, नेतृत्व विकास और परस्पर विश्वास के माध्यम से सामाजिक पूँजी (*social capital*) का भी निर्माण किया है (देशपांडे और कबीर, 2019)।

हालाँकि वित्तीय समावेशन (*financial inclusion*) के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं, फिर भी जब तक इनके कार्यों को स्थायी सूक्ष्म उद्यमों (*sustainable micro-enterprises*) के रूप में विकसित नहीं किया जाता, तब तक SHG की आर्थिक क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने DAY-NRLM के साथ-साथ स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) जैसी योजनाओं के माध्यम से SHG सदस्यों को उद्यम सृजन, मूल्य

संवर्धन और बाजार एकीकरण (market integration) में सहायता देना शुरू किया है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2023)। इस परिवर्तन से अनौपचारिक समूह-आधारित आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक सूक्ष्म उद्यमों में रूपांतरित करने का अवसर मिलता है, जिससे परिवार की आय में वृद्धि, ग्रामीण रोजगार सृजन और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बल मिल सकता है (चेन आदि, 2020)।

ऋण तक बेहतर पहुँच, व्यवसायिक कौशल (business skills) और बाजार से जुड़ाव इस रूपांतरण की कुंजी है। यद्यपि SHG को सामूहिक गारंटी के कारण आमतौर पर ऋण योग्य माना जाता है, अधिकांश ग्रामीण उद्यमों को बड़े, लचीले और अनुकूलित वित्तीय उत्पादों की आवश्यकता होती है। फिर भी, औपचारिक वित्तीय संस्थान जोखिम से बचते हैं और सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFIs) को नियामक व परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2022)। इसी बीच, फिनटेक आधारित सूक्ष्म ऋण प्लेटफ़ॉर्म (fintech-based micro-lending platforms) ने नए अवसर तो प्रदान किए हैं, परंतु इनके साथ डिजिटल साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं (सिंह और सन्याल, 2022)।

इन वित्तीय पहलुओं से के अतिरिक्त, कौशल विकास और मूल्य श्रृंखला (value chain) में एकीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। अधिकांश SHG-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम आज भी सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसी सीमित लाभ वाली पारंपरिक गतिविधियों तक सिमटे हुए हैं, जिनमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग और औपचारिक बाजार तक पहुँच का अभाव है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार ने पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PM-FME) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे प्लेटफ़ॉर्म शुरू किए हैं, ताकि महिलाओं के उद्यमों को औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ा जा सके (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, 2023)। फिर भी, SHG से सूक्ष्म उद्यम की यात्रा आसान नहीं है। क्षेत्रीय असमानताएँ, सामाजिक-सांस्कृतिक बंधन, जमीनी स्तर पर कमजोर संस्थागत समर्थन और पर्याप्त मार्गदर्शन की कमी जैसी समस्याएँ महिलाओं के उद्यमों के विस्तार में बाधक बनती हैं (ICRW, 2020)। इसके अतिरिक्त, कई उद्यम अब भी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं, जिससे वे आर्थिक झटकों, जलवायु परिवर्तन और बाजार उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत शोध-पत्र भारत में SHG से सतत सूक्ष्म उद्यमों की दिशा में परिवर्तन की प्रक्रिया की पड़ताल करता है। यह अध्ययन उन नीतिगत ढाँचों, संस्थागत तंत्रों और सहायक परिस्थितियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करता है जो ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। साथ ही, यह श्रेष्ठ प्रथाओं, प्रमुख चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करता है, ताकि महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यम भारत के समावेशी ग्रामीण विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित हो सकें।

साहित्य समीक्षा-

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता (women's entrepreneurship) का विकास स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के प्रसार से गहराई से जुड़ा रहा है, विशेषकर 1990 के दशक की शुरुआत में प्रारंभ

किए गए स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SBLP) के माध्यम से SHG को लंबे समय से सामाजिक संगठन, वित्तीय समावेशन, और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रभावी मंच के रूप में स्वीकार किया गया है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आती हैं (नाबार्ड, 2018; कबीर, 2005)। समय के साथ, SHG मॉडल ने आय-सृजन गतिविधियों, कौशल प्रशिक्षण और सरकारी सहायता योजनाओं तक पहुँच को भी शामिल किया है, किंतु उद्यमशील गतिविधियों (entrepreneurial ventures) की दिशा में इसका विकास समान रूप से नहीं हुआ है।

हार्पर (2002) और स्वेन एवं वॉलेन्टिन (2009) जैसे विद्वानों का मत है कि यद्यपि SHG ने महिलाओं की घरेलू निर्णय-निर्माण में भागीदारी बढ़ाई है और बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है, फिर भी इन समूहों की दीर्घकालिक आय-सृजन और उत्पादक निवेश की क्षमता सीमित रही है। इसी स्थिति ने नीतिगत परिवर्तन को प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत आजीविका संवर्द्धन और सूक्ष्म उद्यम विकास (micro-enterprise development) पर बल दिया गया (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2023)।

इसको लेकर किए गए वर्तमान अध्ययन यह रेखांकित करता है कि कार्यशील पूँजी (working capital) की सीमित उपलब्धता, बाजार जानकारी का अभाव, अपर्याप्त आधारभूत ढाँचा (infrastructure) और लैंगिक-सांस्कृतिक बंधन (gendered socio-cultural constraints) जैसे कारक SHG संरचनाओं में उद्यमिता के विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न करते हैं (देशपांडे और कबीर, 2019; ICRW, 2020)। अधिकांश अध्ययनों का साझा निष्कर्ष यह है कि कौशल विकास, व्यवसायिक साक्षरता (business literacy) और मूल्य श्रृंखला (value chain) में एकीकरण को सुदृढ़ किए बिना, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों की स्थिरता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

इसके साथ ही, SHG महासंघों (federations), जो समूहों के क्लस्टर-स्तरीय संगठन हैं, की भूमिका को भी विस्तार से समझा गया है। इन्हें उद्यमिक पहलों के विस्तार, सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति (bargaining power) बढ़ाने और बड़े ऋण स्रोतों तक पहुँच के प्रभावी साधन के रूप में देखा जा रहा है (वेंकटेश और सिन्हा, 2014)। हालाँकि, इन महासंघों में सुशासन, जवाबदेही और प्रबंधकीय दक्षता की चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इसी के समानांतर, डिजिटल वित्तीय सेवाओं (digital financial services) और फिनटेक समाधानों का विस्तार महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रस्तुत कर रहा है, परंतु डिजिटल बहिष्करण (digital exclusion) और डेटा गोपनीयता (data privacy) से संबंधित चिंताएँ भी बनी हुई हैं (सिंह और सन्याल, 2022)। हालाँकि नीतिगत स्तर पर SHG आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास तेज़ हुए हैं, परंतु कई अध्ययनों ने SHG से उद्यम तक के मॉडल को अत्यधिक आदर्शीकृत (over-romanticised) करने के प्रति सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। बटलिवाला (2015) का कहना है कि उद्यमिता को सम्मानजनक ग्रामीण रोजगार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और न ही आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ केवल महिलाओं पर डाला जाना चाहिए।

इसी संदर्भ में, प्रस्तुत शोध का उद्देश्य यह समझना है कि भारत में SHG आधारित महिला उद्यमिता को सफल और विस्तारयोग्य (viable and scalable) बनाने के लिए किस प्रकार का सहायक वातावरण (enabling environment), साझेदारी तंत्र (ecosystem partnerships) और संरचनात्मक समर्थन (structural support) आवश्यक है। यह अध्ययन साहित्य में विद्यमान रिक्तियों को भरने का प्रयास करता है, ताकि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अधिक समावेशी और दीर्घकालिक रणनीति विकसित की जा सके।

शोध का उद्देश्य-

यह अध्ययन भारत की ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के सतत सूक्ष्म-उद्यमों (micro-enterprises) में रूपांतरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार ये समूह आर्थिक आत्मनिर्भरता, उद्यमशीलता और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम बन रहे हैं। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. स्वयं सहायता समूह (SHGs) प्लेटफॉर्म से विकसित होने वाले सूक्ष्म-उद्यमों की प्रगति को प्रोत्साहित या बाधित करने वाले संस्थागत, वित्तीय एवं सामाजिक कारकों का विश्लेषण करना।
2. सरकारी योजनाओं जैसे *DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission)*, *SVEP (Start-up Village Entrepreneurship Programme)* तथा *PM-FME (Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises)* की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, जो ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं।
3. SHG महासंघों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) तथा वित्तीय संस्थानों की भूमिका का अध्ययन करना, जो उद्यम विकास, विस्तार और स्थायित्व में योगदान करते हैं।
4. ऋण तक पहुंच की सीमाएँ, कौशल विकास की कमी, बाजार से जुड़ाव की कठिनाइयाँ तथा लैंगिक मानदंडों से जुड़ी सामाजिक बाधाएँ इत्यादि जैसे मुख्य चुनौतियों की पहचान करना।
5. SHG-आधारित महिला उद्यमिता के लिए एक सशक्त एवं सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) विकसित करने के लिए नीतिगत और कार्यक्रमगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध-प्रविधि-

यह अध्ययन ग्रामीण भारत में स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) द्वारा संचालित सूक्ष्म-उद्यम विकास की गतिशीलता को समझने के लिए गुणात्मक (qualitative) और बहु-केस अध्ययन (multi-case study) दृष्टिकोण को अपनाता है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक (descriptive) और अन्वेषणात्मक (exploratory) अनुसंधान रूपरेखा अपनाई गई है, ताकि SHG से उद्यम में रूपांतरण की प्रक्रिया, उससे जुड़ी चुनौतियाँ, तथा प्राप्त परिणामों की गहराई से समझ विकसित की जा सके।

प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए उन SHG सदस्यों के गहन साक्षात्कार लिया गया है, जो स्वयं के उद्यम चला रही हैं। मुख्य सूचना दाताओं से के रूप में *DAY-NRLM* के अधिकारी, *NGO* कर्मि और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (microfinance institutions) के प्रतिनिधियों का साक्षात्कार लिया गया है। साथ ही SHG महासंघों के सदस्य संग फोकस समूह चर्चाएँ भी की गयी हैं। द्वितीयक डेटा को ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के कार्यक्रमों से संबंधित रिपोर्टें, *NABARD* और *RBI* की वार्षिक रिपोर्टें, SHG और सूक्ष्म-उद्यमों पर प्रकाशित शोध और मूल्यांकन अध्ययन से प्राप्त किया गया है।

प्रतिदर्श चयन के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श चयन (Purposive Sampling) पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें SHG और उद्यम विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य से प्रतिदर्श लिया गया है। साथ ही प्रत्येक राज्य में *DAY-NRLM* के सक्रिय कार्यान्वयन वाले 3 ब्लॉकों का चयन किया गया है।

एकत्रित गुणात्मक डेटा का विषयगत विश्लेषण (Thematic Analysis) किया गया है। साथ ही वित्तीय पहुँच, कौशल विकास, बाजार से जुड़ाव, संस्थागत समर्थन और सामाजिक अवरोध जैसे मुख्य विषयों को अनुसंधान उद्देश्यों के अनुरूप वर्गीकृत कर उनकी व्याख्या की गई है। इस अध्ययन के निष्कर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यीकृत (generalised) नहीं किया जा सकता है, परंतु ये स्थानीय संदर्भ में गहन और उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

विश्लेषण एवं व्याख्या-

द्वितीयक स्रोतों, हालिया केस अध्ययनों और क्षेत्रीय अनुभवों से प्राप्त अंतर्दृष्टियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) से सूक्ष्म-उद्यमों (micro-enterprises) की ओर संक्रमण की प्रक्रिया में अनेक सकारात्मक कारक (enabling factors) और चुनौतियाँ (challenges) मौजूद हैं।

A. प्रोत्साहनकारी कारक (Enabling Factors) :

1. **सूक्ष्म-वित्त और उद्यमिता के माध्यम से सशक्तिकरण-** अध्ययन से यह पाया गया है कि जब स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं को सूक्ष्म-वित्त (microfinance) के साथ उद्यमशीलता के अवसर मिलते हैं, तो उनकी आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। एक अध्ययन से पता चला कि SHG में भागीदारी से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय-निर्माण में भागीदारी, सामाजिक नेटवर्क और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।
2. **SHG महासंघों की भूमिका-** ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर गठित SHG महासंघ समूहों को अपने कार्यों को विस्तारित करने में सहायक बनते हैं। ये महासंघ SHG समूहों को बड़े ऋणों तक पहुँच, बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ (economies of scale), बाजार से मजबूत जुड़ाव, और प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। भारत में SHG महासंघों की संख्या वर्ष 2019 में लगभग 2.41 लाख से बढ़कर 2022 में 3.6 लाख से अधिक हो गई है, जो NRLM के तहत संस्थागत विस्तार का संकेत है।

हालिया अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि महासंघ से जुड़े SHGs की बचत दर, ऋण अदायगी, और आजीविका पहलों में भागीदारी जैसी गतिविधियों में प्रदर्शन गैर-महासंघ SHGs की तुलना में बेहतर होता है।

3. **सरकारी योजनाएँ और संस्थागत सहयोग-** कई सरकारी योजनाएँ और संस्थागत पहलें ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनमें राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन (DAY-NRLM), पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PM-FME), उत्पादक संगठन सहायता कार्यक्रम (Producer Organisation Support), बाज़ार पहुँच और विपणन कार्यक्रम (Market Access Programs), तथा MSDE (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) और MoRD (Ministry of Rural Development) के सहयोग से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम (Skill Development Initiatives) जैसे प्रमुख कार्यक्रम हैं। इन पहलों के माध्यम से कौशल विकास, बाज़ार से जुड़ाव, और उद्यम विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरालों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के SHG-आधारित सूक्ष्म उद्यम अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और स्थायी बन सकें।
4. **आय के अतिरिक्त अन्य सामाजिक प्रभाव-** महिलाओं की SHG में भागीदारी केवल आय में वृद्धि तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं के आत्मसम्मान, घरेलू निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक चेतना और जोखिम उठाने की योग्यता को भी बढ़ाती है। महाराष्ट्र में किए गए एक अध्ययन में प्रतिभागी महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच, आत्मविश्वास में वृद्धि और नेतृत्व भूमिकाओं के अवसर प्राप्त होने की बात कही।

B. प्रमुख चुनौतियाँ (Key Challenges) :

1. **पर्याप्त पूंजी और कार्यशील वित्त की सीमित पहुँच-** सूक्ष्म उद्यमों के संचालन के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था SHGs आंतरिक बचत और ऋण के माध्यम से कर लेती हैं, परंतु जब उद्यम को विस्तार जैसे उपकरण खरीद, प्रसंस्करण या पैकेजिंग में निवेश की आवश्यकता होती है, तो बड़े ऋणों तक पहुँच कठिन हो जाती है। महिला आर्थिक विकास महामण्डल (MAVIM) के केस अध्ययन में यह पाया गया कि प्रारंभिक उद्यम सफल रहे, परंतु बैंक ऋण सीमा के कारण विस्तार संभव नहीं हो सका।
2. **कमजोर बाज़ार जुड़ाव-** अधिकांश SHG उद्यम स्थानीय और अनौपचारिक स्तर पर ही सीमित हैं। इनमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और विस्तृत आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ाव की कमी पाई जाती है। मार्केटिंग चैनलों, सरकारी खरीद एजेंसियों या एग्रीगेटर नेटवर्क की अनुपस्थिति के कारण ये उद्यम अक्सर सूक्ष्म स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते।
3. **क्षमता और कौशल की कमी-** व्यवसाय प्रबंधन, लेखांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल साक्षरता और नेतृत्व क्षमता जैसी व्यवसायिक दक्षताएँ कई SHGs में अपर्याप्त हैं, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े या दूरदराज़ क्षेत्रों में। सामाजिक मान्यताएँ, अशिक्षा, और लैंगिक प्रतिबंध (जैसे गतिशीलता की कमी, घरेलू दायित्व) भी महिलाओं की उद्यम में सक्रिय भागीदारी को सीमित करते हैं।

4. **संस्थागत और परिचालन अवरोध-** छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन, लाइसेंसिंग और अनुमति प्रक्रियाएँ जटिल होती हैं। बुनियादी ढाँचे (बिजली, सड़कें, कोल्ड-चेन आदि) की कमी मूल्यवर्द्धन (value addition) को प्रभावित करती है। SHG समूहों की परिपक्वता में भिन्नता; कुछ महासंघ सशक्त हैं, तो कुछ कमजोर। इन सूक्ष्म उद्यमों द्वारा जब एक से अधिक ऋण स्रोतों का उपयोग होता है या अदायगी का दबाव बढ़ता है, तो इन पर अतिरिक्त ऋणभार (over-indebtedness) का जोखिम बढ़ जाता है।
5. **स्थायित्व और विस्तार की चुनौतियाँ-** कई सूक्ष्म उद्यमों को बारे में यह देखा गया है कि जब तक सब्सिडी या प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक तो वह चलते हैं, परंतु वे विस्तार नहीं कर पाते। जब सब्सिडी या प्रोत्साहन धीरे-धीरे समाप्त या कम होने लगता है, तो उनकी स्थिरता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त, बाजार अस्थिरता, आपूर्ति बाधाएँ और जलवायु परिवर्तन जैसी बाहरी परिस्थितियाँ भी इन उद्यमों की निरंतरता को प्रभावित करती हैं।

निष्कर्ष-

स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) से सूक्ष्म-उद्यमों (Micro Enterprises) की ओर यात्रा ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमिता को विस्तार देने की एक आशाजनक दिशा प्रस्तुत करती है। वित्तीय समावेशन, सामाजिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन के बीच का यह समन्वय समावेशी ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएँ दर्शाती है। द्वितीयक साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि जब SHGs को महासंघों (Federations) के रूप में संगठित किया जाता है, सक्षम नीतियों का सहयोग मिलता है तथा उन्हें कौशल विकास और बाजार से जुड़ाव के अवसर प्राप्त होते हैं तो वे न केवल आय बढ़ाने में बल्कि महिलाओं के स्वायत्तता, आत्मविश्वास और लचीलापन (resilience) के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालाँकि, यह रूपांतरण समान रूप से सफल नहीं रहा है। कई प्रमुख अवरोध जैसे-बड़े वित्तीय संसाधनों की सीमित पहुँच, कमजोर बाजार एकीकरण, कौशल व क्षमता की कमी, और बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ अभी भी महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म-उद्यमों की विस्तार क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता को सीमित करते हैं। इसलिए SHG से उद्यम तक के मॉडल को कोई अचूक समाधान (panacea) के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक व्यापक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें संगठित नीतिगत पहल, संस्थागत समर्थन और समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

नीतिगत सुझाव-

ग्रामीण महिलाओं के लिए SHG से सूक्ष्म-उद्यम तक के मार्ग को और सशक्त बनाने हेतु निम्नलिखित नीतिगत और कार्यक्रमगत उपाय करने की आवश्यकता हैं-

1. उद्यम विस्तार के लिए उन्नत वित्तीय साधन (Enhanced Financial Instruments for Enterprise Scaling)- इस दिशा में निम्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है-

- SHG महासंघों या सूक्ष्म उद्यमों के लिए लचीली अदायगी व्यवस्था, कम संपार्श्विक (collateral-light) और कार्यशील पूंजी तक पहुँच वाले विशेष ऋण उत्पाद (credit products) तैयार किए जाएँ।
 - छोटे महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को वित्तपोषित करने वाले बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाएँ (credit guarantee schemes) लागू की जाएँ ताकि उनके जोखिम कम हों।
 - साझा वित्त (blended finance) मॉडल और महिला उद्यमिता कोष (women's entrepreneurship funds) विकसित किए जाएँ जो विशेष रूप से ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों पर केंद्रित हों।
2. SHG महासंघों और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाना (Strengthening SHG Federations & Institutional Capacity)
- महासंघ स्तर पर शासन (governance), प्रबंधकीय प्रशिक्षण, और वित्तीय साक्षरता (financial literacy) में निवेश किया जाए।
 - महासंघों को कानूनी इकाई (जैसे सहकारी समितियाँ या उत्पादक संगठन) के रूप में विकसित करने में सहायता दी जाए ताकि वे संसाधनों, अनुबंधों और बाजार अवसरों तक पहुँच बना सकें।
 - SHGs, महासंघों, प्रोत्साहक संस्थानों (SHPIs) और सरकारी विभागों के बीच भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की स्पष्टता सुनिश्चित की जाए।
3. कौशल विकास और व्यवसाय सहायता सेवाएँ (Skill Development & Business Support Services)
- उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, जिनमें व्यवसाय योजना निर्माण, बाजार अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाए।
 - SHG सदस्य महिलाओं को सफल उद्यमियों से जोड़ने हेतु परामर्श और मार्गदर्शन नेटवर्क (mentorship networks) विकसित किए जाएँ।
 - ग्रामीण उद्यमिता केंद्रों (rural hubs) या मोबाइल इकाइयों के माध्यम से इन्क्यूबेशन और एक्सटेंशन सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाया जाए।
4. बेहतर बाजार जुड़ाव और मूल्य श्रृंखला एकीकरण (Better Market Linkages & Value Chain Integration)
- SHG उत्पादों को सरकारी खरीद प्रणालियों (जैसे *Public Distribution System* और *GeM portal*) तथा निजी क्षेत्र के खरीदारों से जोड़ने वाली योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाए।

- क्लस्टर विकास, एग्रीगेटर मॉडल, मार्केट मेलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का समर्थन किया जाए।
- ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन (certification) और गुणवत्ता मानकों के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाए।

5. अवसंरचना और सहायक सेवाओं का सुधार (Infrastructure & Enabling Services)

- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
- डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए ताकि महिलाएँ डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन विपणन और बाजार सूचनाओं तक पहुँच बना सकें।
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (CFCs) की स्थापना की जाए जहाँ प्रसंस्करण, पैकेजिंग और भंडारण जैसी सुविधाएँ साझा रूप में उपलब्ध हों।

6. सामाजिक और लैंगिक मानदंडों पर हस्तक्षेप (Social & Gender Norm Interventions)

- महिलाओं की उद्यमिता में भागीदारी बढ़ाने हेतु बाल देखभाल, गतिशीलता (mobility) और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी बाधाओं को कम करने वाले कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।
- समुदाय और परिवार स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएँ ताकि महिलाएँ उद्यम संचालन में सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकें।
- सफल महिला उद्यमियों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर समानधर्मी अधिगम (peer learning) को बढ़ावा दिया जाए, जिससे आत्मविश्वास की कमी को दूर किया जा सके।

7. निगरानी, मूल्यांकन और स्थायित्व (Monitoring, Evaluation & Sustainability)

- मात्रात्मक (income, employment) और गुणात्मक (agency, decision-making) दोनों प्रकार के संकेतकों को शामिल किया करते हुए 'प्रभाव मूल्यांकन' (impact assessment) को नियमित किया जाए।
- सब्सिडी और प्रोत्साहन समर्थन को धीरे-धीरे कम करते हुए उद्यमों की आत्मनिर्भरता (self-sufficiency) को प्रोत्साहित किया जाए।
- विभिन्न राज्यों में सफल मॉडलों और अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु डेटा पारदर्शिता और ज्ञान-साझाकरण प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएँ।

शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों और इन नीतिगत सुझावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि SHG से सूक्ष्म-उद्यम तक का यह मार्ग ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति और

सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सशक्त माध्यम बन सकता है। बशर्ते इसे समग्र नीति, संस्थागत समन्वय और समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए।

संदर्भ-ग्रंथ सूची-

- Chen, M. A., Jhabvala, R., Kanbur, R., & Richards, C. (2020). *Social Enterprises in the Informal Economy: India's Self-Employed Women's Association (SEWA)*. Routledge.
- Deshpande, R., & Kabeer, N. (2019). *Women's economic empowerment: Navigating enablers and barriers in the Indian context*. *Economic and Political Weekly*, 54(24), 45-53.
- ICRW (International Center for Research on Women). (2020). *Bridging the Gap: Linking Women to Markets in India*. <https://www.icrw.org>
- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). (2023). *Annual Report 2022-23*. Government of India.
- Ministry of Rural Development (MoRD). (2023). *DAY-NRLM Progress Report*. Government of India. <https://aajeevika.gov.in>
- Ministry of Rural Development (MoRD). (2024). *SHG Dashboard and Annual Statistics*. Government of India. <https://nrlm.gov.in>
- NABARD. (2018). *Status of Microfinance in India 2017-18*. National Bank for Agriculture and Rural Development.
- Reserve Bank of India (RBI). (2022). *Regulatory Framework for Microfinance Loans*. <https://rbi.org.in>
- Singh, A., & Sanyal, A. (2022). *Fintech and Financial Inclusion in Rural India: A Regulatory Perspective*. *Journal of Development Policy and Practice*, 7(2), 120–139.
- World Bank. (2021). *Transforming India's Rural Economy: The Role of Self-Help Groups*. <https://www.worldbank.org>
- Bharti, N. (2014). Promoting Micro-Enterprise through SHG: A Case Study of MAVIM. *Journal of Rural Development*, 33(4), 437–457. nirdprojms.in

- Dhaneshwar Singh, N., & Ramananda Singh, H. (2012). Social Impact of Microfinance on SHG Members: A Case Study of Manipur. *Prabandhan: Indian Journal of Management*, 5(3), 43-50. [Indian Journal of Management](#)
- Pandhare, A., Bellampalli, P. N., & Yadava, N. (2024). Transforming rural women's lives in India: the impact of microfinance and entrepreneurship on empowerment in Self-Help Groups. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 13, Article 62. [SpringerOpen](#)
- “Empowering Women SHGs through Microfinance – A Case Study” (2025). Amit Kumar Bardhan & Rabinarayan Karan. International Journal of Research and Scientific Innovation. [RSIS International](#)
- SHG Federations as Livelihood Support Organizations. Rao, S., Singh, S., & Gautam, R. S. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences*, 6(2). [IRA Academico Research](#)
- Inclusive Finance India Report (2022). “Growth of SHG Federations in India” data. [inc](#)

Manuscript Timeline

Submitted : June 15, 2025

Accepted : June 20, 2025

Published : June 30, 2025

महिला शिक्षा का राजनीतिक अध्ययन : बुलंदशहर ज़िले के ग्राम ईलना के विशेष
संदर्भ मेंप्रेरणा सिंह वर्मा¹डॉ. केतकी तारा कुमैया²सारांश

यह शोध अध्ययन महिला शिक्षा और उसके राजनीतिक आयामों की पड़ताल करता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के ग्राम ईलना के संदर्भ में। महिला शिक्षा न केवल सामाजिक विकास का साधन है, बल्कि यह राजनीतिक सहभागिता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का आधार भी है। अध्ययन में पाया गया कि ईलना ग्राम की महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिनमें आर्थिक अभाव, सामाजिक परंपराएँ, बाल विवाह, सुरक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव प्रमुख हैं। राजनीतिक दृष्टि से महिला शिक्षा की कमी का सीधा प्रभाव पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली पर पड़ता है। शिक्षित महिलाएँ न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदारी करती हैं। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि जहाँ महिला शिक्षा का स्तर अधिक है, वहाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी सशक्त है।

यह शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिला शिक्षा केवल शैक्षिक नीति का विषय नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक समानता और लोकतांत्रिक मजबूती से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ग्राम ईलना जैसे क्षेत्रों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केवल सरकारी योजनाएँ ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण और पारिवारिक समर्थन में भी बदलाव आवश्यक है। इस प्रकार, यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि महिला शिक्षा का राजनीतिक अध्ययन ग्रामीण भारत के सामाजिक-राजनीतिक ढाँचे को समझने और उसमें सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य शब्द- महिला शिक्षा, राजनीतिक अध्ययन, ग्रामीण विकास, लिंग और शिक्षा, पंचायती राज, शैक्षिक नीति, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना-

¹ शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, भातरोजखान, उत्तराखंड.

मो.- 7668941876; ई-मेल. - ps8221218@gmail.com

² सहायक प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, भातरोजखान, उत्तराखंड.

मो.- 7455967859; ई-मेल. - gdcbhatronjkhana@gmail.com

शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार है। यह न केवल व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और क्षमता प्रदान करती है, बल्कि समाज में समानता, न्याय और जागरूकता की नींव भी रखती है। विशेष रूप से महिला शिक्षा को आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। भारतीय संविधान में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है। किंतु आज़ादी के लगभग सात दशक बाद भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अनेक असमानताएँ और चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

महिला शिक्षा केवल साक्षरता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। शिक्षित महिलाएँ परिवार, समाज और राजनीति; तीनों ही स्तरों पर समान रूप से भागीदारी कर सकती हैं। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र में महिला शिक्षा का प्रश्न केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है।

महिला शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य-

भारत में प्राचीन काल में महिलाओं को गुरुकुलों और विद्यापीठों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है। किंतु मध्यकाल में सामाजिक कुरीतियों, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और जातिगत असमानताओं के कारण महिला शिक्षा लगभग समाप्तप्राय हो गई। आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी जैसे सुधारकों ने महिला शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने शिक्षा को समानता का साधन मानते हुए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए। प्राचीन भारत – वैदिक काल में स्त्रियों को भी सम्मानजनक स्थान प्रदान किया जाता था और ब्रह्मज्ञान शिक्षा में पारंगत किया जाता था। उदाहरणस्वरूप ब्रह्मवादिनियाँ (दायाफैनी) महिलाएँ जैसे गार्गी, मैत्रेयी, यम, लोपामुद्रा आदि ज्ञानी महिलाएँ थीं जो धर्मशास्त्र, संगीत और अन्य कलाओं का ज्ञान रखती थीं। मध्यकाल में स्त्री शिक्षा में गिरावट आई। बौद्ध और जैन काल में कुछ विदुषियों को सम्मान मिला, लेकिन सामाजिक संरचना में सामाजिक बंदिशों ने महिला शिक्षा को सीमित कर दिया। महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। सामाजिक और धार्मिक बंदिशों ने लड़कियों के लिए शिक्षा के लगभग सभी दरवाज़े बंद कर दिए। केवल शाही परिवारों की महिलाएँ सीमित रूप से शिक्षा प्राप्त करती थीं। ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा को एक बार फिर से प्रोत्साहन मिला। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा का समर्थन किया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनीं। 1854 में वुड्स डिस्पैच के तहत शिक्षा नीति में महिला शिक्षा को शामिल किया गया। मिशनरियों और समाज सुधारकों द्वारा कई कन्या विद्यालय खोले गए। महात्मा गांधी ने महिला शिक्षा को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और इसे सामाजिक क्रांति का माध्यम माना। कई महिलाएँ जैसे सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेन्ट आदि ने शिक्षा प्राप्त कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्र भारत में संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 15

और 21ए महिलाओं को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। सरकार की कुछ योजनाएँ जो वर्तमान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं:

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
2. सर्व शिक्षा अभियान
3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
4. सुकन्या समृद्धि योजना

आज लड़कियाँ सभी क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियाँ हैं।

बुलंदशहर जिले में महिलाओं के शिक्षा पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य-

उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यहाँ ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक संरचना का गहरा प्रभाव है। कृषि प्रधान समाज में महिलाओं की भूमिका परंपरागत रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित रही है। हालांकि शिक्षा के प्रसार ने धीरे-धीरे इस स्थिति को चुनौती दी है, लेकिन अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर मुस्लिम और पिछड़ी जातियों की महिलाओं में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है।

ग्राम ईलना, जो बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आता है, इस संदर्भ में एक प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर राज्य औसत से कम है, और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी नगण्य है। विवाह, पर्दा प्रथा, बाल श्रम और आर्थिक अभाव जैसे कारण महिला शिक्षा में बाधक बनते हैं। ऐसे में ईलना ग्राम का अध्ययन न केवल स्थानीय, बल्कि व्यापक राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझने में सहायक होगा।

शोध के उद्देश्य-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा में बाधक कारणों को जानना और उनके कारणों का अध्ययन करना।
2. महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्त्व-

इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि ग्राम ईलना में महिला शिक्षा किस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों से प्रभावित होती है; साथ ही पंचायत राज और स्थानीय शासन महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभा रहे हैं। इस अध्ययन से न केवल ग्राम ईलना की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि बुलंदशहर जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिला शिक्षा पर भी प्रकाश डाला जा सकेगा। यह नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और समाजशास्त्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

साहित्य समीक्षा-

नंदिता देसाई और उषा ठाक्कर (2001) ने अपनी पुस्तक *Women in Indian Society* में यह दर्शाया है कि भारतीय समाज में महिला शिक्षा केवल सामाजिक परिवर्तन का साधन नहीं है, बल्कि राजनीतिक

भागीदारी और नेतृत्व में भी इसकी सीधी भूमिका है। उनका तर्क है कि जहाँ महिलाओं की शिक्षा का स्तर अधिक है, वहाँ स्थानीय राजनीति में उनकी उपस्थिति और सक्रियता भी अधिक होती है।

मर्था नुसबाम (2000) ने *Women and Human Development: The Capabilities Approach* में क्षमताओं के दृष्टिकोण (Capabilities Approach) के आधार पर यह बताया है कि महिला शिक्षा उन्हें स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण ग्राम स्तर की राजनीति में महिला सहभागिता की व्याख्या करने में सहायक है।

गु. शाह (2017) ने *ग्रामीण भारत में शिक्षा और राजनीति* में स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध है। विशेषकर महिला शिक्षा ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है, क्योंकि शिक्षित महिलाएँ पंचायतों में बेहतर निर्णय ले पाती हैं।

अमर्त्य सेन (1999) ने अपनी पुस्तक *Development as Freedom* में यह तर्क दिया है कि शिक्षा मानव विकास की मूलभूत शर्त है। महिला शिक्षा को उन्होंने स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का साधन बताया है, जिससे महिलाएँ केवल घरेलू भूमिका तक सीमित न रहकर राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर सकती हैं।

आर. सिंह (2019) की पुस्तक *Education and Empowerment of Women in Rural India* में यह दर्शाया गया है कि ग्रामीण भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ तो बनीं, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और सामाजिक बाधाएँ इसके प्रभाव को सीमित कर देती हैं। उन्होंने विशेष रूप से पंचायत राज प्रणाली में महिला प्रतिनिधित्व और शिक्षा के स्तर के बीच संबंध की पड़ताल की है।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत शोध में बुलंदशहर ज़िले के ईलना गाँव की 100 महिलाओं को चुना गया है। गाँव की कुल जनसंख्या 6600 से 100 महिलाओं को शोध के निर्देशन के रूप में चुना गया है, जिसका अनुपात 1.5% है। इन सूचनाओं को वर्गीकृत करते हुए उनकी शैक्षिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति और अन्य आधारभूत सुविधाओं के आधार पर अध्ययन कर प्राथमिक तथ्यों का संकलन सर्वेक्षण सूची के माध्यम से किया गया है। तथ्य संकलन में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों में सर्वेक्षण सूची का निर्माण पूरी तरह सुव्यवस्थित और पुस्तकों से उदाहरण लेकर एवं इंटरनेट की सहायता से किया गया है।

तालिका संख्या 1 - ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा में बाधक कारक

आवश्यकता	उत्तरदात्री	प्रतिशत
आर्थिक स्थिति	50	50%

सामाजिक स्थिति	30	30%
सुविधाओं की कमी	20	20%
कुल	100	100%

स्रोत – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ें

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 50% उत्तरदात्री महिलाओं ने शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक स्थिति को माना है। 30% महिलाओं ने सामाजिक स्थिति को और 20% महिलाओं ने सुविधाओं की कमी को शिक्षा में रुकावट माना। यह बताता है कि आर्थिक कमजोरी होने पर शिक्षा प्राप्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है, और यही सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। इसलिए, शिक्षा की प्रभावी प्राप्ति के लिए आर्थिक आधार को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

तालिका संख्या 2 - ग्रामीण शिक्षित महिलाओं का शैक्षिक स्तर

आवश्यकता	उत्तरदात्री	प्रतिशत
प्रारंभिक शिक्षा	30	30%
माध्यमिक शिक्षा	55	55%
उच्च शिक्षा	15	15%
कुल	100	100%

स्रोत – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ें

तालिका से स्पष्ट है कि 55% महिलाएँ माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं जबकि 30% महिलाएँ केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित हैं और केवल 15% महिलाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाईं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं को शिक्षित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें उच्चतर स्तर तक शिक्षा देना जरूरी है, ताकि वे आत्मनिर्भर और आत्मसजग बन सकें।

तालिका संख्या 3 - क्या कम उम्र में विवाह से शिक्षा में बाधा आती है?

आवश्यकता	उत्तरदात्री	प्रतिशत
हाँ	70	70%
नहीं	10	10%
कभी-कभी	20	20%
कुल	100	100%

स्रोत – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ें

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 70% महिलाएँ मानती हैं कि कम उम्र में विवाह से उनकी शिक्षा में रुकावट आई, जबकि 10% महिलाएँ इससे असहमत हैं। 20% महिलाओं ने उत्तर 'कभी-कभी' दिया। इससे स्पष्ट है कि विवाह के कारण अधिकतर महिलाओं की शिक्षा रुक जाती है। यह आवश्यक है कि शिक्षा पूर्ण

होने के बाद ही विवाह हो, जिससे महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, मानसिक व राजनीतिक रूप से सक्षम बन सकें।

तालिका संख्या 4 - क्या आपको शिक्षा के अधिकार की जानकारी है?

आवश्यकता	उत्तरदात्री	प्रतिशत
हाँ	15	15%
नहीं	75	75%
कुछ-कुछ	10	10%
कुल	100	100%

स्रोत – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ें

प्रस्तुत तालिका दर्शाती है कि केवल 15% महिलाएँ शिक्षा के अधिकार के बारे में जानती हैं, जबकि 75% महिलाएँ पूरी तरह अनजान हैं और 10% महिलाओं को आंशिक जानकारी है। इससे यह स्पष्ट है कि अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण भी शिक्षा में बाधा आती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे वे अपने बच्चों और स्वयं की शिक्षा सुनिश्चित कर सकें।

निष्कर्ष-

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा में आर्थिक, सामाजिक सोच, संसाधनों की कमी और कम उम्र में विवाह जैसी अनेक बाधाएँ हैं। सबसे प्रमुख कारण आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ हैं, जिनके कारण अन्य समस्याएँ जन्म लेती हैं। समाज की सोच के अनुसार बेटी की शिक्षा से अधिक उसकी शादी जरूरी मानी जाती है। इसी सोच के कारण शिक्षा भी केवल इसीलिए दी जाती है कि शादी आसानी से हो जाए।

इससे यह पता चलता है कि बहुत कम महिलाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। शिक्षा केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, जिससे समाज की सोच और महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। शिक्षा का पहला उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना होना चाहिए।

महिला शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का मूल आधार है। यह केवल साक्षरता प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी का सबसे प्रभावी साधन भी है। ग्राम ईलना, बुलंदशहर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति यह दर्शाती है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद अब भी अनेक सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ विद्यमान हैं। गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और जागरूकता की कमी शिक्षा में बड़ी रुकावटें पैदा करती हैं।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो महिला शिक्षा का सीधा संबंध स्थानीय शासन और लोकतंत्र की मजबूती से है। शिक्षित महिलाएँ न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती हैं, बल्कि पंचायत और ग्रामसभा जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इससे स्थानीय राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और लैंगिक समानता की संभावना बढ़ती है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केवल सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव भी आवश्यक है। ग्राम ईलना में महिला शिक्षा की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब परिवार, समाज और राजनीतिक नेतृत्व मिलकर इसके लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करें।

अंततः कहा जा सकता है कि महिला शिक्षा को केवल सामाजिक सुधार का साधन न मानकर राजनीतिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का आधार माना जाना चाहिए। यही शिक्षा ग्राम ईलना की महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्रिय नागरिक के रूप में स्थापित कर सकती है और लोकतांत्रिक भारत को मजबूत बना सकती है।

संदर्भ सूची-

- Desai, N., & Thakkar, U. (2001). *Women in Indian Society*. New Delhi: National Book Trust.
- Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shah, G. (2017). *Gramin Bharat Mein Shiksha Aur Rajneeti* [Education and Politics in Rural India]. New Delhi: Sage Publications.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Singh, R. (2019). *Education and Empowerment of Women in Rural India*. Jaipur: Rawat Publications.
- Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education.
- Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Desai, N. & Thakkar, U. (2001). *Women in Indian Society*. New Delhi: National Book Trust.

- Census of India. (2011). *District Census Handbook: Bulandshahr*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
- Singh, R. (2019). *Education and Empowerment of Women in Rural India*. Jaipur: Rawat Publications.
- Kumar, A. (2021). *Political Participation of Women in Local Governance*. New Delhi: Sage Publications.
- Planning Commission of India. (2013). *Report on Status of Women in India*. Government of India.
- सरकार, आर. (2015). *भारत में महिला शिक्षा का समाजशास्त्र*. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन.
- शाह, जी. (2017). *ग्रामीण भारत में शिक्षा और राजनीति*. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन.

Manuscript Timeline

Submitted : June 17, 2025

Accepted : June 20, 2025

Published : June 30, 2025

हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐतिहासिक दृष्टि और आदिकाल का साहित्यिक परिप्रेक्ष्यसुमन बाला¹

शोध सार

हिंदी साहित्य के विकास क्रम में आदिकाल को आधार स्तंभ माना जाता है। इस काल में निहित काव्य परंपराएं, वीरगाथा-धारा, लोक श्रुति तथा सामाजिक, राजनीतिक परिवेश न केवल हिंदी भाषा की प्रारंभिक संरचना को सुनिश्चित करते हैं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आदिकाल की इस ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने और उसे एक समन्वित स्वरूप में प्रस्तुत करने का श्रेय हिंदी साहित्य के युग निर्माता विद्वानों में प्रमुख हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उन्होंने साहित्य को एक मात्र कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं माना बल्कि उसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने की सशक्त परंपरा स्थापित की है। द्विवेदी की दृष्टि में इतिहास कोई मृत दस्तावेज न होकर जीवन की सतत प्रक्रिया है, जिसके अंदर समाज, संस्कृति, भाषा और साहित्य का परस्पर संवाद गतिशील रूप से उपस्थित रहता है। उन्होंने आदिकाल के साहित्य को इसी बड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर उसकी व्याख्या की है। यह आलेख द्विवेदी की ऐतिहासिक दृष्टि तथा आदिकाल के साहित्य और समाज के बारे में उनके विश्लेषण का विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत करता है।

बीज शब्द- आदिकाल, ऐतिहासिक, साहित्यिक, वीरगाथा, परंपरा, लोक श्रुति, राजनीतिक, परिवेश, संस्कृति, अभिव्यक्ति, दार्शनिक।

प्रस्तावना-

हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास को मात्र तिथियों का संकलन न मानकर चेतना-प्रवाह मानते हैं। उनके अनुसार इतिहास मनुष्य के जीवनगत आवेगों और सांस्कृतिक संघर्षों की गाथा है। जो समय के साथ बदलते हुए भी निरंतरता बनाए रखती हैं। “हिंदी के आदिकालीन साहित्य नाथ पंथ और कबीर में उनकी गहरी रुचि के तार निश्चित ही विश्व भारती से जुड़े हैं खासकर क्षितिमोहन सेन से जो वहां अध्यापक थे।”¹ द्विवेदी जी की ऐतिहासिक दृष्टि प्रमुखतः तीन तत्वों पर आधारित है। समन्वयवादी दृष्टि, सांस्कृतिक निरंतरता और वैज्ञानिक ऐतिहासिकता। इनकी सामान्यवादी दृष्टि के अनुसार भारतीय संस्कृति सदैव समन्वय की प्रक्रिया से विकसित

¹ शोधार्थी, हिंदी विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

Email id- sumanbala20781@gmail.com

हुई है। साहित्य भी इसी समन्वय की अभिव्यक्ति है। आदिकाल को वह भारतीय साहित्य की मूल धारा का प्रस्थान बिंदु मानते हैं जिसमें आर्य-अनार्य, लोक राजसी, वीर, आध्यात्मिकता सबका मेल दिखाई देता है।

द्विवेदी का मानना है कि संस्कृति किसी एक युग की उपज नहीं बल्कि निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। आदिकाल में जो साहित्य रचा गया है वह तत्कालीन समाज के साथ-साथ प्राचीन भारतीय परंपराओं और लोक मानस का परिणाम था। इस प्रकार वे आदिकाल को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की निरंतरता का आरंभिक दस्तावेज मानते हैं।

वैज्ञानिक ऐतिहासिकता में भावनात्मक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे फिर भी इतिहास समीक्षा में वे तथ्यपरक, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण विधियों का उपयोग करते हैं। ग्रंथों की पांडुलिपियों, भाषिक प्रमाणों, लोक कथाओं, सामाजिक धारणाओं और राजनीतिक संरचनाओं का गहन विश्लेषण करते हुए वे निष्कर्ष निकालते हैं।

आदिकाल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आदिकाल लगभग 1000 ई. से 1375 ई. तक माना जाता है। यह काल भारतीय इतिहास का ऐसा दौर है जिसमें राजपूती वीरता का उत्कर्ष दिखाई देता है। “आधुनिक युग का आरंभ होने के पहले हिंदी कविता के प्रधानतः छः अंक थे- डिंगल कवियों की वीर-गाथाएं, निरगुनिया संतों की वाणियां, कृष्णभक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम-भक्त या वैधी भक्तिमार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के ऐहिकतापरक तथा हिंदू कवियों के रोमांस और रीति-काव्या, हम इन छहों धाराओं की आलोचना अगर अलग से करें तो देखेंगे कि ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है।”²

तुर्क-अफगान आक्रमणों की भूमि, सामंती व्यवस्था, ग्रामीण और शौर्यपूर्ण लोकसंस्कृति, धर्म और स्थापत्य के नए रूप एक साथ उपस्थित थे। द्विवेदी मानते हैं कि साहित्य उस समाज का दर्पण होता है जहां से वह उत्पन्न हुआ है। अतः आदिकाल में विकसित वीरगाथा साहित्य उस युग के सामाजिक-सैन्य संघर्षों और सामंती व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम था। “विक्रम संवत् की दसवीं शताब्दी में भारतवर्ष के महान गुरु गोरखनाथ का आविर्भाव हुआ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में उनके अनुयाई आज भी पाए जाते हैं, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग ही था, भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें गोरखनाथ संबंधी कहानियां न पाई जाती हो। इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है परंतु फिर भी इसमें एक बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है- गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने जिस धातु को छुआ वे सोना हो गया।”³

द्विवेदी जी ने वीरगति गोरखनाथ के योग को स्पष्ट करते हुए कहा है कि “गोरखनाथ का उसे जिस समय आविर्भाव हुआ था वह काल भारतीय धर्म साधना में बड़े उथल-पुथल का है। एक ओर मुसलमान लोग भारत में परिवेश कर रहे थे और दूसरी ओर बौद्ध-साधना क्रमशः मंत्र-तंत्र और टोना-टोटका की ओर अग्रसर

हो रही थी। दसवीं शताब्दी में यद्यपि ब्राह्मण धर्म संपूर्ण रूप से अपना प्राधान्य स्थापित कर चुका था तथापि बौद्धों, शाक्तों और शैवों का एक बड़ा भारी समुदाय ऐसा था जो ब्राह्मण और वेद के प्राधान्य को नहीं मानता था। यद्यपि उनके परवर्ती अनुयायियों ने बहुत कोशिश की है कि उनके मार्ग को श्रुति सम्मत मान लिया जाए परंतु यह सत्य है कि ऐसे अनेक शैव और शाक्त संप्रदाय उन दिनों वर्तमान थे जो वेदाचार को अत्यंत निम्न कोटि का अचार मानते थे और ब्राह्मण-प्राधान्य एकदम नहीं स्वीकार करते थे।⁴ द्विवेदी ने आदिकालीन साहित्य को वीरगाथा काव्य और धार्मिक अलौकिक काव्य दो धारा में विभाजित किया है। परंतु उनका मानना है कि इस काल में साहित्य का उद्भव केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि सामाजिक राजनीतिक परिवेश को सुरक्षित रखना लोक गौरव की रक्षा और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना था। “अब ध्यान से देखिए तो हिंदी साहित्य में दो प्रकार की भिन्न-भिन्न जातियों की दो चीजें अपभ्रंश से विकसित हुई हैं: (1) पश्चिमी अपभ्रंश से राजस्तुति, ऐहिकातामूलक, शृंगारिक काव्य, नीति विषयक फुटकल रचनाएं और लोकप्रिय कथानक और (2) पूर्वी अपभ्रंश से निर्गुणीया संतों की शास्त्र निरपेक्ष उग्र विचारधारा, झाड़-फटकार, अकड़पन, सहाज शून्य की साधना, योग-पद्धति और भक्तिमूलक रचनाएं। यह ओर भी लक्ष्य करने की बात है कि यद्यपि वैष्णव मतवाद उत्तर भारत में दक्षिण की ओर से आया पर उसमें भावावेशमूलक साधना पूर्वी प्रदेशों से आई। इस प्रकार हिंदी साहित्य में दो भिन्न-भिन्न जाति की रचनाएं दो भिन्न-भिन्न मूलों से आईं।”⁵

वीरगाथा साहित्य इतिहास और काव्य का संगम है। द्विवेदी के अनुसार चंद्रवरदाई, नरपति नाल्ह, जगनिक आदि कवियों की कृतियों में इतिहास और काव्य दोनों की संरचना मिलती है। वह इसे काव्यात्मक इतिहास कहते हैं। “न तो हमें परंपरा से प्रचलित बातों को सहज ही अस्वीकार कर देना चाहिए और न उनकी परीक्षा किए बिना उन्हें ग्रहण ही कर लेना चाहिए। इस अंधकार युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी चिंगारी मिल जाए उसे सावधानी से जलाए रखना कर्तव्य है; क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की संभावना लेकर आई होती है उसके पेट में केवल उस युग के रसिक हृदय की धड़कन का ही नहीं केवल सुशिक्षित चित्त के संयत और सुचिंतित वाक्पटव का ही नहीं बल्कि उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्भाषित करने की क्षमता छिपी होती है। इस काल की कोई भी रचना आवज्ञा और उपेक्षा का पात्र नहीं हो सकती।”⁶ इनके अनुसार यह काव्य केवल शौर्य का गीत नहीं बल्कि उस युग की सामूहिक चेतना का प्रतिरूप है। लोक चेतना के प्रभाव के कारण आदिकाल का साहित्य शुद्ध राजसी ही नहीं बल्कि जन सामान्य की उपज है लोक भाषा, लोक छंद, लोक कथाएं, लोकगायन जैसी परंपराओं ने उनकी बुनियाद मजबूत की है। द्विवेदी लोक संस्कृति को भारतीय इतिहास की जीवन रेखा मानते हैं। सांस्कृतिक संघर्ष और सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब मानते हैं। तुर्क आक्रमणों के बाद जो सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव उत्पन्न हुए उनका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। इस युग का साहित्य राजपूती स्वाभिमान और सामाजिक एकजुटता का माध्यम बना आदिकाल में अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी, ब्रजभाषा और लोक भाषाओं का संक्रमण दिखाई देता है। द्विवेदी इस भाषा परिवर्तन को भाषाई विकास की स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया मानते हैं। “हमारी भाषा का पुराना साहित्य प्रांतीय सीमाओं में बंधा नहीं है। आपको अगर हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है तो उसके पड़ोसी साहित्य बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि के पुराने साहित्य लिखित और अलिखित को जाने बिना घाटे में रहेंगे। यही बात बांग्ला, उड़िया,

मराठी आदि पुराने साहित्य के बारे में भी ठीक है। हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अदृश्य काल विधाता के हाथों से दिया गया है कि उसे प्रांतीय सीमाओं में बांधकर सोचा ही नहीं जा सकता। उसका एक टांका यदि काशी में मिल गया तो दूसरा बंगाल में, तीसरा उड़ीसा में और चौथा महाराष्ट्र में मिलेगा और यदि पाँचवाँ मालाबार में मिल जाए तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है।”⁷

द्विवेदी के विश्लेषण में ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक संरचना महत्वपूर्ण है द्विवेदी साहित्य को इतिहास के भीतर पढ़ते हैं। उनका मानना है की आदिकालीन काव्य में राजनीतिक संघर्ष, वीरता, सामाजिक मूल्य, कुटुंबवाद, कुल-धर्म, निष्ठा, आस्था इन सभी की अभिव्यक्ति है जो वस्तुतः उसे समय की वास्तविक जीवन स्थितियों से निकली है। उन्होंने चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को विश्व इतिहास नहीं बल्कि ऐतिहासिक तत्वों से सज्जित काव्य शिल्प में रहते हैं। इस प्रकार नरपति नाल्ह की वीर गाथा को यथार्थ के सबसे निकट मानते हैं क्योंकि नाल्ह स्वयं युद्ध दृष्टा थे। आदिकाल पर द्विवेदी ने मौलिक योगदान परख टिप्पणियां दी जिसमें आदिकाल को गौरवशाली बनाना। द्विवेदी ने पहली बार आदिकाल को अंधकार युग कहने की धारणाओं का खंडन कर उसे साहित्य और संस्कृति के रूप में समृद्ध सिद्ध किया। आदिकाल के कवियों की पुनर पहचान उन्होंने की चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नाल्ह, बीसलदेव, आल्हा-ऊदल, पृथ्वीराज प्रबंध जैसे कवियों और कृतियों के प्रामाणिक ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किए। भाषा इतिहास का विश्लेषण किया उन्होंने भाषा परिवर्तन को ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर समझाया जैसे कि राज्य परिवर्तन, जन आवागमन, युद्ध और सामाजिक उथल-पुथल। भारतीयता की मूल धारणा की खोज द्विवेदी जी ने आदिकाल को केवल वीर-युद्ध का काल न मानकर भारतीय लोक-चेतना की जड़े कहा। उनके अनुसार यही वह भूमि है जहां से भारतीय साहस, नैतिकता और लोक भक्ति की धारा विकसित होती है। आदिकाल और इतिहास लेखन का द्विवेदीय मॉडल, द्विवेदी के इतिहास लेखन की चार विशेषताएं बताते हैं आदिकाल के संदर्भ में स्पष्ट दिखती हैं तथ्य और कल्पना का संतुलन वे किसी कृति को न पूर्ण कल्पना मानते और न पूर्ण इतिहास यह दोनों का समीकृत रूप है। संस्कृत संदर्भों का उयोग वे साहित्य को किसी एक वर्ग की वास्तु न मानकर सामाजिक-सांस्कृतिक चेतन की अभिव्यक्ति का क्षेत्र मानते हैं। यह ग्रंथ समीक्षा विधि, पांडुलिपि, भाषा, छंद, वर्ण शैली आदि का विश्लेषण करके भी ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि में मानवतावाद के कारण द्विवेदी किसी भी काव्य का मूल्यांकन मानव मूल्य की कसौटी पर करते हैं। उनके अनुसार काव्य यदि मनुष्य की सामूहिक अनुभूति को दर्शाता है तभी ऐतिहासिक है। आदिकाल के सामाजिक परिवेश और द्विवेदी की टिप्पणियां में सामंती सैन्य व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। कि आदिकाल एक सैन्य सामंती ढांचा था जहां राजा, क्षत्रिय कूल और सामंत समाज के केंद्र में थे। इसलिए साहित्य में यश, बल, स्वामी भक्ति, वफादारी, कुलगौरव जैसे तत्व स्वाभाविक रूप से उभर कर आते हैं।

स्त्री चेतना और आदिकाल हालांकि आदिकालीन राजपूती वीरता का योग था पर साहित्य में स्त्रियां जैसे रानी पद्मावती, कमलावती, आल्हा की मां, पृथ्वीराज की माता सांस्कृतिक प्रेरणा का स्रोत है। द्विवेदी ने

स्त्रियों को नैतिक शक्ति का स्रोत माना है। लोक – संस्कृति का प्रभाव भी उन्होंने देखा है जहां राज काव्य राजाओं का गुणगान करता है, वही आल्हा-ऊदल, लोकगीत, मंगल गीत, गाथा-गायन जन संस्कृति का परिचायक है। द्विवेदी आदिकाल को लोक संस्कृति का स्वर्ण काल भी मानते हैं।

उनकी आलोचना में इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरातत्व और मानवशास्त्र सबका सुंदर मेल है। वे काव्य को वास्तु के रूप में नहीं बल्कि प्रक्रिया के रूप में पढ़ते हैं। उनकी आलोचना पद्धति के अनुसार आदिकालीन साहित्य केवल वीरता, इतिहास और कल्पना ही नहीं बल्कि इन तीनों का त्रिवेणी रूप है। आदिकाल की प्रामाणिकता पर द्विवेदी के तर्क यह है कि आदिकालीन कृतियों में भाषा की प्राचीनता पांडुलिपियों की विविधता ऐतिहासिक घटनाओं में सामंजस्य, सामाजिक, सांस्कृतिक संकेत जन श्रुतियों का समर्थन इन सब के आधार पर इस काल का साहित्य पूर्णतः विश्वसनीय है।

निष्कर्ष-

हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐतिहासिक दृष्टि आदिकाल के साहित्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करती है। उन्होंने आदिकाल को अंधकार युग कहने वाले मतों का खंडन करते हुए भारतीय संस्कृति के इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय सिद्ध किया। उनके अनुसार आदिकाल केवल वीरता का युग नहीं बल्कि सांस्कृतिक संघर्ष, सामाजिक संरचना, भाषा विकास, लोकमानस, राजपूती गौरव, नैतिक मूल्य इन सब का सामंजस्यपूर्ण युग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रामाणिकताओं, भाषा विश्लेषण, इतिहास और लोक संस्कृति को आधार बनाकर आदिकाल की वह तस्वीर प्रस्तुत की है जो आज भी हिंदी साहित्य की आधारशिला है। उनकी दृष्टि में आदिकाल भारतीय संस्कृति की जड़ों और लोकमानस की वास्तविक अभिव्यक्ति है।

संदर्भ ग्रंथ-

1. त्रिपाठी, विश्वनाथ. (2011). *व्योमकेश-दरवेश* (प्रथम संस्करण). राजकमल प्रकाशन।
2. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. (2014). *हिंदी साहित्य की भूमिका*. राजकमल प्रकाशन।
3. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. (2007). *हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली* (खंड 6; संपादक: मुकुंद द्विवेदी). राजकमल प्रकाशन।
4. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. (2007). *हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली* (खंड 6; संपादक: मुकुंद द्विवेदी). राजकमल प्रकाशन।
5. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. (2014). *हिंदी साहित्य की भूमिका*. राजकमल प्रकाशन।
6. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. (1980). *हिंदी साहित्य का आदिकाल*. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद।
7. द्विवेदी, हजारी प्रसाद. (1999). *कल्पलता*. राजकमल प्रकाशन।

NOTES FOR AUTHORS,
The Equanimist...A peer reviewed Journal

1. Submissions

Authors should send all submissions and resubmissions to **theequanimist@gmail.com**. Some articles are dealt with by the editor immediately, but most are read by outside referees. For submissions that are sent to referees, we try to complete the evaluation process within three months. As a general rule, **The Equanimist** operates a double-blind peer review process in which the reviewer's name is withheld from the author and the author's name is withheld from the reviewer. Reviewers may at their own discretion opt to reveal their name to the author in their review, but our standard policy is for both identities to remain concealed. Absolute technical requirements in the first round are: ample line spacing throughout (1.5 or double), an abstract, adequate documentation using the author-date citation system and an alphabetical reference list, and a word count on the front page (include all elements in the word count). Regular articles are restricted to an absolute maximum of 10,000 words, including all elements (title page, abstract, notes, references, tables, biographical statement, etc.).

2. Types of articles

In addition to Regular Articles, **The Equanimist** publishes the Viewpoint column with research-based policy articles, Review Essays, Book Review and Special Data Features.

3. The manuscript

The final version of the manuscript should contain, in this order:

- (a) title page with name(s) of the author(s), affiliation
- (b) abstract
- (c) main text
- (d) list of references
- (e) biographical statement(s)
- (f) tables and figures in separate documents
- (g) notes (either footnotes or endnotes are acceptable)

Authors must check the final version of their manuscripts. against these notes before sending it to us.

The text should be left justified, with an ample left margin. Avoid hyphenation. Throughout the manuscripts, set line spacing to 1.5 or double.

The final manuscript should be submitted in MS Word for Windows.

4. Language

The Equanimist is a Bilingual Journal, i.e. English and हिंदी. The main objective of an academic journal is to communicate clearly with an international audience.

Elegance in style is a secondary aim: the basic criterion should be clarity of expression. We allow UK as well as US spelling, as long as there is consistency within the article. You are welcome to indicate on the front page whether you prefer UK or US spelling. For UK spelling we use -ize [standardize, normalize] but -yse [analyse, paralyse]. For US spelling, -ize/-yse are the standard [civilize/analyze]. Note also that with US standard we use the serial comma (red, white, and blue). We encourage gender-neutral language wherever possible. Numbers higher than ten should be expressed as figures (e.g. five, eight, ten, but 21, 99, 100); the % sign is used rather than the word 'percent' (0.3%, 3%, 30%). Underlining (for italics) should be used sparingly. Commonly used non-English expressions, like *ad hoc* and *raison d'être*, should not be italicized.

5. The abstract

The abstract should be in the range of 200–300 words. For very short articles, a shorter abstract may suffice. The abstract is an important part of the article. It should summarize the

actual content of the article, rather than merely relate what subject the article deals with. It is more important to state an interesting finding than to detail the kind of data used: instead of 'the hypothesis was tested', the outcome of the test should be stated. Abstracts should be

written in the present tense and in the third person (This article deals with...) or passive (... is discussed and rejected). Please consider carefully what terms to include in order to increase the visibility of the abstract in electronic searches.

6. Title and headings

The main title of the article should appear at the top of pg. 1, followed by the author's name and an institutional affiliation. The title should be short, but informative. All sections of the article (including the introduction) should have principal subheads. The sections are not numbered. This makes it all the more important to distinguish between levels of subheads in the manuscripts – preferably by typographical means.

7. Notes

Notes should be used only where substantive information is conveyed to the reader. Mere literature references should normally not necessitate separate notes; see the section on references below. Notes are numbered with Arabic numerals. Authors should insert notes by using the footnote/endnote function in MS Word.

8. Tables

Each Table should be self-explanatory as far as possible. The heading should be fairly brief, but additional explanatory material may be added in notes which will appear immediately below the Table. Such notes should be clearly set off from the rest of the text. The table should be numbered with a Roman numeral, and printed on a separate page.

9. Figures

The same comments apply, except that Figures are numbered with Arabic numerals. Figure headings are also placed below the Figure. Example: Figure 1.

10. References

References should be in a separate alphabetical list; they should not be incorporated in the notes. Use the APA form of reference

11. Biographical statement

The biosketch in **The Equanimist** appears immediately after the references. It should be brief and include year of birth, highest academic degree, year achieved, where obtained, position and current institutional affiliation. In addition authors may indicate their present main research interest or recent (co-)authored or edited books as well as other institutional affiliations which have occupied a major portion of their professional lives. But we are not asking for a complete CV.

12. Proofs and reprints

Author's proofs will be e-mailed directly from the publishers, in pdf format. If the article is co-authored, the proofs will normally be sent to the author who submitted the manuscripts. (corresponding author). If the e-mail address of the corresponding author is likely to change within the next 6–9 months, it is in the author's own interest (as well as ours) to inform us: editor's queries, proofs and pdf reprints will be sent to this e-mail address. All authors (corresponding authors and their co-authors) will receive one PDF copy of their article by email.

13. Copyright

The responsibility for not violating copyright in the quotations of a published article rests with the author(s). It is not necessary to obtain permission for a brief quote from an academic article or book. However, with a long quote or a Figure or a Table, written permission must be obtained. The author must consult the original source to find out whether the copyright is held by the author, the journal or the publisher, and contact the appropriate person or institution. In the event that reprinting requires a fee, we must have written confirmation that the author is prepared to cover the expense. With literary quotations, conditions are much stricter. Even a single verse from a poem may require permission.

THE Equanimist

A peer reviewed refereed journal

SUBSCRIPTION ORDER FORM

1. NAME.....
2. ADDRESS.....
.....
.....
- TEL.....MOB.....EMAIL.....
3. TYPE OF SUBSCRIPTION: TICK ONE INDIVIDUAL/INSTITUTION
4. PERIOD OF SUBSCRIPTION: ANNUAL/FIVE YEARS
5. DD.....DATE.....
BANK.....
AMOUNT (IN WORD).....AMOUNT (IN NUMBERS).....

DEAR CHIEF EDITOR,

KINDLY ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF MY SUBSCRIPTION AND START SENDING THE ISSUE(S) AT FOLLOWING ADDRESS:

.....
.....
.....

THE SUBSCRIPTION RATES ARE AS FOLLOWS W.E.F. 01.04.2015

INDIA (RS.)

TYPE	INDIVIDUAL	INSTITUTION
ANNUAL	RS. 1000	RS. 1400
FIVE YEARS	RS. 4500	RS. 6500
LIFETIME	Rs. 18,000	Rs. 20,000

YOURS SINCERELY

SIGNATURE

NAME:

PLACE:

DATE:

Please Fill This Form and deposit the money through net banking. Details are BANK- STATE BANK OF INDIA Name SHREE KANT JAISWAL A/C – 32172975280.IFSC –SBIN0003717 Branch: SINDHORA BAZAR VARANASI. After depositing the money please e-mail the form and receipt at theequanimist@gmail.com

Published By

Oriental Human Development Institute
121/3B1 Mahaveerpuri, Shivkuti Road.
Allahabad-211004